लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

3rd

LOK SABHA DEBATES

[पन्द्रहवां सत्र
Fifteenth Session]

Preservation Unit
18-6-94
Fumigated
On 4.1.84
Parliament Library

(खंड 59 में अंक 21 से 32 तक हैं
Vol. LIX contains Nos. 21—32)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया। Price: One Rupee

विषय सूची/CONTENTS

अंक 26—बुधवार, 31 अगस्त, 1966/9 भाद्र,1888 (शक)

No. 26—Wednesday, August 31, 1966/Bhadra 9, 1888 (Saka)

विषय	SUBJECT	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या		पृष्ठ/PAGES
S. Q. Nos.		
748. अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन स्कूल को सहायता	Aid to School of International Studies	1—6
749. हल्दिया में उद्योग समूह	Industrial Complex at Haldia ..	6
758. हल्दिया पेट्रो रासायनिक उद्योग समूह	Haldia Petro-Chemical Complex	7—10
751. मिजो विद्रोहियों द्वारा धन की जबरन वसूली	Forcible collection of money by Mizo Rebels	10—13
752. बर्मा से वापस आये हुए भारतीय लोगों के लिये दुकानें	Shops for Indian Repatriates from Burma ..	13—14
753. कोयली में पेट्रो रासायनिक उद्योग समूह	Petro-Chemical Complex at Koyali	14—17
754. खम्बात तेल क्षेत्रसे तरल ईंधन	Liquid Fuel from Cambay Oil-field ..	17—19
अ० सू० प्र० संख्या		
S. N. Q. No.		
20. मावूर (केरल) स्थित ग्वालियर रेयन फैक्टरी	Gwalior Rayon Factory at Mavoor ..	19—21
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos.		
755. परिवार पेंशन योजना	Family Pension Scheme ..	21

* किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
756. टेलीफोनों की संख्या में वृद्धि	Growth of Telephones ..	21
757. राष्ट्रीय तथा भावात्मक एकता	National and Emotional Integration ..	22
759. जनता में और सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार	Corruption in Public and Government Departments	22—23
760. व्यावसायिक धन्धों का प्रशिक्षण	Training in Vocational Trades ..	23
761. प्रबन्ध में श्रमिकों द्वारा भाग लेना	Labour Participation in Management ..	23—24
762. गृह-कार्य मंत्री का काश्मीर की सीमा का दौरा	Home Minister's Visit to Kashmir Border ..	24
763. बढ़े हुए काम के आधे घंटे की समाप्ति तथा छुट्टी वाले शनिवार	Off Saturdays and abolition of extra Half Hour of work ..	24—25
764. श्रम सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग	National Commission on Labour ..	25
766. काश्मीर में घुसपैठिये	Infiltrators in Kashmir ..	25
767. सेवानिवृत्ति की आयु तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में उच्च प्रबंधकीय पदों पर नियुक्ति	Superannuation Age and Appointment to top managerial posts in the Public Sector Undertakings ..	25—26
768. बीस वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों का अमरीका जाना	Teenagers Visiting U. S. A. ..	26—27
769. संयुक्त राष्ट्र संघ के टिकटों की बिक्री	Sale of United Nations Stamps ..	27
770. नई दिल्ली में विट्ठल भाई पटेल हाऊस में हत्या	Murder in Vithal Bhai Patel House, New Delhi ..	27—28
771. जम्मू तथा काश्मीर पुनर्वास विभाग	J. & K. Rehabilitation Machinery ..	28
772. मजदूरों के लिये अनुशासन संहिता	Code of Discipline for Labour ..	28—29
773. बर्मा से भारत लौटने वाले लोगों के नाम दर्ज करना	Registration of Repatriates from Burma ..	29
774. कराइकाल में तेल	Oil in Karaikal ..	29—30
775. केरल के गैर-सरकारी कालेजों के अध्यापक	Private College Teachers of Kerala ..	30

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
776. अन्दमान के खेतिहर मजदूरों की हड़ताल	Strike by Andaman Agricultural Workers ..	30—31
777. गुजरात में कृषकों को लाईट डीजल तेल की सप्लाई	Supply of Light Diesel Oil to the Agriculturists in Gujarat	31—32
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3667. लड़कों तथा लड़कियों के लिये कन्वेन्ट तथा पब्लिक स्कूल	Convent and Public Schools for Boys and Girls. ..	32
3668. पाकिस्तान भाग जाने वाले कर्मचारी	Employees escaping to Pakistan	32
3669. मुरलीगंज (विहार) में एक टेलीफोन का काट दिया जाना	Disconnection of a Telephone in Murliganj (Bihar) ..	33
3670. भारत में शिक्षक, अभिभावक आन्दोलन	Teacher Parent Movement in India ..	33
3671. अनाज के उत्पादन के काम में लगाए गये कैदी	Prisioners employed in Food production ..	33—34
3672. भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् के कल्याण अधिकारी और कार्यक्रम अधिकारी	Welfare and Programme Officers of I. C. C. R.	34
3673. गंगाजली निधि न्यास	Gangajali Fund Trust	35
3674. अगरतला में प्राध्यापकों की नियुक्ति	Recruitment of Professors in Agartala	35
3675. केरल में डाकघरों की वर्गोन्नति	Upgrading of Post Offices in Kerala	36
3676 केरल में बागान मजदूरों का गिरफतार किया जाना	Arrest of Plantation Workers in Kerala	36
3677. केरल विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की हड़ताल	Kerala University Employees' Strike	36—37
3678. स्मृति डाक टिकट	Commemorative Stamp	37
3679. केरल में बडागरा में जूनियर तकनीकी स्कूल	Junior Technical School in Badagara Kerala	37

विषय अतां० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3680. राष्ट्रमंडलीय कुश्ती प्रतियोगिता	Commonwealth Wrestling Tournament ..	38
3681. रेलवे डाक सेवा के कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि	Emoluments of R. M. S. Employees	38
3682. भारतीय तेल निगम	Indian Oil Corporation ..	38—39
3683. अशोधित तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों के दाम	Price of Crude Oil and Petroleum Products ..	39—40
3684. दिल्ली पुलिस के लिये वायरलेस लगी गाड़ियां	Wireless fitted Vans for Delhi Police	40
3685. भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन सम्बन्धी संस्था (इण्डियन स्कूल आफ इंटरनेशनल स्टीडीज)	Indian School of International Studies ..	40
3686. भ्रष्टाचार विरोधी जिला समितियां	District Anti Corruption Committees ..	40—41
3687. गोरखपुर विश्वविद्यालय को सहायता	Assistance to Gorakhpur Varsity	41
3688. भार्टिडा का किला	Fort of Bhatinda	41—42
3689. पंजाब में राजनीतिक पीड़ितो को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Political Sufferers in Punjab ..	42
3690. गैर मुसलमान विस्थापित लोगों को भूमि का आवंटन	Allotment of Land to Displaced Non-Muslims	42—43
3691. पाक जल डमरू मध्य पार करने की तैराकी प्रतियोगिता	Swimming Competition Across Pak Strait ..	43
3692. दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में नियुक्त भूगोल शिक्षक	Geography Teachers Employed in Higher Secondary Schools in Delhi ..	43—44
3693. दिल्ली में राजनीतिक पीड़ित	Political Sufferers in Delhi	44
3694. दिल्ली में सरकारी बस्तियों में सभाओं पर पाबन्दी	Ban on Meetings in Government Colonies in Delhi ..	44
3695. दिल्ली में अध्यापकों का स्थायी बनाया जाना	Confirmation of Teachers in Delhi	45

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

3696. गोआ का विलय	Merger of Goa ..	45
3697. पंजाब के पुनर्गठन का विरोध	Opposition to reorganisation of Punjab ..	45—46
3698. रेलगाड़ियों में बमों के विस्फोट	Bomb Explosions on Railways	46
3699. गोआ मुक्ति आन्दोलन के अधिकारियों तथा सदस्यों की गिरफतारी	Arrest of Office Bearers and members Goa liberation struggle ..	46
3700. राजस्थान सशस्त्र पुलिस दल का साज समान	Equipment of Rajasthan Armed Constabulary	47
3701. रिक्शा चलाने वालों को तपेदिक का रोग	Incidence of T. B. among Rickshawpullers..	47
3702. परीक्षाओं के परिणाम	Results of Examination	47—48
3703. पश्चिम बंगाल के गृह-सचिव के पद का दर्जा बढ़ाना	Upgrdation of post of Home Secretary of Bengal	48
3704. गोरखपुर विश्वविद्यालय	Gorakhpur University ..	48
3705 उद्योगपतियों और वैज्ञानिकों का सम्मेलन	Conference of Industrialists and Scientists ..	49
3706. संघ राज्य क्षेत्रों में विवाह विच्छेद के मामले	Divorce Cases in Union Territories	49
3707. उत्प्रवासी मजदूर	Emigrant Labour	49
3708. प्रशिक्षण संस्थायें	Training Institutes ..	50
3709. सभा में गणपूर्ति के बारे में विधेयक	Bill on Quorum in the House	50
3710. राष्टीय जीव विज्ञान की नई प्रयोगशाला	New National Biological Laboratory	50—51
3711. कर्मचारियों के लिये अनिवार्य बीमा योजना	Compulsory Insurance Scheme for Employees	51
3712. दिल्ली में नये स्कूलों का खोला जाना	Opening of New Schools in Delhi	51
3713. दिल्ली के न्यायालयों में भ्रष्टाचार	Corruption in Delhi Courts	51—52

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3714. दिल्ली में हत्याएं तथा कारों और स्कूटरों की चोरी के मामले	Cases of Murders and Thefts of Cars and Scooters in Delhi ..	52—53
3715. निर्वाह व्यय सूचकांक	Cost of Living Index ..	53—54
3716. भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत लोगों का नजरबन्द किया जाना	Detention of Persons under D. I. R. ..	54—55
3717. सस्ती आयातित पुस्तकें	Cheap Imported Books	55
3718. बस्तर कांड के बारे में प्रतिवेदन	Report on Bastar Happenings	55
3719. नई दिल्ली के जनरल पोस्ट आफिस से डाक के थैले का गुम हो जाना	Dak bag found missing from G. P. O. New Delhi	56
3720. पाकिस्तानी नागरिक द्वारा भारत में अवैध आवास	Overstaying by a Pakistan National ..	56
3721. दिल्ली में अवैध शराब का पकड़ा जाना	Seizure of illicit Liquor in Delhi	57
3722. सरकारी कार्यालयों में हिन्दी कक्षाएं	Hindi Classes in Government Offices	57—58
3723. दिल्ली में बस स्टापों पर टेलीफोन	Telephones at Bus Stops in Delhi	58
3724. अन्तर्राष्ट्रीय समाज सुरक्षा सम्मेलन	International Social Security Conference ..	59
3725. ग्रामीण क्षेत्रों में अंग्रेजी का अध्यापन	Teaching English in Rural Areas	59
3726. प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिये स्नातकों की योग्यता	Fitness of Graduates to compete in Examinations	59—60
3727. भारतीय भाषा समिति	Indian Languages Committee ..	60
3728. पेट्रोलियम का उत्पादन	Petroleum Output ..	60
3729. केन्द्रीय जांच विभाग में सब-इन्सपैक्टरों की भर्ती	Recruitment of Sub-Inspectors in C. B. I. ..	61
3730. पाकिस्तान द्वारा भारतीय सैनिक का अपहरण	Kidnapping of an Indian Soldier by Pakistanis ..	61—62

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

3731.	सशस्त्र मिजो विद्रोहियों द्वारा आक्रमण	Raid by Armed Mizo Rebels ..	62
3732.	मंत्रि परिषद् के सदस्यों द्वारा लिये गये भत्ते	Allowances drawn by Cabinet Ministers ..	62
3733.	नई उर्वरक परियोजनाओं का आयोजन तथा विकास	Planning and Development of New Fertilizer Projects ..	62—63
3734.	दिल्ली में शिक्षकों के वेतन क्रम	Pay Scale of Teachers in Delhi ..	63
3735.	पाकिस्तानी तस्कर व्यापारी का गिरफ्तार किया जाना	Arrest of a Pakistani Smuggler	63
3736.	एक लड़की का अपहरण	Abduction of a Girl ..	63—64
3737.	हरिद्वार में एक पाकिस्तानी राष्ट्रजन की गिरफ्तारी	Arrest of a Pakistani in Hardwar ..	64
3738.	पत्तन तथा गोदी श्रम बोर्ड	Port and Dock Labour Board ..	64—65
3739.	मिदनापुर में अनाज का लूटा जाना	Looting of Foodgrains in Midnapur ..	65
3740.	सैनिक इंजीनियरी सेवाओं में भ्रष्टाचार-विरोधी अभियान	Anti-Corruption Drive in Military Engineering Services	65—66
3741.	आयोगों पर व्यय	Expenditure on Commission ..	66
3742.	पटना में टेलीफोन सेवायें	Telephone Services in Patna ..	67
3743.	केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा घूसखोरों पर जाल बिछाया जाना	Bribe takers traped by C. B. I. ..	67—68
3744.	आदिम जाति लोगों सम्बन्धी नीति	Tribal Policy	68
3745.	पाकिस्तानियों द्वारा जबर-दस्ती ले जाये गये मवेशी	Cattle Kidnapped by Pakistanies	68—69
3746.	"दि लास्ट डेज आफ ब्रिटिश राज" नामक पुस्तक	The Last Days of British Raj	69
3747.	पाठ्य पुस्तकें	Text Books ..	69—70
3748.	लोक शिकायत आयुक्त	Commissioner of Public Grievances ..	70

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3749. गन्धक का उत्पादन	Production of Sulphur	70—71
3750. छम्ब जोरियां क्षेत्र में मकान निर्माण कार्यक्रम	Housing Programme in Chhamb-Jaurian Sector ..	71
3751. छोटा नागपुर राज्य बनाने की मांग	Demand for Chota Nagpur	71—72
3752. भारतीय प्रोद्योगिकी संस्था, कानपुर	Indian Institute of Technology Kanpur	72
3753. अश्लील सिनेमा इश्तहार	Obscence Cinema Posters	72
3754. अशोधित तेल की शोधन क्रिया में तेल की बर्बादी	Wastage in Refining Crude Oil	72—73
3755. तेल परियोजनाओं की लागत	Cost of Oil Projects	73
3756. मिजो लोगों द्वारा एक गांव को जलाया जाना	Burning of a Village by Mizos	73—74
3757. पश्चिम बंगाल में अनधिकृतवासियों की बस्तियां	Squatters' Colonies in West Bengal	74
3758. कारगिल के पोस्टमास्टर का अपहरण	Kidnapping of Post Master of Kargil	74
3759. कोयला खानों में घातक दुर्घटनायें	Fatal Accidents in Coal Mines ..	75
3760. आसनसोल के निकट कल्ला में केन्द्रीय अस्पताल	Central, Hospital at Kalla near Asansol	75
3761. आसनसोल के निकट कल्ला, कोल माइन्स सेंट्रल अस्पताल में तपेदिक का वार्ड	T. B. Ward in Coal Mines Central Hospital at Kalla, Asansol	76
3762. भारत पाकिस्तान पुलिस अधिकारियों की बैठक	Indo-Pak Police Officers, Meeting	76
3763. आसाम नागालैण्ड सीमा	Assam Nagaland Boundary	76—77
3764. नई दिल्ली स्थित जानकी देवी महाविद्यालय में विद्यार्थियों का दाखिला	Admission to Janki Devi Mahavidyalaya New Delhi ..	77—78
3765. पाइराइट्स से सल्फ्यूरिक ऐसिड	Sulphuric Acid from Pyrites	78

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3766. पश्चिम रेलवे में नौकरी में लगे पाकिस्तानी लोग	Pakistanis Employed in W. Railway ..	78
3767. एक इंजीनियरिंग कम्पनी के अमरीकी प्रबन्धक के विरुद्ध शिकायत	Complaint against the American Manager of an Engineering Company ..	79
3768. कालकाजी कालोनी, दिल्ली	Kalkaji Colony, Delhi ..	79—80
3769. नये स्कूलों को मान्यता	Recognition to new Schools ..	80—81
3770. राम किशन मंत्रिमंडल के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against Ram Kishan Ministry ..	81
3771. पंजाब में हरिजन कल्याण निधि का दुरुपयोग	Misuse of Harijan Welfare Fund in Punjab ..	81—82
3772. अभिरक्षकाधीन भूमि का पंजाब सरकार को बेचा जाना	Sale of Custodian Land to Punjab ..	82
3773. केन्द्रीय जांच विभाग और विशेष पुलिस संस्थान में प्रतिनियुक्त व्यक्तियों द्वारा उन विभागों में अधिक समय तक नियुक्त रहना	Overstay by Deputationists in C.B.I. and S. P. E. ..	82—83
3774. छम्ब जोरियां क्षेत्र में पुनर्वास कार्य	Rehabilitation work in Chhamb-Jaurian Sector ..	83
3775. चौथी योजना में शिक्षा के लिये राशि	Provision for Education in Fourth Plan ..	83—84
3776. रूस में संस्कृत पाण्डुलिपि	Sanskrit Manuscript in Russia ..	84
3777. स्टैन्डर्ड टेलीफोन एण्ड केबल कम्पनी, लन्दन के साथ करार	Agreement with the Standard Telephone and Cable Co. London ..	84—85
3778. देवनागरी लिपि में तार	Telegrams in Devanagari Script ..	85
3779. प्रामाणिक पाठ्य पुस्तकों का अनुवाद	Translation of Standard Text Books ..	85—86
3780. दिल्ली की सड़कों पर यातायात सम्बन्धी सूचनायें	Traffic notices on Delhi Roads ..	86
3781. लुधियाना के होजरी कर्मचारी	Hosiery workers of Ludhiana ..	86—87

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3782. कच्छ में हड़प्पा की सभ्यता के संकेत	Indications of Harappan Civilization in Kutch ..	87
3783. दक्षिण भारत में केन्द्रीय विश्व-विद्यालय	Central University in South India ..	87
3784. दक्षिण में भारत में मन्दिरों का संरक्षण	Preservation of Temples of South India ..	88
3785. भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् के सचिव के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against Secretary of I.C.C.R. ..	88—89
3786. बिहार में जिला भ्रष्टाचार विरोधी समितियों में संसद सदस्यों द्वारा भाग लिया जाना	Participation of M. Ps. in District Anti corruption Committees in Bihar ..	89
3787. भारतीय विज्ञान विकास संस्था	Indian Association for Cultivation of Science	90—91
3788. औद्योगिक कार्य प्रणाली के लिये अध्यापकों का प्रशिक्षण	Training of Teachers for Industrial Practices ..	91
3789. भारतीय गांव पर पाकिस्तानियों द्वारा आक्रमण	Pakistanis' Attack on Indian Village	91
3790. विद्रोही मिजो लोग	Mizo Hostiles ..	91—92
3791. पाकिस्तानी जरायम पेशा लोगों का भारतीय राज्य क्षेत्र में अवैध प्रवेश	Trespassing of Pakistani Criminals into Indian Territory	92
3792. भूतपूर्व निजाम स्टेट रेलवे के अंश	Shares of Former Nizam State Railway	92—93
3793. भूतपूर्व निजाम स्टेट रेलवे के अंशधारी	Share holders of former Nizam State ..	93
3794. आगरा विश्वविद्यालय के पाठ्य क्रम की एक पुस्तक	A book in Agra University Course ..	93—94
3795. केरल में वामपंथी साम्यवादियों के कार्यकलाप	Left Communists' activities in Kerala ..	94
3797. सीरे का उत्पादन और खपत	Production and Utilisation of Molasses ..	94—95
3798. परीक्षा शुल्क में वृद्धि	Increase in examining fee ..	95

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3799. केरल विश्वविद्यालय के राजनीति शास्त्र विभाग के अध्यक्ष	Head of Deptt. of Politics, Kerala University ..	95—96
3800. एम०ए० में अनिवार्य प्रश्नपत्र	Compulsory Paper in M. A. ..	96
3801. केरल विश्वविद्यालयों में एम० ए० में अनिवार्य प्रश्नपत्र	Compulsory Paper in M. A. in Kerala University ..	96—97
3802. हिन्दी के प्रयोग सम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समिति	High Level Co-ordination Committee on use of Hindi ..	97
3803. विदेशी मुद्रा का दुरुपयोग	Misuse of Foreign Exchange ..	97—98
3804. गांधी हरिजन विद्यालय, मदनगिर	Gandhi Harijan Vidyalaya, Madangir ..	98
3805. सरकारी संस्थाओं में अवैतनिक कार्यकर्त्ता	Honorary workers in Government organisations ..	98—99
3806. तिरूर (केरल) के पुलिस के थानेदार के विरुद्ध शिकायत	Complaint against the Police S. I. of Tirur (Kerala)	99
3807. बरौनी तेल शोधक कारखाना	Barauni Oil Refinery ..	99
3808. मालावार क्षेत्र में जूनियर कालेज	Junior Colleges in Malabar Region ..	99—100
3809. केरल में पिछड़े वर्गों के विद्यार्थी	Students of Backwad Classes in Kerala ..	100
3811. कैरों हत्याकांड	Kairon Murder Case ..	100
3812. राजस्थान में पाकिस्तानियों द्वारा घुसपैठ	Pak Infiltration in Rajasthan ..	100—101
3813. विजय स्मारक अस्पताल, बीकानेर में टेलीफोन	Telephones in Vijay Memorial Hospital Bikaner ..	101
3814. राजस्थान में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के बेरोजगार लोग	Unemployed S. C. and S. T. Candidates in Rajasthan ..	101—102
3815. उर्वरक कारखाना, हनुमानगढ़	Fertilizer Factory, Hanumangarh ..	102
3816. तूतीकोरिन में पोटाश प्लांट	Potash Plant at Tuticorin ..	102—103

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

3817. सरकारी कार्यालयों में पानी पिलाने के लिए प्रबन्ध	Arrangement for the Supply of Drinking water in Government Offices ..	103
3818. अवैध शराब	Illicit Liquor	103
3819. दिल्ली की एक बस्ती को मान्यता देना	Recognition of a Delhi Colony	104
3820. घरों में पूजा करने का अधिकार	Right to Worship in Homes	104
3821. नागर निर्योग्यता निवारण अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अभियोग	Convictions under the Civil Disabilities Act, 1955	104
3822. भाषा के रूप में अंग्रेजी	English as a Language	105
3823. स्वतंत्र भारत मिल्स, दिल्ली	Swatantra Bharat Mills, Delhi ..	105—106
3824. कलकत्ता में एक शराब की दुकान में कदाचार	Malpractices by a Wine Bar in Calcutta ..	106
3825. अथोली शाखा डाकघर, केरल	Atholi Branch Post Office (Kerala)	107
3826. खनन तथा धातु कर्म में प्रशिक्षण	Training in Mining and Metallurgy	107
3827. जैसलमेर में तेल शोधक कारखाना	Oil Refinery in Jaisalmer	107
3828. कोचीन तथा दुर्गापुर उर्वरक कारखाने	Cochin and Durgapur Fertilizer Factories ..	108
3829. केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सहकारी स्टोर, नई दिल्ली	C. G. E. Cooperative Stores, New Delhi ..	108
3830. केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सहकारी स्टोर्स, नई दिल्ली	Central Government Employees Cooperative Stores, New Delhi ..	108—109
3831. वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् पूल में डाक्टर	Medical Men in the C. S. I. R. Pool	109
3833. गोविन्दपुरी के निवासियों के विरुद्ध मुकदमे	Suits against Gobindpuri Residents ..	110
3834. विद्रोही नागाओं की गतिविधियां	Activities of Hostile Nagas ..	110—111

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
3835. दिल्ली में मकानों का गिरना	Collapse of Houses in Delhi	111
3836. मद्रास में बर्मा शैल के संस्थापन	Burmah Shell Installations at Madras	111
3838. संश्लिष्ट रेशे (पोलिस्टर फाइबर) का उत्पादन	Manufacture of Polyster Fibre	111
3839 तैल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, अहमदाबाद के कर्मचारी	Employees of O. N. G. C. Ahmedabad	112
3840. राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला से उपकरणों की कथित चोरी	Reported loss of equipment at N. P. L.	112
3841. प्रौढ़ साक्षरता सम्बन्धी प्रतिवेदन	Adult Literacy Report ..	112—113
3842. राष्ट्रीय मौलिक शिक्षा केन्द्र	National Fundamental Education Centre ..	113
3843. दिल्ली विश्वविद्यालय की अनुसंधान परियोजनाओं के लिये अमरीकी सहायता	U. S. Assistance for Research Projects in Delhi University	113
3844. राजस्थान में अल्पसंख्यकों पर कथित अत्याचार	Alleged Atrocities on Minorities in Rajasthan ..	113—114
3845. निजामुद्दीन पुल काण्ड	Nizamuddin Bridge Scandal	114
3846. पाकिस्तानी गाय चोर	Pak Cow Lifters	114
3847. केरल में नगरपालिका कर्मचारियों सम्बन्धी मजूरी बोर्ड	Wage Board for Municipal Workers in Kerala	115
3848. नई दिल्ली में बैरन रोड पर हुई चोरियां	Thefts on Barron Road, New Delhi	115
3849. टेलीफोन के उपकरण	Telephone Equipment ..	115—116
3850. भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी का अवमान के मामले से सम्बद्ध होना	Survey of India Official in Contempt Case ..	116
3851. हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के कर्मचारी	Employees of Hindustan Lever Ltd. ..	116—117
3852. कालीकट में प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज	Regional Engineering College, Calicut	117

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

3853.	भारतीय प्रशासन सेवा, भारतीय विदेश सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में तन्निम्न (नेकस्ट बिलो रूल) सम्बन्धी नियम	Next Below Rule in I. A. S., I. F. S. and I. P. S. ..	117—118
3854.	सड़क परिवहन सम्बन्धी मजूरी बोर्ड	Wage Board for Road Transport ..	118
3855.	केरल में छंटनी किये गये कर्मचारियों को नौकरी पर रखना	Absorption of Retrenched Employees in Kerala ..	119
3856.	बर्मा से स्वदेश लौटने वाले लोगों का पुनर्वास	Rehabilitation of Repatriates from Burma ..	119—120
3857.	बर्मा से स्वदेश लौटने वाले लोगों का बर्गीकरण	Classification of Repatriates from Burma ..	120
3828.	बर्मा से स्वदेश लौटे हुए कुशल लोगों को पुनः रोजगार दिलाना	Rehabilitation of Skilled Repatriate Burma ..	120—121
3859.	बर्मा से स्वदेश लौटे हुए लोगों को सुविधाएं	Benefits to repatriates from Burma	121
3860.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड कर्मचारी उपभोक्ता भंडार	Hindustan Shipyard Employees Cooperative Stores ..	121—122
3861.	अंगूरी बाग, दिल्ली में शरणार्थियों के क्वार्टर	Refugee Quarters in Anguri Bagh, Delhi ..	122
3862.	पंजाब सरकार का गोपनीय ज्ञापन	Confidential Memo of Punjab Government..	122—123
3863.	छिपे हुए विद्रोही मिजो	Underground Mizo Rebels	123
3864.	अखिल भारतीय प्रकाशन परिषद्	All India Council of Book Production	124
3865.	अखिल भारतीय प्राथमिक अध्यापक संघ (फेडरेशन)	All India Primary Teachers Federation ..	124
3866.	जम्मू तथा काश्मीर में पाषाण युग के स्थानों का पता लगाना	Discovery of Stone Age Sites in J. & K. ..	124—125
3867.	हिन्दी संस्थाओं को अनुदान	Grants to Hindi Institutions ..	125

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3868. केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में अनुसंधान सहायक	Research Assistants in Central Hindi Directorate ..	125
3869. शिक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक विभाग के पदाधिकारी	Officers of the Administrative Division of the Ministry of Education ..	125—126
3870. अराजपत्रित कर्मचारी	Non-Gazetted Employees	126
3871. दिल्ली शिक्षा निदेशालय द्वारा निर्धारित पुस्तकें	Books prescribed by Delhi Education Directorate	126
3872. वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के कर्मचारी तथा अधिकारी	Employees and Officers in C. S. I. R. ..	126—127
3873. दिल्ली के स्कूलों के लिये गणित की पुस्तकें	Arithmetic Books for Delhi Schools	127
3874. संभरण तथा प्रतिरक्षा विभागों में सहायकों (असिस्टेंट्स) का निम्न पदों पर वापस आना	Reversion of Assisttants in Supply and Defence Departments ..	127—128
3875. सरकारी कर्मचारियों के आवेदन पत्रों को आगे भेजना	Forwarding of applications of Government Servants ..	128—129
3877. मैंगनीज की खानों के मजदूरों की न्यूनतम मजूरी	Minimum Wages for Manganese Mines Workers	129
3878. मैंगनीज कामगारों के मामले में मध्यस्थ निर्णय	Arbitration in case of Manganese Workers ..	129—130
3879. कर्मचारी भविष्य निधि योजना	Employees Provident Fund Scheme ..	130
3880. राष्ट्रीय अभिलेखागार (आर्काइव्स) के निदेशक	Director of National Archives ..	130—131
3881. साधुओं द्वारा आन्दोलन	Agitation by Sadhus ..	131
3882. डा० लोहिया की हत्या का प्रयास	Murder Attempt on Dr. Lohia ..	132
3883. केरल में अंशकालिक शिक्षक	Part time Teachers in Kerala ..	132—133
3884. दिल्ली के सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों के कर्मचारी	Employees of Privately managed aided schools of Delhi ..	133

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		

3885. आर० बी० रामरूप विद्या मन्दिर स्कूल के विरुद्ध आरोप	Allegation against R. B. Ram Roop Vidya Mandir School ..	133—134
3886. हायर सेकेन्डरी परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थी	Students of Higher Secondary Examination	134
3887. तेल कम्पनियों में छंटनी	Retrenchment in Oil Companies ..	134—135
3888. महाराष्ट्र में बेरोजगार स्त्रियां	Unemployed Women in Maharashtra	135
3889. महाराष्ट्र में डाक घरों में जमा राशि	Deposits in P. Os. in Maharashtra	136
3890. महाराष्ट्र में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी	Central Government Employees in Maharashtra ..	136
3891. महाराष्ट्र में डाक व तार घर	P. & T. Offices in Maharashtra ..	136—137
3892. महाराष्ट्र में टेलीफोन	Telephone connections in Maharashtra	137
3893. पांडिचेरी में उपभोक्ता स्टोर	Consumers' Stores in Pondicherry	137
3894. विस्थापित गैर-मुसलमानों को भूमि का दिया जाना	Allotment of Land to displaced non-Muslims	138
3895. रोगाणुनाशक परियोजना, ऋषिकेश के कर्मचारियों के वेतन क्रम	Pay Scales of Employees of Antibiotic Project, Rishikesh ..	138
3896. दिल्ली में पाकिस्तानी राष्ट्र-जन की गिरफ्तारी	Arrest of a Pakistani National in Delhi ..	139
3897. हिन्दुस्तान अल्यूमीनियम निगम के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Employees of Hindustan Aluminium Corporation ..	139
3898. दिल्ली में नियुक्त किये गये पंजाब पदाली के भारत प्रशासन सेवा के अधिकारी	Punjab Cadre I. A. S. Officers posted in Delhi ..	139—140
3899. केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के कर्मचारी	Staff of Central Hindi Directorate ..	140
3900. केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय का किसी अन्य स्थान पर ले जाया जाना	Shifting of the Central Hindi Directorate ..	140
3901. दावा निबटान संगठन (सेटेलमेंट आर्गेनाइजेशन)	Settlement Organisation ..	140—141

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3902. सहायता प्राप्त गैर-सरकारी शिक्षा संस्थाएं	Aided Private Educational Institutions ..	141
3904. केरल सेवा निवृत्त शिक्षक संघ	Retired Teachers Association of Kerala ..	142
3905. सरकारी कर्मचारियों से अपीलें	Appeals from Government Officials ..	142—143
3906. राष्ट्रपति को अपीलें	Appeals to President ..	143
3907. बादली, नरेला और नजफगढ़ में टेलीफोन केन्द्र	Telephone Exchanges in Badli, Narela and Najafgarh ..	143—144
3908. देश में कुछ दलों की आपत्तिजनक गतिविधियां	Objectionable Activities of Certain Parties	144
3909. आसाम के विद्यार्थियों को अखिल भारतीय विज्ञान प्रतिभा क्षात्रवृत्तियां देना	Awards of All India Science Talent Scholarships to Assam Boys ..	144—145
3910. शिक्षक दिवस	Teachers' Day	145
3911. औषधों के मूल्य	Prices of Drugs ..	145—146
3912. विटामिन बी-12 का निर्माण	Manufacture of Vitamin B-12	146
3913. औषधों के मूल्य	Prices of Drugs ..	146—147
3914. औषधों के मूल्य	Prices of Drugs ..	147—148
3915. विश्वेश्वरय्या इंजीनियरी कालेज	Vishweshwarayya Engineering College ..	148—149
3916. राष्ट्रीय नेताओं के छविचित्र	Portraits of National Leaders ..	149
3917. मंत्रियों पर व्यय	Expenditure on Ministers ..	149—150
3918. शेख अब्दुल्ला के साथ पुनः बातचीत	Reopening of Discussions with Sheikh Abdullah ..	150
3919. गोआ के स्वतंत्रता संग्राम के देशभक्तों द्वारा सही गई यातनाओं का स्मरणोत्सव	Commemoration of Sufferings of Patriots of Goa's Freedom Struggle ..	150
स्टेटस्मैन के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of Privilege against Statesman ..	151—153
ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में (प्रश्न)	Re. Calling Attention Notices (Query) ..	153
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ..	154—156

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
सदस्य की गिरफ्तारी (श्री दशरथ देब)	Arrest of Member (Shri Dasaratha Deb)	156
सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति	Leave of Absence from Sittings of the House	156—157
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members' Bills and Resolutions ..	157
पचानवेवां प्रतिवेदन	Ninety-fifth Report ..	157
कार्यालयों, कारखानों आदि में इलेक्ट्रानिक तथा स्वचालित उपकरणों के प्रयोग पर रोक लगाने के बारे में याचिका	Petition re. ban on use of Electronic and Automatic Devices in Offices, Factories etc. ..	158
पंजाब नगरपालिका (दिल्ली संशोधन) विधेयक-पुरःस्थापित	Punjab Municipal (Delhi Amendment) Bill-Introduced	158
अत्यावश्यक वस्तुएं (संशोधन) विधेयक	Essential Commodities (Amendment) Bill ..	158—162
खण्ड 3—आनुषंगिक संशोधन	Clause 3—Consequential Amendments	
पारित करने का प्रस्ताव संशोधित रूप में	Motion to pass, as amended ..	158—162
पंजाब राज्य के सम्बन्ध में अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत जारी की गई उद्घोषणा के बारे में सांविधिक संकल्प	Statutory Resolution Re. Proclamation under Article 356 in relation to the State of Punjab ;	
तथा	and	
पंजाब राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक—	Punjab State Legislature (Delegation of Powers) Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider ..	163—180
श्री नन्दा	Shri Nanda	164—165, 177—179
श्री बूटा सिंह	Shri Buta Singh ..	165—166
श्री दे० द० पुरी	Shri D. D. Puri ..	166—167
श्री वासदेवन नायर	Shri Vasudevan Nair ..	167—168
श्री युद्धवीर सिंह	Shri Yudhvir Singh	169
श्री० अ० ना० विद्यालंकार	Shri A. N. Vidyalankar ..	169—170
श्री उमानाथ	Shri Umanath ..	170—172
श्री श्यामलाल सर्राफ	Shri Sham Lal Saraf ..	172—173
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती	Shri Jagdev Singh Siddhanti ..	173

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
श्री त्यागी	Shri Tyagi	173—174
श्री राम सेवक यादव	Shri Ram Sewak Yadav	174
श्री हेम राज	Shri Hem Raj ..	174—175
श्री अल्वारेस	Shri Alvares ..	175—176
श्री राम सहाय पाण्डेय	Shri R. S. Pandey	176
श्री उ० मू० त्रिवेदी	Shri U. M. Trivedi ..	176—177
श्री गुलशन	Shri Gulshan	177
सीमेंट से नियन्त्रण हटाने के बारे में आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour discussion re. Decontrol of Cement ..	180—182
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	180
श्री संजीवैय्या	Shri D. Sanjivayya ..	181—182

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 31 अगस्त, 1966/9 भाद्र, 1888 (शक)
Wednesday, August 31, 1966/Bhadra 9, 1888 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन स्कूल (स्कूल आफ इन्टरनेशनल स्टडीज) को सहायता

\+

*748. **श्री मधु लिमये :** **श्री बागड़ी :**
श्री किशन पटनायक : **डा० राम मनोहर लोहिया :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा किसी अन्य संस्था की सिफारिश पर अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन स्कूल (स्कूल आफ इन्टरनेशनल स्टडीज) के आवर्ती व्यय अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए उसकी स्थापना से लेकर अब तक कितनी सहायता दी गई है,

(ख) क्या सरकार स्वायत्त अथवा अर्ध-स्वायत्त संस्थाओं को अनुदान देते समय इस बात पर आग्रह करती है कि यह राशि मुख्य रूप से उन प्रयोजनों और सिद्धान्तों के अनुसार व्यय की जाये, जो देश के शासन के मौलिक सिद्धान्तों के अनुकूल हों,

(ग) क्या सरकार ने शिक्षा परिषद को लोक-सभा की इस भावना से अवगत कर दिया है कि इस संस्था को संविधान के अनुच्छेद 351 में उल्लिखित प्रयोजनों को बढ़ावा देना चाहिए, और

(घ) यदि हां, तो इस संस्था की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०**-6961/66]

(ग) 16 मई और 4 अगस्त, 1966 को संस्था सम्बन्धी प्रश्नों के बारे में लोक सभा की कार्यवाहियों के उद्धरण संस्था के प्राधिकारियों को भेज दिए गए थे।

(ख) संस्था ने थीसिस की भाषा के सम्बन्ध में अपने नियम में संशोधन कर दिया है। संशोधित नियम विद्यार्थी को, यदि अन्य शर्तें पूरी होती हों तो अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य भाषा में अपनी थीसिस लिखने के लिए अनुमति देता है।

Shri Madhu Limaye: My question has not been answered. He has not mentioned anything about Article 351.

श्री मु० क० चागला : हर भारतीय को संविधान, अपने संवैधानिक अधिकार, अपने संवैधानिक दायित्वों का पता होना चाहिये और मुझे विश्वास है कि इस संस्था को अनुच्छेद 351 के बारे में जानकारी है। ऐसा हिन्दी के प्रचार के लिए किया गया है। वहां पर कुछ पुस्तकें, पत्रिकायें और कागजों का हिन्दी में अनुवाद करने की व्यवस्था है। यह खर्चीला कार्य है। हम इस बारे में ध्यान दे रहे हैं और यदि हमारे पास वित्तीय साधन हों, तो हम इस कार्य को चलायेंगे। हम किसी भी नागरिक को इसकी महत्ता नहीं बताते कि "अनुच्छेद 351 पढ़िये।" इसके बारे में सब जानते हैं।

Shri Madhu Limaye: Has any female student of this Institute said to the Director that she would like to write her thesis in Gujarati language? If so; what is the reply to that and whether any Tamil speaking student has also requested in the same manner?

श्री मु० क० चागला : मुझे यह पहली बार पता चल रहा है। मुझे इस बारे में पता नहीं है कि किसी छात्र ने गुजराती भाषा में अथवा तमिल भाषा में शोधक ग्रंथ लिखने की प्रार्थना की है।

Shri Madhu Limaye: You may enquire afterwards. In the reply it is stated that the grantee will submit a performance-cum-achievement annual report on the activities of the institution before the close of the next financial year. I want to know whether he is ready to place the report on the Table and whether the report contains something about the measures taken by the Institute to encourage Indian languages in connection with books, thesis etc?

श्री मु० क० चागला : उन्होंने यह प्रस्ताव रखा है : "समिति ने भारतीय भाषाओं के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में ज्ञान प्राप्त करने को प्रोत्साहन देने के लिये मार्गोपाय खोजे। इस सम्बन्ध में इसने इस स्कूल के चुने हुए प्रकाशनों का हिन्दी में अनुवाद कराने की व्यवस्था करने के लिये फरवरी 1965 में निदेशक द्वारा किये गये प्रयत्नों को ध्यान में रखा। इस सम्बन्ध में शिक्षा मंत्रालय से बातचीत की गई। लेकिन धन न मिलने के कारण इस परियोजना को क्रियान्वित नहीं किया जा सका।

सावधानी पूर्वक अध्ययन करने के बाद अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययनों से ऐसे विविध कागजात को हिन्दी में प्रकाशित करने का भी प्रस्ताव है। समिति सिफारिश करती है कि इस स्कूल में निम्न कार्यक्रम आरम्भ किया जाये।

इसकी त्रैमासिक पत्रिका का हिन्दी में प्रकाशन; स्कूल में तैयार किये गये सभी अध्ययनों का हिन्दी में प्रकाशन; अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के क्षेत्र में लोकप्रिय विनिबन्ध (मोनोग्राफ) का हिन्दी में प्रकाशन; भारतीय भाषाओं में पुस्तकों और पत्रिकाओं की खरीद; भारतीय भाषाओं में लैक्चर देना; भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षण। इसके लिए हमें इतने धन की आवश्यकता होगी।

अतः माननीय सदस्य देखेंगे कि समिति इस तथ्य के प्रति जागरूक है कि इसको केवल हिन्दी की ही नहीं बल्कि अन्य भारतीय भाषाओं की भी सहायता करनी चाहिए।

Shri Madhu Limaye: I have not said anything about Hindi. I have no connection with Hindi. I am concerned about Indian languages. Sir, I want your protection. Even though I do not say about Hindi here the Hon. Minister attribute that I said something about Hindi and it is published in papers also.

Shri M. C. Chagla: I said that not only Hindi but they are prepared to do everything possible for the help of other Indian languages and this question is before us. We are considering that.

Shri Kishen Pattnayak: I want to draw the attention of the Hon. Minister that there is a research department in Delhi University and in comparison to that heavy expenditure is incurred on research work in this institute say about ten thousand rupees per student and the research work taken in this institute is also of a very typical nature such as study on U.S. President Hoover or Roosevelt. Scholars are sent to U.S.A. for such studies. One other thing is also there. The professor studying on Nepal is entrusted the work in connection with Central Africa Department and the person working on U.N.O. is given the Commonwealth Department and the person working on Congo Africa is entrusted the work of Central Asian Department. In view of this what is the necessity of such a research institute. Why the work is not entrusted to the University. If this work is to be done independently, why a special school is not opened where research work could be done in Indian languages and on subjects concerning India's politics and foreign policy?

श्री मु० क० चागला : यह संस्था बड़ा महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। यह लोगों को क्षेत्र अध्ययन (एरिया स्टडीज) में प्रशिक्षित कर रही है। जैसे, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति और संगठन; अन्तर्राष्ट्रीय विधि; अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति, पूर्वी-एशियाई अध्ययन, दक्षिण पूर्वी-एशियाई अध्ययन, दक्षिण-एशियाई अध्ययन, पश्चिम-एशियाई अध्ययन, मध्य-एशियाई अध्ययन, अमरीकी-अध्ययन, राष्ट्रमण्डलीय अध्ययन, योरोपीय अध्ययन और रूसी अध्ययन। बहुधा सदस्य हमसे पूछते हैं "आप क्या प्रचार कर रहे हैं?" जब तक हमारे पास ऐसे व्यक्ति न हों जिनको इन स्थानों की स्थिति, भाषा और संस्कृति का ज्ञान हो, हम अपनी विदेश नीति का ठीक से पालन नहीं कर सकते। यह संस्था इन देशों में अपने स्कालर भेजती है। वे वहां रहते हैं, वहां की भाषा सीखते हैं और वहां का साहित्य एकत्र करते हैं। ये छात्र वहां जाते हैं और इन विषयों पर अपना शोध-ग्रंथ लिखते हैं। वैदेशिक-कार्य मंत्रालय इस संस्था को बड़ा महत्व देता है। 14 राज्यों ने अपने विद्यार्थियों को यहां पर अध्ययन के लिये भेजा है। अतः मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है कि इस संस्था को, जिसने क्षेत्र-अध्ययन में उच्च कोटि के विद्वानों को प्रशिक्षित करके हमारे देश की बड़ी सेवा की है, इस प्रकार समाप्त किया जाये।

Dr. Ram Manohar Lohia : Give us a single name.

Shri Kishen Pattnayak : Has any research work been done in connection with Pakistan.

Shri Bagri : The Hon. Minister has just now said that due to shortage of funds research work on Indian languages would not be undertaken. Is he in a position to assure the House about the time by which the research work on Indian languages is likely to be undertaken ?

श्री मु० क० चागला : इस विषय पर अधिकांश पुस्तकें हिन्दी में नहीं हैं। इस संस्था के पुस्तकालय में अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में हजारों पुस्तकें हैं। हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में बहुत थोड़ी पुस्तकें हैं क्योंकि अभी तक हमारे विद्वानों ने इस विषय पर नहीं लिखा है। हमें उस दिन की प्रतीक्षा करनी चाहिये जब इस विषय पर हिन्दी में बहुत अधिक पुस्तकें होंगी। लेकिन आज यदि हम थाईलैंड, लाओस, दक्षिण-पूर्व एशिया अथवा पश्चिमी एशिया पर शोध-कार्य करते हैं तो इनके बारे में सभी सामग्री अंग्रेजी में है।

Dr. Ram Manohar Lohia : There are 12-13 institutions like this institute. I want to know the name of any one scholar produced by this institution who fulfills all the responsibilities that are entrusted to him. I also want to know the name of any thesis written so far.

श्री मु० क० चागला : एक नहीं मैं कई नाम बता सकता हूं। इस संस्था को अन्तर्राष्ट्रीय तौर पर मान्यता दी गई है, प्रशिक्षण-कार्य चल रहा है, छात्रवृत्ति चल रही है, शोध-ग्रंथ लिखे गये हैं जिनका बहुत महत्व है। यदि माननीय मित्र चाहें तो मैं उनकी प्रतियां उनको भेज दूंगा ताकि वह उसको पढ़ लें कि हमारे विद्वान किस योग्य हैं।

Dr. Ram Manohar Lohia : He has not been able to give the name of even a single thesis.

Mr. Speaker : He has not got that.

Shri Bhagwat Jha Azad : Is it not a fact that in this institution the number of students is 36, while the number of Lecturers, Readers and Professors is 50 and the number of clerks is also 50 ? On the one side you agree that translation should be done but on the other side no student is allowed to carry on research in provincial language while the Universities of Calcutta, Allahabad etc. have long ago agreed to carry on research work in provincial language. Does he support this principle ?

श्री मु० क० चागला : माननीय मित्र इस संस्था को स्थापित करने का कारण नहीं समझे हैं कि इसमें क्या काम हो रहा है। इस संस्था में विशेष प्रकार का अध्ययन किया जा रहा है जो दक्षिण-पूर्व एशिया में किसी अन्य संस्था द्वारा नहीं किया जा रहा है।

श्री भागवत झा आजाद : इसमें कुछ नहीं हो रहा है। इस मामले की जांच करने के लिए संसद की एक समिति स्थापित की जाये।

अध्यक्ष महोदय : यह एक अलग बात है।

श्री मु० क० चागला : यदि आप चाहते हैं कि इस क्षेत्र में विशेष अध्ययन हो तो इसके लिए विशेष साहित्य, विशेष अध्यापकों आदि की आवश्यकता होती है। भारत में अध्यापक नहीं हैं और कभी कभी भारत से बाहर के प्राध्यापक बुलाने पड़ते हैं। इससे हमारे युवक किसी विशेष क्षेत्र के बारे में सभी जानकारी प्राप्त कर सकते है।

श्री त्यागी : लेकिन प्राध्यापकों की संख्या विद्यार्थियों से अधिक है।

श्री मु० क० चागला : आज आधुनिक योरोप में, आज अमरीका में "क्षेत्र अध्ययन (एरिया स्टडीज)" को बड़ा महत्व दिया जाता है। हमें एक विशिष्ट क्षेत्र के बारे में योग्यता प्राप्त कर लेनी चाहिये। यदि हम दक्षिण-पूर्व एशिया या पश्चिमी एशिया में अपना प्रभाव डालना चाहते हैं तो हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिये।

श्रीमती रेणु चकवर्ती : क्या सरकार को पता है कि यह संस्था प्राध्यापक और अध्यापक किस तरीके से नियुक्त करती है और क्या यह सच है कि इन प्राध्यापकों, प्रोफेसरों और रीडरों में से अधिकांश इन विषयों पर अध्यापन के लिये पर्याप्त अर्हता-प्राप्त नहीं हैं ?

श्री मु० क० चागला : मैं इस आरोप को स्वीकार नहीं करता। इस संस्था में सभी कर्मचारी वृन्द बड़ी योग्यता-प्राप्त हैं। वे बड़े अच्छे विद्वान हैं और मैं नहीं समझता कि माननीया सदस्या का कहना ठीक है।

श्री भागवत झा आजाद : मैं इसे साबित करने के लिए तैयार हूं।

श्री त्यागी : क्या उनकी संख्या अधिक है।

Shri Bibhuti Mishra : Just now the Hon. Minister said that the scholars of the calibre of Chanakya are coming out of this Institute, who are working in the whole world. May I know their number and the name of countries where they are serving?

श्री मु० क० चागला : मेरे पास इस संस्था में दाखिल किये गये छात्रों की संख्या की सूची है। 1965 में इस संस्था में 227 छात्र थे। ये देश के विभिन्न भागों से लिये गये। इसमें दिल्ली के 33, मद्रास के 18, पंजाब के 25, उत्तर प्रदेश के 37, मध्य प्रदेश के 7, आन्ध्र प्रदेश के 12, मैसूर के 8, केरल के 9, पश्चिम बंगाल के 13, गोवा का 1, जम्मू और काश्मीर के 5, महाराष्ट्र के 15, त्रिपुरा का 1, राजस्थान के 13, उड़ीसा के 5, बिहार के 12, आसाम का 1 तथा 2 अन्य राज्य के—मेरे पास उन राज्यों के नाम नहीं हैं, छात्र दाखिल किये गये। यह संस्था समूचे देश की आवश्यकता के अनुसार व्यवस्था करती है।

श्री कपूर सिंह : यह संस्था तथा इस प्रकार की कुछ अन्य संस्थाएं केवल कूट योजना के अड्डे हैं जो, पक्षपात, भाई-भतीजा वाद तथा सरकार की असफलता पर पर्दा डालने के लिए बनाई गई हैं। क्या मंत्री महोदय यह बात स्वीकार करने के लिये तैयार हैं ?

श्री मु० क० चागला : मैं इसका कड़े शब्दों में जोरदार खंडन करता हूं।

श्री भागवत झा आजाद : इसकी जांच करवाइये। इस सभा के सदस्यों की समिति नियुक्त कीजिये। (**अन्तर्बाधाएं**)

श्री शिव नारायण : अभी मंत्री महोदय ने बताया है कि ये पुस्तकें उपलब्ध नहीं है। जब कोई विद्यार्थी अपनी भाषा में सामग्री एकत्रित करने का प्रयत्न कर रहा है, तो इस संस्था को उसे इसकी अनुमति देने में क्या आपत्ति है ?

श्री मु० क० चागला : इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं बता चुका हूं कि अकादमी परिषद ने अब प्रस्ताव पारित किया है कि कोई विद्यार्थी अपना शोध निबन्ध किसी भाषा किसी भारतीय भाषा में लिख सकता है, यदि वहां पर उस भाषा के पर्यवेक्षक और परीक्षक उपलब्ध हों ।

प्रश्न संख्या 758 के बारे में

Re: Question No. 758

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न—श्री श्रीनारायण दास ।

कुछ माननीय सदस्य : प्रश्न संख्या 749 के साथ प्रश्न संख्या 758 को भी लिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : यदि दोनों प्रश्न एक ही विषय के बारे में हैं। यदि मंत्री महोदय समझते हैं कि दोनों प्रश्नों का उत्तर एक साथ दिया जा सकता है, तो ठीक है दोनों प्रश्न एक साथ लिये जाएं।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री : (**श्री इकबाल सिंह**) : मैं दोनों का उत्तर दूंगा ।

हल्दिया में उद्योग समूह

\+

*749 **श्री श्रीनारायण दास** :

श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हल्दिया में उद्योग समूह स्थापित करने की दिशा में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किये गये हैं ;

(ग) क्या निर्माण-कार्य के बारे में कोई कार्यक्रम बना लिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) चौथी योजना में हल्दिया में एक तेल शोधनशाला, एक लूब तेल प्लांट और एक उर्वरक कारखाने के लगाने का प्रस्ताव है। तेल शोधनशाला से सम्बन्धित प्राप्त हुए प्रस्ताव परीक्षाधीन हैं।

(ख), से (घ). प्रश्न ही नहीं उठता।

हल्दिया पेट्रो-रासायनिक उद्योग समूह

+

*758. **श्रीमती रेणुका राय :**

श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया में पेट्रो-रासायनिक उद्योग समूह खोलने के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह काम कब से आरम्भ हो जायेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). हल्दिया पेट्रो-केमिकल समूह में शामिल उत्पादन की स्कीमों को पांचवीं पंच वर्षीय योजना में लागू करने के लिये लिया जायेगा ।

श्री श्रीनारायण दास : क्या योजना आयोग ने इस सम्बन्ध में कार्यकारी दल की सिफारिशों पर विचार किया है और यदि हां, तो हल्दिया, बरौनी आदि स्थानों पर स्थापित किये जाने वाले विभिन्न उद्योग समूहों के बारे में योजना आयोग का इस समय क्या दृष्टिकोण है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : ये दोनों प्रश्न दो भिन्न भिन्न विषयों से सम्बन्धित हैं । पहला प्रश्न हल्दिया में तेल शोधक और 'लूब' तेल कारखाने और उर्वरक कारखाने के बारे में है । दूसरा प्रश्न पेट्रो-रसायन उद्योग समूह के बारे में है । जहां तक तेल शोधन कारखाने, 'लूब' तेल कारखाने तथा उर्वरक कारखाने का सम्बन्ध है, ये सब कारखाने चौथी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किये जायेंगे । किन्तु धन की कमी के कारण चौथी पंचवर्षीय योजना में हल्दिया में पेट्रो-रसायन उद्योग समूह स्थापित नहीं किया जा सकता है, इसे अगली पंच-वर्षीय योजना के आरम्भ में स्थापित किया जायेगा ।

श्री श्रीनारायण दास : क्या योजना आयोग ने इस कार्य के लिये प्रस्तावित नियत राशि में कमी की है और यदि हां, तो इन परियोजनाओं के लिये अब कितनी धनराशि नियत की गई है ?

श्री अलगेसन : मैं बता चुका हूं कि तेल शोधक कारखाना, 'लूब' तेल कारखाना और उर्वरक कारखाना स्थापित किया जायेगा, उनके लिये निर्धारित राशि में कोई कमी नहीं की गई है । इनका कार्य कार्यक्रम के अनुसार चलता रहेगा । पेट्रो-रसायन उद्योग समूह के लिये निर्धारित राशि में कमी की गई है । प्रारूप योजना में गुजरात पेट्रो-रसायन उद्योग समूह के लिये 47 करोड़ रुपये (रुपये के अवमूल्यन के बाद) और बरौनी में सुगन्धित तेल तैयार करने के कारखाने के लिए 10 करोड़ रुपये (रुपये के अवमूल्यन के बाद) की धन राशि नियत की गई है ।

श्रीमती रेणुका राय : क्या हल्दिया में तेल शोधक कारखाना शीघ्र चालू किया जायेगा और यदि हां, तो कब और इस तेल शोधक कारखाने की बहुत पहले मंजूरी क्यों दी गई थी ?

श्री अलगेसन : वास्तव में मैंने समझा था कि हम पहले करार कर लेंगे, किन्तु अभी बातें चल रही हैं । मैं समझता हूं कि कार्य शीघ्र आरम्भ हो जाएगा ।

डा० रानेन सेन : क्या मंत्री महोदय का ध्यान इस विभाग के सचिव श्री नकुल सेन द्वारा आयोजित संवाददाता सम्मेलन की ओर दिलाया गया है, समाचारों के अनुसार जिसमें उन्होंने कहा कि हल्दिया में पेट्रो-रसायन उद्योग समूह तथा तेल शोधक कारखाने न स्थापित किए जाने का एक कारण यह भी है कि राज्य सरकार ने इसके लिये न तो भूमि ही अर्जित की है और न ही सड़कों तथा अन्य बातों की व्यवस्था की है ; और यदि हां, तो क्या यह विलम्ब सरकार द्वारा इस कारखाने के स्थापित किये जाने के बारे में विदेशी फर्मों के साथ समझौता न कर सकने के कारण हुआ है ? इस विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री अलगेसन : मुझे इस समाचार की जानकारी नहीं है । किन्तु पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा भूमि अर्जित न किये जाने अथवा इस प्रकार की अन्य बातों के कारण यह विलम्ब नहीं हुआ । इसका कारण यह है कि हमें अभी सम्बन्धित पार्टी के साथ बातचीत करके करार करना है ।

डा० रानेन सेन : इस समाचार का खंडन क्यों नहीं किया गया ?

श्री अलगेसन : मैं इस कथन को सच नहीं मानता हूं ।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सब पेट्रो-रसायन उद्योगों, वर्तमान तथा भावी को न केवल उपकरणों तथा धन की कमी के कारण अपितु लूब तेल जैसी प्रारम्भिक वस्तुओं के कारण कठिनाई हो रही है और गैर सरकारी क्षेत्र में तेल शोधक कारखानों में उत्पादन कम हो रहा है क्या सरकार का विचार इन कमियों को दूर करने के लिए दीर्घकालीन तथा तात्कालिक कार्यवाही करने का है ?

श्री अलगेसन : हल्दिया, बरौनी, मद्रास और बम्बई में 'लूब' तेल की व्यवस्था है । ये कारखाने चौथी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए जायेंगे और अत्मनिर्भरता प्राप्त हो जायेगी ।

श्रीमती सावित्री निगम : हल्दिया तेल शोधक कारखाने के बारे में किन देशों के साथ बातचीत की जा रही है और क्या किसी रुपये में भुगतान वाले देश ने कोई बहुत अच्छा प्रस्ताव रखा है और यदि हां, तो इस प्रस्ताव को स्वीकृत करने में क्या हिचक है ?

श्री इकबाल सिंह : तीन प्रस्ताव हमारे सामने हैं । इन प्रस्तावों के बारे में बताना वांछनीय नहीं है । हम इन प्रस्तावों पर विचार कर रहे हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : भारतीय उर्वरक निगम की ओर से हाल में दिये गये इस वक्तव्य को देखते हुए कि अब बिना किसी विदेशी सहयोग के उर्वरक कारखाने स्थापित करने के लिए

देश प्रतिभा सम्पन्न तथा सक्षम है, क्या हल्दिया में प्रस्तावित उर्वरक कारखाना देश के संसाधनों से बनाया जायेगा अथवा इसके लिए भी हमें विदेशी सहयोग की आवश्यकता होगी ?

श्री अलगेसन : यद्यपि स्पष्ट रूप से इसका उत्तर देना समय से पूर्व होगा फिर भी मैं कह सकता हूं यदि हमारी आशा के अनुकूल परिस्थितियां रहीं तो यह कारखाना पूरी तरह सरकारी क्षेत्र में होगा। जिससे हम देश में उपलब्ध सम्पूर्ण प्रतिभा का उपयोग कर सकेंगे।

श्री कृ० चं० पन्त : क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में उत्पादन किये जाने वाले नेफ्था और गैस के उपयोग करने की कोई व्यवस्था की गई है अथवा उसका कोई उपयोग नहीं किया जायेगा ?

श्री अलगेसन : नेफ्था का उपयोग उर्वरक बनाने के लिए किया जायेगा ?

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या मंत्री महोदय का ध्यान विस्तृत रूप से प्रचारित इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उर्वरक क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिकों ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह उर्वरक कारखानों के निर्माण के लिये पूर्णतः सक्षम हैं, और यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सारे मामले की जांच की है और क्या वह इसको आश्वासन दे सकती है कि इसमें अधिक समय नहीं लगेगा ?

श्री अलगेसन : इन प्रकाशित समाचारों के सम्बन्ध में उर्वरक निगम के प्रबन्ध निदेशक तथा मेरे मंत्रालय के रसायन विभाग के सचिव का नाम लिया जाना भ्रामक है। वास्तव में चेयरमैन से इस बारे में पूछताछ करने पर उन्होंने मुझे बताया कि यह समाचार ठीक प्रकार से प्रकाशित नहीं किया गया है। भारतीय उर्वरक निगम का योजना और विकास विभाग अब तक केवल वही कार्य कर रहा था। उदाहरणार्थ, उसने रूरकेला में नाइट्रिक एसिड कारखाना, नाइट्रो चूना-पत्थर कारखाना आदि स्थापित किया। अब मार्च से हमने दुर्गापुर और कोचीन के दो पूरे कारखानों, का कार्य उसको सौंपा है। यह सम्भव भी था क्योंकि अलवाये स्थित एस० टी० आई और एफ० ए० सी० टी० ने ब्रिटेन के 'मार्टिनी एण्ड दि पावर गैस कारपोरेशन' से इन चीजों को तैयार करने की प्रक्रिया खरीदी क्योंकि उसने ही हमसे फासफेट और गैस खरीदी है। हमने इन दो परियोजनाओं को सरकारी क्षेत्र में आरम्भ करने का निर्णय किया है। हम ने उसे इन दो परियोजनाओं के सम्बन्ध में डिजायन तैयार करने, इंजनियरी और क्रय संबन्धी उत्तरदायित्व सौंपा था। उसके पास पूरा काम है। हमारा विचार यहीं तक सीमित रहने का नहीं है किन्तु हम सरकारी क्षेत्र में और परियोजनाएं आरम्भ करके उसे पूरा कार्य देना चाहते हैं।

श्री के० दे० मालवीय : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पेट्रो-रसायन उद्योग समूह का स्पष्ट अर्थ है कि तेल शोधक कारखाने के चारों ओर इन उद्योगों का विकास। क्या सरकार उर्वरक उत्पादन को पेट्रो-रसायन के अन्य तत्वों के साथ सम्बद्ध करने की वांछनीयता पर विचार करेगी ? सरकार को आर्थिक तथा अन्य तकनीकी कारणों से उर्वरक को अन्य पेट्रो-रसायन उद्योगों से न तो पृथक करना चाहिए और न पृथक कर सकती है।

श्री अलगेसन : माननीय सदस्य को पता ही है कि इस सम्बन्ध में अनेक समाचार हैं। इस पर दो दलों ने—योजना दल तथा कार्यकारी दल ने विचार किया था। दुर्भाग्य से हमारे पास पर्याप्त धन नहीं है अन्यथा हम हल्दिया, कोचीन और मद्रास में इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते। हमें पेट्रो-रसायन का कार्य गुजरात और बरौनी तक ही सीमित रखना पड़ा।

मिजो विद्रोहियों द्वारा धन की जबरन वसूली

+

*751. **श्री बागड़ी :**
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री मधु लिमये :
श्री मौर्य :
श्री राम सेवक यादव :
श्री किशन पटनायक :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **गह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि विद्रोही मिजो ग्रामीणों से जबरदस्ती धन वसूल कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में देशभक्त ग्रामीणों की सुरक्षा के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) सरकार को स्थिति का पूरा ज्ञान है और ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिये सुरक्षा दलों द्वारा सभी सम्भव उपाय अपनाये जा रहे हैं।

Shri Bagri : May I know the amount they have collected and how much expenditure they are incurring on the new Government formed by them ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : इन लोगों ने केवल धन ही नहीं अपितु राशन तथा अन्य वस्तुएं भी वसूल की हैं। हमारे पास वास्तविक आंकड़े नहीं हैं।

Shri Bagri : It is very strange that our Government have no information about such an important matter.

Mr. Speaker : Hon. Member may ask another question.

Shri Bagri : May I know whether they have stopped this collection and if not, what steps have been taken to stop it ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : वास्तव में यह कर वसूली नहीं है। यह लोगों से धन वसूल करना है जिसकी कोई दर निश्चित नहीं है। जब से हमने इसे बन्द करने के लिये कार्यवाही की है, अब जाने वसूली कम हो गई है। मुझे विश्वास है कि वहां पर पूर्णत: शांति और व्यवस्था कायम हो यह पर यह पूर्णत: बन्द हो जायेगा।

Shri Vishwa Nath Pandey: Is it a fact that the Mizo Rebels are procuring arms and ammunition from Pakistan and other countries with the money they collect forcibly from the villagers?

Shri Vidya Charan Shukla: As far as I know they are not paying money to Pakistan for arms.

Shri Maurya: May I know the cash amount and the value of property so far looted by the Mizo Rebels?

Shri Vidya Charan Shukla: We have no figures of the cash. I have figures in respect of other property etc. which I can read out or place on the Table of the House.

Mr. Speaker: The Hon. Minister may place them on the Table of the House.

Shri Ram Sahai Pandey: When the Government received information about these activities of the Mizo Rebels and what steps have been taken by the Ministry of Home Affairs in this regard?

Shri Vidya Charan Shukla: The reports began to come a few days after their revolt and with the help of loyal Mizos we set up various new Administrative Centres in order to curb their activities. This step has proved very effective to lessen their activities.

Shri Ram Sewak Yadav: May I know whether the people, whose property was looted have properly reported the matter to the concerned authorities and if so, what is their number? Keeping in view the fact that Shri Chaliha has said in the Legislative Assembly that foreign powers are behind the subversive element, may I know whether foreign powers are also behind the tax collection by the Mizo Rebels?

Shri Vidya Charan Shukla: I have already stated we received reports from the affected persons. I will place it on the Table of the House. So far as the foreign powers are concerned we apprehend that Pakistan is behind these activities. It is difficult to say whether it has any bearing with the tax collection. We are successful in our efforts in curbing the activities of Mizo Rebels.

Shri Bibhuti Mishra: The Hon. Minister, in his reply has just stated that he has no information but according to the statement given by Shri Chaliha and according to the press reports foreign powers are behind it. May I know whether Government have made any enquiry in regard to the fact that where the Ministry of Home Affairs has restored law and order to find out the extent of truth; and if so, what is the outcome of the inquiry?

Shri Vidya Charan Shukla: I have stated that they are behind it.

Shri Kishen Pattnayak: Not only Pakistanis, but Britishers are also behind it. May I know whether Government propose to take such steps to prevent the foreign influence on social, educational or economic fields in the border areas?

Shri Vidya Charan Shukla: Yes, Sir, it has declined to a great extent in this area.

श्री त्यागी : क्या उस क्षेत्र में कोई असैनिक प्रशासन- व्यवस्था है, और यदि हां, तो इस प्रकार जबरदस्ती धन वसूल करने के लिये कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कितने लोगों के विरुद्ध मुकदमें चलाये गये हैं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : वहां पर असैनिक प्रशासन की नियमित व्यवस्था है। जहां तक आंकड़ों का सम्बन्ध है, यदि अलग से सूचना दी जाये तो मैं उत्तर दे दूंगा।

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार को इस बात का पता है कि मिजो नैशनल फ्रंट के अध्यक्ष, श्री लाल्डेंगा, जिसने मार्च, 1966 में क्रान्ति का नेतृत्व किया था, पूर्वी पाकिस्तान में किसी स्थान पर एक अस्थायी सरकार स्थापित करने में सफल हो गया है ; जहां से वह भारत सरकार के विरुद्ध यह सब कार्यवाही कर रहा है और यदि हां, तो क्या सरकार ने पाकिस्तानी अधिकारियों तथा श्री कोसीगिन का, जिन्होंने ताशकन्द घोषणा पर हस्ताक्षर के अवसर पर सभापतित्व किया था, ध्यान इस ओर दिलाया है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : श्री लाल्डेंगा का दावा है कि उसने एक अस्थायी सरकार बना ली है परन्तु हम उसको मान्यता नहीं देते हैं। मिजो जिले में विद्रोहियों द्वारा ऐसी कार्यवाहियां की जा रही हैं।

श्री हेम बरुआ : महोदय, आपको ही हमारा संरक्षण करना है। मेरा प्रश्न बहुत ही विशिष्ट और बहुत ही प्रत्यक्ष था अर्थात क्या सरकार को इस बात का पता है कि मिजो नैशनल फ्रंट के अध्यक्ष, श्री लाल्डेंगा ने पूर्वी पाकिस्तान में किसी स्थान पर एक अस्थायी सरकार बना ली है। यह मेरा प्रश्न नहीं था कि क्या सरकार ने उसको मान्यता दी है अथवा नहीं। यह तो एक महत्वहीन बात है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैंने भी तो कहा है कि श्री लाल्डेंगा द्वारा किये जा रहे इस दावे का हमें पता है।

श्री रंगा : क्या यह सच नहीं है कि सरकार अब तक सेना की सहायता से उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न करती रही है, और यदि हां, तो क्या किसी केन्द्रीय मंत्री ने वहां जा कर वास्तविक स्थिति का पता लगाने का प्रयत्न किया है जिससे यदि आवश्यक हो, तो वहां पर सैनिकों की वृद्धि की जाये ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जी, हां। केन्द्रीय गृह-मंत्री आसाम गये थे और वहां से उनका इरादा एजल जाने का था परन्तु चूंकि उस महीने अर्थात जुलाई में मौसम बड़ा खराब था इस लिये वह वहां न जा सके। परन्तु उससे पूर्व गृह-कार्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिव तथा प्रतिरक्षा सचिव उस क्षेत्र में गये थे और सभा में इस सम्बन्ध में पूछे गये एक प्रश्न का भी उत्तर दिया गया था।

श्री स्वैल : क्या यह सच है कि मिजो हिल्स में जब गड़बड़ फैल गई तो पुलिस ने हमारे एक विदेश सेवा अधिकारी, श्री लाल वुंगा की, जिसने विदेशों में सेवा की है, मां तथा पुत्री को एजल से निकाल दिया और सिल्चर में एक गैर-सरकारी घर से भी, जहां उन्होंने शरण ली थी, उनको निकाल बाहर किया। प्रशासन द्वारा आम मिजो लोगों से इस प्रकार के व्यवहार के कारण

वहां पर सभी लोग अपने आपको हम से अलग समझने लगे हैं और आज यह स्थिति है कि हमारी सरकार का मिजो हिल्स के कुछ ही नगरों पर नियंत्रण है, और सारा मिजो हिल्स क्षेत्र मिजो नैशनल फ्रंट के नियंत्रणाधीन है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं इस प्रकार के किसी भी सुझाव का कड़े शब्दों में खंडन करता हूं। हो सकता है कि इक्का-दुक्का कोई ऐसे मामले हुए हैं परन्तु मेरे पास इस मामले विशेष के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यदि माननीय सदस्य कोई जानकारी देंगे तो हम वास्तविकता का पता लगायेंगे ।

श्री स्वैल : मैं यह मामला सभा में ही माननीय मंत्री के ध्यान में लाया हूं। क्या वह चाहते हैं कि इस बारे में कुछ विशेष रूप से लिख के दिया जाय ? क्या वह इस मामले की जांच करेंगे ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : प्रश्न क्या है ? यदि इस मामले के बारे में एक अलग से सूचना दी जाती है तो मैं जानकारी दे दूंगा ।

बर्मा से वापस आये हुये भारतीय लोगों के लिये दुकानें

+

*752. **श्री रा० बरुआ :**

श्री लीलाधर कटकी :

श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री 27 अप्रैल, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4467 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्मा से आये हुये उन भारतीय लोगों के लिये, जो दिल्ली में बस गये हैं, दुकानें, स्टाल तथा क्वार्टर बनाने के सम्बन्ध में दिल्ली प्रशासन ने कोई योजना बनाई और प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब तक क्रियान्वित की जायेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस योजना को रोकने के क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) दिल्ली प्रशासन ने, दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका को दुकानें और स्टाल बनाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव तैयार करने के लिये अनुरोध किया है, जिनकी अभी प्रतीक्षा है ।

श्री रा० बरुआ : यहां बसने के लिये बर्मा से कितने लोग आये हैं ?

श्री दा० रा० चह्वाण : अब तक 281 परिवारों ने अपना पंजीयन कराया है ।

श्री रा० बरुआ : क्या ये सभी दुकानदार हैं अथवा क्या इन में अन्य व्यवसाय के लोग भी हैं ?

श्री दा० रा० चह्वाण : बर्मा से इस देश में आने वाले लोगों के बारे में एक विषश्लेण किया गया है और यह मालूम हुआ है कि इन में लगभग 40 प्रतिशत लोग तो छोटे व्यापारी और कारोबार करने वाले हैं, तथा लगभग 20 प्रतिशत मजदूर, लगभग 12 प्रतिशत किसान तथा 10 प्रतिशत कारीगर लोग हैं ।

Shri Yashpal Singh : These people have to leave their wealth which was worth of lakhs of rupees there. May I know whether Government has thought of granting bus permits or quotas in order to compensate them so that their deficiency can be made up ?

श्री दा० रा० चह्वाण : मैं सभा में कई बार बता चुका हूं कि यह प्रश्न वैदेशिक-कार्य मंत्रालय से पूछा जाये ।

Shri Gulshan : Will the Hon. Minister be pleased to state the number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes families among the repatriates from Burma ?

श्री दा० रा० चह्वाण : जातियों के आधार पर कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है ।

Shri Raghunath Singh : Will the Government provide jobs to those Indians who were in Government Service there ?

श्री दा० रा० चह्वाण : इन लोगों को केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नौकरी देने का प्रयत्न किया जाता है । समूचे भारत में अब तक ऐसे 11,000 व्यक्तियों को रोजगार दिया जा चुका है ।

Shri Bade : Is it a fact that you have no scheme for repatriates from Burma who have been settled down in Delhi and those people who were staying in hotels etc. have also been driven out and now they are staying in Arya Samaj Mandirs ?

Shri Kapur Singh : And also in Gurudwaras.

श्री दा० रा० चह्वाण : होटलों से बाहर निकाले जाने के बारे में मेरे पास कोई विशिष्ठ जानकारी नहीं है परन्तु बर्मा से आने वाले लोगों को सहायता देने तथा उनको बसाने के बारे में कई योजनायें हैं और ये योजनायें विभिन्न राज्यों में लागू हैं ।

कोयली में पैट्रो-रासायनिक उद्योग समूह

+

*753. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** :	**श्री द्वारका दास मंत्री** :
श्री सुबोध हंसदा :	**श्री जसवन्त मेहता** :
श्री स० च० सामन्त :	**श्रीमती विमला देवी** :
श्री म० ला० द्विवेदी :	**श्री वासुदेवन नायर** :
श्री भागवत झा आजाद :	**श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** :
श्री रामचन्द्र उलाका :	**श्री मू० म० वैश्य** :
श्री धुलेश्वर मीना :	**श्री दे० जी० नायक** :
श्री रा० बरुआ :	**श्रीमती जोहराबेन चावडा** :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री 6 अप्रैल, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 998 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयली में एक पेट्रो-रासायनिक उद्योग समूह स्थापित करने के सम्बन्ध में

तीन अमरीकी फर्मों के साथ इस बीच करार हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Shri Vishwa Nath Pandey: Has any survey been made by Government independently to find out whether substantial quantity of raw material is available and petro-chemical complex can be set up there? Are Government thinking of setting up a petro-chemical complex there ?

Shri Iqbal Singh: We do propose but negotiations are still going on for setting up a petro-chemical complex there. Further action can be taken only after the negotiations are over?

Shri Vishwa Nath Pandey: My question was: whether substantial quantity of raw material is available there or not ?

Shri Iqbal Singh: Raw material is available there. We require Naphtha for this purpose and that is surplus there.

Shri Vishwa Nath Pandey: May I know the time by which the American companies will give their decision about it so that a petro-chemical complex can be set up there immediately ?

Shri Iqbal Singh: Negotiations are going on with three companies. The final draft of the agreement was submitted by them in March, 1966. The petro-chemical complex can be set up only after the negotiations are over.

श्री स० चं० सामन्त : इस उद्योग समूह के लिये कितनी विदेशी मुद्रा के उपकरणों की आवश्यकता पड़ेगी और भारत में ऐसे उद्योग-समूह स्थापित करने के लिये अपेक्षित उपकरणों का निर्माण करने के लिये क्या कोई प्रयत्न किये गये हैं ?

Shri Iqbal Singh: It is a new industry in the world and is a very complicated one. Nothing can, therefore, be said as to types of components which will be required for this industry. But a few countries have got the requisite technical know-how about this industry.

श्री जसवन्त मेहता : पैट्रोरासायनिक उद्योग हमारी अर्थ-व्यवस्था के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है तथा कोयली शोधनशाला के बारे में विदेशी सहयोगियों से बातचीत में काफी देर कर दी गई है । बातचीत में अड़चन क्या है और अब क्या स्थिति है और कब तक यह बातचीत पूरी हो जायगी ? देश के इस भाग में पैट्रो-रासायनिक उद्योग के लिए चौथी योजना में कितनी राशि आवंटित की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन): मैं यह पहले ही बता चुका हूं कि पैट्रो-रासायनिक उद्योग समूह की स्थापना के लिए 47 करोड़ रुपये निश्चित किये गये हैं । खेद है कि

बातचीत में बहुत अधिक समय लग रहा है । आशा है यह शीघ्र पूर्ण हो जायेगी । प्रबन्ध तथा अन्य मामलों के बारे में हमने अपने मत सम्बन्धित पक्षों को व्यक्त कर दिये हैं और उनकी प्रतिक्रिया जानने के पश्चात् ही कोई निर्णय किया जा सकता है ।

श्री जसवन्त मेहता : देरी के कारण क्या हैं ?

Shri M. L. Dwivedi: Besides these American firms, may I know whether negotiations have also been held with any other country and if so, what is the name of that country and at what stage the negotiations are going on?

Shri Iqbal Singh: First of all two offers were received in regard to Koyali. One of them was from the ICCI and Phillips Petroleum. But they were later on withdrawn by them. At present negotiations are going on with the Union Carbide International Oil and Dow Chemicals. There is, now, only one offer.

Shri Bhagwat Jha Azad: Has any assessment been made about the present capacity of the Petro-Chemical Industry and if so, what percentage of our requirements is being met by it? Is it a fact that these companies are putting pressure on you and the matter has thus been delayed? Instead of carrying on negotiations with these firms, why collaboration is not being sought from those countries who have so far been lending us help?

Shri Iqbal Singh: So far as an enquiry into this matter is concerned, first of all Kane Committee was constituted in 1961 to decide as to which type of petro-chemical complex should be set up in India and where it should be set up. Thereafter, Dr. Haini was invited from France who gave his report about the type of things to be manufactured in the petro-chemical complex and where it should be set up. Then the working group of the Ministry of Industries and Supplies and the working group of the Planning Commission went into the question and certain definite type of recommendations were made by them. So far as the question as to what percentage of our requirements is being met in India, is concerned, it is very low. Two Naphtha crackers are being set up in private sector. Thereafter we can think of other matters relating to petro-chemicals complex. In regard to those countries who have so far been giving us help, we are ready to take help from any country who is ready to give us help provided it is a proper type of help.

श्री रा० बरुआ : सीमिति साधनों को ध्यान में रखते हुए, सरकार पैट्रो-रासायनिक उद्योग समूह में विशेषकर कोयली में कौन से उद्योग विशेष स्थापित करने की बात सोच रही है ?

श्री इकबाल सिंह : कोयली में पैट्रो-रासायनिक उद्योग समूह जो होगा वह एक भिन्न प्रकार का होगा । इसमें केप्रोलेक्टम, बेनजीन, टऊलीन, बेनजीन क्लोराइड, पालिथिलीन, विनयल क्लोराइड, विनयल एसीटेट, पी० वी० सी० ओर स्टाइरीन तथा पालिस्ट्रीन शामिल होंगे ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय तेल समवाय के साथ समझौते करने में इतनी देरी का क्या कारण है ? क्या यह इसलिए है कि वे प्रबन्ध पर 8 वर्ष तक नियंत्रण रखना चाहते हैं, और यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री अलगेसन : मैं कह चुका हूं कि हमने प्रबन्धकों के नियन्त्रण के बारे में ही नहीं,

अपितु बहुत से दूसरे मामलों में भी उन्हें अपनी प्रतिक्रिया बता दी है। हम उनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बातचीत में देर लगती ही है। इन बातों को एक या दो बैठकों में ही निबटाना सम्भव नहीं है। वे अपने प्रस्ताव रख रहे हैं और हम भी अपने प्रस्ताव रख रहे हैं, वे आते जाते रहते हैं और जैसा हम चाहते हैं, वैसा हो नहीं पाता। मुझे इस प्रकार की स्थिति पर खेद है।

श्री स० मो० बनर्जी : मंत्री महोदय ने कैप्रोलेक्टम का हवाला दिया। क्या यह सच है कि कैप्रोलेक्टम का लाइसेंस एक गैर-सरकारी क्षेत्र की फर्म को दिया जा रहा है ? क्या संभवतया यह गुजरात उर्वरक निगम को दिया जा रहा है ? क्या कोई निर्णय किया गया है या नहीं ?

श्री अलगेसन : मैं ठीक तरह से नहीं जानता कि यह किस स्थिति में है। मैं माननीय सदस्य को इतना बता सकता हूं कि गुजरात उर्वरक संयंत्र को लाइसेंस मिलने की सम्भावना है।

श्री दे० जी० नायक : पैट्रोकैमिकल उद्योग समूह के लिए नैफ्था कितनी मात्रा में उपलब्ध है, तथा जब तक इसकी स्थापना नहीं हो जाती, तब तक नैफ्था का क्या प्रयोग होगा ?

श्री अलगेसन : मैं ठीक-ठीक मात्रा तो नहीं बता सकता, किन्तु पैट्रोकैमिकल उद्योग समूह के उपयोग के लिए नैफ्था पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

श्री दे० जी० नायक : जब तक पैट्रोकैमिकल उद्योग समूह की स्थापना नहीं हो जाती, नैफ्था किस प्रयोग में लाया जायेगा ?

श्री अलगेसन : यह खाद के कारखानों को बेचा जायेगा।

श्रीमती रेणुका राय : सरकार किस सिद्धान्त के आधार पर पैट्रोकैमिकल उद्योग समूह की नई परियोजनाओं को पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिए धकेले जा रही है, जबकि दूसरी कुछ योजनाओं को चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में रखा गया है। नई परियोजनाओं पर कौन सा सिद्धान्त लागू होता है ?

श्री अलगेसन : पैट्रोकैमिकल उद्योगों का ही उदाहरण लिया जाये, हमने बम्बई में कई संयंत्रों को गैर-सरकारी क्षेत्र में लाइसेन्स दिये हैं। हमने एक या दो पार्टियों को नैफ्था विस्फोटकों और दूसरे पैट्रोकैमिकल एककों के लिए लाइसेन्स दिये हैं। गुजरात तेल शोधक कारखाना अपने पास ही एक बहुत बड़ा पैट्रोकैमिकल उद्योग समूह संयंत्र स्थापित कर रहा है। हल्दिया का संयंत्र भी चालू हो ही रहा है और इसी तरह कोचीन में भी संयंत्र चालू हो रहा है।

खम्बात तेल क्षेत्र से तरल ईंधन

*754. **श्रीमती सावित्री निगम :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खम्बात तेल क्षेत्र से तरल ईंधन का उद्योग में प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में

किया गया परीक्षण सफल रहा है ;

(ख) प्राकृतिक गैस को घरेलू कामों के लिए प्रयोग में लाने के सम्बन्ध में क्या व्यवस्था की गई है; और

(ग) देश में विभिन्न पेट्रोलियम तथा रासायनिक उद्योग लगभग कितनी प्राकृतिक गैस बेकार जला रहे हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) यदि तरल ईंधन से सुद्रवण (Condensate) का आशय है तो मामले की खोज की जा रही है। बड़ौदा के पास गुजरात शोधनशाला में सुद्रवण के इस्तेमाल के लिए यत्न किये जा रहे हैं।

(ख) प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल अभी तक केवल उद्योगों तक सीमित है।

(ग) प्रतिदिन लगभग 1.29 मिलियन घन मीटर प्राकृतिक गैस जलाई जाती है; जो तेल के साथ उत्पादित होती है और जिसके कोई उपभोक्ता नहीं हैं।

श्रीमती सावित्री निगम : यह मामला मंत्रालय में कई सालों तक अनिर्णीत पड़ा रहा। इस मूल्यवान गैस को घरेलू ईंधन के रूप में प्रयोग में लाने की व्यवस्था करने में सरकार को क्या कठिनाई हो रही है ?

श्री इकबाल सिंह : उत्तारन बिजली घर, गुजरात उर्वरक परियोजना, बड़ौदा उद्योगों तथा, बड़ौदा नगर निगम, जैसे कुछ उद्योगों में कहीं-कहीं लाइनें तैयार नहीं हैं। गुजरात उर्वरक परियोजना में 1967 में उत्पादन आरम्भ हो जायगा। इसीलिये इसका अभी प्रयोग नहीं हो रहा है। दूसरे उद्योगों में भी वे इसका प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि अन्य प्रकार का ईंधन भी उनको मिल रहा है। अन्यथा वह और कहीं प्रयोग में नहीं लाया जा सकता।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या मंत्रालय ने इस बात का अनुमान लगाया है कि यदि विभिन्न नगरों में इस गैस को पहुँचाया जाये, तो घरेलू उपयोग में आनेवाला मिट्टी का तेल कितना बचाया जा सकेगा ?

श्री इकबाल सिंह : हम उद्योगों को गैस प्रयोग में लाने के लिये प्रोत्साहित कर रहे हैं। किन्तु फिर मूल्यों का प्रश्न आता है। राज्य-सरकारों द्वारा गैस के प्रयोग पर कर लगाये जाने के कारण मूल्यों में वृद्धि होती है। इस पर विचार हो रहा है। मिट्टी के तेल की अपेक्षा हम किसी भी उद्योग के लिये गैस के प्रयोग को प्रोत्साहन दे रहे हैं। किन्तु इसके लिये एक दीर्घ-कालीन परियोजना की आवश्यकता है।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : मैं समझता हूँ कि सरकार धन की कमी के कारण इस परियोजना को चालू नहीं कर सकती है। क्या गुजरात के उद्योगपतियों ने पाइप बिछाने तथा तत्सम्बन्धी व्यय वहन करने का प्रस्ताव किया है ?

श्री इकबाल सिंह : बड़ौदा में पाइप लाइनें बिछाई जा रही हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : अहमदाबाद की क्या स्थिति है ?

श्री इकबाल सिंह : मुझे कोई जानकारी नहीं है।

श्री हेम बरुआ : तरल गैस, प्राकृतिक गैस, नैफ्था आदि का दुरुपयोग करने की अपेक्षा—क्योंकि यह सब दोषपूर्ण योजना के कारण होता है—सरकार इन संसाधनों का सफलता के साथ उपयोग करने की दिशा में क्या ठोस कदम उठा रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : वह नहीं कह सकते कि नैफ्था का दुरुपयोग हो रहा है। खम्बात में हमारे पास एक गैस-क्षेत्र है और कुछ गैस 'दुवारण' बिजली घर में प्रयुक्त हो रही है। खम्बात में प्राकृतिक गैस का कोई दुरुपयोग नहीं हो रहा है। अंकलेश्वर की गैस बहुत थोड़ी मात्रा में उपयोग में लायी जा रही है तथा शेष जला दी जाती है, क्योंकि अभी दूसरे उपभोक्ता तैयार नहीं हैं। उत्तारन बिजली घर भी सम्बद्ध गैस की कुछ मात्रा ले रहा है, किन्तु वह भी अपेक्षित मात्रा नहीं ले रहा है। गुजरात उर्वरक परियोजना अगले वर्ष चालू होगी और उसमें कुछ गैस की खपत होगी। बड़ौदा उद्योग तथा बड़ौदा नगर निगम गैस की कुछ मात्रा लेंगे। यदि सभी उपभोक्ता तैयार हों तो सारी गैस को उपयोग में लाया जा सकता है।

अल्प-सूचना प्रश्न

मावूर (केरल) स्थित ग्वालियर रेयन फैक्टरी

+

अ० सू० प्र० संख्या 20. श्री मणियंगाडन :

श्री उमानाथ :

श्री अ० क० गोपालन :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में मावूर स्थित ग्वालियर रेयन फैक्टरी में तालाबन्दी कर दी गई है।

(ख) फैक्टरी में तालाबन्दी करने के क्या कारण हैं ;

(ग) कितने श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं ; और

(घ) इस फैक्टरी को फिर चालू करने के लिये क्या कोई कदम उठाये जा रहे हैं, यदि हां, तो वे क्या हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) जी हां।

(ख) कुछ श्रमिकों को स्थायी बनाने और 1965-66 के बोनस की मांगों को लेकर 80 प्रतिशत श्रमिक हड़ताल पर हैं। शेष श्रमिक फैक्टरी को चलाने में समर्थ नहीं हैं।

(ग) लगभग 1,000।

(घ) जिला श्रम अधिकारी और उप श्रमायुक्त, कोजिकोदे द्वारा समझौता कार्यवाही असफल रही। श्रम आयुक्त, केरल इस मामले पर संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श कर रहे हैं।

श्री मणियंगाडन : क्या इसे न्याय-निर्णय के लिये भेजने का विचार है ?

श्री शाहनवाज खां : श्रम-आयुक्त विवाद का हल निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं। उन्हें सफलता न मिलने पर हम इस मामले पर विचार करेंगे।

श्री उमानाथ : क्या सरकार को पता है कि अस्थाई श्रमिकों का स्थायीकरण करने के लिये प्रबन्धकों और कारखाने के बहुमत वाले संघ में एक कानूनी समझौता हुआ है, जिसके अनुसार एक सूची तैयार की गई थी जिसको स्वयं उप-श्रमआयुक्त ने स्वीकार किया था ? यदि हां, तो क्या यह हड़ताल, जो 'इन्टक' (INTUC) द्वारा स्थायी किये जाने वाले श्रमिकों की सूची के विरुद्ध संगठित की गई थी और 12 ता० को शुरू हुई थी, गैर कानूनी थी तथा क्या 2,000 से भी अधिक श्रमिकों में से केवल 400 श्रमिक ही इस हड़ताल में शामिल हैं ? क्या यह गैर कानूनी हड़ताल, केरल के उप-श्रम आयुक्त द्वारा स्वीकृत सूची के विरुद्ध 'इन्टक' (INTUC) ने संगठित की थी ?

श्री शाहनवाज खां : श्रम आयुक्त विवाद पर विचार कर रहे हैं तथा उन्होंने हड़ताल को गैर-कानूनी नहीं घोषित किया। हड़ताल बोनस की मांग को लेकर तथा कुछ श्रमिकों के स्थायीकरण के विरुद्ध की गई थी।

श्री उमानाथ : श्रीमान् मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं एक विशेष प्रश्न पूछ रहा हूं। इसका उत्तर 'हां' या 'नहीं' में दिया जाये।

श्री शाहनवाज खां : मै कह चुका हूँ कि कई बातें विवादास्पद हैं। इस मामले में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।

श्री उमानाथ : क्योंकि 'इन्टक' (INTUC) ने यह गैर कानूनी हड़ताल संगठित की है, इसीलिये यह उत्तर दिया जा रहा है।

श्री अ० क० गोपालन : क्या प्रबन्धकों ने बोनस समझौते का उल्लंघन किया था तथा उप-श्रम आयुक्त ने समझौते के लिये 16 ता० का दिन निश्चित किया था ? यदि हां, तो क्या 15 ता० को प्रबन्धकों द्वारा की गई तालाबन्दी का उद्देश्य, 16 ता० को होने वाले बोनस समझौते को खटाई में डालना था ?

श्री शाहनवाज खां : जी नहीं। ऐसा उद्देश्य नहीं था। उप-श्रम आयुक्त ने समझौता-वार्ता की, किन्तु समझौता नहीं हो सका। अब श्रम आयुक्त इस मामले पर विचार कर रहे हैं।

श्री अ० क० गोपालन : क्या प्रबन्धकों द्वारा तालाबन्दी, समझौता-कार्यवाही में गड़बड़ी पैदा करने के लिये की गई थी ?

श्री शाहनवाज खां : जी नहीं। मैं ऐसा कुछ नहीं मानता।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या तालाबन्दी को गैर-कानूनी घोषित किया गया या नहीं ?

श्री शाहनवाज खां : इसे अभी गैर कानूनी नहीं घोषित किया गया है। श्रम आयुक्त मामले पर विचार कर रहे हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

परिवार पेंशन योजना

*755. **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **श्रम. रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री 9 मार्च, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 421 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक श्रमिकों के लिये परिवार पेंशन योजना के प्रश्न पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं और उस पर कितना खर्च आने की संभावना है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) इस प्रश्न पर कार्यकारी दल विचार कर रहा है। कार्यकारी दल द्वारा 1966 के अन्त तक रिपोर्ट भेजने की आशा है।

(ख) इस सम्बन्ध में अभी ब्योरा तैयार करना है।

टेलीफोनों की संख्या में वृद्धि

*756. **श्री भागवत झा आजाद :** **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री म० ला० द्विवेदी : **श्री स० चं० सामन्त :**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1951 से 1961 तक की अवधि में देश में बहुत अधिक संख्या में टेलीफोन लगाए गए थे ;

(ख) क्या टेलीफोनों की मांग बहुत बढ़ती जा रही है ; और

(ग) बढ़ती हुई मांग को पूरी करने के लिए क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

(क) संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) तथा (ख). जी हां।

(ग) जी हां, उपलब्ध साधनों के अनुरूप संभव सीमा तक प्रयत्न किये जा रहे हैं।

National and Emotional Integration

*757 **Shri Sidheshwar Prasad :**
Shri Rishang Keishing :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1230 on the 20th April, 1966 and state :

(a) the steps since taken to implement the resolution on National and Emotional Integration ;

(b) whether the question of convening the second National and Emotional Integration Conference has been considered ; and

(c) if so, when it would be held and, if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Government continue to review the progress achieved so far in the implementation of the various recommendations of the National Integration Conference and National Integration Council, towards which necessary steps have already been taken. The Planning Commission and the Ministry of Education were requested to assess the impact of measures adopted by them to reduce economic imbalance among various regions and to promote feelings of National Integration through a positive educational policy, respectively. The Planning Commission have stated that they are continuing their attempts to achieve the objective of removing economic disparities through the Planning process. A number of educational measures have already been taken by the Ministry of Education to promote emotional integration in the country. The All India Education Commission, set up under the Chairmanship of Dr. D. S. Kothari, has since submitted its report to the Ministry of Education. The implementation of the various recommendations of this Commission will be taken in hand after they have been examined in detail. The implementation of various decisions taken by the Committees of Zonal Council for National Integration is being reviewed. Home Minister has decided to address letter to Chief Ministers regarding decisions which have not yet been implemented fully.

(b) The question of convening a meeting of the National Integration Council is still under consideration.

(c) Does not arise.

जनता में और सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार

*759. **श्री अचल सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनता में और सरकारी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार-उन्मूलन के बारे में लोक सभा द्वारा अक्तूबर, 1964 में पारित संकल्प को क्रियान्वित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : वर्तमान भ्रष्टाचार को रोकने के उपायों का 1964-65 के दौरान किये गये सतर्कता तथा भ्रष्टाचार विरोधी कार्य को विशेष समीक्षा में उल्लेख किया गया है। इस समीक्षा की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में रख दी गई हैं। सरकार ने संथानम समिति की

सिफारिशों को ज्यों का त्यों या परिवर्तनों के साथ स्वीकार करके क्रियान्वित कर दिया है। जैसा कि 1965-66 के गृह मंत्रालय के प्रतिवेदन के अनुच्छेद 25 में कहा गया है, जो भ्रष्टाचार विरोधी कदम पहले ही उठाये जा चुके हैं उनका स्पष्टत: प्रभाव पड़ा है ।

व्यावसायिक धन्धों का प्रशिक्षण

*760. **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री 6 अप्रैल, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1005 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यावसायिक धन्धों के प्रशिक्षण सम्बन्धी राष्ट्रीय परिषद् की सिफारिशों पर इस बीच विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां ।

(ख) दस्तकारी प्रशिक्षण योजना के मातेहत विभिन्न इन्जीनियरी व्यवसायों के प्रशिक्षण की अवधि आदि में परिवर्तन करने के लिये प्राप्त सिफारिशें, भारत सरकार ने स्वीकार करली हैं और 1 अगस्त, 1966 से आरम्भ होने वाले सत्र से इन सिफारिशों पर अमल करने हेतु राज्य सरकारों को लिख दिया गया है । दस्तकारी प्रशिक्षण योजना में मिलने वाली छात्रवृत्ति की दर बढ़ाने और ऐसी वृत्ति का क्षेत्र विस्तार करने से सम्बन्धित सिफारिश पर विचार हो रहा है ।

प्रबन्ध में श्रमिकों द्वारा भाग लेना

*761. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों के उपक्रमों के प्रबन्ध में श्रमिकों को प्राप्त भाग के बारे में सर्वेक्षण किया है ;

(ख) किन-किन उप-क्रमों में यह प्रणाली चालू की गई है तथा उसके क्या परिणाम निकले हैं ;

(ग) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मजदूर संघों की संख्या बहुत है, संयुक्त प्रबन्ध की प्रणाली कहां सफल रही है ; और

(घ) वर्तमान व्यवस्था को वस्तुत: उपयोगी बनाने के लिए यदि कोई सुधार करने के सुझाव दिये गये हैं तो वे क्या हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां ।

(ख) अब तक 124 उपक्रमों ने इस प्रणाली को चालू किया है। उन उपक्रमों में, जहां इस प्रणाली ने अच्छा काम किया है, इसके परिणाम-स्वरूप औद्योगिक सम्बन्ध अधिक अच्छे हुए हैं, श्रमिकों की सेवाएं अधिक स्थायी हुई हैं, उत्पादिता एवं लाभ में वृद्धि हुई है, छीजन में कमी हुई है और मैनेजमेंट तथा श्रमिक एक दूसरे के विचारों को अधिक अच्छी तरह समझने लगे हैं।

(ग) जिन उपक्रमों में मजदूर यूनियनें अधिक संख्या में हैं, वहां इस प्रणाली को चालू करना कठिन है और इसे सफलतापूर्वक चलाना और भी कठिन है। ऐसे मामलों में जहां किसी उपक्रम में एक से अधिक यूनियन काम कर रही हैं, वहां यूनियनों के प्रतिनिधियों की स्वीकृत सूची के साथ संयुक्त प्रबन्ध परिषद स्थापित की जा सकती है।

(घ) श्रमिक प्रबन्ध सहयोग समिति, जो कि त्रिपक्षीय समिति है तथा जिसके अध्यक्ष श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्री हैं, इस समस्या से अवगत हैं।

Home Minister's Visit to Kashmir Border

*762. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shrimati Maimoona Sultana :
Shri Harish Chandra Mathur :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether he toured the border areas of Jammu and Kashmir recently :

(b) if so, whether he got information regarding the presence of pro-Pakistani elements in those areas ; and

(c) if so, whether any fresh measures have been taken to prevent the activities of such elements ?

The Minister of Home Affairs (Shri Nanda) : (a) Yes, Sir,

(b) Such an allegation was made by some persons.

(c) After the hostilities with Pakistan in August-September, 1965, security and intelligence arrangements have been reviewed and further strengthened in Jammu and Kashmir.

बढ़े हुए काम के आधे घंटे की समाप्ति तथा छुट्टी वाले शनिवार

*763 **श्री अ० व० राघवन :** **श्री यशपाल सिंह :**
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : **श्री राम हरख यादव :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी संस्थानों में महीने में दो शनिवारों को छुट्टी किये जाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) क्या आपात काल की घोषणा के समय से बढ़ाया गया काम का अतिरिक्त आधा घंटा समाप्त करने का भी कोई प्रस्ताव है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) से (ग). भारत सरकार छट्टियों तथा काम के घंटों के प्रश्न पर मूल रूप से विचार कर रही है ।

श्रम सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग

*764 **श्री रामेश्वर टांटिया :** **श्री काजरोलकर :**
श्री शिवमूर्ति स्वामी : **श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम सम्बन्धी मामलों की जांच करने के लिए एक श्रम राष्ट्रीय आयोग बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां ।

(ख) इसके गठन, विचारार्थ विषय आदि पर विचार किया जा रहा है ।

Infiltrators in Kashmir

*766. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there are still about 2,000 Pak. infiltrators in Kashmir ;

(b) if so, the steps taken by Government to drive them out or mop them up ; and

(c) the reasons for not being able to drive them out or mop them up so far ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

सेवानिवृत्ति की आयु तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में उच्च प्रबन्धकीय पदों पर नियुक्ति

*767. **श्री ज० द० सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसी परिस्थितियां सविस्तार निर्धारित की हैं जिनके अन्तर्गत 58 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु के बाद अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के सेवाकाल बढ़ाये जाने के प्रश्न पर, जो कि अलग-अलग संस्थाओं द्वारा, जिनमें सरकारी क्षेत्र के वे उपक्रम शामिल हैं जिन पर सरकार का पूर्णतः अथवा अधिकांशतः स्वामित्व अथवा नियंत्रण है, जो एक विस्तृत व्यापक पद है, निर्णय किये जाने के बजाय उनका सेवाकाल निर्धारित परिस्थितियों के अनुसार बढ़ाया जा सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रधान मंत्री द्वारा हाल में सरकारी उपक्रमों के प्रबन्धकों के सम्मेलन

में दिये गये इस सुझाव को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है कि ऊंचे पदों पर लोगों को बाहर से बुलाने के बजाय योग्य व्यक्तियों को चाहे उनकी वरिष्ठता कुछ भी हो, और प्रबन्ध-पदों पर नियुक्त चाहे वे औद्योगिकी विज्ञ तथा वैज्ञानिक हों, उसी संस्था में से ही लिया जाना चाहिये ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु के बाद उनके सेवा काल में वृद्धि करने के लिये सिद्धान्तों का निर्धारण करने वाली हिदायतें समय-समय पर जारी की गई हैं। वित्त मंत्रालय का सरकारी उपक्रमों का ब्यूरो जो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की कर्मचारियों के बारे में नीतियों से सम्बन्धित है इन उपक्रमों की सेवा में नियुक्त अधिकारियों के सेवा काल में वृद्धि सम्बन्धी ऐसी ही हिदायतें जारी करने के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा है।

(ख) बैठक में उठाये गये प्रश्नों पर ध्यान दिया गया हैं और उनकी जांच की जा रही है।

बीस वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों का अमरीका जाना

*768. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :**
श्री मुहम्मद कोया :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीस वर्ष से कम आयु के बालकों को एक वर्ष तक अमरीका के लोगों के रहन-सहन का तरीका सीखने के लिये अमरीका जाने की अनुमति दिये जाने के क्या कारण हैं तथा इस योजना के लिए धन देने वाली संस्था का नाम क्या है ?

(ख) क्या यह सच है कि इसके बदले में बीस वर्ष से कम आयु के अमरीकी बालक भारत आ कर यहां के लोगों के साथ रहेंगे तथा उन के आने जाने के किराए की व्यवस्था कौन करेगा, और

(ग) इन बच्चों के प्रभाव्य मस्तिष्कों पर अमरीकी रहन-सहन के दम्बमय तरीकों का प्रभाव डालने के प्रयत्न किए जाने के क्या कारण हैं तथा इसका शैक्षिक महत्व क्या है जब कि इन बच्चों को अपने स्कूल की शिक्षा-काल के इन वर्षों का उपयोग अपनी संस्कृति हृदयंगम करने तथा सीखने के लिये अधिक अच्छे ढंग से करना चाहिए ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० (श्रीमती) सौन्दरम् रामचन्द्रन): (क) और (ख). छात्रवृत्तियों के प्राधिकारियों के अनुरोध पर सावधानी से विचार करने के बाद, भारत सरकार भारत में इस योजना को फिर से शुरू करने के लिये राजी हो गई है। इसके मुख्य कारण नीचे दिये जाते हैं :-

(i) चुनाव अब प्रादेशिक तथा अखिल भारतीय समितियों द्वारा किया जायगा, जिसमें केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों का यथोचित प्रतिनिधित्व है।

(ii) भारतीय बच्चों के माता पिताओं से जो पहले इस योजना के अन्तर्गत (अमरीका) गए थे—प्राप्त हुए उत्तरों से यह जाना गया था कि बच्चों को लौटने पर भारतीय समाज में मिलने में कोई कठिनाई नहीं होती है। इसके विपरीत, उन्हें अमरीकी स्कूलों में अध्ययन द्वारा तथा अपने विश्वास और दृष्टिकोणों को विकसित करने का लाभ उठना चाहिये।

इस योजना को धन देने की व्यवस्था अमेरिकन फील्ड सर्विस इन्टरनेशनल स्कोलरशिप्स द्वारा की जाती है।

(ख) जी, नहीं।

संयुक्त राष्ट्र संघ के टिकटों की विक्री

*769 **श्री पन्ना लाल :**

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

श्री बृज वासी लाल :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या टिकट संग्रह प्रयोजनों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के टिकटों की भारत में विक्री करने के लिए सरकार सहमत हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो कब और किन शर्तों पर ; और

(ग) अधिक से अधिक कितने मूल्य के टिकटों की विक्री के लिए सरकार सहमत हुई है ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) जी हां।

(ख) तथा (ग). इस समझौते को 1 अगस्त, 1966 को अन्तिम रूप दे दिया गया। संयुक्त राष्ट्र के डाक-टिकटों की विक्री की मुख्य शर्तें इस प्रकार हैं :

1. अधिक से अधिक 15,000 रुपए के मूल्य के संयुक्त राष्ट्र के डाक-टिकटों की टोकन संख्या 1 सितम्बर, 1966 से देश के 19 डाक-टिकट संकलन ब्यूरो के माध्यम से बेंची जायेगी।

2. यह विक्री प्रत्येक मूल्यवर्ग के समान प्रत्यक्ष मूल्य पर भारतीय मुद्रा में की जाएगी।

3. कुल विक्री की 10 प्रतिशत रकम डाक-तार विभाग द्वारा की गई सेवाओं की क्षतिपूर्ति के रूप में अपने पास रख ली जायेगी

Murder in Vithal Bhai Patel House, New Delhi

*770. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** **Shri Kashi Ram Gupta :**

Shri Bade : **Dr. L. M. Singhvi :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1089 on the 3rd August, 1966 and state :

(a) whether the inquiry into the murder committed in Vithal Bhai Patel House, New

Delhi has since been completed ; and

(b) if not, the stage at which the matter stands at present ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). Despite best efforts on the part of the Delhi Police no useful clue about this murder could be found. The case was sent as untraced on 18th July, 1966. As and when some useful clue/information becomes available, investigation into the case will be re-opened.

जम्मू तथा काश्मीर पुनर्वास विभाग

*771. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान जम्मू में 7 अगस्त, 1966 को हुए नेशनल कान्फ्रेन्स के सम्मेलन में स्वीकृत किये गये एक संकल्प की ओर दिलाया गया है, जिसमें सरकार से जम्मू तथा काश्मीर राज्य पुनर्वास विभाग के कार्यकरण के बारे में, विशेषत: धन के दुरुपयोग और विस्थापित व्यक्तियों पर किये गये अत्याचारों के आरोपों के सम्बंध में, जांच कराने का आग्रह किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) और (ख). 7 अगस्त, 1966 को जम्मू में नेशनल कान्फ्रेन्स के हुए सम्मेलन में स्वीकृत किए गए संकल्प की प्रतिलिपि न तो इस मंत्रालय को और न ही सहायता आयुक्त जम्मू को प्राप्त हुई थी । तथापि इस प्रश्न के प्राप्त होने पर उल्लिखित संकल्प की एक प्रतिलिपि प्राप्त की गई है । भारत सरकार द्वारा प्रभावित व्यक्तियों की सहायता और पुनर्वास सम्बन्धी नीति के मामलों में जम्मू और काश्मीर सरकार को सलाह दी जा रही है । बेघर हुए परिवारों को सहायता और पुनर्वास सहायता देने के लिए उदार वित्तीय सहायता दी गई है । हालांकि पात्रता की शर्तें और सहायता के पैमाने केन्द्र द्वारा रखे गए हैं किन्तु ऋण और अनुदान का वास्तविक वितरण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है । भारत सरकार ने सहायता आयुक्त भी नियुक्त किया है जो राज्यों के सहायता तथा पुनर्वास-कार्यक्रम के सम्बन्ध में निकट सम्पर्क रखता है । भारत सरकार संतुष्ट है कि जम्मू और काश्मीर राज्य में सहायता तथा पुनर्वास कार्य दक्षता से किया गया है इसलिए धन के दुरुपयोग या विस्थापित व्यक्तियों पर किए गये अत्याचारों के आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं हैं ।

मजदूरों के लिये अनुशासन संहिता

*772. **श्री वारियर :**

श्री प्रभात कार :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उद्योग अनुशासन संहिता का, जिसका वर्ष 1958 में हुए

सोलहवें भारतीय श्रम सम्मेलन में अनुमोदन किया गया था और जिसमें उनका मंत्रालय एक पार्टी है रेलवे और प्रतिरक्षा जैसे नियोजक मंत्रालयों ने अभी तक समर्थन नहीं किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या नियोजक मंत्रालयों के अधीन कारखानों में औद्योगिक सम्बन्धों के बारे में नीति निर्धारण सम्बन्धी समन्वय के लिये मंत्रिमंडल ने कोई व्यवस्था की हुई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) जी हां। परन्तु जहां तक रक्षा मंत्रालय का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में कुछ प्रगति हुई है।

(ख) औद्योगिक सम्बन्धों के बारे में नीति के महत्वपूर्ण मामिलों का नियोजक मंत्रालयों के परामर्श से निपटारा किया जाता है।

बर्मा से भारत लौटने वाले लोगों के नाम दर्ज करना

*773. **श्री उमानाथ :**
श्री प० कुन्हन :
श्री म० ना० स्वामी :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बर्मा से विस्थापित लोगों के भारत लौटने पर उनके नाम दर्ज करने के लिये कोई कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) राज्य सरकारों को कहा गया है कि वर्मा से लौटने वाले व्यक्ति जब शिविरों में प्रवेश पाते हैं या जब वे पुनर्वास सहायता के लिये आवेदन-पत्र देते हैं उस समय उनके नाम दर्ज किये जायें।

(ख) उनको, आयु परिवार के सदस्यों की संख्या, व्यवसाय, शिक्षा योग्यतायें, भारत पहुँचने की तिथि, रिश्तेदारों और जायदाद का विवरण यदि कोई भारत में हो, तथा रिश्तेदार यदि कोई पीछे वर्मा में रह गये हों, आदि के बारे में जानकारी प्रस्तुत करनी होती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कराइकाल में तेल

*774. **श्री मुहम्मद कोया :** **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : **श्री बृजवासी लाल :**
श्री प्र० चं० बरुआ : **श्री मुथिया :**
श्री पन्ना लाल :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कराइकाल क्षेत्र में तेल पाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में कितना तेल मिलने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) एक कुंए में तेल की विद्यमानता के सूक्ष्म चिह्न पाये गये हैं।

(ख) इस स्थिति पर निश्चय नहीं है।

केरल के गैर-सरकारी कालेजों के अध्यापक

*775. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री वारियर :
श्री अ० व० राघवन :
श्री उमानाथ :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री ही०ना० मुकर्जी :
श्री मे० क० कुमारन

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि केरल राज्य के गैर-सरकारी कालेजों के अध्यापकों ने यह निर्णय किया है कि यदि उन्हें पुनरीक्षित वेतन क्रम तत्काल नहीं दिये गये तो वे सीधी कार्यवाही करेंगे कि; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा इन अध्यापकों को दिये गये आश्वासनों की क्रियान्विति के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु०क० चागला) : (क) जी, हां।

(ख) केरल सरकार ने यह निर्णय किया है कि गैर-सरकारी कालेजों को दी जाने वाली सहायता वास्तविक कमी की 60 प्रतिशत राशि से बढ़ाकर 80 प्रतिशत कर दी जाये ताकि संबंधित कालेजों के प्रबन्धकों को अध्यापकों को पुनरीक्षित वेतन क्रम देने में सुविधा हो।

अन्दमान के खेतिहर मजदूरों की हड़ताल

*776. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान खेतिहर मजदूर संघ के कुछ सदस्यों ने भूख हड़ताल कर रखी है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं;

(ग) क्या इसी प्रश्न को लेकर विरोध प्रकट करने के लिये 1 अगस्त, 1966 को एक दिन की हड़ताल की गई थी; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे और यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) अन्दमान सरकार कृषक कर्मचारी संघ के तीन सदस्यों ने भूख हड़ताल की जो बाद में तोड़ दी गई ।

(ख) उनकी मांग दो कर्मचारियों के स्थानान्तरण आदेश को रद्द कराना थी, जो अन्दमान कृषक कर्मचारी संघ में पदाधिकारी थे ।

(ग) जी हां ।

(घ) अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह के कुछ श्रमिक संघों से तार प्राप्त हुये थे । 14 अगस्त, 1966 को श्रमिक संघ के साथ एक समझौता हुआ जिसके अन्तर्गत मामला समाधान अधिकारी को सौंप दिया गया है और 14 अगस्त, 1966 से भूख हड़ताल वापिस ले ली गई ।

गुजरात में कृषकों को लाइट डीजल तेल की सप्लाई

*777 **श्री जसवन्त मेहता :** **श्रीमती जोहरावेन चावडा :**
श्री दे० जी० नायक : **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :**
श्री भू० म० वैश्य :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस ओर गया है कि कृषकों को लाइट डीजल तेल की कम सप्लाई के परिणामस्वरूप गुजरात क्षेत्र में कृषि उपज पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो गुजरात के कृषकों को लाइट डीजल तेल की कम सप्लाई करने के क्या कारण थे;

(ग) क्या 40,000 टन की कुल आवश्यकता को घटाकर 15,000 टन कर दिया गया था; और

(घ) गुजरात के लिये 'लाइट डीजल' तेल की सप्लाई में अत्यधिक कमी को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) से (ग) गुजरात को पिछले रबी फसल अर्थात अक्टूबर 1965 से फरवरी 1966 तक की गई सप्लाई का औसत दर 20,700 मीटरीटन प्रति मास था जबकि गत वर्ष की इसी अवधि का मासिक औसत 18,600 मीटरी टन था । मार्च, 1966 से सप्लाई में उत्तरोतर कमी कर दी गई है क्योंकि मार्च से अगस्त, 1966 तक कृषि सम्बन्धी आवश्यकताएं कम हो जाती हैं । इन महीनों में की गई वास्तविक सप्लाई निम्न प्रकार है :—

मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त
13,748	12,487	12,759	14,217	8,615	7,500

(घ) सितम्बर, 1966 के लिये गुजरात के लाइट डीजल आयल के आवंटन को 10,500 मीटरी टन तक बढ़ाया जा रहा है। सितम्बर, 1966 के बाद, जब रबी फसल सम्बन्धी आवश्यकतायें शुरू होंगी, कृषि मंत्रालय और राज्य सरकार की सलाह से काफी बड़े आवंटन किये जायेंगे।

लड़कों तथा लड़कियों के लिये कन्वेन्ट तथा पब्लिक स्कूल

3667. **श्री मे० क० कुमारन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री ति० त० कृष्णमाचारी द्वारा की गई इस आलोचना की ओर दिलाया गया है कि लड़कियों के कन्वेन्ट स्कूल तथा अंग्रेजी पद्धति पर आधारित पब्लिक स्कूल वर्ग भेद तथा मिथ्यावैभव की जड़ें हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु०क० चागला) : (क) जी हां, समाचारपत्रों द्वारा सरकार को इस आलोचना की जानकारी प्राप्त हुई है।

(ख) श्री ति० त० कृष्णामाचारी का वक्तव्य अत्यधिक आलोचनापूर्ण है तथा यह ऐसे सभी स्कूलों अथवा उनमें पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों पर समान रूप से लागू नहीं होता। इनमें से बहुत से स्कूल अच्छी शिक्षा देने के लिये प्रख्यात हैं तथा उन्होंने प्रवेश में भेदभाव करने की अपनी पहली नीतियां सुधार ली हैं। भारत सरकार तथा राज्य सरकारों ने छात्रवृतियां देने की विभिन्न योजनायें बनाई हुई हैं ताकि पब्लिक स्कूलों तथा अन्य अच्छे स्कूलों की शिक्षा का योग्य गरीब बच्चे भी लाभ उठा सकें।

Employees Escaping to Foreign Countries

3668. **Shri Kishen Pattanayak :**
Shri Madhu Limaye :
Dr. Ram Manohar Lohia :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a number of Class I employees of the Government of India posted at Delhi and in various States have escaped to foreign countries during the last six months to evade arrest on account of various crimes ;

(b) if so, their number, State-wise ; and

(c) the nature of allegations against them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.

मुरलीगंज (बिहार) में एक टेलीफोन का काट दिया जाना

3669. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के मुरलीगंज (सहरसा) के व्यापार मंडल ने उनके एक सदस्य के टेलीफोन नम्बर 52 को बिना किसी कारण काट दिये जाने के बारे में पोस्ट मास्टर जनरल, पटना से शिकायत की है;

(ख) यदि हां, तो किस परिस्थिति में ऐसी कार्यवाही की गई; और

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त सदस्य ने, जिसके नाम पर टेलीफोन है, कनेक्शन के काटे जाने से काफी पहले इस टेलीफोन के सभी बिलों का भुगतान कर दिया था ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री जगन्नाथ राव):(क) से (ग). दिनांक 21 फरवरी, 1966 के 45 रुपये 85 पैसे के ट्रंककाल बिल की टेलीफोन द्वारा तीन बार स्मरण दिला देने पर भी अदायगी न होने पर 26-4-66 को मुरलीगंज का टेलीफोन नम्बर 52 काट दिया गया। उपभोक्ता ने अदायगी करने के लिये निर्धारित अवधि के बहुत देर बाद दिनांक 22 अप्रैल, 1966 को बिल का भुगतान किया। क्योंकि देर से किये गये भुगतान से सम्बन्धित विवरण टेलीफोन केन्द्र या लेखा अधिकारी, टेलीफोन राजस्व को तत्काल उपलब्ध नहीं हो सके, अतः 26 अप्रैल, 1966 को यह टेलीफोन काट दिया गया। अदायगी का सत्यापन कर लेने पर बाद में टेलीफोन को पुनः चालू कर दिया गया। पोस्टमास्टर जनरल को व्यापार मण्डल से ऐसी कोई शिकायत प्राप्त हुई प्रतीत नहीं होती।

भारत में शिक्षक-अभिभावक आन्दोलन

3670 **श्री मे०क० कुमारन :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में शिक्षक-अभिभावक आन्दोलन को प्रोत्साहन देने और सुदृढ़ बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख). जी हां। आयोजना आयोग की शिक्षा यूनिट ने, आयोजना आयोग के शिक्षा सदस्य प्रोफेसर वी०के०आर०वी० राव की अध्यक्षता में अभिभावक- अध्यापक संस्था के एक कार्यकारी दल का गठन किया है। आन्दोलन के प्रति जन साधारण में रुचि और जोश पैदा करने के लिए क्षेत्रीय सेमिनारों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि सभी शैक्षिक संस्थाओं में बड़े पैमाने पर कर्मठता लाई जा सके। इस आन्दोलन के एक भाग के रूप में एक केन्द्रीय संस्था को भी बढ़ावा देने का विचार है।

अनाज के उत्पादन के काम में लगाए गये कैदी

3671. **श्री राम हरख यादव :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक सुधार योजना आरम्भ करने का है, जिसके अन्तर्गत

अनाज का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से दिल्ली सेंट्रल जेल के कैदियों से सरकारी फार्मों पर काम कराया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्योरा क्या है; और

(ग) इस योजना को आरम्भ करने के लिये कितने कैदियों का जत्था इस काम पर लगाया जायगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) दिल्ली के मुख्य आयुक्त के आदेशों के अनुसार दिल्ली प्रशासन द्वारा तिहाड़ की दिल्ली सेंट्रल जेल के कुछ कैदियों की सेवाओं का दिल्ली की सरकारी फार्मों पर उपयोग करने की एक योजना तैयार की जा रही है।

(ख) और (ग). योजना का ब्योरा तैयार किया जा रहा है ।

भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद के कल्याण अधिकारी और कार्यक्रम अधिकारी

3672. **श्री बृजराज सिंह :**

श्री बड़े :

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद में कल्याण अधिकारी-प्रथम श्रेणी और कार्यक्रम अधिकारी-प्रथम श्रेणी के पद किस वर्ष में बनाए गये थे और उनके वेतन पर कितना वार्षिक व्यय होता है;

(ख) क्या परिषद उनकी सेवायें इस्तेमाल करने के लिये कोई अतिरिक्त कार्य भी करता है और यदि हां, तो इनका क्या ब्योरा है; और

(ग) परिषद द्वारा इन कार्यवाहियों पर कितना व्यय किया जाता है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु०क० चागला) : (क) वर्ष 1964 में दो पद बनाये गये थे । दो पदों के वेतन का कुल वार्षिक व्यय 17,280 रुपये होता है ।

(ख) परिषद् की कार्यवाइयां पहले ही इतनी बढ़ गई थीं जिसके परिणामस्वरूप इन पदों के बनाने का औचित्य सिद्ध होता है । फिर भी इन पदों के बनाये जाने के बाद परिषद की कार्यवाइयों में और अधिक वृद्धि हुई है जैसाकि वर्तमान सांस्कृतिक अदला-बदली के कार्यक्रमों और विद्यार्थी सेवा एकक को सुदृढ़ बनाना ।

(ग) गत तीन वर्षों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अदला-बदली तथा विदेशी विद्यार्थियों के कल्याण पर व्यय की गई धन-राशि निम्नलिखित है :

	1963-64	1964-65	1965-66
	रुपये	रुपये	रुपये
कार्यक्रम संबंधी कार्यवाइयां	2,75,000	3,67,000	4,32,000
विद्यार्थी सेवा एकक की कार्यवाइयां	2,49,000	3,77,000	4,90,000
जोड़	5,24,000	7,44,000	9,22,000

गंगाजली निधि न्यास

3673. **श्री राधेलाल व्यास :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) **जब** मध्य भारत गंगाजली निधि न्यास अधिनियम, 1954 लागू किया गया था, उस समय गंगाजली निधि की राशि (कार्पस) कितनी थी;

(ख) गंगाजली निधि की मूल राशि पर अब तक कितनी राशि का ब्याज मिला है; और

(ग) क्या उन संस्थाओं अथवा व्यक्तियों के नामों को दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा, जिनको वर्ष 1954 से मूल राशि अथवा ब्याज की राशि दान के रूप में दी गई थी, और उन राशियों के दिये जाने की तिथियां क्या-क्या थीं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) 2,16,61,650·98 रुपये ।

(ख) 28,36,000 रुपये (अप्रैल 1966 के अंत तक)

(ग) एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०** 6962/66]

अगरतला में प्राध्यापकों की नियुक्ति

3674. **श्री बीरेन दत्त :**

श्री दशरथ देव :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1962-66 की अवधि में एम०बी०बी० कालेज, अगरतला में बंगला भाषा के एक प्राध्यापक के पद के लिए कोई अनुसूचित जाति का उम्मीदवार था;

(ख) यदि हां, तो क्या उसे इस पद पर नियुक्त किया गया था और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण थे;

(ग) इस अवधि में कुल कितने प्राध्यापक नियुक्त किए गए और उनमें से अनुसूचित जातियों के कितने उम्मीदवार थे; और

(घ) यदि अनुपात सन्तोषप्रद नहीं है, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख). दो उम्मीदवार थे परन्तु चयन बोर्ड द्वारा उनमें से किसी को इस पद के योग्य नहीं समझा गया ।

(ग) 41 जिनमें से तीन उम्मीदवार अनुसूचित जाति के थे ।

(घ) त्रिपुरा प्रशासन द्वारा तैयार की गई सूची से ज्ञात होता है कि अनुपात संतोषजनक है ।

केरल में डाकघरों की वर्गोन्नति

3675. **श्री अ० व० राघवन :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में किसी सब-पोस्ट आफिस को वर्गोन्नत करके उसे मुख्य डाकघर (हेड पोस्ट आफिस) बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसे कब वर्गोन्नत किया जायेगा ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) जी हां।

(ख) वाईकोम तथा आलाथूर उप डाकघरों का दर्जा बढ़ाकर प्रधान डाकघर बनाने के प्रस्ताव को 1 अक्तूबर, 1966 से मंजूरी दे दी गई है। अन्य उप डाकघरों के मामलों पर भी विचार किया जायेगा बशर्ते कि वे निर्धारित शर्तों की पूर्ति करते हों।

केरल में बागान मजदूरों का गिरफ्तार किया जाना

3676. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में बड़ी संख्या में रबड़ बागान मजदूरों को अधिक मजदूरी की मांग के बारे में उनके द्वारा की गई हड़ताल के सम्बन्ध में गिरफ्तार किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो कितने मजदूर गिरफ्तार किये गये थे ;

(ग) क्या यह सच है कि पुलिस ने बिना किसी उत्तेजनात्मक कारण के पथममथिट्टा और कुमथूर ताल्लुकों के कुछ स्थानों में मजदूरों के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग किया था ; और

(घ) यदि हां, तो सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). पुलिस द्वारा रबड़ बागान के 331 मजदूरों को गिरफ्तार किया गया। इन मजदूरों ने सरकारी कार्यालयों तथा बागान-कार्यालयों पर रास्ता रोक कर धरना मारा। फलतः उन्हें सजा दी गई।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की हड़ताल

3677. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने वेतन बढ़ाने तथा अन्य मांगों के सम्बन्ध में एक आन्दोलन आरम्भ किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि केरल विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के वेतन में राज्य सरकारी कर्मचारियों के समान कोई भी वृद्धि करने से इन्कार कर दिया गया है; और

(ग) विश्वविद्यालय कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों को पूरी करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) विश्वविद्यालय के गैर-शिक्षण कर्मचारियों की ओर से वेतन-संशोधन और अन्य मांगों के सम्बन्ध में कुछ समय पहले एक आन्दोलन किया गया था ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) इन कर्मचारियों के 1-1-1966 से वेतन मान संशोधन के सम्बन्ध में आवश्यक आदेश दे दिये गये हैं । सम्बन्धित स्टाफ को पिछली रकम की अदायगी की व्यवस्था की जा रही है । क्लर्क और टाइपिस्ट इत्यादि के अपर डिविजन और लोवर डिविजन ग्रेड के अनुपात के पुर्नानिर्धारण के लिये भी आदेश दे दिये गये हैं और इन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है ।

स्मृति डाक टिकट

3678. **श्री अ० व० राघवन :** **श्री उमानाथ :**
श्री अ० क० गोपालन : **श्री पोट्टेकाट्ट :**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1967 में श्री नारायण गुरुदेव की स्मृति में एक डाक-टिकट जारी करने का निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह टिकट किस तिथि को जारी किया जायेगा ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार-विभाग में राज्य-मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां ।

(ख) 1967 में उनकी वर्षगांठ के अवसर पर ।

केरल में बडागारा में जूनियर तकनीकी स्कूल

3679. **श्री अ० व० राघवन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के बडागारा में एक जूनियर तकनीकी स्कूल स्थापित करने के मामले में कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख). और अधिक जूनियर तकनीकी स्कूल खोलने के प्रश्न पर राज्य सरकार पुनर्विचार कर रही है । इस पर उनका निर्णय होने तक, वडागारा में जूनियर तकनीकी स्कूल खोलने का कार्य 1967-68 तक स्थागित कर दिया गया है ।

राष्ट्रमंडलीय कुश्ती प्रतियोगिता

3680. **श्री राम हरख यादव :**

श्री मुरली मनोहर :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किंग्सटन में हुई राष्ट्रमंडलीय कुश्ती प्रतियोगिता में भारतीय पहलवानों ने भाग लिया था ; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय दल की सफलताओं का क्या ब्योरा है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां ।

(ख) भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते ।

रेलवे डाक सेवा के कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि

3681. **श्री मुरली मनोहर :**

श्री राम हरख यादव :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डाक व तार विभाग के रेलवे डाक सेवा के कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि बढ़ाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो बढ़ाये गये वेतन भत्तों आदि का ब्योरा क्या है और उसके पात्र कौन लोग होंगे और उसकी अन्य शर्तें क्या हैं ; और

(ग) नये वेतन-क्रम कब लागू होंगे और इसके परिणामस्वरूप कुल कितना वार्षिक खर्च बढ़ जायेगा ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारतीय तेल निगम

3682. **श्री राम हरख यादव :**

श्री मुरली मनोहर :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में भारतीय तेल निगम का पुनर्गठन किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) निगम के कार्यकरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी हां ।

(ख) हाल में किये गये परिवर्तनों के ब्योरे निम्न प्रकार हैं:—

(1) पूर्ण समय आधार पर बोर्ड आफ डायरेक्टर्ज का एक चेयरमैन नियुक्त किया गया है । उन्हें समन्वयी और आवश्यकतानुसार कारपोरेशन के तीनों डिवीजनों (अर्थात् मारकीटिंग, रिफाईनिंग और पाइपलाइन) के कार्य-समाकलन के कार्य को संभालना होगा ।

(2) चेयरमैन जैसा कि अभी तक हाल में था आज कल कारपोरेशन के मारकीटिंग डिवीजन का मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं हैं । मारकीटिंग डिवीजन के लिये एक अलग मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है ।

(3) तीनों डिवीजनों के वित्तीय और लेखा-विधि के मामलों के समन्वय और समाकलन के लिये बोर्ड में एक फाइनेन्स डायरेक्टर नियुक्त किया गया है ।

(ग) कारपोरेशन का पुनर्गठन 1 अगस्त, 1966 से लागू हुआ और इतनी जल्दी प्रभावों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता ।

अशोधित तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों के दाम

3683. **श्री मुरली मनोहर :**
श्री राम हरख यादव :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अशोधित तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों के दाम बढ़ाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) और (ख). कच्चा तेल अंशत: आयात किया जाता है और अंशत: देश में होता है । अवमूल्यन के फलस्वरूप आयातित कच्चे तेल की लागत-बीमा-भाड़े की दरों में 57.5 प्रतिशत वृद्धि हुई है । देशीय कच्चे तेल के मूल्य में भी जो वृद्धि आयात साम्य पर निर्धारित की जाती है, तदनुरूप वृद्धि की गई है। मुख्य पेट्रोलियम उत्पादों जैसे मोटर स्प्रिट, हाई स्पीड डीजल आयल, भट्ठी का तेल, विमानन टरबाइन ईंधन, लाइट डीजल आयल, वाष्पशील तेल, मिट्टी का तेल और वीट्मेन्स के अधिकतम विक्रय मूल्यों को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है । 1-7-1966 से लुब्रीकेंट्स और ग्रीजों, जो या तो तैयार हालत में आयात किये जाते हैं या आयातित वेस तेलों से देश में तैयार किये जाते हैं, के विक्रय मूल्यों में, अवमूल्यन के फल-स्वरूप लागत-बीमा-भाड़े की लागत में औसत वृद्धि को पूरा करने के लिये हाई ग्रेड के लिये 18 पैसे प्रति लीटर और अन्य ग्रेडों के लिये 11 पैसे प्रति लीटर की दर से वृद्धि करने की अनुमति दे दी गई है । विमानन गैसोलीन्ज के, जो पूर्णत: आयात किये जाते हैं,

अधिकतम विक्रय मूल्यों को अवमूल्यन के फलस्वरूप लागत-बीमा-भाड़े की वृद्धि तक बढ़ा देने का प्रस्ताव है । ये वृद्धि एक ऐसी तारीख से होगी जब कि अवमूल्यन से पूर्व की दरों पर आयातित स्टाक लगभग समाप्त हो जायेंगे ।

दिल्ली पुलिस के लिये वायरलेस लगी गाड़ियां

3684. **श्री मुरली मनोहर :**
श्री राम हरख यादव :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में सभी पुलिस स्टेशनों को वायरलेस लगी गश्ती गाड़ियां देने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना तथा इस पर होने वाले व्यय का ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Indian School of International Studies

3685. **Shri J. B. Kripalani :**
Shri Madhu Limaye :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Head of the Middle East Department of the Indian School of International Studies certified on the 10th August, 1966 that a student, Shri Ved Pratap Vaidic was regularly present during the month of July ;

(b) whether it is also a fact that normally the students should receive the scholarship during the first week ; and

(c) whether it is also a fact that a student has not received scholarship because he had written a note in an Indian language ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) According to the information supplied by the School, the certificate was issued probably between the 8th and 10th August, 1966. It was placed in the glass case where letters for students are displayed for collection by them.

(b) Yes.

(c) No.

District Anti-Corruption Committees

3686. **Shri Rananjai Singh :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the **ex-officio** membership of the Distrrict Anti-Corruption Committees for Members of Parliament belonging to the same district has been discontinued with the concurrence of the Central Government ;

(b) if so, since when; and

(c) the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and the Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): (a) The problem of corruption in the spheres of State Administration is the concern of the State Governments. It is for the State Governments to decide whether the Members of Parliament should or should not be **ex-officio** members of the District Anti-Corruption Committees. The Central Government have not issued any instructions to the State Governments in the matter.

(b) and (c) Do not arise.

Assistance to Gorakhpur Varsity

3687.. **Shri Rananjai Singh:** Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) the amount of financial assistance given by Central Government to the Degree Colleges of Gorakhpur University during the financial year 1965-66 and the number of such colleges;

(b) whether separate assistance has been provided for agricultural education; and

(c) if so, the college-wise amount separately?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

भटिंडा का किला

3688. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय पुरातत्व विभाग ने 1953 में भटिंडा के किले को एक ऐतिहासिक स्मारक के रूप में सुरक्षित रखने के लिये अपने अधिकार में लिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि यह किला अब जीर्ण हो रहा है और पिछले दस वर्षों में 36 विशाल बुर्जों में से चार बुर्ज तथा मुख्य इमारत के कुछ भाग गिर गये हैं; और

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में कोई निर्णय किया है कि इस इमारत को सुरक्षित रखा जाये अथवा उसे गिराकर मलवे को काम में ले लिया जाये और किले के विशाल भूखण्ड में एक पार्क अथवा क्रीड़ा-स्थल (स्टेडियम) बना दिया जाये ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां।

(ख) जी हां, दुर्भाग्यवश ऐसा ही है। किले के कंगोरे मिट्टी के हैं और समय का उस पर बहुत असर हुआ है। प्रत्येक वर्ष भारी वर्षा से दिवारों और बुर्जों के बड़े-बड़े टुकड़े नीचे गिर जाते हैं। ऐसे पुराने गिरते हुए भवन के संरक्षण में होने वाली कठिनाइयों को देखते हुए तथा बड़े पैमाने पर भवन की मरम्मत करने के लिए वित्तीय सीमाओं को भी देखते हुए, सरकार इसे यथासंभव ठीक स्थिति में रखने के लिए प्रयत्नशील है। 1956 से अब तक किले की मरम्मत पर

लगभग 2.43 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं और इस बात को देखते हुए कि मरम्मत का कार्य अभी जारी है, फिलहाल किसी अन्य प्रयोजन के लिए किले को गिराने के प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इसे यथासंभव लम्बे अर्से तक सुरक्षित रखने का विचार है।

पंजाब में राजनीतिक पीड़ितों को वित्तीय सहायता

3689. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1949 और 1956 के बीच पंजाब सरकार ने राजनीतिक पीड़ितों (स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों) को वित्तीय सहायता देने का कोई निर्णय किया था;

(ख) क्या इस बारे में राज्य सरकार को कुछ निदेशों का पालन करने को कहा गया था और यदि हां, तो बाद में किन नियमों के अन्तर्गत वित्तीय सहायता नहीं दी जा सकी;

(ग) क्या इन राजनीतिक पीड़ितों को उपरोक्त सीमा से अधिक वित्तीय सहायता मंजूर करने के लिये कोई सक्षम प्राधिकार था और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस समय प्रत्येक राजनीतिक पीड़ित को प्रति मास कितनी वित्तीय सहायता मिल रही है और यह सहायता किन उपबन्धों के अन्तर्गत मंजूर की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). पंजाब सरकार से सूचना मंगाई गई है और प्राप्त होते ही सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी।

गैर-मुसलमान विस्थापित लोगों को भूमि का आवंटन

3690. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के पुनर्वास विभाग ने राज्य में उपायुक्तों तथा पुनर्वास राजस्व सहायकों को हिदायतें जारी की थीं कि गैर-मुसलमान उत्तराधिकारियों तथा उन गैर-मुसलमान भू-स्वामियों को, जो मुसलमान बन गये थे और पीछे पाकिस्तान में रह आये थे, पश्चिमी पाकिस्तान से आए हुए अन्य विस्थापित लोगों की तरह उस भूमि के बदले में भूमि दी जाय जो पाकिस्तान में रहने वाले उनके पिता तथा अन्य वारिसों की थीं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के निर्णय किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस निर्णय को न्यायिक रूप देने के लिये नियमों में शामिल किया गया था;

(घ) क्या उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित व्यक्तियों की तरह अमृतसर जिले में तरन तारन तहसील के पंजवार के कुछ मुसलमान भूस्वामियों को, जो देश के विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गये थे किन्तु उनके गैर-मुसलमान लड़के तथा उत्तरभोगी वारिसों को, जो कि भारत में रह गये थे, भूमि दी गई थी;

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(च) क्या पंजाब सरकार को इस आशय का कोई अभ्यावेदन मिला है जिसमें यह अनुरोध किया गया हो कि उपरोक्त भाग (घ) में उल्लिखित व्यक्तियों को उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित व्यक्तियों के समान समझा जाये; और

(छ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय कियां गया है?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा०रा० चह्वाण): (क) जी, हां ।

(ख) इस निर्णय के यह कारण थे कि सामान्य प्रकल्पना के अनुसार हिन्दू जब तक दूसरे रूप से स्थापित नहीं हो जाता, हिन्दू नियम के अधीन ही शासित होता है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) ऐसे स्थानीय व्यक्ति भूमि आवंटन के हकदार नहीं थे ।

(च) जी, हां ।

(छ) ऐसा केवल एक अभ्यावेदन मिला है जिसे अदालती तौर से निपटाया जा रहा है ।

पाक जलडमरू मध्य पार करने की तैराकी प्रतियोगिता

3691. **श्री राम हरख यादव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तैराकी संघ का विचार हिन्द महासागर में पाक जलडमरू मध्य पार करने की तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) प्रतियोगिता कब होगी ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन): (क) जी हां ।

(ख) भारतीय तैराकी संघ से वित्तीय जिम्मेदारियों सहित उनके प्रस्ताव से संबंधित और अधिक ब्योरे देने के लिए अनुरोध किया गया है । अपेक्षित सूचना प्राप्त होने पर, प्रस्ताव की जांच अखिल भारतीय खेल परिषद के विचार-विनिमय से की जाएगी ।

(ग) प्रतियोगिता कब होगी, यह बताना अभी कठिन है ।

दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में नियुक्त भूगोल शिक्षक

3692. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में भूगोल पढ़ाने के लिये कितने भूगोल शिक्षक नियुक्त किये गये हैं;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ स्कूलों में भूगोल नहीं पढ़ाया जाता है;

(ग) क्या यह भी सच है कि दिल्ली में भूगोल शिक्षकों की कमी है; और

(घ) यदि हां, तो भूगोल शिक्षकों की सेवायें प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (घ). दिल्ली के शिक्षा प्राधिकारियों से अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायगी ।

दिल्ली में राजनीतिक पीड़ित

3693. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के राजनीतिक पीड़ित लोगों से 1966 में अब तक वित्तीय सहायता दिये जाने के लिये कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या आवेदन-पत्र समाचार पत्रों के माध्यम से मांगे गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि क्या थी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) 257.

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली में सरकारी बस्तियों में सभाओं पर पाबन्दी

3694. **श्री मधु लिमये :**

डा० राम मनोहर लोहिया :

श्री बागड़ी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में सरकारी तथा अर्द्ध-सरकारी बस्तियों में विभिन्न दलों द्वारा चुनाव प्रचार अथवा अन्य राजनीतिक कार्यों के लिये सभायें आयोजित किये जाने पर कोई पाबन्दी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). दिल्ली की सरकारी और अर्द्ध सरकारी बस्तियों में चुनाव प्रचार के लिये अथवा अन्य राजनीतिक सभायें करने पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है ।

दिल्ली में अध्यापकों का स्थायी बनाया जाना

3695. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को, जिनको सेवा करते 10 वर्ष से अधिक हो गये हैं, अभी तक स्थायी नहीं बनाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उनको शीघ्र स्थायी बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां । ऐसे दो अध्यापक हैं ।

(ख) इसका कारण यह है कि अध्यापक अभी तक सक्षम प्राधिकारी से आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे हैं । अध्यापकों को अब सूचित कर दिया गया है कि एक महीने के अन्दर आवश्यक प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने पर उनकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं ।

गोआ का विलय

3696. **श्री मधु लिमये** : **डा० राम मनोहर लोहिया** :
श्री बागड़ी : **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी** :
श्री किशन पटनायक :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है कि गोआ में आगामी आम चुनावों के परिणाम को इसका विलय करने अथवा पृथक राज्य बनाये रखने के मामले के बारे में जनता की अन्तिम इच्छा माना जाये;

(ख) क्या पांडिचेरी और अन्य फ्रांसीसी बस्तियों ने भी समीपवर्ती राज्यों में विलय के बारे में ऐसी ही मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो क्या पांडिचेरी में भी निर्वाचन-परिणामों को इस मुक्त कराये गये संघ राज्य-क्षेत्र के भविष्य के बारे में जनता का मत समझा जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी): (क) गोआ के भविष्य का निर्णय करने के बारे में कुछ कदमों के सम्बन्ध में अभी फैसले करने हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Opposition to Reorganisation of Punjab

3697. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Rameshwaranand :
Shri Raghunath Singh :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Akali Leader, Shri Mohan Singh Tur, has threatened

Government of dire consequences, if Punjab is divided on the basis of census figures of 1961 ;

(b) if so, the reaction of Government thereto ; and

(c) whether Government propose to reorganise all the States of the Country on the basis of language ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and the Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) and (b). No such threat held out by Shri Mohan Singh Tur has so far come to the knowledge of the Government.

(c) Language is not the only criterion for the formation of States and Government do not have any proposal to reorganise States on such basis.

Bomb Explosions on Railways

3698. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Rameshwaranand :
Shri Raghunath Singh :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Chief Minister of Assam said in a statement that the decision to explode bombs in railway trains has been taken by the leaders of the armed Naga hostiles ; and

(b) if so, Government's reaction thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and the Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) Yes, Sir.

(b) All necessary and possible security measures have been taken.

Arrest of Office-Bearers and Members of Goa Liberation Struggle

3699. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Rameshwaranand :
Shri Raghunath Singh :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that about 100 prominent members of the former Goa Freedom Movement were recently arrested ;

(b) whether it is also a fact that they had requested Government for their rehabilitation and when no action was taken on their request, they resorted to satyagraha ; and

(c) if so, the action taken by the Central Government in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri P. S. Naskar) : (a) Sixty three persons under the banner of the Freedom Fighter Association were arrested on 27th April, 1966 in Panjim.

(b) No, Sir.

(c) The question does not arise.

राजस्थान सशस्त्र पुलिस दल का साज-सामान

3700. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के भारत-पाकिस्तान संघर्ष के बाद से राजस्थान सशस्त्र पुलिस दल के संगठन और साज-सामान को सुव्यवस्थित करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या एक विवरण जिसमें की गई कार्यवाही का ब्योरा दिया गया हो, सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). राजस्थान सशस्त्र पुलिस दल जो पहले सीमा सुरक्षा कार्य में लगा था अब केन्द्रीकृत सीमा सुरक्षा दल के अंतर्गत आ गया है। इन दलों की कमियां दूर करने के लिये आवश्यक कदम उठाये गए हैं।

Incidence of T. B. Among Rickshaw-Pullers

3701. **Shri Madhu Limaye :** **Shri Bagri :**
Shri Kishen Pattnayak : **Dr. Ram Manohar Lohia :**

Will the Minister of **Labour, Employment and Rehabilitation** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 297 on the 2nd March, 1966 and the Half-an-Hour Discussion on the 12th April, 1966 and state :

(a) whether Government have since carried out any sample health survey among the Rickshaw-pullers to find out the incidence of T. B. and other diseases ; and

(b) the steps taken to convert cycle and hand-driven rickshaws to auto-rickshaws ; as also to provide alternative employment to such rickshaw-pullers ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) The State Governments have been addressed to ascertain if they have carried out any sample survey recently. Five State Governments have replied in the negative. Replies from other Governments are awaited.

(b) As auto-rickshaws are not being produced in adequate numbers and there is a great demand for them, and such conversion will take time and will be a slow process.

Results of Examinations

3702. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether the results of High Schools, Higher Secondary Schools and Intermediate examinations held in India are somewhat better this year as compared to those of the previous year ;

(b) whether Government have tried to find out the subjects in which students have failed more ; and

(c) whether any scheme to lessen the percentage of failures is under consideration ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) and (b). The information is not readily available and would have to be collected from all the Boards of Examination/ Universities conducting these examinations. In the Higher Secondary Examination of the Central Board of Secondary Education, New Delhi (information about which is available) the pass percentage for 1965-66 is almost the same as for 1964-65. They have analysed the results for 1965-66 and found that percentage of failures is relatively higher in English, Music, Physics, Chemistry and Commerce.

(c) Several schemes for qualitative improvement have been taken up with this object; such as improving the competance of teachers and preparation of better syllabii, text books and reading materials. In some fields where shortage of trained teachers has been most acutely felt, special courses have been taken up in Regional Colleges of Teachers' Education and other institutions.

Upgradation of Post of Home Secretary of Bengal

3703. **Shri Vishwa Nath Pandey:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2626 on the 23rd March, 1966 and state:

(a) whether any decision has since been taken on the proposal received from the West Bengal Government to upgrade the post of latter's Home Secretary to that of a Commissioner; and

(b) if so, the result thereof?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and the Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): (a) and (b). The matter is still under consideration.

गोरखपुर विश्वविद्यालय

3704. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय ने हाल में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो कितनी सहायता मांगी है; और

(ग) इस प्रार्थना के प्राप्त होने के बाद अब तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इस विश्वविद्यालय को कितनी धनराशि मंजूर की गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां ।

(ख) 3,71,728 रुपया 10 पैसे । इसके अतिरिक्त गोरखपुर विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत अनुमत्य अनुदानों के लिए भी आयोग से आवेदन किया है ।

(ग) 1-4-1966 से 20-8-1966 तक की अवधि के दौरान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 39,418 रुपये की रकम दी है ।

उद्योगपतियों और वैज्ञानिकों का सम्मेलन

3705. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **शिक्षा** मंत्री 20 अप्रैल, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3952 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उद्योगपतियों और वैज्ञानिकों के सम्मेलन में की गई सिफारिशों पर इस बीच विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख). उद्योगपतियों और वैज्ञानिकों के सम्मेलन द्वारा दी गई सिफारिशें अभी सरकार के सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों के विचाराधीन हैं ।

Divorce Cases in Union Territories

3706. **Shrimati Savitri Nigam**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of divorce cases decided in the Union Territories during the past five years and the number of applications submitted by men and women separately ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and the Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) Number of divorce cases decided during 1961-65 .. 1469

Number of applications submitted by men during 1961-1965 .. 630

Number of applications submitted by women during 1961-1965 906

उत्प्रवासी मजदूर

3707. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों से गये मजदूरों का अंडमान द्वीप समूह तथा भारत के अन्य, बन्दरगाहों में बिचौलियों द्वारा शोषण किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उनके हितों की रक्षा करने के बारे में उत्प्रवास श्रम-कल्याण संगठन क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) इस प्रकार के कोई भी मामले सरकार के ध्यान में नहीं आए हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

प्रशिक्षण संस्थाएं

3708. **श्रीमती सावित्री निगम :** क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके मंत्रालय द्वारा चलाई जाने वाली प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी पर कितना व्यय किया जाता है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : एक प्रशिक्षणार्थी पर होने वाला प्रशिक्षण खर्च, प्रशिक्षण संस्था का आकार, राज्य सरकार के नियमों के अधीन मिलने वाला वेतन-क्रम, व्यवसाय और प्रशिक्षण अवधि के अनुसार घटता-बढ़ता है। विभिन्न मदों पर होने वाले खर्च के लिए स्वीकृत मापदण्ड के अनुसार, हिसाब लगाया गया है कि एक प्रशिक्षणार्थी पर एक माह में अधिकतम रु० 78·10 पैसे खर्च होते हैं। खर्च के उपरोक्त आंकड़े रु० 78·10 पैसे प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रतिमाह, आवर्तक खर्च के हैं और इसमें इमारत, औजार व साज-सामान, फर्नीचर आदि पर होने वाला अनावर्तक खर्च शामिल नहीं है, जिसे प्रति प्रशिक्षणार्थी के हिसाब से नहीं बताया जा सकता।

सभा में गणपूर्ति के बारे में विधेयक

3709. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **संसद्-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने संसद् को आश्वासन दिया था कि सभा में गणपूर्ति के बारे में संविधान के उपबन्धों में संशोधन करने के हेतु एक विधेयक शीघ्र प्रस्तुत किया जायगा; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित विधेयक के कब तक प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है ?

संसद्-कार्य तथा संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) और (ख). सभा में गण-पूर्ति के बारे में संविधान के उपबन्धों में संशोधन करने के हेतु विधेयक प्रस्तुत करने के प्रश्न पर अच्छी तरह विचार करके सरकार ने यह निश्चय किया है कि इस समय लोक सभा में ऐसा विधेयक प्रस्तुत करना वांछनीय नहीं है। इस मामले को नई लोक सभा, जो अगले वर्ष के आरंभ में चुनी जायगी, के फैसले के लिए रखना उचित होगा।

राष्ट्रीय जीव-विज्ञान की नई प्रयोगशाला

3710. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री हेमराज :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांगड़ा घाटी में एक राष्ट्रीय जीव-विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित करने का निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रयोगशाला को स्थापित करने के लिए क्या समय सूची निर्धारित की गई है तथा उस पर कितना खर्च आयेगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रयोगशाला को स्थापित करने की समय सूची या उसकी लागत के बारे में इस समय बताना कठिन है ।

कर्मचारियों के लिए अनिवार्य बीमा योजना

3711. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में कर्मचारियों के लिए अनिवार्य बीमा योजना को सरकार ने क्रियान्वित किया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) और (ख). यह स्पष्ट नहीं है कि माननीय सदस्य का तात्पर्य किस योजना के बारे में है । कर्मचारी राज्य बीमा योजना, जो कि औद्योगिक कर्मचारियों के लिए अनिवार्य बीमा योजना है, 1962 से चालू है । कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत खतरनाक धन्धों में नियोजक द्वारा उसके दायित्व का अनिवार्य बीमा कराने की व्यवस्था सम्बन्धी एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

दिल्ली में नये स्कूलों का खोला जाना

3712. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विद्यार्थियों की बढ़ी हुई संख्या को स्कूलों और कालेजों में दाखिला मिल सके, इसके लिए दिल्ली में वित्तीय वर्ष में कितने स्कूल खोलने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : खोले गये स्कूल इस प्रकार हैं :–

प्राथमिक स्कूल	67
मिडिल स्कूल (विद्यमान प्राथमिक स्कूलों का दर्जा बढ़ाकर)	31
हायर सेकेण्डरी स्कूल	15

दिल्ली के न्यायालयों में भ्रष्टाचार

3713. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के न्यायालयों में भ्रष्टाचार के मामले प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार क्या उपाय कर रही है और 1965-66 में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). यह कहना ठीक नहीं है कि दिल्ली के न्यायालयों में भ्रष्टाचार के मामले बढ़ रहे हैं। दिल्ली के सतर्कता निदेशालय ने दिल्ली के न्यायाधीशों के न्यायालयों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उपाय किये हैं। इन उपायों में न्यायालयों के ऐसे कर्मचारियों की बदली जिन पर दलालों से मिले होने का शक था, दलालों की गतिविधियों को कम करने के उपाय और जिला न्यायाधीश तथा अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा अचानक निरीक्षण किया जाना शामिल हैं। जब कभी दीवानी न्यायालयों के कर्मचारियों की तरफ से भ्रष्टाचार के बारे में कोई शिकायत होती है तब दिल्ली प्रशासन की भ्रष्टाचार-विरोधी शाखा द्वारा आवश्यक कार्य-वाही की जाती है। जब कभी दिल्ली प्रशासन द्वारा भ्रष्टाचार रोकने के लिए कोई कदम उठाये जाते हैं तब दिल्ली के जिला तथा सत्र न्यायाधीश को भी उनके बारे में की जाने वाली बैठकों में बुलाया जाता है। 1965-66 के दौरान न्यायाधीशों के न्यायालयों के 5 कर्मचारी गिरफ्तार किये गये।

दिल्ली में हत्याएं तथा कारों और स्कूटरों की चोरी के मामले

3714. **श्री सोनावने :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री बड़े :
श्री यु० द० सिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बूटा सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में हत्याओं तथा कारों और स्कूटरों की चोरी के मामले बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो जनवरी 1966 से अब तक कितनी कार और स्कूटर चुराये गये; और

(ग) इन बढ़ते हुए अपराधों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). 1-1-66 से 31-7-66 तक की अवधि के लिए और 1965 की इसी अवधि के लिए हत्याओं तथा कारों और स्कूटरों की चोरी के मामलों की संख्या इस प्रकार हैं :—

अवधि	कारों की चोरी	स्कूटरों की चोरी	हत्याएं
1-1-66 से 31-7-66 तक	68	84	42
1-1-65 से 31-7-65 तक	63	67	48

(ग) कारों तथा स्कूटरों की चोरी की घटनाओं में वृद्धि का सामना करने के लिए निम्न-लिखित उपाय किये गये हैं :—

(i) कारों के अतिरिक्त अन्य ओटो गाड़ियों की चोरी के मामलों की देख-भाल करने के

लिए तीन पुलिस जिलों के प्रत्येक जिले में एक-एक अलग विशेष दल (स्क्वैड) बनाया गया है। सी० आई० डी० की क्राइम शाखा का ओटो थेप्टे स्क्वैड अप्रैल 1963 से कारों की चोरी के मामलों की जांच कर रहा है।

(ii) अपराधियों को पकड़ने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में सफेद कपड़ों में पुलिस कर्मचारी भेजे जाते है।

(iii) प्रभावित थानों के क्षेत्रीय अधिकारियों तथा बीट के सिपाहियों को निदेश दिया गया है कि वे स्कूटरों तथा कारों की चोरियों के बारे में सतर्क रहें।

(iv) पुलिस वालों द्वारा सादी वर्दी में अपराधियों को पकड़ने के लिए कभी-कभी जाल बिछाया जाता है।

(v) स्थानीय पुलिस की सहायता करने के लिए कारों/स्कूटरों की चोरियों के मामलों में पूर्व दण्डित अथवा संदेहास्पद व्यक्तियों की गतिविधियों पर क्राइम ब्रांच द्वारा कड़ी नजर रखी जाती है।

(vi) कार के पुराने पुर्जे बेचने वाले व्यापारियों पर भी कड़ी नजर रखी जाती है।

(vii) मोटर गाड़ियों के पुर्जों का व्यापार करने वालों तथा अन्य साधनों से सूचना एकत्रित की जाती है।

(viii) जांच के लिए दिल्ली पुलिस कलकत्ता तथा बम्बई पुलिस से सम्पर्क बनाये हुये है।

निर्वाह व्यय सूचकांक

3715. **श्री मधु लिमये :** **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री बागड़ी : **श्री किशन पटनायक :**

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रमजीवी वर्गों के लिए निर्वाह-व्यय सूचकांक की गणना के आधार में कितने राज्यों ने सुधार कर लिया है;

(ख) क्या उन राज्यों को, जिन्होंने अभी तक देशनांक में शुद्धि नहीं की है, केन्द्र ने तुरन्त ऐसा करने को कहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में इन राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां): (क) महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान की सरकारों तथा दिल्ली प्रशासन ने औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में पहले ही सुधार कर दिया है।

(ख) और (ग). आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य सरकार द्वारा तैयार किये गये सूचकांक

की पुरानी सीरीज की, जिसमें हैदराबाद के सूचकांक की पुरानी सीरीज भी शामिल है, जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की। (यह अखिल भारतीय सूचकांक की आधार सीरीज है)। उस समिति की रिपोर्ट राज्य सरकार के विचाराधीन है।

मद्रास सरकार ने भी मद्रास केन्द्र के सूचकांक की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की है।

केरल सरकार त्रिचूर केन्द्र के बारे में आवश्यक कदम उठा रही है।

जहां तक अखिल भारतीय सूचकांक की अंतरिम सीरीज में समाविष्ट शेष केन्द्रों अर्थात् कलकत्ता, कानपुर, बंगलौर और मैसूर का सम्बन्ध है, इन केन्द्रों की सीरीज का पुनरीक्षण करने के लिए एक एकक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने का विचार है।

भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत लोगों का नजरबन्द किया जाना

3716. **श्री किशन पटनायक :**
श्री दाजी :
श्री मधु लिमये :
श्री राम सेवक यादव :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री बागड़ी :
श्री इम्बीचिबावा :
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय विभिन्न राज्यों में भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत कितने व्यक्ति नजरबन्द हैं;

(ख) उनमें से कितने साम्यवादी (मार्क्सवादी) हैं और कितने अन्य राजनीतिक दलों के कार्यकर्त्ता हैं;

(ग) कितने व्यक्तियों पर चीन तथा पाकिस्तान के जासूस होने का आरोप लगाया गया है; और

(घ) किसी अन्य वर्ग के अन्तर्गत जिन व्यक्तियों पर आरोप लगाया गया है उनकी संख्या कितनी है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी): (क) से (घ). 31 जुलाई, 1966 की स्थिति के अनुसार 701 व्यक्ति नजरबन्द हैं जिनमें से आसाम और जम्मू तथा काश्मीर में 657 हैं। किसी नजरबन्द व्यक्ति पर 1962 के भारत रक्षा नियमों के नियम 30 के अधीन स्पष्ट अपराध का आरोप लगाए जाने का कोई प्रश्न नहीं है। उन्हें जासूसी से रोकने के लिए (37 को) और राष्ट्रीय हितों के लिए हानिकारक गतिविधियों से रोकने के लिए (664 को) नजरबन्द किया गया है। आसाम में नजरबन्द व्यक्तियों

में से अधिकांश का सम्बन्ध मिजो नेशनल फ्रंट से है और जम्मू तथा काश्मीर में नजरबन्द व्यक्तियों का जनमत संग्रह मोर्चे तथा अन्य स्थानीय दलों से। कोई साम्यवादी (मार्क्सवादी) नजरबन्द नहीं है।

सस्ती आयातित पुस्तकें

3717. **श्री बागड़ी :**
श्री मधु लिमये :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सस्ती आयातित पुस्तकों का भारत में पुस्तकों की कम बिक्री पर पड़ने वाले प्रभाव की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार ने कुछ स्वीकृत पाठ्य-पुस्तकों और अन्य पुस्तकों को भारत में ही छापने के लिये कुछ विदेशी प्रकाशकों को आमंत्रित किया है ताकि विदेशी मुद्रा बचाई जा सके;

(ग) क्या सरकार ने लाभप्रद और सस्ती पुस्तकों के स्थानीय प्रकाशकों को कोई राज-सहायता देने का प्रस्ताव रखा है और यदि हां, तो इस राजसहायता का क्या ब्योरा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। किन्तु अनुमोदित मानक अमरीकी पुस्तकों के भारत में कम कीमत के संस्करण निकालने के लिए, सरकार अमरीकी सरकार से सहयोग कर रही है।

(ग) और (घ). जी हां। किन्तु योजना की हाल ही में पुनः जांच की गई है और संशोधित योजना के ब्योरे तैयार किये जा रहे हैं।

वस्तर कांड के बारे में प्रतिवेदन

3718. **श्री बागड़ी :** **श्री किशन पटनायक :**
श्री मधु लिमये : **डा० राम मनोहर लोहिया :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाण्डे आयोग ने वस्तर कांड के बारे में, जिसमें भूतपूर्व महाराजा प्रवीण चन्द्र भंजदेव मारे गये थे, अपना प्रतिवेदन अथवा कोई प्रारम्भिक प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी): (क) जी नहीं। किन्तु प्रतिवेदन मध्य प्रदेश सरकार को दिया जायगा जिसने आयोग को नियुक्त किया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

नई दिल्ली के जनरल पोस्ट आफिस से डाक के थैले का गुम हो जाना

3719. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई, 1966 में जनरल पोस्ट आफिस, नई दिल्ली से एक डाक का थैला गुम पाया गया;

(ख) यदि हां, तो इस थैले में क्या-क्या था और उसमें कितनी धनराशि थी; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) जी हां, 18 मई, 1966 को नई दिल्ली प्रधान डाक घर से एक थैला गुम हुआ था।

(ख) थैले में चार मनीआर्डर फार्म, एक रजिस्ट्री पत्र और एक मोहरबन्द तथा ताला लगा हुआ चमड़े का नकदी थैला था जिसमें 193.00 रुपये के करेंसी नोट थे। हानि की रकम 193.00 रुपये है।

(ग) इस मामले की रिपोर्ट पुलिस में कर दी गई है और उनकी तहकीकात जारी है। फिर भी, जिस कर्मचारी के संरक्षण से यह थैला गुम हुआ था उसने हानि की रकम जमा कर दी है।

Overstaying by a Pakistani National

3720. **Shri Rameshwaranand :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Raghunath Singh :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Pakistani National has been arrested at Allahabad for his illegal stay in India as reported in "Vir Arjun" on the 13th May, 1966;

(b) if so, the nature of his anti-national activities ;

(c) the name of the owner of the factory where he was employed ; and

(d) the action taken against the owner of the factory?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and the Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) Yes, Sir.

(b) He has not come to notice for anti-national activities.

(c) He was employed in the Geep Flashlight Factory owned by Shri M. R. Shervani, M. P.

(d) No action has been taken against the owner of the factory in the absence of any evidence of the commission of an offence by him.

दिल्ली में अवैध शराब का पकड़ा जाना

3721. **श्री रामेश्वरानन्द :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 12 मई, 1966 के 'नवभारत टाइम्स' में प्रकाशित समाचार के अनुसार दिल्ली के सराय रोहिल्ला क्षेत्र में 10 दारू चोर गिरफ्तार किये गये थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि जे० जे० कालोनी की झोपड़ियों में लगभग 150 मन अवैध शराब पकड़ी गई थी;

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या केन्द्रीय गुप्तचर विभाग ने नई दिल्ली में पंचकुई रोड के टांगा स्टैण्ड पर भी शराब की 244 बोतलें पकड़ीं थीं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) सराय रोहिल्ला पुलिस ने तीन मामलों में शामिल केवल तीन औरतों को 11 मई, 1966 को गिरफ्तार किया था ।

(ख) 246 बोतलें अवैध शराब तथा 192 मन लाहन बरामद की गई ।

(ग) आबकारी अधिनियम के अधीन सराय रोहिल्ला थाने पर तीन मामले दर्ज किये गये ।

(घ) दिल्ली पुलिस के विशेष दस्ते ने नई दिल्ली में रामकृष्ण मार्ग के म्युनिस्पिल तांगा स्टैन्ड पर प्लासटिक की तीन ट्यूबें पकड़ीं जिनमें 244 बोतल अवैध शराब थी ।

सरकारी कार्यालयों में हिन्दी कक्षाएं

3722. **श्री मौर्य :**
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन सरकारी कर्मचारियों को, जो उनके मंत्रालय द्वारा आरम्भ की गई हिन्दी कक्षाओं में भाग लेते हैं, प्रोत्साहन देने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या प्रोत्साहन दिया जायेगा और ऐसी योजना के बारे में सरकारी कर्मचारियों की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) जी हां ।

(ख) (i) प्रवीण और प्राज्ञ परीक्षा में अच्छे अंक लेकर उत्तीर्ण होने पर 100 रु० से 300 रु० तक का नकद पारितोषिक सरकारी कर्मचारियों को दिये जाते हैं।

(ii) हिन्दी प्रशिक्षण योजना के अधीन संचालित हिन्दी प्राज्ञा, हिन्दी-टाइप तथा हिन्दी आशुलिपिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों को एक वार्षिक वेतन वृद्धि के बराबर व्यक्तिगत वेतन में वृद्धि दी जाती है जो कि भविष्य में उसके वेतन में शामिल कर ली जाती है।

(iii) हिन्दी प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत हिन्दी आशुलिपिक तथा आशु-टाइपिस्ट परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर अराजपत्रित आशुलिपिकों, जिनकी मातृ भाषा हिन्दी नहीं है दो वार्षिक वृद्धियों बराबर व्यक्तिगत वेतन वृद्धि दी जाती है जो भविष्य में उसके वेतनों में शामिल हो जाती है।

(iv) हिन्दी परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर सक्रिय सुरक्षा कर्मचारियों को 75 रु० से 100 रु० तक की एक मुश्त की राशि दी जाती है।

जनवरी, 1965 तक सरकारी कर्मचारियों की प्रतिक्रिया बहुत सन्तोषजनक थी। किन्तु हिन्दी प्रशिक्षण में भर्ती तथा उपस्थित की संख्या में पिछले वर्ष से कुछ गिरावट हुई है।

दिल्ली में बस स्टापों पर टेलीफोन

3723. **श्री मौर्य :** **श्री श्रीनारायण दास :**
डा० राम मनोहर लोहिया : **श्रीमती जयाबेन शाह :**
श्री बागड़ी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में बस स्टापों पर जनता के प्रयोग के लिए टेलीफोन लगाने के सम्बन्ध में कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य पर कुल कितनी धनराशि खर्च किये जाने की संभावना है; और

(ग) इस योजना को कब तक अन्तिम रूप दिये जाने की सम्भावना है ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) से (ग). राजधानी में बस स्टापों पर जनता के इस्तेमाल के लिए टेलीफोन लगाने की कोई भी योजना विचाराधीन नहीं है।

फिर भी दिल्ली परिवहन अधिकारियों से विचार-विमर्श करने पर जनरल मैनेजर, टेलीफोन, दिल्ली द्वारा यह निश्चय किया गया है कि प्रयोग के तौर पर काश्मीरी गेट बस टर्मिनस पर टाइम कीपर बूथ पर एक सिक्का बक्स सार्वजनिक टेलीफोन घर स्थापित किया जाए। इस यंत्र की देखभाल दिल्ली परिवहन अधिकारियों द्वारा की जाएगी। अन्य ऐसे ही स्थानों पर इस सुविधा के विस्तार करने के प्रश्न पर तभी विचार किया जायगा जबकि इस प्रयोग के परिणाम उत्साहवर्द्धक होंगे अर्थात् इससे प्राप्त होने वाला राजस्व इस पर खर्च होने वाले व्यय के बराबर हो और उपस्कर की तोड़-फोड़ न की जाए।

अन्तर्राष्ट्रीय समाज सुरक्षा सम्मेलन

3724. **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री 9 मार्च, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 417 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय समाज सुरक्षा के दूसरे प्रादेशिक सम्मेलन के संकल्पनों तथा निर्णयों पर सरकार ने और आगे विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या-क्या मुख्य निर्णय किये गये हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) अन्तर्राष्ट्रीय समाज सुरक्षा संघ के एशिया तथा ओशेनिया सम्बन्धी दूसरे क्षेत्रीय सम्मेलन में लिए गये निर्णय अब प्राप्त हो गये हैं और उनपर विचार किया जा रहा है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

ग्रामीण क्षेत्रों में अंग्रेजी का अध्यापन

3725. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**
श्री रिशांग किशिंग :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पता है कि नगरीय क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में अंग्रेजी के अध्यापन की सुविधाएं नगण्य हैं;

(ख) यदि हां, तो इस भेद भाव पूर्ण नीति के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस भेदभाव को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) पिछले कुछ वर्षों में, ग्रामीण क्षेत्रों में भी, शैक्षिक सुविधाओं का काफी विस्तार हुआ है और यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा इन क्षेत्रों में अंग्रेजी शिक्षण की सुविधाएं नगण्य हैं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

Fitness of Graduates to Compete in Examinations

3726. **Shri Sidheshwar Prasad :**
Shri Rishang Keishing :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the observation made by the U.P.S.C, that more than 20 per cent. of Graduates are not fit for taking competitive examinations ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the action being taken to raise the falling standard of education ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) No such observation of the Union Public Service Commission has come to the notice of the Government.

(b) Does not arise.

(c) The University Grants Commission has taken a number of steps to raise the standard of higher education. Some of these are setting up of Centres of Advanced Study, appointment of Review Committees in different subjects to examine the problems relating to the improvement of the standards of education and research in the fields of higher education; conducting of Summer Institutes and Seminars; Institution of Scholarships and Fellowships; financial assistance to Universities and Colleges for development and strengthening of facilities such as libraries and laboratories and revision of salary scales of teachers.

Indian Languages Committee

3727. **Shri Sidheshwar Prasad :**
Shri Rishang Keishing :

Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 189 on the 16th February, 1966 and state :

(a) whether the Indian Languages Committee has been constituted and, if so, the names of the Members thereof; and

(b) the number of meetings held by the Committee and the subjects discussed at these meetings ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan): (a) Yes, Sir. Names of Members are given in the list attached. **[Placed in Library. See No. L.T.-6963/66].**

(b) No meeting of the Committee has yet been held.

पेट्रोलियम का उत्पादन

3728. **श्री गुलशन :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम की खोज करने वाले एक भारतीय दल को आसाम राज्य में सफलता मिली है ; और

(ख) यदि हां, तो किस हद तक और 1966 में कितने पेट्रोलियम के उत्पादन की संभावना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) आसाम में एक नहीं किन्तु कई भारतीय खोज करने वाली पार्टियां हैं जिन्हें पेट्रोलियम की खोज में सफलता मिली है ।

(ख) यद्यपि उत्पादन सम्भाव्य प्रतिवर्ष 3 मिलियन मीटरी टन से अधिक है, फिर भी शोधनशालाओं की वर्तमान खपत के कारण 1966 में वास्तविक उत्पादन को 2.2156 मिलियन मीटरी टन तक प्रतिबन्धित रखा गया है ।

केन्द्रीय जांच विभाग में सब-इन्सपेक्टरों की भर्ती

3729. **श्री गुलशन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री 20 अप्रैल, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4082 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशक से हाल में ही कहा गया है कि वह केन्द्रीय जांच विभाग में सब इन्सपेक्टरों के पद पर भर्ती के लिये प्रथम श्रेणी के स्नातकों के नामों की ही सिफारिश करें; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं जबकि पहले दिये गये उत्तर के अनुसार इस पद के लिये न्यूनतम अर्हता "इन्टरमीडिएट" अथवा "हायर सेकेन्डरी" निर्धारित थी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) यह आवश्यक है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो जैसे संगठन में नियुक्ति के लिये चयन-क्षेत्र में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति ही लिये जायें क्योंकि इस ब्यूरो में किया जाने वाला जांच कार्य जटिल प्रकृति का होता है । अनुभव से पता चला कि केन्द्रीय जाँच ब्यूरो में सब इंस्पेक्टर पद पर नियुक्ति के लिये उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवार उपलब्ध हैं । अतः रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशक से अनुरोध किया गया कि यद्यपि न्यूनतम योग्यता इन्टरमीडिएट अथवा हायर सेकेण्डरी है, तब भी वे प्रथम श्रेणी के अथवा पाठचर्यातिरिक्त गतिविधियों वाले द्वितीय श्रेणी स्नातकों के नामों की ही इन पदों में भर्ती के लिये सिफारिश करें ।

Kidnapping of an Indian Soldier By Pakistanis

3730. **Shri Raghunath Singh :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a group of armed Pakistanis kidnapped an Indian soldier from Dinahata Police Station area in Cooch-Behar as reported in 'Vir Arjun' dated the 16th May, 1966 ;

(b) whether it is also a fact that the rifle and 50 cartridges of the person concerned were taken away ;

(c) if so, the action taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). On May 13, 1966 at about 16-00 hrs. an Indian patrol consisting of one head constable and three constables had, in the course of patrolling, inadvertently crossed into Pakistan territory at village Pathardubi Police Station, Bhurangamari, District Rangpur (East Pakistan). As soon as they realised their mistake they hastened to return to Indian territory. While they were returning, one of the constables, who was a few yards behind the others, was suddenly surrounded and seized by 15 Pakistan nationals and taken away along with his rifle and 50 rounds of ammunition.

(c) The Government of Pakistan have been requested to return the constable to India along with his rifle and ammunition.

Raid by Armed Mizo Rebels

3731. **Shri Rameshwaranand :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Raghunath Singh :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that sixty armed Mizo Rebels attacked the Dhulakhal village situated on the Kachar border in the second week of May, 1966 ;

(b) whether, as a result, many cattleheads were killed and considerable amount of cash and property looted by them ;

(c) whether it is also a fact that one person was killed and another person was kidnapped by them ; and

(d) if so, the extent of loss suffered and the action taken in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (d). On May 8, 1966, at about 19-00, hours about 60 Mizo hostiles raided Dholahkel village under Dholai outpost and started firing indiscriminately towards the village. As a result, some cattle were killed. The hostiles looted some rice and other food-stuffs and kidnapped one person. Security arrangements have been further tightened in the area.

Allowances Drawn by Cabinet Ministers

3732. **Shri Ram Sewak Yadav :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the amount of allowances drawn by all the members of the Cabinet between 1957 and 1962 ;

(b) the allowances drawn by all the members of the Cabinet and Ministers of State individually from 1962 to July, 1966 ; and

(c) whether it is a fact that the members of the Cabinet formed in 1962 drew more allowances than the members of the cabinet formed in 1957 in spite of the Emergency during which even the whitewashing of M. Ps residences was stopped for a certain period ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) A Statement containing the information is attached. **(Placed in Library See No. LT-6964/66).**

(b) and (c) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

नई उर्वरक परियोजनाओं का आयोजन तथा विकास

3733. **श्री सुबोध हंसदा :** **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री म० ला० द्विवेदी :**

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम का योजना तथा विकास डिवीजन नई उर्वरक परि-

योजनाओं की योजना तथा विकास में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो नई परियोजनाओं के सम्बन्ध में इसके काम को दृष्टि में रखते हुये वर्ष 1965-66 में तथा 1966-67 में अब तक कुल कितनी विदेशी मुद्रा बचाई गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी हां ।

(ख) 1965-66 में अनुमानित विदेशी मुद्रा बचत लगभग 1.6 करोड़ रुपये है। 1966-67 में बचत की जाने वाली विदेशी मुद्रा का पता केवल वर्ष के अन्त में लग सकेगा ।

Pay Scale of Teachers in Delhi

3734. **Shri Bhagwat Jha Azad :** **Shri Sonavane :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Shri Raghunath Singh :**

Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4555 on the 27th April, 1966, and state :

(a) whether the report of the Delhi Administration regarding the pay scales of teachers in Delhi has been received ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if the reply to part (a) above be in the negative, the further time likely to be taken ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) No, Sir. The report is expected shortly.

(b) and (c) : Question does not arise.

Arrest of Pakistani Smuggler

3735. **Shri Bhagwat Jha Azad :** **Shri Sonavane :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Shri Raghunath Singh :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Pakistani smuggler was caught about 40 miles away from Jammu in May, 1966 :

(b) whether this person was involved in the disruptive activities ; and

(c) if so, the action taken in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and the Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) Yes, Sir.

(b) The matter is under investigation.

(c) He has been detained.

Abduction of a Girl

3736. **Shri Bhagwat Jha Azad :** **Shri Sonavane :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Shri Raghunath Singh :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in May, 1966, some goondas abducted a 17 year old girl who

was returning from her duty at Delhi Milk Scheme Depot on Reading Road, in a taxi and treated her in most inhuman manner ;

(b) whether it is also a fact that two persons have been arrested in this connection ; and

(c) if so, the action taken in the matter ;

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Two persons kidnapped a girl of about 18 years from near Haig Square on 28.5.66 while she was returning home after her duty at a Milk Booth of the Delhi Milk Scheme. They are also alleged to have criminally assaulted her.

(b) and (c). Three persons were arrested and they are facing trial in the court.

Arrest of a Pakistani in Hardwar

3737. **Shri Bhagwat Jha Azad :** **Shri Sonavane :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Shri Raghunath Singh :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the police arrested a Pakistani named Mahmood in Hardwar as reported in 'Vir Arjun' of the 30th May, 1966 ;

(b) whether it is also a fact that he was residing there for the past three years without any passport ;

(c) if so, the name of the person with whom he was residing ; and

(d) the action taken in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and the Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) Yes, Sir.

(b) He was residing there for the past 2½ years without any passport.

(c) He was residing independently in a rented house.

(d) A case under the Foreigners' Act 1946 has been registered and is now before a court of law.

पत्तन तथा गोदी श्रम बोर्ड

3738. **श्री कोल्ला वैंकैया :** क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्तन न्यास तथा श्रम बोर्डों के, जो कि किसी एक ही सरकार के अधीन होगा, प्रशासन की समेकित प्रणाली की स्थापना के सम्बन्ध में सरकार ने कोई निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या भारतीय पत्तन, गोदी तथा जल पत्तन कर्मचारी संधान द्वारा व्यक्त विचारों तथा दिये गये सुझावों पर सरकार ने पुनर्विचार कर लिया है और यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) से (ग). जी हां । यह तय किया गया है कि पत्तन तथा गोदी प्रशासन में आगे किसी संगठनात्मक-परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पत्तन ट्रस्टों के अध्यक्ष गोदी-श्रम-बोर्डों के भी अध्यक्ष हैं ।

(घ) जी हां । पोर्ट, डौक और वाटर-फ्रंट वर्क्स फेडरेशन आफ इन्डिया द्वारा उठाये गये सवालों के बारे में एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 6965/66]

मिदनापुर में अनाज का लूटा जाना

3739. **श्री कृष्णपाल सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई के अन्तिम सप्ताह में मिदनापुर जिले में अनाज और अन्य खाद्य पदार्थों के लूटे जाने की अनेक घटनायें हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) ये घटनाएं अराजक तत्वों के प्रचार तथा उत्तेजना का परिणाम थीं जिन्होंने उस समय चल रही चावल की कमी का दुरुपयोग करने की चेष्टा की थी ।

(ग) राज्य सरकार ने पश्चिम बंगाल की अनाज सम्बन्धी समस्त आवश्यकताओं के लिये केन्द्र से मांग की है किन्तु इस मामले में खासतौर पर उन्होंने कोई मांग नहीं की ।

सैनिक इंजीनियरी सेवाओं में भ्रष्टाचार-विरोधी अभियान

3740. **श्री राम हरख यादव** :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच विभाग ने सैनिक इंजीनियरी सेवा में भ्रष्टाचार-विरोधी अभियान आरम्भ किया है ;

(ख) यदि हां, तो जांच तथा इससे सम्बद्ध अधिकारियों सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या एक बहुत बड़े अधिकारी को पकड़ा गया है और उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने की सिफारिश की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी): (क) जी हां। सैनिक इंजीनियरी सेवा उन विभागों में से एक है जिन्हें 1965 और 1966 में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा विशेष ध्यान देने के लिये चुना गया था।

(ख) वर्ष 1965 और वर्ष 1966 के पूर्वार्द्ध में सैनिक इंजीनियरी सेवा के अधिकारियों के खिलाफ की गई केन्द्रीय जाँच ब्यूरो की जांचों का परिणाम इस प्रकार रहा :

	मामलों की संख्या	सम्बन्धित अधिकारियों की संख्या	
		राजपत्रित	अराजपत्रित
(i) जांच पड़ताल के लिये हाथ में लिये गए नए मामले	50	28	47
(ii) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा 30.6.66 तक निपटाये गये मामले	19	10	17
(iii) जिन मामलों में मुकदमे चालू किए गये	1	1	—
(iv) ऐसे मामले जो विभागीय कार्यवाही के लिये भेजे गये	12	6	12
(v) जो ऐसी कार्यवाही के लिये भेजे गये जिसकी विभागों द्वारा सिफारिश की गई।	6	3	5

(ग) सैनिक इंजीनियरी सेवा के एक भूतपूर्व मुख्य इंजीनियर के खिलाफ एक मामले में जांच पूरी कर ली गई है और मामला केन्द्रीय सतर्कता आयोग को इस मामले में आगे की जाने वाली कार्यवाही के बारे में सलाह के लिये भेजा गया है।

आयोगों पर व्यय

3741. **श्री गुलशन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने विभिन्न आरोपों और शिकायतों की जांच करने तथा प्रशासनिक अध्ययन, दुर्घटनाओं अथवा अन्य मामलों की जांच करने के लिये अपने द्वारा नियुक्त किये गये आयोगों पर वर्ष 1956 से अब तक कितना धन व्यय किया है ; और

(ख) वर्ष 1956 से अब तक सरकार ने उन आयोगों की कितनी सिफारिशें स्वीकार नहीं की हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी।

पटना में टेलीफोन सेवायें

3742. **श्री विभूति मिश्र:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना से प्रकाशित 6 जून, 1966 'इन्डियन नेशन' में "पटना टेलीफोन सेवाओं को बहिरेपन की बीमारी लग गई है" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इन सेवाओं में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां।

(ख) इस सम्बन्ध में की गई जांच-पड़ताल से यह पता चलता है कि पटना की टेलीफोन सेवा सन्तोषजनक रही है ।

(ग) सेवा के स्तर पर कड़ी निगाह रखी जाती है और उसमें सुधार के प्रयत्न किये जाते हैं । इस सम्बन्ध में किये गये कुछ प्रयत्न इस प्रकार हैं:—

(i) मौजूदा टेलीफोन केन्द्रों का विस्तार तथा जहां तक संभव हो नये टेलीफोन केन्द्रों की स्थापना ।

(ii) दीनापुर के मौजूदा करचल टेलीफोन केन्द्र के स्थान पर स्वचल टेलीफोन केन्द्र की स्थापना ।

(iii) ट्रंक केन्द्र का विस्तार ।

(iv) विभिन्न स्तरों पर कड़ा पर्यवेक्षण ।

फिर भी पटना की टेलीफोन सेवा का विस्तार भारत के अन्य शहरों की ही तरह उपलब्ध साधनों द्वारा सीमित होता है ।

केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा घूसखोरों पर जाल बिछाया जाना

3743. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पटना से निकलने वाले 6 जून, 1966 के 'इन्डियन नेशन', में 'केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा पकड़े गये 5 घूसखोर' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न विभागों में कितने व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया; और

(ग) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्य सरकारों में केन्द्रीय जांच विभाग सेवा आरम्भ करने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) इन पांच मामलों में सरकारी कर्मचारी और एक गैर-सरकारी व्यक्ति शामिल हैं। इनका निम्नलिखित विभागों से सम्बन्ध है:—

(1) दिल्ली नगर निगम (संघराज्य क्षेत्र)	1
(2) संचार मंत्रालय	1
(3) रेलवे मंत्रालय	3

(ग) राज्यों में भ्रष्टाचार विरोधी संगठन है और जब कभी जरूरत पड़ती है राज्य सरकारों को केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारियों की सेवायें भी उपलब्ध होती हैं।

आदिम जाति लोगों सम्बन्धी नीति

3744. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम के विधान मण्डलों के सदस्यों में आदिम जाति लोगों सम्बन्धी नीति के बारे में मतभेद है ;

(ख) क्या इसके बारे में उन्होंने प्रधान मंत्री को तथा उनको सूचित कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा प्रशासनिक स्थितियों को सुदृढ़ करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) उक्त विधान मण्डल के विरोधी दल का एक भाग आदिम जातियों के बारे में आसाम सरकार की नीति का समर्थन नहीं करता।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिये कई उपाय किये गए हैं।

1 मार्च, 1966 की स्थिति के अनुसार तीन प्रशासनिक केन्द्रों के मुकाबले इनकी संख्या 10 कर दी जायगी। कुछ की स्थापना पहले ही की जा चुकी है और अन्य स्थापना की प्रक्रिया में हैं। उपायुक्त को मिजो पहाड़ियों के लिये सम्भरण तथा परिवहन सम्बन्धी मामलों में सहायता देने के लिए सिल्चर में अलग से एक वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त किया गया है।

पाकिस्तानियों द्वारा जबरदस्ती ले जाये गये मवेशी

3745. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** **श्री बड़े :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय : **श्री हुकम चन्द कछवाय**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 6 जून, 1966 को जलपाईगुड़ी जिले में राजगंज पुलिस

स्टेशन के अन्तर्गत भारतीय क्षेत्र गिरिगोच में से भारी संख्या में पाकिस्तानी नागरिक अवैध रूप से प्रवेश करके कुछ भारतीय चरवाहों का अपहरण करके मवेशियों को जबरदस्ती ले गये ;

यदि हां, तो इस प्रकार अपहृत किये गये चरवाहों तथा मवेशियों की कुल संख्या कितनी थी ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). 6 जून, 1966 को 4 पाकिस्तानी जलपाईगुड़ी जिले में राजगंज थाने के अन्तर्गत गिरिगोच पर भारतीय क्षेत्र में अवैध रूप से घुस आये और 35 मवेशियों को हांक ले गये। दो चरवाहों ने इन मवेशियों को छुड़ाने की कोशिश की तो उन्हें भी पाकिस्तानी पकड़ ले गये।

(ग) सीमा सुरक्षा दल के क्षेत्रीप समादेशक (सैक्टर कमांडर) ने तुरन्त ही पूर्वी पाकिस्तान राईफल्स के क्षेत्र समादेशक (सैक्टर कमांडर), दिनाजपुर से भारतीय नागरिकों तथा मवेशियों को वापस लौटाने का अनुरोध किया। पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा इस बारे में पूर्वी पाकिस्तान सरकार से विरोध भी प्रकट किया गया।

"दि लास्ट डेज आफ ब्रिटिश राज" नामक पुस्तक

3746. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान पि० लोनर्ड मास्ले द्वारा लिखी गई पुस्तक "दि लास्ट डेज आफ ब्रिटिश राज" में लेख की प्रस्तावना की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि भारत में सत्ता के हस्तान्तरण के बारे में सरकारी दस्तावेज सरकारी तौर पर 1999 तक प्रकाशित नहीं किये जायेंगे ;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितनी सच्चाई है ;

(ग) क्या सरकारी दस्तावेज अब भी गोपनीय है और 1999 तक गोपनीय रहेंगे ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख), (ग) और (घ) : सम्भवतः ब्रिटिश सरकार के सरकारी दस्तावेजों की ओर संकेत हैं जिनके बारे में भारत सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

पाठ्य पुस्तकें

3747. **श्री स० मो० बनर्जी** :

श्री रा० बरुआ :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने उनको पत्र लिखा है कि कालेजों और स्कूलों में उपयोग के लिए चुनी हुई पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित की जायें ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह कार्य आरम्भ हो गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). कार्य प्रारम्भ हो गया है और चल रहा है ।

लोक शिकायत आयुक्त

3748. **श्री हेम बरुआ :** **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :**
श्री हरिविष्णु कामत : **श्री नाथ पाई :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोक शिकायत आयुक्त की नियुक्ति गत फरवरी में की गई थी;

(ख) क्या उन्हें छः महीने के अन्त तक अपना प्रतिवेदन देना था ;

(ग) क्या यह प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है ; और

(घ) क्या इसे सभा पटल पर रखा जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां, मंत्रिमण्डल को देना था ।

(ग) इसका मसौदा तैयार किया जा रहा है ।

(घ) फिलहाल इसे सदन के सभा-पटल पर रखने का कोई इरादा नहीं है ।

गन्धक का उत्पादन

3749. **श्री श्याम लाल सर्राफ:** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू तथा काश्मीर सरकार ने सोहागा, रेयन, लुग्दी तथा अखबारी कागज से औद्योगिक आधार पर गन्धक तैयार करना आरम्भ किया है ;

(ख) क्या इससे संबंधित परियोजना-प्रतिवेदनों को चौथी पंच-वर्षीय योजना में शामिल किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) से (ग). चौथी योजना के अपने प्रारम्भिक ज्ञापन में जम्मू और काश्मीर सरकार ने एक अखबारी कागज के कारखाने और एक रेयनग्रेड लुग्दी कारखाने की स्थापना का प्रस्ताव रखा था । राज्य सरकार ने बताया कि अख-

वारी कागज के कारखाने की परियोजना रिपोर्ट तैयार है और रेयनग्रेड लुग्दी कारखाने की ऐसी ही रिपोर्ट तैयार की जा रही है। 200 मीटरी टन दैनिक उत्पादन क्षमता के अखबारी कागज कारखाने और रेयनग्रेड लुग्दी कारखाने की अनुमानित लागत लगभग 8.82 करोड़ रुपये थी। राज्य सरकार ने लद्दाख में सोहागा और गन्धक के खनन के लिए 15 लाख रुपये की धन राशि का भी प्रस्ताव रखा था।

योजना आयोग को राज्य सरकार के साथ उनके प्रस्तावों पर अभी बातचीत करनी है। इस बातचीत के बाद ही अन्तिम निर्णय किया जायेगा कि इन परियोजनाओं को चौथी योजना में शामिल किया जाय या नहीं।

छम्ब-जौरियां क्षेत्र में मकान निर्माण कार्यक्रम

3750. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छम्ब-जौरियां क्षेत्र (जम्मू तथा काश्मीर) में वहां पर फिर से बसे लोगों के लिए बड़े पैमाने पर मकान बनाने का कार्यक्रम स्वीकृत किया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कार्यक्रमों के लिये केन्द्र ने कुल कितनी सहायता दी है ; और

(ग) ऐसे कार्यक्रमों पर कुल कितना व्यय होगा ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण): (क) से (ग). पिछले भारत पाकिस्तान संघर्ष में छम्ब-जौरियां क्षेत्र के बेघर हुए परिवारों के मकानों के निर्माण के लिये अनुदान और ऋण के रूप में वित्तीय सहायता के बारे में भारत सरकार ने मान निर्धारित किये हैं। अब तक मकान निर्माण करने के लिए अनुदान और ऋण के रूप में दी गई राशि लगभग 90 लाख रुपये है। इस बारे में ऋण और अनुदान के रूप में वितरण के लिए कुल अपेक्षित धन-राशि का अनुमान लगभग 450 लाख रुपये है।

छोटा नागपुर राज्य बनाने की मांग

3751. **श्री कोल्ला वेंकैया :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि छोटा नागपुर का एक पृथक राज्य बनाने की मांग की गई है ;

(ख) यदि हां, तो वहां के किस वर्ग ने यह मांग की है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). छोटा नागपुर राज्य बनाने की कोई मांग नहीं की गई। हां अखिल

भारतीय झारखण्ड दल ने छोटा नागपुर डिवीजन तथा बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश राज्यों के कुछ क्षेत्रों को मिला कर एक राज्य बनाने की मांग की है ।

सरकार ऐसा राज्य बनाने के पक्ष में नहीं है ।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, कानपुर

3752. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें बताया गया है कि कानपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था में काम करने वाले अमरीकी नागरिकों ने कल्याणपुर, कानपुर में हवाई पट्टी बना ली है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह असैनिक उड्डयन प्राधिकारियों से उचित अनुज्ञा लिये बिना ही किया गया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख). जी नहीं । हवाई पट्टी, संस्थान के अमरीकी कर्मचारियों की नहीं है । इसे संस्थान द्वारा वैमानिकीय इंजीनियरी में प्रशिक्षण देने के लिए निर्माण किया गया है । इसका इस्तेमाल करने से पहले, सिविल विमानन प्राधिकारियों की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त कर ली गई थी ।

अश्लील सिनेमा इश्तहार

3753. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आचार्य विनोबा भावे के परामर्श पर अश्लील सिनेमा इश्तहारों के प्रदर्शन के विरुद्ध एक देशव्यापी आन्दोलन हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस आन्दोलन का क्या असर हुआ है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) राज्य सरकारों से की गई पूछताछ से ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा कोई देशव्यापी आन्दोलन नहीं हुआ ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अशोधित तेल की शोधन क्रिया में तेल की बर्बादी

3754. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोहाटी और बरौनी तेलशोधक कारखानों में अशोधित तेल को साफ करते हुए कुछ तेल जल जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) तेल की इस बर्बादी को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) और (ख). जी नहीं। भट्ठियों (furnaces) को गर्म करने के लिए कुछ तेल जलाना पड़ता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

तेल परियोजनाओं की लागत

3755. **श्री प्र० चं० बरुआ :**

श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुपये के अवमूल्यन के कारण चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत तेल परियोजनाओं पर आने वाली लागत काफी बढ़ गई है ;

(ख) यदि हां, तो हर मामले में किस सीमा तक ; और

(ग) उन पर होने वाले विदेशी मुद्रा के खर्च को कम करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी हां।

(ख) अवमूल्यन से पहले और बाद में प्रत्येक परियोजना का ब्योरा निम्न प्रकार है :

(करोड़ रुपये में आंकड़े)

परियोजना का नाम	अवमूल्यन से पहले	अवमूल्यन के बाद
तेल और प्राकृतिक गैस आयोग	185.00	227.00
आयल इन्डिया लिमिटेड	20.00	26.00
मद्रास शोधनशाला	26.50	35.00
हल्दिया शोधनशाला	30.00	39.20
लूब इण्डिया लिमिटेड	7.20	9.13
आयल डिस्ट्रीब्यूटिंग एण्ड पाइपलाइन्ज	65.00	69.14

(ग) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के वर्कशापों में कई मदों के देशीय निर्माण से और सरकारी एवं गैर-सरकारी क्षेत्रों के विभिन्न उद्यमों की सहायता से विदेशी मुद्रा अंश को कम किया जा रहा है।

मिजो लोगों द्वारा एक गांव को जलाया जाना

3756. **श्री दी चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिजो नेशनल फ्रन्ट के अराजक तत्वों ने 31 मई, 1966 को पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पर मिजो पहाड़ियों के दक्षिण क्षेत्र में देमिगरी के निकट एक चकमा आदिम जाति के गांव को जला दिया : और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) विद्रोहियों की गतिविधियों को समाप्त करने के लिये सुरक्षात्मक उपाय मजबूत किये गये हैं।

पश्चिम बंगाल में अनधिकृतवासियों की बस्तियां

3757. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार अपेक्षित धन की व्यवस्था न होने के कारण पश्चिम बंगाल में अनधिकृतवासियों तथा अन्य शरणार्थियों की बस्तियों का विकास कार्य पूरा नहीं कर सकी है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) यह सच नहीं है कि भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को पश्चिम बंगाल में अनधिकृत वासियों तथा अन्य शरणार्थियों की बस्तियों के विकास कार्य को पूरा करने के लिये अपेक्षित धन-राशि न दी हो । वास्तव में, 1962-63,1963-64 और 1964-65 के वर्षों में केन्द्रीय सरकार द्वारा इस मद के लिये किये गये धन की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा इन वर्षों में किये गये वास्तविक खर्च से अधिक थी ।

वर्षवार की गई व्यवस्था और खर्च के आंकड़े निम्न हैं :—

वर्ष	दी गई धन राशि (रुपये लाखों में)	किया गया खर्च (रुपये लाखों में)
1962-63	40.00	31.58
1963-64	35.00	12.56
1964-65	20.00	15.59

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Kidnapping of Post Master of Kargil

3758. **Shri Bade :** **Shri Kashi Ram Gupta :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Shri Onkar Lal Berwa :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Pakistani agents have kidnapped the Post Master of Kargil on the Ladakh border ; and

(b) if so, the action taken in the matter ?

The Minister of Home Affairs (Shri Nanda) : (a) No Sir.

(b) Does not arise.

कोयला खानों में घातक दुर्घटनायें

3759. **श्री वारियर** : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1965 से जून, 1966 तक कोयला खानों में कितनी घातक दुर्घटनायें हुई हैं ;

(ख) ऐसी कोयला खानों के नाम क्या हैं तथा दुर्घटनायें किन कारणों से हुईं ; और

(ग) प्रत्येक मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जून, 1965 से जून, 1966 की अवधि में 210 घातक दुर्घटनाएं हुईं ।

(ख) ये दुर्घटनाएं देश की लगभग 200 कोयला खानों से संबंधित हैं। दुर्घटनाओं के मुख्य कारण पार्श्व या छत का गिरना, ढुलाई में दोष, विस्फोटक और यंत्र, पानी का प्रवेश, बिजली की गड़बड़ी, गैस का इकट्ठा होना इत्यादि हैं ।

(ग) खान-अधिनियम के अनुच्छेद 23 (2) के अन्तर्गत उन सभी दुर्घटनाओं की जांच की आवश्यकता होती है जिनमें मौतें हो जाती हैं। बड़ी गम्भीर दुर्घटनाओं की भी, जिनमें मौतें न भी हुई हों, जांच की जाती है। जहां तक खतरनाक घटनाओं का सम्बन्ध है, उन्हीं घटनाओं की जांच की जाती है, जिनकी जांच खानों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, आवश्यक प्रतीत होती है। जब जांच होती है तब सभी मामलों में जिम्मेदारी ठहराई जाती है तथा जांच से परिणाम के आधार पर अन्य कार्यवाही—जैसे अभियोजन, खान अधिकारियों आदि के दक्षता-प्रमाण-पत्र का रद्द करना आदि—की जाती है। सुरक्षा विनियमों को इन परिणामों के आधार पर संशोधित किया जाता है ।

आसनसोल के निकट कल्ला में केन्द्रीय अस्पताल

3760. **श्री वारियर :**

श्री दाजी :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयला खान श्रम कल्याण संगठन के आसनसोल के निकट कल्ला स्थित केन्द्रीय अस्पताल की छत में जिसे बने छः वर्ष हुए हैं, दरारें आ गई हैं जिसके कारण सारी इमारत को खतरा पैदा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं। इस भवन को बने अब 12 वर्ष हो गए हैं न कि छः वर्ष ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

आसनसोल के निकट कल्ला, कोल माइन्स सेंट्रल अस्पताल में तपेदिक का वार्ड

3761. **श्री वारियर :**

श्री दाजी :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसनसोल के निकट कल्ला में कोल माइन्स सेन्ट्रल अस्पताल के 100 बिस्तर वाले तपेदिक वार्ड का प्रयोग नहीं किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). टी० बी० वार्ड के बहिरंग रोगी विभाग ने सितम्बर, 1964 में काम करना शुरू किया। तपेदिक के रोगी गृह तपेदिक इलाज योजना का लाभ प्राप्त करते हैं। पानी सप्लाई की विकट स्थिति के कारण अंतरंग विभाग ने अभी तक काम करना शुरू नहीं किया। केन्द्रीय अस्पताल के लिए पानी की सप्लाई बढ़ाने सम्बन्धी योजना पहले ही मंजूर हो चुकी है और योजना चालू करने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

भारत-पाकिस्तान पुलिस अधिकारियों की बैठक

3762. **श्री गुलशन :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमावर्ती विवादग्रस्त क्षेत्रों के बारे में जून, 1966 में पंजाब की वागाह सीमा पर हुई भारत-पाकिस्तान पुलिस अधिकारियों की बैठक में किन-किन मुख्य विषयों पर बातचीत हुई थी तथा उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ख) उनकी सिफारिशों पर यदि सरकार ने कोई कार्यवाही की है तो क्या ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) मवेशियों की चोरी, तस्करी, पाकिस्तानी अपराधियों की वापसी और स्थल नियमों पर आचरण से सम्बन्धित विषयों पर बातचीत हुई।

(ख) सरकार के सामने कोई खास बात सिफारिश के तौर पर नहीं रखी गई।

आसाम-नागालैण्ड सीमा

3763. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम और नागालैण्ड में सीमा निर्धारित करने के मामले में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस बारे में प्रगति रुक गई है और नागाओं ने (नागालैण्ड में) लासुमन गांव से (आसाम के शिवसागर जिले में) नागिरिजन तक एक सड़क बढ़ा ली है जिससे आसाम क्षेत्र का अवैध और अनधिकृत रूप से अतिक्रमण किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सीमा का निर्धारण करने के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी): (क) से (ग). आसाम तथा नागालैण्ड के बीच सीमा-निर्धारण के बारे में स्थिति वैसी ही है जैसी मैंने लोक सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 2207 के उत्तर में 16 मार्च, 1966 को बताई थी। (नागालैण्ड के) लासुमन गांव से (आसाम में) नागिरिजन तक सड़क के बढ़ाये जाने वाले निर्माण के बारे में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है। इस बारे में जांच की जा रही है।

नई दिल्ली स्थित जानकी देवी महाविद्यालय में विद्यार्थियों का दाखिला

3764. **श्री जेधे** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अधीन विभिन्न कालेजों द्वारा बी० ए० पास तथा आनर्ज कोर्स प्रथम वर्ष कक्षा में दाखिला, विद्यार्थियों द्वारा उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में प्राप्त किये गये अच्छे अंकों के आधार पर दिया जाना था परन्तु नई दिल्ली स्थित जानकी देवी महाविद्यालय ने एक परीक्षा ली और उसके आधार पर विद्यार्थियों को उक्त कक्षाओं में दाखिला दिया ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बी० ए० प्रथम वर्ष कक्षा में दाखिले के लिये पंजीकरण विभिन्न कालेजों द्वारा इसके लिये विद्यार्थियों से कोई राशि लिये बिना ही किया जाना था परन्तु जानकी देवी महाविद्यालय ने बी० ए० प्रथम वर्ष कक्षा में दाखिले के लिये आवेदन-पत्र शुल्क के रूप में प्रत्येक विद्यार्थी से एक-एक रुपया लिया ;

(ग) क्या यह बात विश्वविद्यालय के इससे संबंधित विषयों के अनुकूल है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संस्था के विरुद्ध तथा परीक्षा के आधार पर किये गये दाखिले को रद्द करने और आवेदनपत्र शुल्क के रूप में विद्यार्थियों से लिया गया पंजीकरण शुल्क उन विद्यार्थियों के लौटाने के बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अधिकतर कालेजों में बी० ए० पास और आनर्स पाठ्यक्रमों में दाखिला, विद्यार्थियों द्वारा योग्यता-परीक्षा में प्राप्त अंकों और पाठ्यक्रम के लिए उनकी रुचि और उपयुक्तता निश्चित करने के लिए इन्टरव्यू के आधार पर किया जाता है। किन्तु, जानकी देवी महाविद्यालय में, केवल बी० ए० (आनर्स) पाठ्यक्रम में दाखिला एक प्रारंभिक शिक्षा और फिर इन्टरव्यू के आधार पर किया जाता है।

(ख) यह सच है कि जानकी देवी महाविद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी से एक रुपया रजिस्ट्रेशन फीस ली जाती है।

(ग) प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन और रजिस्ट्रेशन फीस लेना विश्वविद्यालय नियमों के विरुद्ध नहीं है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

पाइराइट्स से सल्फ्यूरिक ऐसिड

3765. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विहार में पाये गये पाइराइट्स से सल्फ्यूरिक ऐसिड निकालने की परियोजना आरम्भ कर दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की क्रियान्विति के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है और इसका काम निर्धारित कार्यक्रम से कितना पिछड़ गया है ;

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी नहीं ।

(ख) ठेकेदारों के साथ, जिन्हें टर्न-की-बेसिस (Turn-key-Basis) पर इस कार्य को सौंपा गया था; किये गये करार में परियोजना की पूर्ति के लिए कार्यक्रम दिया हुआ है । करार की शर्तों के अनुसार प्लांट को 1968 के तीसरे चतुर्थांश में चालू होना है और काम कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है ।

पश्चिम रेलवे में नौकरी में लगे पाकिस्तानी लोग

3766. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे में गंगापुर सिटी और कोटा स्टेशनों पर काम करने वाले कुछ रेलवे कर्मचारियों ने, 1947 में देश के विभाजन के समय पाकिस्तान में जाने की अन्तिम रूप से इच्छा व्यक्त की थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वे बाद में भारत लौट आये और दूसरे नाम रख कर नौकरी प्राप्त कर ली ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उनको पाकिस्तान वापस भेजने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). ऐसे दो व्यक्तियों के मामले सामने आये हैं । वे छः महीने के अंदर-अंदर पाकिस्तान से भारत लौट आये । उन्होंने अपने पूर्ववृत्त तथा अपनी पिछली सेवा का ब्योरा छिपा कर और उनमें से एक ने तो अपना नाम भी बदल कर नियुक्तियां प्राप्त कर ली थीं। उनमें से एक को नौकरी से निकाला जा चुका है और दूसरे के मामले में जांच की जा रही है ।

(ग) उन्होंने पाकिस्तान की राष्ट्रीयता ग्रहण नहीं की थी । अतः उनके उस देश में निष्कासन का प्रश्न नहीं उठता ।

एक इंजीनियरिंग कम्पनी के अमरीकी प्रबंधक के विरुद्ध शिकायत

3767. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री म० ना० स्वामी :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री दशरथ देव :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स हैकेट इंजीनियरिंग कम्पनी (भारत शाखा) के एक अमरीकी मैनेजर के विरुद्ध एक कर्मचारी ने, एक भारतीय नागरिक के नाते अपने आत्म-सम्मान को चोट पहुंचाये जाने के कारण, आसनसोल के सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट के न्यायालय में एक शिकायत दायर की है ;

(ख) क्या अपराधी यह मामला दायर होने के बाद देश छोड़ कर चला गया है ; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी): (क) जी हां । 24 फरवरी, 1966 को भारतीय दंड संहिता की धारा 504/352 के अंतर्गत एक शिकायत दायर की गई थी ।

(ख) जी हां । सूचना मिली है कि वह 2 मार्च, 1966 को भारत छोड़ कर चला गया ।

(ग) मामले की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट नहीं करवाया गया । किन्तु जब विदेशी समन के जवाब में 8 मार्च, 1966 को न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ तब सम्बन्धित न्यायाधीश ने उसका वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया । इस विदेशी की उपस्थिति की तिथि 1 सितम्बर, 1966 तय की गई है ।

कालकाजी कालोनी, दिल्ली

3768. **श्री चांडक :**
श्री बाल्मीकी :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री कालकाजी (दिल्ली राज्य) के निकट प्रस्तावित आवासीय बस्ती के बारे में 4 जनवरी, 1966 की प्रेस विज्ञप्ति के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए विस्थापित व्यक्तियों के लिये कालकाजी (दिल्ली राज्य) के निकट प्रस्तावित बस्ती में प्रिमियम किस दर से तथा कितने वर्षों में किश्तों में लिया जायगा, भूमि के वार्षिक देय किराये की दर क्या होगी तथा उसमें मकान बनाने की अवधि तथा शर्तें क्या होंगी ;

(ख) उपरोक्त शर्तें उन शर्तों की तुलना में कितनी बदली हुई हैं जो पश्चिमी पाकिस्तान से आए हुए विस्थापित व्यक्तियों के लिये बसाई गई विभिन्न आवासीय बस्तियों में, विशेष रूप से पटेल नगर, लाजपत नगर तथा मालवीय नगर जैसी बस्तियों में, भूमि देने तथा मकान बनाने के लिये निर्धारित की गई थीं ;

(ग) प्रस्तावित कालकाजी बस्ती के बारे में 31 मार्च, 1958 से पहले की बिधि से लगातार दिल्ली में निवास होने की शर्त लगाये जाने के क्या कारण हैं ; विशेषरूप से जब कि 1964-65 में पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए नये लोगों को अब भी पुनर्वास की सुविधायें दी जा रही हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) विशेष रूप से दिनांक 4 जनवरी, 1966 के प्रेस नोट के पैराग्राफ्स 2,3 तथा 4 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसकी एक प्रतिलिपि सभा की मेज पर रख दी गई है। [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०**-6966/66]

(ख) पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के सम्बन्ध में भी प्रिमियम की राशि भूमि के वास्तविक अर्जन मूल्य तथा विकास के खर्च के आधार पर ही निश्चित की गई थी । प्रिमियम की राशि पर 3 प्रतिशत प्रति वर्ष भूमि का किराया भी निश्चित किया गया था । पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों की बस्ती के बारे में भी यही शर्तें लागू की गई हैं । जहां तक पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियों का संबंध है, उन्हें कुछ और रियायतें भी दी गईं थीं जैसे कि, 200 वर्ग तक के छोटे प्लाटों (खण्डों) के मामले में पट्टे (लीज) के पांचवें वर्ष के उपरांत प्रिमियम की 50 प्रतिशत राशि 15 वर्षों की अवधि में किश्तों में वसूल की गई थी । उन्हें संशोधित पट्टे (लीज) की शर्तों को स्वीकृति के सम्बन्ध में भी इच्छा प्रकट करने की अनुमति दे दी गई थी जिनके अधीन नाम मात्र के लिये प्रति 100 वर्ग गज एक रुपये की दर से भूमि का किराया अदा किया जाना था यदि वे इन क्षेत्रों में उस समय के बाजार भाव के आधार पर निश्चित किये गये दरों से प्रिमियम की राशि जमा करवा देते थे । क्योंकि परिस्थितियां बदल गई हैं इसलिये यह सुविधायें पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों को नहीं दी गई हैं ।

(ग) चूंकि पुनर्वास सुविधायें पूर्वी पाकिस्तान के पुराने विस्थापितों के लिये ही सीमित रखी गई थीं, जैसे कि, वे विस्थापित व्यक्ति जो 31 मार्च, 1958 तक आये, उनके लिये यह शर्त लागू की गई है । साधारणतया वे विस्थापित व्यक्ति जो पूर्वी पाकिस्तान से 31 मार्च, 1958 के बाद (और प्रथम जनवरी, 1964 से पहले) आये हैं, पुनर्वास सुविधायें पाने के हकदार नहीं हैं और इसी कारण यह तिथि रखी गई है ।

Recognition to new Schools

3769. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Government have issued certain directives to the

States for according recognition to the new schools ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) No Sir.

(b) Does not arise.

राम किशन मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध शिकायतें

3770. **श्री गुलशन :** **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री प० ह० भील : **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को ऐसे कितने अभ्यावेदन तथा ज्ञापन प्राप्त हुए हैं, जिनमें पंजाब में राष्ट्रपति का शासन लागू होने से पहले राम किशन मंत्रिमंडल में भूतपूर्व मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार और पक्षपात के आरोप लगाये गये हैं ;

(ख) इन मंत्रियों की वर्तमान सम्पत्ति तथा राम किशन मंत्रिमंडल में मंत्री बनने से पहले की उनकी सम्पत्ति में कितना अन्तर है ; और

(ग) इन मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति का शासन लागू होने के कारण त्यागपत्र दिये जाने से पहले कितने पर्मिट, कोटा रूट पर्मिट और कारों के पर्मिट दिये गये थे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी): (क) भारत सरकार से सम्बन्ध रखने वाले मामलों में 21 ।

(ख) मंत्रियों की आचार संहिता के अधीन भूतपूर्व मंत्रियों को परिसम्पत तथा दायित्वों का जो विवरण देना पड़ता है वह गोपनीय होता है और उसे जाहिर नहीं किया जा सकता ।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

पंजाब में हरिजन कल्याण निधि का दुरुपयोग

3771. **श्री प० ह० भील :**
श्री गुलशन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में हरिजन कल्याण निधि का सम्बन्धित भूतपूर्व मंत्री द्वारा अपने व्यक्तिगत हित के लिये इस्तेमाल किया गया है और क्या इस मामले में कोई जांच की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका परिणाम क्या रहा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अभिरक्षकाधीन भूमि का पंजाब सरकार को बेचा जाना

3772. **श्री प० ह० भील :**

श्री गुलशन :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले पांच वर्षों में केन्द्रीय सरकार ने पंजाब सरकार को कुछ अभिरक्षकाधीन भूमि बेची है ;

(ख) यदि हां, तो कितने एकड़ तथा यह भूमि किस प्रयोजन के लिये बेची गई थी ;

(ग) क्या वह प्रयोजन पूरा हो गया है ; और

(घ) पंजाब सरकार ने अभिरक्षकाधीन यह भूमि किसानों को बेचकर कितना लाभ कमाया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण): (क) जी, हां ।

(ख) अनुबन्ध 'क' और 'ख' जिनमें पंजाब सरकार को 'पैकेज डीलस' के अधीन हस्तांतरित की गई अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी निश्क्रान्त भूमि का ब्योरा दिया गया है, संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०**-6067/66] भूमि एलाटियों/दावेदारों की आवश्यकताओं से भूमि अधिक थी और केन्द्रीय सरकार की अपनी कोई एजेन्सी इस भूमि के निपटारे के लिये नहीं थी ।

(ग) प्रयोजन पूरा हो रहा है।

(घ) पंजाब सरकार अब तक केवल इस भूमि के एक तिहाई भाग का ही निपटारा कर सकी है और बहुत सी घटिया भूमि और जो बेचने योग्य नहीं है अभी पड़ी है । इसलिये इस अवस्था में राज्य सरकार के लाभ और हानि का मूल्यांकन करना अत्यन्त शीघ्र है ।

केन्द्रीय जांच विभाग और विशेष पुलिस संस्थान में प्रतिनियुक्त व्यक्तियों द्वारा उन विभागों में अधिक समय तक नियुक्त रहना

3773. **श्री प० ह० भील :**

श्री गुलशन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जांच विभाग और विशेष पुलिस संस्थान में ऐसे अनेक प्रतिनियुक्त पदाधिकारी हैं, जो अपनी प्रतिनियुक्ति को सामान्य अवधि से समय तक नियुक्त रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या केन्द्रीय सचिवालय सेवा योजना के वे अनुसचिवीय (मिनिस्टीरियल) कर्मचारी भी, जो केन्द्रीय जांच विभाग और विशेष पुलिस संस्थान में प्रतिनियुक्ति पर गये हैं वहां 3 वर्ष की सामान्य अवधि से अधिक रह रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इन कर्मचारियों के स्थान पर दूसरे कर्मचारी भेजने के बारे में विचार कर रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी): (क) केन्द्रीय जांच विभाग में ऐसे बहुत से अधिकारी हैं जिनका कार्यकाल उन अधिकारियों की सहमति से बढ़ाया गया है जिनसे उनकी सेवाएं उधार ली गई थीं ।

(ख) उनका कार्यकाल लोक हित की दृष्टि से बढ़ाया गया था ।

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो के मुख्यालय के मंत्रालयिक पद केन्द्रीय सचिवालय सेवा में सम्मिलित है । अतः मंत्रालयिक कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर नहीं है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Rehabilitation work in Chhamb-Jaurian Sector

3774. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Labour, Employment and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the persons displaced from Chhamb-Jaurian Sector have not been rehabilitated anywhere so far ;

(b) if so, the number of persons rehabilitated so far and the number of those to be rehabilitated ;

(c) the amount to be spent on their rehabilitation ; and

(d) when this work is likely to be completed ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri D. R. Chavan) : (a) and (b). Out of about one lakh persons displaced from Chhamb-Jaurian area, about 75,000 have gone back to their original places of residence for resettlement and are receiving governmental assistance in this regard. About 25,000 persons are still in camps awaiting resettlement.

(c) About Rs. 8 to 9 crores are likely to be spent on their relief and rehabilitation.

(d) Those who have gone back to their villages are expected to be rehabilitated by the end of the current financial year, while it may take some time more for those still in camps.

चौथी योजना में शिक्षा के लिए राशि

3775. **श्री हेम राज** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिये कितनी राशि दी जा रही है;

(ख) पिछड़ी जातियों, आदिम जातीय क्षेत्रों तथा विशेष क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार

करने के लिए विशेष निधि के रूप में कितनी राशि दी जायेगी; और

(ग) क्या यह विशेष निधि शिक्षा के लिये निश्चित की गई सामान्य राशि का एक ही भाग होगी अथवा इसके अलावा होगी?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला). (क) मूल आवंटन 1260 करोड़ रु० था। योजना आयोग के नवीनतम प्रतिवेदन के अनुसार अब इसको घटा कर 1210 करोड़ रु० कर दिया गया है।

(ख) "पिछड़ी जातियों के कल्याण और विकास" क्षेत्र के अन्तर्गत अनुसूचित आदिम जातियों, अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ी जातियों की शिक्षा के लिये 60 करोड़ रु० का अस्थायी योजना आवंटन किया गया है। इसके अतिरिक्त 1966-67 के लिये इन जातियों के छात्रवृत्तियों के लिये बजट में 2·21 करोड़ रु० का उपबन्ध किया गया है।

(ग) ऊपर भाग (ख) में जो 60 करोड़ रु० का आवंटन दिया गया है वह शिक्षा के लिये किये गये योजना आवंटन के अतिरिक्त है। यह प्रश्न विचाराधीन है कि क्या 1966-67 के लिये 2·21 करोड़ रु० का बजट उपबन्ध और चतुर्थ योजना के लिये शेष 4 वर्षों के लिये इस प्रकार के उपबन्ध शिक्षा के लिये योजना आवंटन का एक भाग होना चाहिए।

रूस में संस्कृत पाण्डुलिपि

3776. **श्री च० का० भट्टाचार्य :** क्या **शिक्षा** मंत्री 9 सितम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 204 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूसी विशेषज्ञों ने तुर्कमानिया में पाई गई संस्कृत भाषा की पाण्डुलिपि का मूल निरुपण कर लिया है;

(ख) क्या उसे पढ़ लिया गया है और यदि हां, तो उसमें क्या लिखा हुआ है;

(ग) क्या भारत सरकार ने जांच के निष्कर्ष इकट्ठे कर लिए हैं; और

(घ) क्या उनका ध्यान रूसी दूतावास द्वारा जारी की गई यू० एन० आई० की रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है कि एक पात्र में रखे हुए ताड़ के पत्ते पर लिखी हुई पाण्डुलिपि पाई गई है न कि पात्र पर अंकित लिपि ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु०क० चागला) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

स्टैन्डर्ड टेलीफोन एण्ड केबल कम्पनी, लन्दन के साथ करार

3777. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1949 में सरकार ने भारत को केबल के संभरण के लिये लन्दन की स्टैन्डर्ड टेलीफोन एण्ड केबल कम्पनी के साथ एक करार किया था जो 1969 तक वैध है;

(ख) क्या भारत को 56 लाख रुपये वार्षिक हानि हो रही है और इस करार की अवधि की समाप्ति तक 11 करोड़ रुपये की हानि होगी; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) जी हां।

(क) जी नहीं। 1957 तक दिये गए आर्डरों के मामले में खुले टेंडरों के सम्बन्ध में राज्य व्यापार निगम द्वारा बताए गए मूल्य अन्य कम्पनियों द्वारा बताए गए मूल्यों की तुलना में सस्ते थे और कुल मिलाकर इन आर्डरों के सम्बन्ध में इस अवधि के दौरान निर्धारित रकम से अधिक रकम की अदायगी नहीं की गई है। 1958-60 के दौरान इस कम्पनी को कोई आर्डर नहीं दिया गया। 1961-63 के दौरान दिये गए आर्डरों पर निकटतम प्रतियोगी फर्म की तुलना में 52·22 लाख रुपये की अतिरिक्त रकम अदा की गई। 1963 के बाद इस कम्पनी को कोई आर्डर नहीं दिया गया।

(ग) समझौते की शर्तों के अनुसार समझौते में निर्दिष्ट वस्तुओं की सरकारी मांग का 25 प्रतिशत आयात किया गया माल ब्रिटिश डाकघर को मान्य दर सहित $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत मूल्य पर राज्य व्यापार निगम से खरीदना पड़ता है। इस समझौते की कुछ बातें संशोधित कर दी गई हैं। इस संशोधन के अनुसार खरीदे गए किसी भी ड्राई कोर केबल के लिए दिया जाने वाला मूल्य, 1 दिसम्बर, 1962 से समझौते में निर्दिष्ट भूतपूर्व मूल्यों में से 10 प्रतिशत काट कर अदा किया जाएगा।

Telegrams in Devanagri Script

3778. **Shri Jagdev Singh Siddhanti**: Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the number of telegrams sent in Devanagri script during the last three months Circle-wise; and

(b) the number of telegrams sent during the three months preceding the said period Circle-wise ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and the Department of Communications (Shri Jaganath Rao): (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the Lok Sabha in due course.

Translation of Standard Text Books

3779. **Shri Jagdev Singh Siddhanti**: Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) the steps taken to accelerate the pace of Hindi translation and publication of the standard text books of University level;

(b) the progress made in this regard during the last three years; and

(c) the specific schemes of Government in this regard for the coming two years and the steps taken for their implementation ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan): (a) and (c). The scheme for preparation, translation and publication of standard works of University level in Hindi and regional languages, which is being implemented by the Standing Commission for Scientific and Technical Terminology, has been widely publicised and effective cooperation of the universities, academic bodies and private publishers has been sought for bringing out as many books as possible. Some translation work has been undertaken departmentally also. The existing bottlenecks, both at the administrative and production stages, are being eliminated. Efforts are also being made to set up new Translating Agencies to accelerate pace of work. A provision of Rs. 1·75 crores has been made for the continuance of the scheme during the Fourth Five Year Plan.

(b) At present, 5 whole-time Cells and 36 Translating Agencies are engaged in this work. Although the scheme was started in 1960, much progress could not be made in the first few years, due to the time taken in approving the titles, procurement of copy-rights and setting up of translating Agencies. The scheme has gained momentum only during the last three years. So far, 380 titles for translation and 82 for original writings in Hindi have been approved. 46 translations and 12 original books have been published. 36 translations and 7 original books are in the Press. 301 translations and 63 original books are in various stages of translation and production.

Traffic Notices on Delhi Roads

3780. **Shri Jagdev Singh Siddhanti:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that traffic notices have been displayed at Delhi roads in English;

(b) whether the interest of common people and the drivers of bullock carts, tongas and motor vehicles was kept in view in doing so; and

(c) if not, the facility proposed to be provided to the illiterates and those who know regional languages only?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) to (c). Keeping in view the interest of common people, traffic notices have been displayed at Delhi roads in English, Hindi and Urdu. Cautionary traffic signs in pictorial forms have also been provided at appropriate places. These can be understood by illiterate persons also.

लुधियाना के होजरी कर्मचारी

3781. **श्री जसवन्त मेहता :** क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रुपये के अवमूल्यन के परिणाम स्वरूप लुधियाना में 40,000 होजरी कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन कर्मचारियों के लिए दूसरे रोजगार का पता लगाने के सम्बन्ध में सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना पंजाब सरकार से मंगाई गई है। प्राप्त होने पर सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

Indications of Harappan Civilization in Kutch

3782. **Shri Brij Basi Lal :**

Shri Vishwa Nath Pandey :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Archaeological Survey of India has found indications of Harappan Civilization in about nine places in Kutch ; and

(b) If so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan) (a) Yes, Sir.

(b) The discoveries have been noted with interest.

दक्षिण भारत में केन्द्रीय विश्वविद्यालय

3783. **श्री दिगे :**

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दक्षिण भारत में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का विचार है, क्योंकि वहां पर इस समय कोई विश्वविद्यालय नहीं है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यह विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थापित किया जायेगा तथा योजना पर अनुमानत: कितना व्यय होगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। फिर भी प्रत्येक राज्य में कम से कम एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के एक सामान्य प्रश्न पर अक्तूबर, 1962 में हुए राज्य शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन और उसके बाद उच्च शिक्षा संबंधी संसद सदस्यों की समिति द्वारा 1964 में प्रकाशित जो सिफारिश की गई थी, शिक्षा आयोग ने उसकी जांच की और उसके खिलाफ अपना विचार व्यक्त किया है। आयोग की रिपोर्ट पर अभी विचार किया जाना है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

दक्षिण में भारत मन्दिरों का संरक्षण

3784. **श्री दिगे :**

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण भारत के कुछ प्रसिद्ध मन्दिरों के संरक्षण पर आने वाले खर्च को पूरा करने के लिये सरकार मद्रास सरकार को पर्याप्त वित्तीय सहायता देने के लिये सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी राशि की ऐसी सहायता दी गई है; और

(ग) किन-किन मन्दिरों को वित्तीय सहायता दी जायेगी ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) ऐसे किसी प्रस्ताव के बारे में इस मंत्रालय को कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद के सचिव के विरुद्ध शिकायतें

3785. **श्री बड़े :**

श्री हुकम चन्द कछवाय :

श्री बृजराज सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में सरकार को भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद के सचिव के विरुद्ध कितनी शिकायतें मिली हैं;

(ख) ये शिकायतें किस प्रकार की हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) कितनी शिकायतें निपटाई गई हैं तथा कितनी शिकायतें अनिर्णीत पड़ी हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग). पिछले पांच वर्षों के दौरान जितनी शिकायतें मिली थीं, वे प्रायः गुमनाम (नाम रहित) थीं । उनकी संख्या के अनुमान लगाने में और अन्य पूछी गई सामग्री के इकट्ठा करने में अधिक समय तथा अधिक परिश्रम की आवश्यकता होगी ।

1964 में, तब भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद के प्रधान ने डा० सी०डी० देशमुख की अध्यक्षता में इन शिकायतों की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की थी । यह समिति इस नतीजे पर पहुंची कि ये सब अभियोग मिथ्या थे और सेक्रेटरी के विरुद्ध कोई कार्यवाई नहीं की गयी । बाद में जुलाई, 1964 में सरकार को दूसरी शिकायत मिली, जिसे विशेष पुलिस प्रशासन विभाग को भेजा गया था । केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने, जिसकी सलाह सरकार द्वारा सामान्य विधि

के अनुसार ली जाती है, बताया था कि सचिव के विरुद्ध किसी कार्यवाई के लिये कोई मामला साबित नहीं हुआ।

बिहार में जिला भ्रष्टाचार विरोधी समितियों में संसद सदस्यों द्वारा भाग लिया जाना

3786. **श्री ह० च० सोय** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में जिला भ्रष्टाचार-विरोधी समितियों में भ्रष्टाचार विरोधी कार्यवाही में भाग लेने के लिये संसद सदस्यों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है जबकि राज्य विधान-मण्डलों के सदस्यों को इन चर्चाओं में भाग लेने की अनुमति दी जाती है; और

(ख) यदि हां, तो इन चर्चाओं में संसद सदस्यों को भाग न लेने देने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). यह विषय पूर्णतः राज्य-सरकार के अधिकार-क्षेत्र में आता है। बिहार सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार स्थिति इस प्रकार है :—

प्रत्येक जिले में एक भ्रष्टाचार विरोधी समिति है। भ्रष्टाचार विरोधी जिला समिति में निम्नलिखित सरकारी तथा गैर-सरकारी अधिकारी शामिल होते हैं :—

(1) जिला न्यायाधीश, जो समिति का संयोजक भी होगा;

(2) जिले का पुलिस अधीक्षक;

(3) जिले अथवा उसके भाग के प्रतिनिधि विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य ;

(4) जिले के वैधिक मंडल का अध्यक्ष और जहां कहीं अध्यक्ष न हो वहां वैधिक मंडल का सचिव;

(5) संगठित गैर-सरकारी संस्थाओं के तीन प्रतिनिधि।

(6) भारत सेवक समाज का एक प्रतिनिधि।

राज्य प्रशासन के क्षेत्र में भ्रष्टाचार की समस्या राज्य के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आती है और क्योंकि भ्रष्टाचार विरोधी जिला समितियों के सामने विचार के लिये आने वाले मामले आमतौर पर स्थानीय महत्व के होते हैं, इसलिये राज्य सरकारों ने भ्रष्टाचार विरोधी जिला समितियों के काम-काज के साथ संसद सदस्यों को सम्बन्धित करने का विचार भी नहीं किया। इसके अलावा सम्भवतः सदस्यों के लिये भ्रष्टाचार विरोधी समितियों की बैठकों में उपस्थित होना सुविधाजनक नहीं होगा क्योंकि ये बैठकें जिला मुख्यालय में होती हैं। राज्य विधानांग के सदस्यों को इस काम के साथ सम्बद्ध रखने का उद्देश्य उन्हें जिला न्यायाधीश के सामने भ्रष्टाचार के ऐसे उदाहरण रखने का मौका देना है जो उनके सामने आयें। संसद सदस्यों पर उपयुक्त अधिकारियों के ध्यान में भ्रष्टाचार का कोई मामला लाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

भारतीय विज्ञान विकास संस्था

3787. **डा० रानेन सेन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेवा शर्तों तथा वेतन क्रमों के सम्बन्ध में भारतीय विज्ञान विकास संस्था, कलकत्ता के कर्मचारियों में क्षोभ है और सेवा शर्तों में सुधार के बारे में उन्होंने अभ्यावेदन दिया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस खण्ड में केन्द्रीय सरकार के सहायता-अनुदान पर चलने वाली ऐसी ही संस्थाएं अपने कर्मचारियों को इस संस्था की अपेक्षा अच्छे वेतन क्रम देती हैं; और

(ग) यदि हां, तो उक्त कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० (श्रीमती) सौन्दरम रामचन्द्रन): (क) से (ग) . भारतीय विज्ञान विकास संस्था, कलकत्ता एक स्वायत्त संस्था है, जिसे केन्द्रीय सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार से निम्नलिखित अनुपात में अनुदान मिलता है :—

(क) आवर्ती व्यय के लिए, 6:1 अनुपात में ।

(ख) अनावर्ती व्यय के लिए, 2:1 अनुपात में ।

केन्द्रीय सरकार, संस्था की मांगों से सीधे ही संबंधित नहीं है, सिवाय इसके कि उनकी मांगों का असर केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले सहायक अनुदान की रकम पर पड़ सकता है ।

संस्था के कर्मचारियों के वेतनमान 1962 के आरम्भ में निम्न प्रकार संशोधित किए गए थे :—

(1) प्रोफेसरों, रीडरों, प्राध्यापकों (सूक्ष्म-विश्लेषक और अनुसंधान अधिकारियों सहित) को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतन और भत्तों के संशोधित वेतनमान, उन्हें जिस प्रकार कलकत्ता विश्वविद्यालय ने अपनाया था, उसी प्रकार लेने की स्वीकृति दे दी गई थी, और

(2) अन्य स्टाफ की दशा में, वेतनमान और भत्तों को उसी प्रकार संशोधित कर दिया गया था जिस प्रकार कि वै० औ० अ० परिषद के अन्तर्गत विद्यमान वेतनमानों को संशोधित किया गया था । ऐसा करते समय वै० औ० अ० प० के समान वेतन-मानों के सम्बन्ध में संशोधित वेतनमानों को ध्यान में रखा गया था ।

बोस संस्थान, कलकत्ता के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते भी इसी प्रकार संशोधित किए गए थे । यह संस्थान भी एक स्वायत्त संस्था है और इसे केन्द्रीय सरकार से सहायक-अनुदान मिलता है ।

भारतीय विज्ञान विकास संस्था के कर्मचारियों ने हाल ही में एक प्रतिवेदन दिया है जिसमें उन्होंने वेतन और भत्तों आदि के सम्बन्ध में अपना असंतोष प्रकट किया है । इन प्रतिवेदनों से निबटने की जिम्मेदारी भारतीय विज्ञान विकास संस्था की है ।

औद्योगिक कार्य-प्रणाली के लिये अध्यापकों का प्रशिक्षण

3788. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक कार्य प्रणाली में अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिये उद्योगों में तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था करने के कार्यक्रम को कार्यरूप दे दिया गया है और क्या यह प्रशिक्षण चल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम की महत्वपूर्ण बातें क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, अभी तक नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Pakistanis' Attack on Indian Village

3789. **Shri Bade :** **Shri Sonavane :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Shri Y. D. Singh :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 25 Pakistanis attacked an Indian village in Chhapra Thana area of Nadia district in West Bengal and looted goods in large quantity and several persons were injured as a result of a bomb thrown by them as reported in 'Vir Arjun' of the 22nd July, 1966 ;

(b) if so, the loss of life and property suffered therefrom ; and

(c) the action taken in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c). On the 19/20-7-1966 at about 01-00 hours, 25-30 Pakistani nationals trespassed into Rangiarpota, P. S. Chhapra, Distt. Nadia (not Rangiopura as published in 'Vir Arjun') and committed dacoity in the house of (Shri Dhirendra Nath Biswas,) a resident of the said village. The dacoits hurled crackers and caused injuries to three persons one of whom succumbed to the injuries later. As the border is, however, only a few hundred yards from the house of occurrence, the dacoits succeeded in escaping to Pakistan with cash, ornaments etc. worth Rs. 1,500/-.

A case has been registered in Chhapra P. S. **vide** case No. 9 dated 20-7-1966 under Section 396 I.P.C.

Protest has been lodged with the local authorities of East Pakistan who have also been requested to enquire into the matter and award deterrent punishment to the culprits.

Mizo Hostiles

3790. **Shri Bade :** **Shri Sonavane :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Shri Y. D. Singh :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Buddhist Adivasis have been lured by Mizo Hostiles into their fold ;

(b) whether the Mizo Hostiles and Buddhist Adivasis fired on security personnel in Bagaisiri village on the 14th July, attacked other two villages and abducted one person;

(c) if so, the action taken for securing the release of the abducted person; and

(d) the steps taken to prevent such incidents?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla); (a) No, Sir. However, some Chakmas (Buddhists) of Pakistan had joined hands with Mizo hostiles and committed dacoities.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

(d) Security Forces are operating in the area.

पाकिस्तानी जरायम पेशा लोगों का भारतीय राज्य-क्षेत्रों में अवैध प्रवेश

3791. **श्री पन्ना लाल :**

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

श्री बृजवासी लाल :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 25 और 26 जुलाई, 1966 की रात्रि में पाकिस्तानी जरायम पेशा लोगों का एक गिरोह भारतीय राज्य क्षेत्र में अवैध रूप से घुस आया और उसने पश्चिम दीनाजपुर जिले में श्रीपुर सीमा चौकी की एक गश्ती टुकड़ी पर आक्रमण किया; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). 26-7-66 को रात के तीन बजे पश्चिम दीनाजपुर जिले के गोलपोखर थाने की श्रीपुर सीमा चौकी की एक गश्ती टुकड़ी ने नियमित गश्त लगाते हुए 15 के लगभग अपराधियों के एक गिरोह को दो भैंसे पाकिस्तान की ओर ले जाते हुए रास्ते में रोका। ललकारे जाने पर अपराधियों ने गश्ती टुकड़ी पर भालों से हमला कर दिया। गश्ती टुकड़ी ने आत्मरक्षा में गोली चलाई जिससे दो अपराधी घायल हो गए।

गोलपोखर थाने के अन्तर्गत 26-7-66 को भारतीय दंड संहिता की धारा 148/447/379 के अधीन मामला संख्या 24 दर्ज कर लिया गया है।

भूतपूर्व निजाम स्टेट रेलवे के अंश

3792. **श्री बूटा सिंह :**

श्री कपूर सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व निजाम स्टेट रेलवे के 5 प्रतिशत रेलवे अंशों के सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति क्या है; और

(ख) क्या इन अंशों पर रेलवे की आय के 5 प्रतिशत से अधिक लाभ दिया जा सकता है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). भूतपूर्व निजाम राज्य रेलवे के अंशधारी हैदराबाद सरकार की उत्तराधिकारी आन्ध्र प्रदेश सरकार से लेनदार हैं। भूतपूर्व हैदराबाद राज्य पर जनता के कुल ऋणों के भुगतान की जिम्मेदारी जिसमें निजाम राज्य रेलवे के अंश भी शामिल हैं आन्ध्र प्रदेश सरकार की है। इस प्रश्न पर कि अंशधारियों को अधि-लाभांश प्राप्त करने का अधिकार है या नहीं राज्य सरकार को विचार करना है।

भूतपूर्व निजाम स्टेट रेलवे के अंशधारी

3793. **श्री बूटा सिंह :**
श्री कपूर सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व निजाम स्टेट रेलवे के अंशधारियों को भुगतान के लिये हाल में ही कुछ धनराशि निर्धारित की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या अंशधारियों को इस राशि का भुगतान किया गया था ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क), (ख) और (ग). भूतपूर्व निजाम राज्य रेलवे के अंशधारी हैदराबाद सरकार की उत्तराधिकारी आंध्र प्रदेश सरकार से लेनदार हैं। भूतपूर्व हैदराबाद राज्य पर जनता के कुछ ऋणों के भुगतान की जिम्मेवारी जिसमें निजाम राज्य रेलवे के अंश भी शामिल हैं आंध्र प्रदेश सरकार की है। राज्य सरकार ने हमें सूचित किया है कि उनके 1966-67 के बजट में अंशधारियों को ब्याज चुकाने के लिये 1,52,000 रु० की व्यवस्था की गई है। इन अंशधारियों को नियमित रूप से छमाही पर ब्याज दिया जाता है।

आगरा विश्वविद्यालय के पाठ्य-क्रम की एक पुस्तक

3794. **श्री यु० द० सिंह :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान (दिल्ली से प्रकाशित एक हिन्दी साप्ताहिक) "आर्यवर्त" के दिनांक 25 जुलाई, 1966 में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि आगरा विश्वविद्यालय के बी० ए० पाठ्यक्रम के लिये निर्धारित "दि लैम्प आफ लाइफ" नामक पुस्तक

के "दि स्प्रिग टाइगर" नामक तीसरे अध्याय में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस तथा गांधी जी के बारे में अपमानजनक बातें लिखी हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख). ऐसी कोई रिपोर्ट सरकार ने नहीं देखी है । फिर भी सम्बद्ध अध्याय "दि लैम्प आफ लाइफ" नामक पुस्तक में शामिल करने के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर, यह पुस्तक आगरा विश्वविद्यालय की बी० ए० और बी० एस० सी० परीक्षाओं के लिये निर्धारित की गई थी, विश्वविद्यालय ने परिच्छेदों को पुस्तक के लेखक और सम्पादक के पास भेजकर, मामले की बारीकी से जांच की थी । विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने फरवरी, 1965 में हुई अपनी बैठक में तय किया कि "चूंकि चुने गये परिच्छेद आपत्तिजनक नहीं हैं, इसलिये कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है ।" तथापि, विश्व-विद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा मामले की और आगे जांच की जा रही है । इस हालत में अभी सरकार का कोई कार्रवाई करने का विचार नहीं है ।

Left Communists' Activities in Kerala

3795. **Shri Y. D. Singh** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in Kerala and West Bengal, the Left Communists are preparing for a revolt in the near future ;

(b) if so, whether Government are taking any steps to check such anti-national activities ; and

(c) the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and the Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) Government have no information that the Left Communists are preparing for a revolt in the near future.

(b) and (c) Do not arise.

सीरे का उत्पादन और खपत

3797. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सीरे का उत्पादन और खपत के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में डिस्टिलरी क्षमता अपर्याप्त होने के कारण सीरे का निर्यात करना पड़ता है ; और

(ग) यदि हां, तो सम्बन्धित राज्यों में डिस्टिलरी क्षमता बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) प्रत्येक खांड ऋतु (Sugar Season) में अनुमान लगाया जाता है क्योंकि किसी खांड ऋतु में सीरे का उत्पादन उस

ऋतु में खांड के उत्पादन पर निर्भर है जो स्वयं गन्ने की फसल तथा खांड की मिलों को दिये गये गन्ने की सप्लाई पर निर्भर है। सारे भारत में उपलब्धता एवं मांग के आधार पर निर्यात-योग्य बेशियों (surpluses) की घोषणा की जाती है।

(ख) जी हां। वरना सीरा, जो नाशवान पदार्थ है, जाया हो जायेगा।

(ग) सम्बन्धित राज्यों में फालतू सीरे की खपत के लिये पर्याप्त आसवन (distillery) क्षमता के लाइसेन्स दिये गये हैं ; जिनके अगले 2-3 वर्षों में कार्यान्वित होने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त हाल ही में अल्कोहल को इण्डस्ट्रीज (डेवेलपमेंट एण्ड रेगूलेशन) एक्ट, 1951 के लाइसेन्स उपबन्धों से मुक्त किया गया है; जिसका वास्तविक अर्थ यह है कि एक नई डिस्टिलरी स्थापित की जा सकती है या वर्तमान डिस्टिलरी का औद्योगिक लाइसेन्स प्राप्त किये बिना विस्तार किया जा सकता है।

परीक्षा-शुल्क में वृद्धि

3798. **श्री सुबोध हंसदा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट की परीक्षा-शुल्क 73 रुपये से बढ़ाकर 103 रुपये कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यह शुल्क किस तारीख से लिया जायेगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग). इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा की फीस केम्ब्रिज विश्वविद्यालय को स्टर्लिंग में देनी होती है। रुपये के अवमूल्यन के कारण इस रकम की समकक्षता बढ़ गई है। यह इस वर्ष से लागू की जायेगी।

केरल विश्वविद्यालय के राजनीति शास्त्र विभाग के अध्यक्ष

3799. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री उमानाथ :
श्री प० कुन्हन :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल विश्वविद्यालय के राजनीति शास्त्र विभाग के अध्यक्ष विदेश यात्रा पर जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका किस देश की यात्रा करने का विचार है और इस यात्रा का उद्देश्य क्या है ;

(ग) उनके वहां पर कितने समय तक रहने की सम्भावना है ;

(घ) उनकी इस विदेश यात्रा का व्यय कौन वहन करेगा ;

(ङ) क्या यह भी सच है कि इस विभागाध्यक्ष को हाल ही में विदेशी संस्थाओं से छात्र-वृत्तियां मिली हैं ;

(च) यदि हां, तो उस संस्था के देश का नाम क्या है ;

(छ) छात्रवृत्ति किस प्रयोजन के लिये दी गई है ;

(ज) क्या यह भी सच है कि इस विभागाध्यक्ष ने अमरीकी लोकतन्त्र तथा भारतीय एवं अमरीकी न्यायिक प्रणालियों के विषय में त्रिवेन्द्रम में हुई गोष्ठियों की अध्यक्षता की थी ; और

(झ) यदि हां, तो इस गोष्ठी का खर्चा किस संस्था ने बर्दाश्त किया था ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (झ). सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभापटल पर रख दी जायेगी ।

एम० ए० में अनिवार्य प्रश्नपत्र

3800. **श्री अ० क० गोपालन :**

श्री उमानाथ :

श्री प० कुन्हन :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल विश्वविद्यालय के राजनीति विभाग में एम० ए० फाइनल के लिये "इन्डियन गवर्नमेन्ट सिन्स 1935 विद डाक्यूमेन्ट्स" नामक अनिवार्य प्रश्नपत्र को इस वर्ष पाठ्यक्रम से निकाल दिया गया है;

(ख) यह प्रश्नपत्र पाठ्यक्रम में कब से रखा गया था ;

(ग) इस वर्ष इसे निकाल देने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि इस वर्ष "अमरीकी सरकार" (गवर्नमेन्ट आफ दि यू० एस०) नामक एक नया ऐच्छिक विषय आरम्भ किया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ङ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभापटल पर रख दी जायेगी ।

केरल विश्वविद्यालय में एम० ए० में अनिवार्य प्रश्नपत्र

3801. **श्री अ० क० गोपालन :**

श्री उमानाथ :

श्री प० कुन्हन :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल विश्वविद्यालय के राजनीति विभाग में एम० ए०

फाइनल के लिये "राजनैतिक दल तथा लोकमत" (पोलिटिकल पार्टीज एंड पब्लिक ओपीनियन) नामक ऐच्छिक प्रश्नपत्र को इस वर्ष अनिवार्य प्रश्नपत्र बना दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि इस प्रश्नपत्र सम्बन्धी लगभग सारा साहित्य अमरीका से आता है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

High Level Coordination Committee on use of Hindi

3802. **Shri Panna Lal :**
Shri Vishwa Nath Pandey :
Shri Brij Basi Lal :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have decided to constitute a high level Coordination Committee on the use of Hindi ;

(b) if so, the details of the proposal and when the Committee would be constituted ; and

(c) the expenditure to be incurred thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c) : The proposal to constitute a high level Coordination Committee on Hindi is presently under consideration.

विदेशी मुद्रा का दुरुपयोग

3803. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :**
श्री मधु लिमये :
श्री बड़े :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री अल्वारेस :
श्री तुलशीदास जाधव :
श्री प्रभात कार :
श्री मनोहरन :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री मौर्य :
श्री मुहम्मद कोया :
श्री बागड़ी :
डा० उ० मिश्र :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री अ० व० राघवन :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूना नगरपालिका परिवहन प्रबन्धक द्वारा किये गये विदेशी मुद्रा के दुरुपयोग तथा कानून के अन्य उल्लंघनों के बारे में कोई जांच की गई थी ;

(ख) क्या केन्द्रीय जांच विभाग ने उक्त प्रबन्धक पर अभियोग चलाने के लिये महाराष्ट्र सरकार की अनुमति मांगी है ;

(ग) यह अनुमति प्रथम बार कब मांगी गई थी ;

(घ) इस अभियोग को चलाने में इतना अधिक विलम्ब क्यों किया गया है ; और

(ङ) केन्द्र ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) 18 अगस्त, 1965 ।

(घ) मामला महाराष्ट्र सरकार के पास विचाराधीन था और अब उनका उत्तर प्राप्त हो गया है ।

(ङ) राज्य सरकार के उत्तर की जांच की जा रही है और आगे की कार्यवाही कानूनी सम्मति के सन्दर्भ में निश्चित की जायेगी ।

Gandhi Harijan Vidyalaya, Madangir

3804. **Shri Bade :** **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Yudhvir Singh : **Shri Omkar Singh :**

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to news item published in "Hindustan" dated 1st August, 1966 has at in a meeting of Delhi School Teachers' Union, it was mentioned that the building of Gandhi Harijan Vidyalaya, Madangir Camp is in such a dilapidated state that the life of 600 students and teachers is in danger during the rainy days;

(b) whether complaints about the ill-treatment of teachers and non-payment of salary have also been received ; and

(c) if so, the action taken in the matter ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) Yes, Sir. The Delhi Municipal Corporation have reported that part of the building has fallen down due to heavy rains and the school has been temporarily shifted elsewhere.

(b) and (c). Recently the Delhi Municipal Corporation received a complaint regarding non-payment of salary to a teacher and the Corporation have taken up the matter with the school management.

Honorary Workers in Government Organisations

3805. **Shri Omkar Singh :** **Shri Yudhvir Singh :**
Shri Bade : **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some Social Workers render honorary service in some of

the Government organisations in the country such as Home Guards, Red Cross and St. John Ambulance Brigade ;

(b) whether it is also a fact that they are ill-treated whereas they render free service at the time of difficulty facing the country ; and

(c) if so, the steps taken to remove the difficulties of the Social Workers ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri P. S. Naskar): (a) The organisations mentioned viz. Home Guards, Red Cross and St. John Ambulance Brigade are voluntary organisations and those who have joined these organisations work on a voluntary basis.

(b) No such complaints have been received.

(c) Does not arise.

तिरूर (केरल) के पुलिस के थानेदार के विरुद्ध शिकायत

3806. **श्री मुहम्मद कोया :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिरूर, जिला पालघाट, केरल के पुलिस के थानेदार के विरुद्ध तिरूर अस्पताल में साम्प्रदायिक दंगों के शिकार हुये दो व्यक्तियों को पीटने का आरोप था ;

(ख) क्या भंग की गई विधान-सभा के स्थानीय सदस्य ने लिखकर उसकी शिकायत की थी ;

(ग) क्या कोई जांच की गई थी ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). एक प्रथम श्रेणी न्यायाधीश द्वारा जांच की गई थी । आरोप सिद्ध नहीं हुये ।

Barauni Oil Refinery

3807. **Shri Ram Sewak Yadav:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether the persons whose lands have been acquired for the construction work of Barauni Oil Refinery are proposed to be given preference in regard to employment in the Refinery ; and

(b) if so, the steps taken in that direction ?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Alagesan): (a) Yes, as far as possible.

(b) Requests of such persons for employment in the refinery are given due consideration when suitable vacancies exist.

मालाबार क्षेत्र में जूनियर कालेज

3808. **श्री मुहम्मद कोया :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा में पिछड़े हुये मालाबार क्षेत्र के लिये इस वर्ष कितने जूनियर कालेजों को मंजूरी दी गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : मालाबार क्षेत्र अथवा केरल राज्य के किसी अन्य क्षेत्र में इस वर्ष किसी नये अवर कालेज की मंजूरी नहीं दी गई है ।

केरल में पिछड़े वर्गों के विद्यार्थी

3809. **श्री मुहम्मद कोया** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष केरल में पिछड़े वर्गों के कितने विद्यार्थियों को डिग्री-पूर्व कक्षाओं में दाखिला मिला है ; और

(ख) यदि कुमारपिल्ले समिति का प्रतिवेदन स्वीकार न किया जाता और डिग्री-पूर्व कक्षाओं में स्थान सुरक्षित करना स्वीकार कर लिया जाता, तो उन विद्यार्थियों को कितने स्थान मिलते ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Kairon Murder Case

3811. **Shri P. L. Barupal :**
Shri Dhuleshwar Meena :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Ministry of Home Affairs propose to take in its own hand the work of enquiry into murder of the Late S. Partap Singh Kairon, the former Chief Minister of Punjab ; and

(b) if not, whether Government of India is satisfied with the action taken by Punjab Government so far ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and the Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) and (b). As this case is pending trial in the court the question of taking over of its enquiry by the Ministry of Home Affairs does not arise.

राजस्थान में पाकिस्तानियों द्वारा घुसपैठ

3812. **श्री प० ला० बारूपाल :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में दूल्हों के भेष में दो पाकिस्तानी मुसलमान बिना पासपोर्ट के राजस्थान में घुस आये;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या उनको पकड़ लिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) से (ग). हमारे पास इस बारे में कोई सूचना नहीं है ।

Telephones in Vijay Memorial Hospital, Bikaner

3813. **Shri P. L. Barupal** :

Shri Dhuleshwar Meena :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that all the internal telephones in the well-known Vijay Memorial Hospital of Bikaner in Rajasthan are not working satisfactorily because adequate equipment and material are not being supplied to them ; and

(b) if so; the action taken in the matter ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and the Department of Communications (Shri Jaganath Rao) : (a) and (b). Five direct telephone lines have been provided by the P and T Department for the Vijay Memorial Hospital at Bikaner and these lines are working satisfactorily.

One internal 50-line exchange has been provided by the Indian Telephone Industries. On receipt of a complaint in June, 1966 of the Exchange going out of order, the Indian Telephone Industries deputed their senior inspectors who rectified the defects and informed the Hospital authorities that the damage had been caused by the seepage and leakage of water from the ceiling of the exchange room and requested them to remove this defect. Another report of the Exchange going out of order was received early in July, 1966, which was also attended by I.T.I., who again requested the hospital authorities to rectify the defects in the ceiling of the exchange room as the unsatisfactory working of the exchange was mainly due to the water leaking into the equipment and causing errosion of contacts and low insulation. No further complaints have been received by the I.T.I. in this matter, but they have, in view of the improved weather conditions, again written to the hospital authorities offering their services for rectifying any defects which may still be present.

Unemployed S. C. and S. T. Candidates in Rajasthan

3814. **Shri P. L. Barupal** :

Shri Dhuleshwar Meena :

Will the Minister of **Labour, Employment and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of persons belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes who got their names registered in various Employment Exchanges in Rajasthan during 1965 ; and

(b) the number of those amongst them who have been provided with jobs during the above period ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilita-

tion (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) and (b).

Category of applicants	No. registered during the year 1965.	No. placed in employment during the year 1965.
Scheduled Castes ..	12,015	2,767
Scheduled Tribes ..	1,077	300

Fertilizer Factory, Hanumangarh

3815. **Shri P. L. Barupal:**
Shri Dhuleshwar Meena:

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the scheme prepared by Government to set up a Fertilizer Factory in Hanumangarh area of District Ganganagar in Rajasthan has been postponed ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether it is also a fact that the Indian Chemical Fertilizer Corporation has now drawn up a plan to set up two Fertilizer Factories in Rajasthan instead of one planned previously ; and

(d) if so, the places where these factories would be set up, the amount to be spent on each and the dates by which these factories are likely to be set up ?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Alagesan) : (a) There was no scheme to set up a Fertilizer Factory by Government in Hanumangarh area.

(b) Does not arise.

(c) No. It is presumed that the Member is referring to the Fertilizer Corporation of India.

(d) Does not arise.

तूतीकोरिन में पोटाश प्लांट

3816. **श्री मुथिया** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चौथी योजना अवधि में तूतीकोरिन में 'म्यूरियेट आफ पोटाश' प्लांट स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) प्लांट पर कुल कितना खर्च आयेगा; और

(घ) क्या इसकी स्थापना के लिए विदेशी मुद्रा खर्च की जायेगी और यदि हां, तो कितनी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन): (क) तूतीकोरिन में म्यूरियेट आफ पोटाश प्लांट स्थापित करने के लिए किसी निश्चित प्रस्ताव पर अभी तक विचार नहीं हुआ है ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता ।

Arrangement for the Supply of Drinking Water in Government Offices

3817. **Shri Y. D. Singh :** **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Shri Kashi Ram Gupta :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Class IV employees are not supposed to supply drinking water in offices ; and

(b) if so, the existing arrangements for the supply of drinking water to the employees ?

The Deputy Minister of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir. Supply of drinking water falls within the ambit of the ordinary work of Class IV employees.

(b) Does not arise.

Illicit Liquor

3818. **Shri Y. D. Singh :** **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Bade : **Dr. L. M. Singhvi :**
Shri Kashi Ram Gupta :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Shahdara Police has recovered about 400 bottles of illicit liquor from some cyclists as reported in the "Nav Bharat Times" dated the 2nd July, 1966 ;

(b) if so, the action taken against them ; and

(c) the number of persons arrested since January, 1966 to date ?

The Deputy Minister of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) There is no such report in "Nav Bharat Times" of 2nd July, 1966. A report has, however, appeared in "Nav Bharat Times" of 2nd August, 1966.

The facts are as follows :

On 31st July, 1966, three cyclists were arrested by Shahdara Police with 60, 52 and 58 bottles respectively of illicit liquor in Vishwas Nagar, village Mukandpur. On that date about the same time another person moving on foot in Jhilmil colony was arrested by Shahdara Police with 60 bottles of illicit liquor.

(b) Four cases under Section 61 of the Excise Act have been registered against these persons. The investigation of the cases has been completed and will be sent to Court shortly.

(c) The Shahdara Police have arrested 224 persons during the period 1st January, 1966 to 26th August, 1966 under Section 61 of the Excise Act.

Recognition of a Delhi Colony

3819. **Dr. L. M. Singhvi :** **Shri Kashi Ram Gupta :**
Shri Y. D. Singh : **Shri Bade :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4504 on the 27th April, 1966 and state the reasons for not recognising the Colony situated near the recognized Colony of Govindpuri ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : The Colony situated near the recognized Colony of Govindpuri has not been regularised because the constructions in the Colony are unauthorised and exist either on land which does not belong to the occupants or on land which has been notified for acquisition for the planned development of Delhi.

घरों में पूजा करने का अधिकार

3820. **श्री धुलेश्वर मीना :** **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री सरजू पाण्डेय : **श्री रामानन्द शास्त्री :**
श्रीमती द्वारकादास मंत्री :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पासीघाट के राजनीतिक अधिकारी ने एक परिपत्र (सर्क्यूलर) जारी किया है जिसके द्वारा ईसाइयों को अपने घरों में पूजा करने पर रोक लगाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो लोगों के मूलभूत अधिकारों की जानबूझ कर अवहेलना करने के लिए उस अधिकारी के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर): (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नागर नियोग्यता निवारण अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अभियोग

3821. **श्री मोहन नायक** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में 1965-66 में नागर नियोग्यता निवारण अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत कितने मुकदमे चलाये गये; और

(ख) उड़ीसा राज्य में 1965-66 में उक्त अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न न्यायालयों द्वारा कितने व्यक्तियों को दण्ड दिया गया और कितने व्यक्तियों को बरी किया गया ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) और (ख). नियोग्यता निवारण अधिनियम, 1955 नाम का कोई अधिनियम उड़ीसा में लागू नहीं है । अतः मुकदमे चलाये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

English as a Language

3822. **Shri Prakash Vir Shastri :** **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Shri Priya Gupta :**
Shri Bade :

Will the Minister of **Education** be pleased to refer to his remark during the discussion on the admissibility of the Adjournment Motion re : Bastar Incidents on the 30th March, 1966 and state :

(a) whether he still holds the view that English is a difficult language ; and

(b) if so, the reasons for his Ministry giving wider publicity to English as compared to Hindi ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) The remark was made in a different context ; it was not an academic discussion, relating to the merits of the English language.

(b) Does not arise. No wider publicity to English, as such, is being given, as compared to Hindi.

स्वतंत्र भारत मिल्स, दिल्ली

3823. **श्री उमानाथ :**
श्री नम्बियार :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली में स्वतंत्र भारत मिल्स के प्रबन्धक हर सोमवार को एक पारी वाले मजदूरों से, कानून के अन्तर्गत निर्धारित घंटों के बाद, बेजा तथा मुफ्त काम लेते आ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो कब से और इस गैर-कानूनी प्रथा को बन्द करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या गैर-कानूनी रूप से काम लेने के विरुद्ध हर सोमवार को मिल के फाटकों पर काफी लोग धरना देते हैं;

(घ) क्या सरकार को पता है कि 14 अगस्त, 1966 को इस सम्बन्ध में मजदूरों के शान्तिपूर्ण जलूस पर हमला करने के लिये प्रबन्धक के शुभ अधिकारी गुंडों के एक दल को ले गये थे; और

(ङ) यदि हां, तो इसमें कितने मजदूर जख्मी हुए और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) से (ग). (i) कपड़ा मजदूर लाल झंडा यूनियन ने शिकायत की कि इस मिल के बुनाई विभाग में कुछ श्रमिक सोमवार को सुबह की पारियों में कारखाने में निर्धारित समय से पहले प्रवेश करते हैं ।

(ii) यूनियन के कुछ सदस्य 13-6-1966 से सोमवार की सुबह को सवा छः बजे से पहले श्रमिकों को मिल के अन्दर जाने से रोक रहे हैं (सुबह की पारी का निर्धारित समय साढ़े छः बजे है)।

(iii) कारखाना निदेशालय सोमवार को इस मिल के समयोपरि काम पर निगरानी रख रहा है। कोई भी समयोपरि काम नहीं पकड़ा गया; अतः मैनेजमेंट के खिलाफ किसी प्रकार की कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठा।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कलकत्ता में एक शराब की दुकान में कदाचार

3824. **श्री किशन पटनायक :** **श्री राम सेवक यादव :**
श्री मधु लिमये : **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :**
डा० राम मनोहर लोहिया : **श्री म० ना० स्वामी :**
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री प्र० के० देव : **श्री ही० ना० मुकर्जी :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री : **श्री ईश्वर रेड्डी :**
श्री बड़े : **श्री बूटा सिंह :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पहले केन्द्रीय जांच ब्यूरो तथा सीमा-शुल्क विभाग को यह सूचना दी गई थी कि कलकत्ता में स्कूल स्ट्रीट पर स्थित 'ईजाईस बार' को कुछ विशेष अनुचित सुविधाएं तथा लाभ दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है और इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

गृह-कार्य मत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी): (क) से (ग). जैसा कि वित्त मंत्रालय में मंत्री द्वारा 18 अगस्त, 1966 को तारांकित प्रश्न संख्या 520 के उत्तर में सदन में पहले ही कहा जा चुका है, उक्त बार के मालिक, प्रबन्धक तथा इसके संचालन के लिए उत्तरदायी अन्य व्यक्तियों के खिलाफ निर्णय देने के लिये सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा कार्यवाही शुरू की गई है और केन्द्रीय जांच ब्यूरो का, कानूनी सलाह प्राप्त होने के, 9 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने का विचार है। मामले की जांच के दौरान एक गवाह ने ऐसा बयान दिया कि उक्त बार को कुछ अनुचित सुविधाएं दी जा रही थीं। यह एक अपुष्ट बयान है। सदन में गवाह के बयान के बारे में बातचीत करना लोकहित की दृष्टि से उचित नहीं होगा क्योंकि इससे एक ऐसे मामले की जांच और उसकी कार्यवाही पर प्रभाव पड़ सकता है जो शीघ्र ही न्यायालय के सामने पेश होने वाला है।

अथोली शाखा डाकघर, केरल

3825. **श्री मुहम्मद कोया** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अथोली (केरल) शाखा डाकघर के दर्जे को बढ़ा कर उसे एक सब-पोस्ट आफिस बनाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कब से ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

खनन तथा धातु कर्म में प्रशिक्षण

3826. **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में कोलार स्वर्ण क्षेत्र अथवा भद्रावती में खनन तथा धातुकर्म पाठ्यक्रम आरम्भ करने के मामले में क्या प्रगति हुई है और उस पर कितनी पूंजी लगी है;

(ख) इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे विद्यार्थियों की जिनके प्रशिक्षण प्राप्त करने की आशा है, संख्या कितनी है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) और (ख) कोलार स्वर्ण क्षेत्रों में, खनन और धातुविज्ञान आदि के पाठ्यक्रमों के साथ एक इंजीनियरी और टेकनोलौजी कालेज स्थापित करने का मैसूर राज्य सरकार का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जा सका क्योंकि तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए तीसरी आयोजना के लिए निश्चित लक्ष्य पूरे हो चुके थे, और यह महसूस किया गया कि और अधिक विकास को चौथी आयोजना को अन्तिम रूप दिए जाने तक रोक रखा जाए, जिसके तैयार होने में कुछ समय लगेगा । इसलिए इस स्तर पर इस प्रायोजना के लिए आवश्यक विनियोग का प्रश्न नहीं उठता, जिसका क्षेत्र अभी निर्धारित किया जाना है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

जैसलमेर में तेल शोधक कारखाना

3827. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक तकनीकी समिति ने नया तेल शोधक कारखाना लगाने के लिए राजस्थान का जैसलमेर क्षेत्र उपयुक्त बताया है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उन पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन): (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

कोचीन तथा दुर्गापुर उर्वरक कारखाने

3828. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या प्रस्तावित 'कोचीन तथा दुर्गापुर उर्वरक परियोजनाओं' की स्थापना के बारे में इटली की एक कम्पनी के साथ हाल में अन्तिम रूप से एक करार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस करार की मुख्य शर्तें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन): (क) अभी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सहकारी स्टोर, नई-दिल्ली

3829. **श्री उमानाथ :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सहकारी स्टोर के कर्मचारियों ने 1965 और 1966 में अपनी सेवा की शर्तों के बारे में अपनी मांगों के सम्बन्ध में कोई ज्ञापन सरकार को दिया था;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगे क्या हैं और ज्ञापन किस-किस तिथि को दिये गये थे; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी). (क) जी हां ।

(ख) और (ग). ये ज्ञापन 4.3.1966 और 16.2.1966 को प्राप्त हुए थे । जो सूचना मांगी गई है उसको बताने वाला एक विवरण सभा के पटल पर रखा गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-6968/66**] वास्तव में इनमें से अधिकांश मांगें पहले नवम्बर 1964 में पेश की गई थीं और उन मांगों पर 1965 के आरम्भ में फैसला किया गया था ।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सहकारी स्टोर, नई दिल्ली

3830. **श्री उमानाथ :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1966 में नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सहकारी भण्डारों के कर्मचारियों ने कोई हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे;

(ग) यह हड़ताल कितनी अवधि तक रही और इसमें कितने और कितने प्रतिशत कर्मचारियों ने भाग लिया;

(घ) क्या हड़ताल से सम्बन्धित विवाद हल किये जा चुके हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर): (क) जी हां ।

(ख) कर्मचारी संघ द्वारा प्रबन्धकों को हड़ताल की कोई विधिवत सूचना नहीं दी गई थी । किन्तु समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों के अनुसार, संघ के प्रतिनिधियों ने 9 जुलाई, 1966 से अनिश्चित काल के लिए हड़ताल करने के लिए आह्वान किया था । संघ के महामंत्री तथा चार अन्य सदस्यों को पुलिस ने मुख्य कल्याण अधिकारी के निवास स्थान के सामने प्रदर्शन करते हुए मजिस्ट्रेट द्वारा जारी वारन्टों पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के अधीन गिरफ्तार किया ।

(ग) यह हड़ताल 12 दिन अर्थात् 10 जुलाई से 21 जुलाई, 1966 तक चली । अनुपस्थित कर्मचारियों की संख्या प्रतिदिन अलग-अलग थी । हड़ताल के पहले दिन 32 प्रतिशत व्यक्ति अनुपस्थित थे और अन्तिम दिन 43 प्रतिशत वरिष्ठ कर्मचारियों के अलावा इस संगठन में 411 कर्मचारी हैं । हड़ताल में कुल कितने कर्मचारियों ने भाग लिया तथा प्रत्येक दिन हड़ताल पर कितने प्रतिशत व्यक्ति रहे यह बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०–6969/66]**

(घ) और (ङ). संघ के महामंत्री तथा अन्य कर्मचारी जो गिरफ्तार किये गये थे 22 जुलाई 1965 को रिहा कर दिये गये और उनके खिलाफ मुकदमें भी उठा लिए गये । कर्मचारियों को दिया जाने वाला एतदर्थ मंहगाई भत्ता भी बढ़ा दिया गया है ।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् पूल में डाक्टर

3831. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65, 1965-66 और इस वर्ष जुलाई तक वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् पूल के कितने डाक्टरों को स्थायी नौकरी दी गयी है ; और

(ख) इस पूल में इस समय भी कितने व्यक्ति हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) भारत में पद ग्रहण करने के लिए जिन डाक्टरों ने पूल को छोड़ा है, उनकी संख्या निम्नलिखित है :—

वर्ष	संख्या
1964	99
1965	106
1966 (जुलाई तक)	72

(ख) 1 अगस्त, 1966 को पूल में 213 व्यक्ति थे ।

गोविन्दपुरी के निवासियों के विरुद्ध मुकदमे

3833. **श्री मधु लिमये :**
श्री किशन पटनायक :
श्री काशी राम गुप्त :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री राम सेवक यादव :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के उपायुक्त ने तेखड गांव सभा की ओर से गोविन्द-पुरी के निवासियों के विरुद्ध अधीनस्थ राजस्व सहायक के न्यायालय में धारा 169/170 डी० एल० आर० आर० 84 (ख) डी० एल० आर० ए०, तथा 145 दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत मुकदमा दायर किया था जिसमें 50 से अधिक व्यक्तियों के विरुद्ध बेदखली के आदेश जारी किये गये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वे लोग दिल्ली नगर निगम को मकान कर तथा विकास शुल्क देते रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उपायुक्त ने किस अधिकार अथवा क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उनके विरुद्ध कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, प्रभावित व्यक्ति गोविन्दपुरी की मंजूरशुदा बस्ती के निकट की एक अनधिकृत बस्ती के निवासी थे ।

(ख) गोविन्दपुरी बस्ती के निकट इस अनधिकृत मकानों के मालिकों से कोई विकास शुल्क वसूल नहीं किया गया । इन अनधिकृत मकानों के मालिकों ने गृह कर दिया है किन्तु इससे उनको यह अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता कि उनकी अनधिकृत बस्ती को नियमित घोषित कर दिया जाय ।

(ग) दिल्ली भू-सुधार अधिनियम की धारा 150 (3) के साथ पढ़ी जाती हुई धारा 161 दिल्ली के उपायुक्त को आवश्यक अधिकार अथवा अधिकार क्षेत्र प्रदान करती है ।

Activities of Hostile Nagas

3834. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Brij Basi Lal :
Shri Vishwa Nath Pandey :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on the 8th August, 1966, one man and one woman were shot dead in Imphal by a gang on hostile armed Nagas near the sub-divisional headquarters of Ukhrul area of Manipur ;

(b) if so, the number of persons killed by Nagas during 1966 so far ; and

(c) the steps taken to prevent such incidents ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and the Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) Yes, Sir.

(b) Six persons have been killed by the Nagas so far.

(c) Besides action under the law which has been taken, protective arrangements have been strengthened. More volunteer posts in the area are being opened to enable the villagers to defend themselves from the depradations of the Naga hostiles.

दिल्ली में मकानों का गिरना

3835. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में 15 अगस्त, 1966 को भूचाल से कई मकानों के गिर जाने के बारे में जांच पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस जांच का परिणाम क्या रहा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मद्रास में बर्मा शैल के संस्थापन

3836. **श्री० फ० गो० सेन** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बर्मा शैल के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है कि उसके मद्रास के संस्थापनों को सरकार अपने अधिकार में ले ले ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) और (ख). मामला अभी विचाराधीन है ।

संश्लिष्ट रेशे (पोलिस्टर फाइबर) का उत्पादन

3838. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में संश्लिष्ट रेशे बनाने के लिए इस समय कितने आवेदन-पत्र सरकार के विचारार्थ पड़े हैं ; और

(ख) उनका क्या ब्योरा है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) और (ख). एक विवरण पत्र संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०**-6970/66].

"Employees of O. N. G. C. Ahmedabad"

3839. **Shri Daji:** **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Bade : **Shri S. M. Banerjee :**
Shri Y. D. Singh :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the employees of the Oil and Natural Gas Commission, Ahmedabad have gone on strike to press their demand for 15% house rent allowance ; and

(b) if so, the action taken in the matter ?

The Minister of Petroleum and Chemicals : (Shri Alagesan) : (a) The employees other than officers and some of the supervisory staff and the security and fire-fighting staff struck work for 24 hours from the mid-night of 1st August, 1966 to mid-night of 2.8.1966.

(b) A copy of the notice of one day's token strike was received from the ONGC Employees Mazdoor Sabha through the Project Manager, Ahmedabad on 18.7.1966. The Commission have since issued orders for the grant of house rent allowance with effect from 1.9.1966 to employees working at Ahmedabad Project, in accordance with an earlier decision.

Reported Loss of Equipment at N. P. L.

3840. **Shri Daji :** **Shri Bade :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Shri Y. D. Singh :**
Shri S. M. Banerjee :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that equipment worth about Rs. 32,000 is missing from the National Physical Laboratory, New Delhi ;

(b) if so, the action taken to conduct an enquiry into the matter ; and

(c) the number of persons involved in the reported loss ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

प्रौढ़ साक्षरता सम्बन्धी प्रतिवेदन

3841. **श्री दे० जी० नायक :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिम जाति क्षेत्रों में अग्रिम परियोजनाओं के सम्बन्ध में राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के प्रौढ़ साक्षरता तथा प्रौढ़ शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय अध्ययन दल की सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या अग्रिम परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में सरकार ने कार्यवाही की है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां ।

(ख) केन्द्रीय सरकार के अनुरोध पर, कुछ राज्यों में साक्षरता मार्ग दर्शी प्रायोजनाएं प्रारम्भ की गई हैं ।

राष्ट्रीय मौलिक शिक्षा केन्द्र

3842. **श्री दे० जी० नायक** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिम जाति के लोगों की शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय मौलिक शिक्षा केन्द्र में एक विशेष विभाग (यूनिट) खोली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके कार्यकलाप क्या हैं और उनके क्या परिणाम निकले हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां ।

(ख) यूनिट ने दो विशेष अध्ययन प्रारम्भ किये हैं, (i) उड़ीसा के साओरास की शैक्षिक समस्याएं और (ii) अनुसूचित कबीलों के विद्यार्थियों के लिए सरकारी वित्तीय सहायता का उपयोग । ये अध्ययन चल रहे हैं । कबायली कल्याण पर एक संक्षिप्त संग्रह, प्रौढ़ साक्षरता पर एक रिपोर्ट और कबायली शिक्षा पर एक भाष्य-ग्रन्थ सूची तैयार की गई है । यूनिट ने सितम्बर 1965 में कबायली शिक्षा पर एक सेमिनार का भी आयोजन किया ।

दिल्ली विश्वविद्यालय की अनुसंधान परियोजनाओं के लिये अमरीकी सहायता

3843. **श्री ब्रज बिहारी मेहरोत्रा :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय को अमरीका की कृषि अनुसंधान सेवा से तीन अनुसंधान परियोजनाओं के लिए अनुदान मिला है; और

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी राशि का अनुदान प्राप्त हुआ है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय ने अमरीका के कृषि विभाग की कृषि अनुसंधान सेवा (Agricultural Research Service) से अब तक नौ अनुसंधान परियोजनाओं के लिए अनुदान प्राप्त किया है ।

(ख) 15,67,528 रुपए ।

Alleged Atrocities on Minorities in Rajasthan

3844. **Dr. Ram Manohar Lohia :** **Shri Madhu Limaye :**
Shri Ram Sewak Yadav : **Shri Kishen Pattnayak :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that atrocities were committed against minorities in the border

areas of Rajasthan, near about September, 1965 ; and

(b) if so, the action taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No.

(b) Question does not arise.

निजामुद्दीन पुल काण्ड

3845. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजामुद्दीन पुल काण्ड की जांच का काम विशेष पुलिस संस्थान को सौंप दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). निजामुद्दीन पुल के निर्माण में देर तथा बर्बादी के आरोपों से सम्बन्धित कुछ मामलों को जांच के लिये विशेष पुलिस संस्थान के हवाले करने का एक प्रस्ताव अभी तक दिल्ली नगर निगम के पास विचाराधीन है। किन्तु ठेकेदारों तथा अन्य व्यक्तियों के खिलाफ कुछ आरोप प्राप्त होने पर विशेष पुलिस संस्थान ने प्रारम्भिक जांच के लिए एक मामला दर्ज कर लिया है। जांच अभी तक चल रही है ।

पाकिस्तानी गाय-चोर

3846. **श्री रा० स० तिवारी :**

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 11 अगस्त, 1966 की रात्रि को पूर्वी पाकिस्तान की सीमा के साथ लगने वाले पश्चिमी दीनाजपुर जिले के इस्लामपुर सब-डिवीजन में भारतीय सीमा गश्ती दल के साथ हुई मुठभेड़ में दो पाकिस्तानी गाय-चोर मारे गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) 12.8.66 को जब रात के तीन बजे लगभग 15 सशस्त्र पाकिस्तानी अपराधी चोरी के पांच मवेशी लेकर पश्चिम बंगाल के पश्चिम दीनाजपुर जिले में इस्लामपुर सब डिवीजन की ठोकराबाड़ी सीमा चौकी से होकर पाकिस्तानी क्षेत्र की ओर लौट रहे थे तब हमारी उक्त गश्ती टुकड़ी के ललकारने पर अपराधियों ने उस पर गोली चलाई। गश्ती टुकड़ी ने भी आत्मरक्षा के लिये जवाब में गोली चलाई। गिरोह का एक सदस्य गोलीबारी में मारा गया और चार घायल हो गए। कहा जाता है कि उनमें से भी एक बाद में चोटों के फलस्वरूप मर गया।

(ख) एक आपराधिक मामला शुरू किया गया है ।

केरल में नगरपालिका कर्मचारियों सम्बन्धी मजूरी बोर्ड

3847. **श्री वासुदेवन नायर :** क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नगरपालिका मजदूर सम्बन्धी मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों पर सरकार ने कोई निर्णय किया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उन पर कब तक निर्णय किया जायेगा ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) और (ख). नगरपालिका श्रमिक सम्बन्धी मजूरी बोर्ड की अंतरिम सहायता के बारे में सिफारिशें केरल सरकार द्वारा जनवरी, 1966 में स्वीकार कर ली गईं। बोर्ड की अंतिम सिफारिशों की प्रतीक्षा है।

नई दिल्ली में बैरन रोड पर हुई चोरियां

3848. **श्री जेधे :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जुलाई, 1965 में नई दिल्ली में बैरन रोड पर कुल कितनी बार चोरियां हुईं ;

(ख) कितने मामले दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 457 के अन्तर्गत दर्ज किये गये ;

(ग) कितने मामलों में पुलिस ऐसे बरतनों को, जिन पर चोरों की उंगलियों के निशान थे, आगे तहकीकात के लिये ले गई थी ; और

(घ) कितने मामलों में अपराधी पकड़े गये और उन पर अभियोग चलाया गया ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) एक।

(ख) कोई नहीं।

(ग) और (घ). उपरोक्त मामलों में स्टेनलेस स्टील का एक गिलास पुलिस ने आगे की जांच के लिये कब्जे में लिया था। मामले को दाखिल दफ्तर कर दिया गया क्योंकि उंगलियों के निशान उठाये नहीं जा सके और अन्य कोई सबूत नहीं मिला।

टेलीफोनों के उपकरण

3849. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगाल नेशनल चैम्बर आफ कामर्स ने सरकार से अनुरोध किया है कि टेलीफोनों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए टेलीफोनों के उपकरणों का निर्माण आरम्भ करने हेतु गैर-सरकारी क्षेत्रों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए क्योंकि सरकारी क्षेत्र में भारतीय टेलीफोन इन्डस्ट्रीज लिमिटेड नामक कारखाना मांग को पूरा करने में असमर्थ है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि टेलीफोन लगाने के लिए लगभग 69,000 आवेदन-पत्र केवल कलकत्ता टेलीफोन केन्द्र के रजिस्टर की प्रतीक्षा-सूची में हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) जी हां, ऐसा एक सुझाव प्राप्त हुआ है । फिर भी सार्वजनिक क्षेत्र संस्थान भारतीय टेलीफोन उद्योग अपने यहां निर्मित उपस्करों की किस्मों की आवश्यक मात्रा सप्लाई करने की स्थिति में है ।

(ख) जी हां ।

(ग) देश में कलकत्ता तथा अन्य टेलीफोन प्रणालियों के विस्तार की गति योजना के उपबन्धों तथा निधि की उपलब्धि द्वारा सीमित होती है । डाक-तार विभाग निजी क्षेत्रों से बाहरी उपरली टेलीफोन तथा तार लाइनों के लिए बड़ी मात्रा में भंडार खासकर लोहे के तार, खम्भे तथा लोहे का अन्य सामान खरीदता है, क्योंकि इन वस्तुओं का या तो सार्वजनिक क्षेत्र में उत्पादन ही नहीं होता या उत्पादित मात्रा अपर्याप्त होती है ।

भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी का अवमान के मामले से सम्बद्ध होना

3850 **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग के बंगलौर स्थित दक्षिण सर्कल का एक अधिकारी न्यायालय के अवमान के मामले से सम्बन्धित था ;

(ख) क्या उक्त अधिकारी के विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या इस मुकदमें में कानूनी व्यय सरकार ने वहन किया था ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभापटल पर रख दी जायेगी ।

हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के कर्मचारी

3851. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के प्रबंधकों द्वारा स्थायी कर्मचारियों के स्थान पर ठेके के कर्मचारी रखने के प्रयासों का विरोध करने के कारण कर्मचारियों को आरोप-पत्र दिये गये हैं ;

(ख) क्या कम्पनी के डिपुओं के स्थान पर क्लीयरिंग ऐंड फार्वर्डिंग एजेन्ट रखे जा रहे हैं ;

(ग) क्या कुछ कर्मचारियों को फालतू घोषित कर दिया गया है ;

(घ) क्या भूख हड़तालें और आन्दोलन किये जा रहे हैं ; और

(ङ) इस कम्पनी द्वारा अर्जित किये जा रहे बड़े भारी लोभ को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का इस मामले में हस्तक्षेप करने और इन कर्मचारियों की सेवा का संरक्षण सुनिश्चित करने का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ङ). इस मामले का सम्बन्ध सम्बन्धित राज्य सरकारों से है। जहां तक दिल्ली प्रशासन का ताल्लुक है, स्थिति इस प्रकार है :—

(क), (ख) और (ग). कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(घ) जी हां ।

(ङ) मैनेजमेंट ने आश्वासन दिया है कि क्षेत्रीय कर्मचारियों के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप किसी वर्तमान सेल्समैन या पर्यवेक्षक को नौकरी से नहीं निकाला जायगा ।

कालीकट में प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज

3852. **श्री अ० व० राघवन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालीकट स्थित प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज के 50 प्रतिशत आवर्ती व्यय की पूर्ति के लिए केन्द्रीय सहायता जारी रखने का कोई सरकार का विचार है ;

(ख) क्या वह अवधि, जिसके लिए सहायता देने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच समझौता हुआ था, समाप्त हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो और अवधि के लिए सहायता जारी रखने के बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां ।

(ख) वह अवधि चालू वित्तीय वर्ष के अन्त में समाप्त होगी ।

(ग) अभी एक और वर्ष के लिए सहायता जारी रखने का विचार है। सहायता अनिश्चित काल तक जारी रखने के प्रश्न पर भी विचार हो रहा है ।

भारतीय प्रशासन सेवा, भारतीय विदेश सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में तन्निम्न (नेकरट-विलोरूल) सम्बन्धी नियम

3853. **श्री श० ना० चतुर्वेदी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रशासन सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और केन्द्रीय सेवाओं (पृथक्-पृथक्) के कितने अधिकारियों को इस समय तन्निम्न सम्बन्धी नियम से लाभ हो रहा है, अर्थात् निम्न पद पर काम करते हुए भी उच्च पद का वेतन ले रहे हैं क्योंकि उनसे कनिष्ठ अधिकारी की उच्च पद पर पदोन्नति कर दी गई है;

(ख) क्या यह लाभ ऐसे अधिकारियों को भी मिला है, जिन्होंने व्यक्तिगत कारणों से पदोन्नति स्वीकार नहीं की अथवा अनुपयुक्ता तथा रिकार्ड अच्छा न होने के कारण उनका अधिलंघन हुआ; और

(ग) इस नियम के लागू होने से 1963-64, 1964-65 और 1965-66 में सरकारी कोष से कितना अतिरिक्त धन खर्च हुआ ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

सड़क परिवहन सम्बन्धी मजूरी बोर्ड

3854. **श्री लक्ष्मीदास :** **श्री नम्बियार :**
श्री कोल्ला वेंकैया : **श्री अ० क० गोपालन :**

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सड़क परिवहन उद्योग सम्बन्धी केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की नियुक्ति किस तारीख को की गई थी;

(ख) उक्त मजूरी बोर्ड के लिए अफसरों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति किन-किन तारीखों को की गई थी; और

(ग) इस मजूरी बोर्ड ने अपने काम के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति की है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) मजूरी बोर्ड 28-5-1966 को गठित किया गया ।

(ख)

अफसर	**नियुक्त की तारीख**
अध्यक्ष	28-5-66
सदस्य सचिव	25-8-66
कर्मचारी	
अनुसंधानकर्त्ता ग्रेड II	20-7-66
आशुलिपिक (दो)	25-7-66
	25-8-66
अवर श्रेणी क्लर्क	16-8-66
चपरासी	1-7-66

(ग) बोर्ड ने अपनी पहली बैठक 22 जून, 1966 को की । दूसरी बैठक 29-8-1966 को नई दिल्ली में हुई ।

केरल में छंटनी किये गये कर्मचारियों को नौकरी पर रखना

3855. **श्री इम्बीचिबावा :** **श्री कोल्ला वेंकैया :**
श्री अ० क० गोपालन : **श्री उमानाथ :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सम्बन्धी संसदीय परामर्शदात्री समिति ने केरल जनगणना कार्यालय के छंटनी किए गये 10 कर्मचारियों को किसी अन्य सरकारी विभाग में नौकरी पर रखने का निर्णय किया है;

(ख) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या छंटनी किये गये इन कर्मचारियों को अन्य नौकरी दी गई; और

(घ) यदि नहीं, तो उनको अन्य नौकरी दिये जाने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) जी हां ।

(ख), (ग) और (घ). केरल में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से कहा गया है कि वे केरल जनगणना कार्यालय के छंटनी किये गये कर्मचारियों को जहां तक हो सके अपने यहां रख लें । इसके परिणामस्वरूप कोचीन पोर्ट ट्रस्ट में एक व्यक्ति को रख लिया गया है । अन्य लोगों की नियुक्ति के लिए पदों की तलाश की जा रही है ।

बर्मा से स्वदेश लौटने वाले लोगों का पुनर्वास

3856. **श्री उमानाथ :**
श्री प० कुन्हन :
श्री म० ना० स्वामी :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बर्मा से स्वदेश लौटने वाले भारत मूलक विस्थापित किसानों तथा अकुशल श्रमिकों को बसाने के लिए कोई कार्यवाही की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या स्वदेश लौटने वाले इन लोगों को अन्दमान में और दण्डकारण्य में बसाने का कोई कार्यक्रम है; और

(घ) यदि हां, तो इन व्यक्तियों की संख्या कितनी है तथा उन्हें कब तक बसाया जायगा ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-6971/66**]

(ग) और (घ). अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में स्वदेश लौटने वालों को बसाने के लिए प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं। स्वदेश लौटने वालों को दण्डकारण्य में बसाने के लिए वर्तमान में कोई कार्यक्रम नहीं है।

बर्मा से स्वदेश लौटने वाले लोगों का वर्गीकरण

3857. **श्री प० कुन्हन :**
श्री उमानाथ :
श्री म० ना० स्वामी :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा से स्वदेश लौटने वाले भारतीय लोगों का, उनके व्यवसायों के अनुसार कोई वर्गीकरण, करने की कार्यवाही सरकार द्वारा की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा०रा० चह्वाण): (क)और (ख). राज्य सरकारों को कहा गया है कि बर्मा से स्वदेश लौटने वाले भारतीयों को जब शिविरों में प्रवेश दिया जाता है या जब वे पुनर्वास सहायता के लिए आवेदन करते हैं, उस समय उनके व्यवसाय के बारे में जानकारी एकत्रित की जाय। पहिचान पत्रों में दी गई जानकारी के आधार पर मद्रास सरकार द्वारा की गई छान-बीन के अनुसार शिविरों में दाखिल किये गये लौटने वाले भारतीयों की व्यवसाय के अनुसार रचना निम्न है :—

(1) छोटे कारबार वाले तथा व्यापारी	40 प्रतिशत
(2) कृषक	12 प्रतिशत
(3) मजदूर	20 प्रतिशत
(4) कुशल कारीगर तथा दस्तकार	12 प्रतिशत
(5) कर्मचारी, जैसे कि; लिपिक लेखाकार सेल्समैन चपरासी इत्यादि	10 प्रतिशत
(6) अन्य	6 प्रतिशत

बर्मा से स्वदेश लौटे हुए कुशल लोगों को पुनः रोजगार दिलाना

3858. **श्री प० कुन्हन :**
श्री उमानाथ :
श्री म० ना० स्वामी :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अध्यापकों, प्राध्यापकों, वकीलों, इंजीनियरों तकनीशियनों और

चिकित्सकों आदि व्यावसायिक लोगों तथा कुशल श्रमिकों को, उनके बर्मा से स्वदेश लौटने पर रोजगार देने के लिए कोई कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण): (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-6972/66**]

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बर्मा से स्वदेश लौटे हुए लोगों को सुविधाएं

3859. **श्री प० कुन्हन :**
श्री उमानाथ :
श्री म० ना० स्वामी :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा से स्वदेश लौटने वाले भारतीय लोगों को वही सुविधाएं और लाभ, विशेष रूप से सरकारी सेवाओं और उपक्रमों में, दिये जाते हैं, जो अन्य देशों से लौटने वाले शरणार्थियों को दिये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा०रा० चह्वाण) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-6973/66**]

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड कर्मचारी उपभोक्ता भण्डार

3860. **श्री कोल्ला वैंकैया** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय आसूचना विभाग के अधिकारियों ने हिन्दुस्तान शिपयार्ड कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी भण्डार लिमिटेड के कार्य की जांच की है और इसके रिकार्डों को अपने कब्जे में ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इनके सौदों में गम्भीर अनियमितताओं और गलत कार्यों का पता चला है;

(ग) ये सौदे कितनी रकम के हैं; और

(घ) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) हिन्दुस्तान शिपयार्ड कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी भण्डार लिमिटेड के हिसाब में गड़बड़ी के बारे में एक शिकायत हैदराबाद विशेष पुलिस संस्थान के पुलिस सुपरिन्टेन्डेंट को प्राप्त हुई थी। इस शिकायत में लगाये गये आरोपों का सम्बन्ध रोकड़ में गवन से था अतः इसे हिन्दुस्तान शिपयार्ड के प्रबन्धकों के पास भेजा जा रहा है ताकि वे हिसाब की इस दृष्टि से लेखा-परीक्षा करायें कि कितना गबन हुआ है और उसके लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार हैं। इस सहकारी भण्डार के मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जांच नहीं की।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

अंगूरी बाग, दिल्ली में शरणार्थियों के क्वार्टर

3861. **श्री काजरोलकर** : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लाल किला, दिल्ली के निकट अंगूरी बाग में शरणार्थियों के क्वार्टरों से सम्बद्ध महिला तथा पुरुषों के चार स्नानागारों (दो महिला स्नानागार तथा दो पुरुष स्नानागार) पर अनधिकृत व्यक्तियों ने कब्जा कर लिया है और वह उनमें रह रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन स्नानागारों को अनधिकृत व्यक्तियों से खाली कराने तथा इन्हें इस कालोनी के निवासियों के प्रयोग के लिए उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई है जिससे इन स्नानागारों के अनधिकृत व्यक्तियों के कब्जे में होने के कारण इस कालोनी के लोगों को हो रही कठिनाई दूर हो सके ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण): (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली नगर निगम जिनको यह बस्ती हस्तान्तरित की गई है उनको इस बारे में सूचना प्राप्त हो गई है और उनका प्रस्ताव है कि अनधिकृत अधिभोक्ताओं को बेदखल करने के बारे में कार्यवाही की जाय।

पंजाब सरकार का गोपनीय ज्ञापन

3862. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :**
श्री हेम बरुआ :
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि पंजाब उच्च न्यायालय ने पंजाब भूमि-पट्टा संरक्षण अधिनियम, 1963 के उपबन्धों के अन्तर्गत फालतू (सरप्लस) घोषित

किये क्षेत्रों को प्रयोग न करने के बारे में राज्य के कुछ उपायुक्तों को 22 जुलाई, 1961 को भेजे गये पंजाब सरकार के एक गोपनीय ज्ञापन को शक्ति-बाह्य घोषित कर दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त आदेश अभी तक लागू है और सरकार ने उसे निष्प्रभाव नहीं किया है;

(ग) यदि हां, तो उच्च न्यायालय के निर्णय का पालन न करने से उत्पन्न स्थिति को सुधारने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है; और

(घ) इस आदेश के जारी किये जाने के परिणामस्वरूप जिन पट्टेदारों का नुकसान हुआ है उन्हें क्या सहायता दी जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) यह कहना ठीक नहीं है कि उक्त आदेश शक्ति बाह्य घोषित कर दिया गया था ।

(ख) उक्त आदेश अभी तक लागू है और इसे वापस लेने का कोई विचार नहीं है ।

(ग) और (घ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

छिपे हुए विद्रोही मिजो

3863. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री बूटा सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छिपे हुए मिजो विद्रोहियों की गतिविधियों का प्रतिकार करने के लिए कोई अग्रेतर कार्यवाही की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां । मिजो नेशनल फ्रंट के विद्रोहियों का पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार करने अथवा नष्ट करने की कार्यवाहियां लगातार जारी रखी जा रही हैं ।

(ख) इन कार्यवाहियों का ब्योरा इस स्थिति पर जाहिर नहीं किया जा सकता ।

(ग) इन कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप मिजो नेशनल फ्रंट के विद्रोही छोटे-छोटे गिरोहों में कट कर एक-दूसरे से अलग पड़ गये हैं । सुरक्षा सेनाएं उनको जरा भी छूट नहीं दे रहीं । उनका मनोबल भी टूटता जा रहा है ।

अखिल भारतीय पुस्तक प्रकाशन परिषद्

3864. **श्री रामपुरे** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक अखिल भारतीय पुस्तक प्रकाशन परिषद् स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित परिषद् का संक्षिप्त ब्योरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख). सरकार ने एक राष्ट्रीय पुस्तक विकास बोर्ड स्थापित करने का निर्णय किया है। इसके गठन, कार्यों तथा क्रियाकलापों से संबंधित ब्योरे तैयार किये जा रहे हैं।

अखिल भारतीय प्राथमिक अध्यापक संघ (फेडरेशन)

3865. **श्री रामपुरे** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक अखिल भारतीय प्राथमिक अध्यापक संघ ने सरकार को हाल में कोई ज्ञापन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या-क्या मांगें की गई हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने उन पर विचार कर लिया है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० (श्रीमती) सौंदरम रामचन्द्रन): (क) से (ग). संघ का एक प्रतिनिधि मंडल 31.7.1966 को शिक्षा मंत्री से मिला और उन्होंने उनके अध्यक्ष की ओर से एक पत्र दिया। इस पत्र में ऐसे मामलों के बारे में, जिनसे राज्य सरकारें सम्बन्धित हैं और जिन पर केन्द्रीय सरकार ने कोई निर्णय नहीं लेना है, कई शिकायतों का उल्लेख किया गया है। उसमें यह भी लिखा हुआ है कि शिक्षा एक केन्द्रीय विषय होना चाहिये। यह मामला कुछ समय से पहले ही सरकार के विचाराधीन है।

जम्मू तथा काश्मीर में पाषाण युग के स्थानों का पता लगाना

3866. **श्री रा० स० तिवारी** :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में जम्मू तथा काश्मीर राज्य में कठुआ जिले में पाषाण युग के कुछ स्थानों का पता लगाया गया है, जिनके 4 लाख वर्ष पुराने होने का विश्वास किया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस खोज का संक्षिप्त विवरण क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां ।

(ख) 1965 में, कठुआ जिले में, रावी घाटी में, जिन पांच स्थानों का पता चला है उन स्थानों पर दो प्रकार के पूर्व-ऐतिहासिक यंत्रों का पता चला है जो तीन से लेकर चार लाख वर्ष तक पुराने हो सकते हैं । उनका कालक्रम अभी स्थापित नहीं हो सका है । नदी के कंकड़ों से बने इन यंत्रों का प्रयोग स्पष्टः, मरे हुए जानवरों के चमड़े खींचने, उनका गोश्त काटने अथवा उनकी हड्डियों को चीरने के लिए किया जाता था । छोटे शल्क से बने अन्य प्रकार के यंत्र अपेक्षाकृत नाजुक छिलाई के लिए प्रयोग किए गए होंगे ।

Grants to Hindi Institutions

3867. **Shri Ram Sewak Yadav :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that many Hindi Institutions have been sanctioned grants by his Ministry time and again for bringing out the same type of publications ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan) : (a) and (b). Grants are given to Hindi Institutions only for such publications they are considered conducive to the development of the Hindi language even though they may be of the same type. However grants are not repeated for the same publication.

Research Assistants in Central Hindi Directorate

3868. **Shri Ram Sewak Yadav :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the quota of translation work per day of Research Assistants (Hindi Translation) working in the Central Hindi Directorate has been raised ; and

(b) if so, the extent and the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan) : (a) and (b). On the basis of the work study conducted in the Central Hindi Directorate, by the Staff Inspection Unit of the Ministry of Finance, the outturn of Research Assistants engaged on translation work has been raised from 3 to 4 standard pages of 300 words each per head per day.

Officers of the Administrative Division of the Ministry of Education

3869. **Shri Vishram Prasad :** **Shri Ram Sewak Yadav :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Shri Yashpal Singh :**

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that most of the Gazetted Officers in the Administrative Division of his Ministry do not know Hindi, and

(b) if so, whether Government propose to appoint Hindi-knowing officers in place of the present non-Hindi-knowing ones in the non-technical division like that of Administration, in view of the special responsibilities of the Ministry of Education for the expansion and propagation of Hindi ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) No, Sir. Out of 19 gazetted officers in the Administration Division of the Ministry of Education, 11 have working knowledge of Hindi.

(b) No, Sir. Efforts to encourage non-Hindi-knowing officers to learn Hindi will, however, continue.

Non-Gazetted Employees

3870, **Shri Vishram Prasad** : **Shri Ram Sewak Yadav** :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Shri Yashpal Singh** :

Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4545 on the 27th April, 1966 and state :

(a) the post on which that employee who was not transferred is working and the date since which he is working there ; and

(b) the number of persons who were transferred from such posts during the last five years on the ground of their having completed three years ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) Parliament Assistant since 30-10-1958.

(b) One.

Books Prescribed by Delhi Education Directorate

3871. **Shri Vishram Prasad** : **Shri Ram Sewak Yadav** :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Shri Yashpal Singh** :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Hindi books prescribed by the Delhi Education Directorate in the Primary and Higher Secondary Schools of Delhi have smaller type while English books have bigger type ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) and (b). The sizes of types used in different text-books differ according to the age group of the students and the stage at which the language used in the book is first introduced. Since Hindi and English are first introduced at different stages, the types used are also different at certain stages.

Employees and Officers in C.S.I.R.

3872. **Shri Vishram Prasad** : **Shri Ram Sewak Yadav** :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Shri Yashpal Singh** :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the number of employees and the Officers (Hindi) in the Council of Scientific and Industrial Research and ;

(b) their respective pay-scales?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) and (b). The number of employees and the officers (Hindi) in the Council of Scientific and Industrial Research Headquarters alongwith their respective scales of pay is given below:

	Designation	No. of posts.	Scales of Pay.
1.	Manager (Indian Languages Unit).	One	Rs. 1,100–50–1,300–60–1,600–100–1,800.
2.	Assistant Editor	One	Rs. 400–400–450–30–600–35–670–EB–35–950.
3.	Senior Technical Assistants.	Three	Rs. 325–15–475–EB–20–575.
4.	Junior Technical Assistant.	One	Rs. 210–10–290–15–320–EB–15–425.
5.	Senior Stenographer.	One	Rs. 210–10–270–15–300–EB–15–450–20–530.
6.	Junior Stenographer.	One	Rs. 130–5–160–8–200–EB–8–256–EB–8–280–10–300.
7.	Hindi Teacher.	One	Rs. 200–10–250–15–310–EB–15–400 (Pre-revised scale).
8.	Typist.	One	Rs. 110–3–131–4–155–EB–4–175–5–180.
9.	Senior Research Fellow.	One	Rs. 400/- p. m. fixed.

Arithmetic Books for Delhi Schools

3873. **Shri Vishram Prasad:** **Shri Ram Sewak Yadav:**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya: **Shri Yashpal Singh:**

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Arithmetic books recommended by the Delhi Education Directorate for Primary and Higher Secondary Schools in Delhi, are full of errors; and

(b) if so, the steps being taken to correct them?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) and (b). The requisite information is being collected from the Delhi Administration and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

सम्भरण तथा प्रतिरक्षा विभागों में सहायकों (असिस्टेंट्स) का निम्न पदों पर वापस आना

3874. **श्री काजरोलकर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1950 और 1951 में सप्लाई तथा प्रतिरक्षा विभागों के बहुत से सहायक निम्न पदों पर वापिस भेज दिये गये थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उसके बाद उनमें से कुछ सहायकों को नियमित कर दिया गया था और उन्हें उनके निम्न पदों पर वापस आने से पहले की वरीयता तथा वेतन का लाभ दिया गया था ;

(ग) क्या अन्य सहायक, जिन्हें इसी प्रकार निम्न पदों पर वापस भेज दिया गया था, इस आशय के अभ्यावेदन देते आ रहे हैं कि उन्हें भी इसी प्रकार के लाभ दिये जाने चाहिये और क्या उनके मामले विचाराधीन हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उनके मामले कितनी अवधि से विचाराधीन हैं और इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक लिये जाने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां। उस अवधि में कई मंत्रालयों आदि में जिनमें संभरण तथा प्रतिरक्षा शामिल थे, कर्मचारियों की संख्या में कमी करने के कारण अवनतियां की गईं।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ). कुछ अन्य ऐसे सहायकों के अभ्यावेदनों पर जिन्हें पदावनत किया गया था मंत्रालयों आदि से उन सभी सहायकों के बारे में सूचना एकत्रित करने का निश्चय किया गया जिनके मामलों में पदावनति के आदेशों को अनियमित माना जा सकता था। ऐसा इसलिए किया गया ताकि सम्बन्धित व्यक्तियों की संख्या का अनुमान लगाया जा सके और समस्या के वित्तीय तथा अन्य सम्बन्धित पहलुओं की जांच की जा सके। इस सूचना का सम्बन्ध बहुत पुरानी अवधि के साथ है और यह निश्चय करने के लिए कि किसी विशेष मामले में अवनति को अनियमित माना जा सकता था या नहीं, सभी तथ्यों के बारे में अवनति के समय की स्थिति की सविस्तार जांच करने की जरूरत है। इसलिए मंत्रालयों आदि को सभी व्यक्तियों के बारे में निश्चित रूप से बताने में कुछ कठिनाई महसूस होती रही है जिसके फलस्वरूप पूरी सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई। स्थिति का स्पष्ट चित्र सामने आते ही सरकार इस बारे में निश्चय करेगी कि सम्बन्धित व्यक्तियों की ज्यादह से ज्यादह सहायता किस प्रकार की जा सकती है।

सरकारी कर्मचारियों के आवेदन-पत्रों को आगे भेजना

3875. **श्री बालगोविन्द वर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभागाध्यक्षों द्वारा संघ लोक सेवा आयोग तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा विज्ञापित पदों के लिये तकनीकी तथा वैज्ञानिक कर्मचारियों को छोड़कर केन्द्रीय सरकार के सभी स्थायी कर्मचारियों के आवेदन-पत्र उदारतापूर्वक तथा उनकी संख्या पर ध्यान न देते हुए आगे भेजे जायेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विभागाध्यक्षों द्वारा अपनाई जाने वाली नीति का ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). तकनीकी तथा वैज्ञानिक व्यक्तियों के अलावा अन्य स्थायी सरकारी कर्मचारियों के आवेदन पत्र विज्ञापित पदों के लिए आगे भेजते समय वर्ष में उनकी संख्या पर कोई बंदिश नहीं है। किन्तु इस बारे में

निर्णय लेने का अधिकार सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारी को है कि किसी विशेष आवेदन-पत्र को आगे भेजा जाय या नहीं। निर्णय लेते समय अधिकारी को व्यक्ति को कठिनाई से बचाने की आवश्यकता के साथ राज्य के हित पर भी ध्यान देना पड़ता है।

मैंगनीज की खानों के मजदूरों की न्यूनतम मजूरी

3877. **श्री प्रिय गुप्त :** क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र की मैंगनीज खानों के मजदूरों पर न्यूनतम मजूरी अधिनियम लागू होता है ;

(ख) यदि नहीं, तो खानों के उन मजदूरों के लिए न्यूनतम मजूरी सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) क्या उन मजदूरों की मजूरी निर्धारित करने के लिये सरकार का विचार एक न्यूनतम मजूरी बोर्ड बनाने का है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं।

(ख) श्रम ब्यूरो, शिमला के निदेशक से एक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई है और मैंगनीज खानों पर न्यूनतम मजूरी अधिनियम, 1948 लागू करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

(ग) जी नहीं।

मैंगनीज कामगारों के मामले में मध्यस्थ निर्णय

3878. **श्री प्रिय गुप्त :** क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैंगनीज कर्मगारों के मामले में 15 जून, 1955 को दिये गये बिन्द्रा पंचाट पटना उच्च न्यायालय द्वारा मध्यस्थ निर्णय के लिये 1965 में उनके मंत्रालय को सौंपा गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं।

(ख) 26 दिसम्बर, 1963 को हुई केन्द्रीय क्रियान्विति और मूल्यांकन समिति की आठवीं बैठक में यह स्वीकार किया गया कि यह मामला तत्कालीन राज्य श्रम मंत्री, श्री जे० एल० हाथी के पंचनिर्णय के लिये भेजा जाये। श्री हाथी द्वारा पंच-निर्णय नहीं दिया जा सका, क्योंकि उन्होंने श्रम मंत्रालय छोड़ दिया। तत्पश्चात अप्रैल 1964 में नियोजकों के प्रतिनिधि

के सुझाव पर यह विवाद तत्कालीन श्रम मंत्री, श्री डी० संजीवैया के पंचनिर्णय के लिए भेज दिया गया। जब यह मामला सुनवाई के लिये तैयार हुआ तब श्री संजीवैया ने भी श्रम मंत्रालय छोड़ दिया और पंचनिर्णय करने में अपनी असमर्थता प्रकट की। अब मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) से इस विवाद में समझौता कराने के लिये प्रार्थना की गई है।

कर्मचारी भविष्य निधि योजना

3879. **श्री म० प० स्वामी :** क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक फर्मों के बंगलों तथा अतिथि-गृहों (गेस्ट हाउसेज) में काम करने वाले चौकीदारों तथा मालियों जैसे मजदूर वर्गों पर भी कर्मचारी भविष्य निधि योजना लागू करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). अध्यापकों, मालियों, मेहतरों, चौकीदारों, अस्पताल के कर्मचारियों आदि जैसे मजदूरों के कुछ वर्गों को निर्वाह निधि का लाभ देने के लिये कर्मचारी निर्वाह निधि अधिनियम, 1952 में संशोधन सम्बन्धी एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

राष्ट्रीय अभिलेखागार (आर्काइव्स) के निदेशक

3880. **श्री ब० कु० दास :**

श्री स० चं० सामन्त :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय अभिलेखागार के निदेशक के विरुद्ध आरोपों के बारे में विशेष पुलिस संस्थान का जांच प्रतिवेदन केन्द्रीय सतर्कता आयोग के विचाराधीन है ;

(ख) क्या यह सच है कि जांच में विशेष पुलिस संस्थान तथा पूर्ति और निपटान महानिदेशक के साथ सहयोग करने के कारण निदेशक ने कुछ अधीनस्थ अधिकारियों को तंग किया है ; और

(ग) क्या निदेशक के विरुद्ध प्रथम दृष्टि में प्रतीत मामले (प्राइमा फेस केस) में उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ग). केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार को 3880 कम्प्रैस्ड स्ट्रा बोर्ड कार्टन बक्सों के सम्भरण के मामले की जांच की और एक प्रतिवेदन दिया जिस पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने विचार किया। आयोग की सलाह से निदेशक तथा अन्य

अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई। कार्यवाही पूरी कर ली गई और जांच अधिकारी के प्रतिवेदन पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है।

(ख) सरकार को ऐसे किसी मामले का पता नहीं जिसमें विशेष पुलिस संस्थान तथा पूर्ति और निपटान के महानिदेशक के साथ जांच में सहयोग के परिणाम-स्वरूप किसी को तंग किया गया हो।

साधुओं द्वारा आन्दोलन

3881. **श्री प्रिय गुप्त :**
श्री मौर्य :
श्री रामेश्वरानन्द :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रामानन्द शास्त्री :
श्री काशी राम गुप्त :
श्री यशपाल सिंह :
श्री उ० मू० त्रिवेदी :
श्री किशन पटनायक :
श्री बड़े :
श्री बाल्मीकी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 2 अप्रैल, 1966 को संसद भवन के बाहर धरना देने वाले कुछ सत्याग्रही साधुओं को, जो गो-हत्या पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे थे, गिरफ्तार किया गया था और पुलिस अपने साथ कुछ गाय भी ले गई थी ;

(ख) यदि हां, तो वे अपने साथ कितनी गाय ले गये थे ;

(ग) क्या गायों के साथ बछड़े भी थे ;

(घ) क्या उन साधुओं को गाय वापिस कर दी गई थी ;

(ङ) यदि हां, तो कब, कितनी, किस स्थान पर तथा किस को गाय वापिस की गई थी ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी): (क) जी हां।

(ख) और (ग). एक गाय जिसके साथ एक बछिया थी।

(घ), (ङ) और (च). गाय जो बूढ़ी और बीमार थी नैनीताल जिले में गुलारभोज के केन्द्रीय गोसदन में जहां उसे रखा गया था 14.4.66 को मर गई। उक्त गाय के दावेदार स्वामी सोम प्रकाश को बछिया लौटाने की व्यवस्था की जा रही है।

डा० लोहिया की हत्या का प्रयास

3882. **श्री काशी राम गुप्त :**
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री यशपाल सिंह :
श्री उटिया :
श्री बागड़ी :
श्री बूटासिंह :
श्री प० ह० भील :
श्री मौर्य :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री रामेश्वरानन्द :
श्री बाल्मीकी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'भारतीय सपूत' (दिल्ली के एक उर्दू साप्ताहिक) दिनांक 2-5-66 'विश्व नेता' (देहली के एक हिन्दी साप्ताहिक) दिनांक 12-5-66 तथा "जनमत" (धनबाद के एक हिन्दी साप्ताहिक) दिनांक 30-4-66 में प्रकाशित हुए इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि कोटा (राजस्थान) में 6-4-66 को डा० राम मनोहर लोहिया की हत्या करने का प्रयास किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस घटना की कोई जांच की है ;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर "हां" हो, तो उसका विवरण क्या है और यदि उत्तर नकारात्मक हो, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए नेताओं के जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा और बचाव के लिये एक सामान्य नीति बनाने का सरकार का विचार है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार का ध्यान 2 मई, 1966 के भारतीय सपूत और 12 मई, 1966 के विश्व नेता में प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है। राजस्थान सरकार ने बताया है कि उनके द्वारा की गई जांचों से पता चला कि एक स्थानीय पत्र में एक समाचार छपा था किन्तु ऐसी कोई घटना पुलिस के पास दर्ज नहीं हुई।

(ख) और (ग). भारत सरकार ने कोई जांच नहीं की क्योंकि यह विषय राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र से सम्बन्ध रखता है।

(घ) और (ङ). राष्ट्रीय नेताओं के आगमन पर स्थानीय पुलिस द्वारा सामान्य सुरक्षा-व्यवस्था की जाती है।

केरल में अंशकालिक शिक्षक

3883. **श्री प० कुन्हन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केरल में दस्तकारी और भाषा के ऐसे अंशकालिक

शिक्षक हैं, जो 10 वर्ष से लेकर 12 वर्ष से सेवा कर रहे हैं लेकिन उन्हें पूर्ण कालिक वेतन का लाभ प्रदान नहीं किया गया है ;

(ख) क्या इसके बारे में उनकी ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) से (ग). जानकारी राज्य सरकार से इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली के सहायता प्राप्त-प्राइवेट स्कूलों के कर्मचारी

3884 **श्री नम्बियार :** **श्री वारियर :**

श्री उमा नाथ : **श्री सरजू पाण्डेय :**

श्री प० कुन्हन :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों के कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि हाल में सरकार से कुछ ऐसे मामलों की शिकायतें मिली हैं जिनमें दिल्ली के सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों के कर्मचारियों को, उनसे जबरदस्ती त्यागपत्र लेकर तथा जाली त्यागपत्र तैयार करके नौकरी से निकाला गया जोकि गम्भीर रूप से आपत्ति-जनक तरीकें हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार के पास कुछ मामले निर्णय के लिये वर्षों से पड़े हैं और एक मामले में, जो दिल्ली प्रशासन के पास तीन वर्ष से अधिक समय से पड़ा है, सम्बन्धित अध्यापक की मृत्यु हो गई है, किन्तु इस मामले के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो दिल्ली स्कूलों के कर्मचारियों पर सताये जाने के इन मामलों का स्वरूप क्या है तथा दिल्ली के सहायता-प्राप्त प्राइवेट स्कूलों के असंतुष्ट अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों को सहायता देने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) से (घ). अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा-समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

आर० बी० रामरूप विद्यामन्दिर स्कूल के विरुद्ध आरोप

3885 **श्री नम्बियार :**

श्री उमानाथ :

श्री प० कुन्हन :

क्या **शिक्षा** मंत्री 6 अप्रैल, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3357 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर० बी० रामरूप विद्यामन्दिर मल्टीपरपज हायर सेकेन्डरी स्कूल, दिल्ली,

के विरुद्ध आरोपों की जांच करने के लिये नियुक्त की गई जांच समिति का प्रतिवेदन इस बीच प्राप्त हो गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि 1962 में भी इस स्कूल के विरुद्ध जांच का आदेश दिया गया था और इस स्कूल के प्रिंसिपल और प्रबंधकों के विरुद्ध कुछ गंभीर आरोप सिद्ध हुए थे ;

(ग) क्या सरकार को इस आशय का अभ्यावेदन भी मिला है कि स्कूल के प्रबंधकों ने झूठे आरोप लगा कर स्कूल के अनेक कर्मचारियों को सेवा से निकाल दिया है और शिक्षा निदेशक ने भी संत्रस्त कर्मचारियों की अपीलों पर कोई कार्यवाही नहीं की है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां । कुछ आरोप सही पाए गए थे ।

(ग) और (घ). कुछ प्रतिवेदन प्राप्त हुए थे जिन्हें दिल्ली प्रशासन के पास भेज दिया गया था । प्रशासन ने बताया है कि व्यक्तिगत मामलों की उनके गुणावगुणों के आधार पर जांच की गई थी और उपयुक्त कार्रवाई की गई ।

Students of Higher Secondary Examination

3886. **Shri Ram Sewak Yadav**: Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the students who get compartment in one or two subjects in their Higher Secondary Examinations are not being admitted to next classes;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) whether the students who appeared in the Compartmental examination will be allowed to get admission in University in case they pass the same?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) to (c). Students who get compartment in one subject only in their Higher Secondary Examination from the Central Board of Secondary Education, New Delhi, are admitted provisionally to the 1st year of the Degree Classes provided they fulfil the eligibility conditions laid down by the University. Their admissions are confirmed by the Courses Admission Committee of the University after they have been declared passed in their Compartmental Examinations.

Students with compartment in two subjects have been adjudged to be in-eligible for admission by the Academic Council of the University.

तेल कम्पनियों में छंटनी

3887. **श्री रामपुरे :**

श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने अपनी उस घोषणा के पश्चात, जो उन्होंने अपने मंत्रालय की सलाहकार

समिति की हाल की बैठक में की थी, तीन गैर-सरकारी विदेशी कम्पनियों की छंटनी की योजनाओं पर विचार विमर्श करने के लिए उनके प्रतिनिधियों की बैठक इस बीच बुलाई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में हुए विचार-विमर्श के क्या परिणाम निकले हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) श्रम मंत्रालय के सचिव ने 8 जुलाई, 1966 को बैठक बुलाई थी। 16 अगस्त को हुई सलाहकार समिति की बैठक में यह बताया गया था कि सचिव शायद एक अन्य बैठक बुलायेंगे। अभी यह बैठक नहीं बुलाई गई है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

महाराष्ट्र में बेरोजगार स्त्रियां

3888. **श्री द्वारका दास मंत्री** : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1966 को महाराष्ट्र के विभिन्न रोजगार कार्यालयों में कितनी स्त्रियों (स्नातक तथा गैर-स्नातक दोनों ही) के नाम दर्ज थे; और

(ख) इस वर्ष जून, 1966 तक की अवधि में उनमें से कितनी स्त्रियों को रोजगार दिलाया गया ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख)

महिला उम्मीदवार की श्रेणी	30 जून, 1966 को रोजगार कार्यालय के चालू रजिस्टरों में दर्ज नाम	जनवरी-जून, 1966 के बीच नियुक्ति सहायता पाने वाले उम्मीदवार
स्नातक (ग्रेजुएट्स) जिनमें स्नातकोत्तर (पोस्ट ग्रेजुएट) उम्मीदवार भी शामिल हैं।	,901	107
मैट्रिकुलेट और हायर सेकण्डरी पास (जिनमें इन्टरमीडिएट पास भी शामिल हैं)	11,689	1323
मैट्रिक से कम (जिनमें अशिक्षित व्यक्ति भी शामिल हैं)	15,792	1220
कुल	28,382	2650

महाराष्ट्र में डाकघरों में जमा राशि

3889. **श्री द्वारका दास मंत्री :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 31 जुलाई, 1966, को अल्प बचत अभियान योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र में विभिन्न डाकघरों में कुल कितनी राशि जमा थी ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : महाराष्ट्र के सभी डाकघरों में 1 जनवरी, 1966 से 30 जून, 1966 की अवधि के दौरान विभिन्न अल्प बचत योजनाओं के अन्तर्गत जमा की गई कुल रकम 43,90,51,023 रुपये है।

जुलाई, 1966 महीने के विनियोग के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

महाराष्ट्र में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी

3890. **श्री द्वारका दास मंत्री :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में केन्द्रीय सरकार का कोई ऐसा विभाग है जिसमें लगभग सभी कर्मचारी स्थाई नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो वह कौन सा विभाग है, उसमें कितने अधिकारी तथा कितने अधीनस्थ कर्मचारी हैं तथा उस पर कुल कितना खर्च किया जाता है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी।

महाराष्ट्र में डाक व तार घर

3891. **श्री द्वारका दास मंत्री :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य में 1964-65 और 1965-66 में कितने डाकघर खोले गये हैं; और

(ख) क्या नये डाकघर खुलने के परिणामस्वरूप डाक के बढ़े हुए काम को निपटाने के लिये डाक व तार सेवाओं के रेलवे डाक सेवा कक्ष का उसी अनुपात में विकास किया गया है ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) :

(क)

वर्ष	खोले गये डाकघरों की संख्या
1964-65	180
1965-66	101

(ख) रेल डाक-व्यवस्था शाखा में भी विकास हुआ तो है हालांकि रेल डाक-व्यवस्था की प्रगति का सम्बन्ध डाक शाखा की प्रगति के साथ जोड़ना संभव नहीं है। रेल डाक-व्यवस्था में निर्धारित मानकों के आधार पर कर्मचारियों की मंजूरी दी जाती है। और अधिक डाकघर खोलने का यह अर्थ नहीं है कि रेल डाक-व्यवस्था के कामकाज में भी अवश्य ही तदनुसार वृद्धि हो, क्योंकि डाकघर के विभाजन से निपटाए जाने वाली डाक में सदैव वृद्धि ही नहीं होती। दो नये छंटाई कार्यालय 1964-65 के दौरान तथा दो 1965-66 के दौरान खोले गए।

महाराष्ट्र में टेलीफोन

3892. **श्री द्वारका दास मंत्री** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में टेलीफोन लगवाने के कितने आवेदन-पत्र पिछले एक वर्ष से अनिर्णीत पड़े हैं;

(ख) उस राज्य में गत छः महीनों में कितने टेलीफोनों की मंजूरी दी गई; और

(ग) आवेदन-पत्रों को निपटाने में इतनी अधिक देरी होने के क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) 48,499.

(ख) 11,558.

(ग) टेलीफोन कनेक्शन देने में देरी का मुख्य कारण टेलीफोन केन्द्रों के उपस्कर तथा भण्डार की कुछ खास मदों की कमी है। फिर भी उपलब्ध साधनों के अनुसार यथासंभव अधिक से अधिक कनेक्शन देने की दिशा में निरन्तर प्रयत्न किये जा रहे हैं।

पांडिचेरी में उपभोक्ता स्टोर

3893. **श्री कु० शिवप्रगासन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांडिचेरी में सरकारी कर्मचारियों के लिये उपभोक्ता स्टोर खोलने के बारे में कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कितने स्टोर खोले जायेंगे तथा इन स्टोरों के लिये कौन से स्थान चुने गये हैं; और

(ग) इन स्टोरों में कितने कर्मचारी रखे जायेंगे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) पांडीचेरी और कराइकल में एक-एक स्टोर खोलने का प्रस्ताव है।

(ख) आशा है कि इन स्टोरों से 2000 कर्मचारियों की आवश्यकताएं पूरी होंगी।

(ग) निश्चित संख्या अभी बता पाना संभव नहीं।

विस्थापित गैर-मुसलमानों को भूमि का दिया जाना

3894. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर मुसलमान विस्थापित लोगों को तथा उन गैर मुसलमान भूस्वामिओं को जो मुसलमान बन गये थे और देश के विभाजन के समय पाकिस्तान में रह गये थे, भूमि के आवंटन के बारे में पंजाब राज्य सरकार के तथा भारत सरकार के पुनर्वास विभाग के अधिकारियों के बीच 27 अगस्त, 1957 को नई दिल्ली में हुई बैठक में कोई निर्णय किया गया था;

(ख) क्या उस बैठक में किये गये निर्णयों को न्यायिक रूप देने के लिये उन्हें निष्क्रान्त सम्पत्ति अधिनियम की व्यवस्था के अन्तर्गत नियमों में शामिल किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण): (क) जी, हां। तथापि यह निर्णय उन विस्थापित व्यक्तियों को भूमि आवंटन के सम्बन्ध में है जिनके पिता मुसलमान बन गये थे और पाकिस्तान में रह गये थे।

(ख) जी, नहीं।

(ग) चूंकि ऐसे मामलों की संख्या बहुत थोड़ी थी इसलिये यह विचार किया गया कि इन मामलों में न्यायिक निर्णय लेना एक दीर्घ प्रक्रिया होगी। इनको शीघ्र निपटाने के लिये यह निर्णय किया गया था कि इन मामलों का निपटारा हिन्दू नियम के अधीन निष्क्रान्त सम्पत्ति अधिनियम, 1950 और विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 के अधीन वर्तमान व्यवस्था के अनुसार किया जाना चाहिये।

Pay Scales of Employees of Antibiotic Project, Rishikesh

3895. **Shri Solanki :** **Shri Yashpal Singh :**
Shri Vishram Prasad : **Shri Bade :**

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Class IV Employees of Antibiotics Project at Rishikesh are not given the pay scales prescribed by the Central Government ; and

(b) if so, the action taken in this regard ?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Alagesan): (a) No. The Central Government scales of pay applicable to class IV employees were introduced at the Antibiotics Project, Rishikesh with effect from the 1st April, 1965.

(b) Does not arise.

Arrest of a Pakistani National in Delhi

3896. **Shri Solanki**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that one Pakistani National has been arrested in Jama Masjid area of Delhi for staying in India illegally for the last 4 years as reported in the "Hindustan," dated the 11th August, 1966;

(b) if so, the name of the person with whom he was staying; and

(c) the action taken in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and the Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): (a) Yes, Sir.

(b) He was not staying with any one, but living on the steps of Jama Masjid, Delhi.

(c) A case under the Foreigners Act, 1946 has been registered against him and it is under investigation.

Strike by Employees of Hindustan Aluminium Corporation

3897. **Shri Solanki**: Will the Minister of **Labour, Employment and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the employees of Hindustan Aluminium Corporation have recently gone on strike?

(b) whether it is also a fact that a lockout has been declared in the factory due to this strike;

(c) if so, the reasons for the strike;

(d) the amount of estimated daily loss; and

(e) the action taken in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Shah Nawaz Khan): (a) to (e). The matter is the concern of the State Government. The Government of India have no direct knowledge on the subject.

दिल्ली में नियुक्त किये गये पंजाब पदाली के भारत प्रशासन सेवा के अधिकारी

3898. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब पदाली के भारत प्रशासन सेवा के कितने अधिकारी भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों में इस समय प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे हैं;

(ख) उनमें से कितने अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की अवधि आगामी दो-तीन महीनों में समाप्त हो रही है;

(ग) उसमें से कितने अधिकारी ऐसे हैं जिनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त होने के बाद बढ़ाई जा रही है; और

(घ) पंजाब के पुनर्गठन के अवसर पर ये कालावधियां बढ़ाने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी): (क) 32

(ख) 2

(ग) इन अधिकारियों में से एक के बारे में प्रस्ताव विचाराधीन है।

(घ) पंजाब सरकार इस अधिकारी को वापस लेने के लिये उत्सुक नहीं है और यह अधिकारी विशेषज्ञ प्रकृति के पद पर नियुक्त है जिसमें उसके स्थान पर लगाने के लिये दूसरा व्यक्ति ढूंढ़ना कठिन हो सकता है।

Staff of Central Hindi Directorate

3899. **Shri Jagdev Singh Siddhanti :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Yudhvir Singh :

Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5369 on the 11th May, 1966 and state :

(a) the further progress made in the matter of declaring permanent, the staff of the Central Hindi Directorate and Scientific and Technical Terminology Commission ; and

(b) the number of posts as also the number of the employees working against them who have been declared permanent so far ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan) : (a) and (b). It has since been decided to convert certain percentage of temporary posts in the Central Hindi Directorate and the Commission for Scientific and Technical Terminology, into permanent ones and the final orders are likely to be issued soon. Necessary action to confirm the temporary employees against the permanent posts will be taken up in the near future.

Shifting of the Central Hindi Directorate

3900. **Shri Jagdev Singh Siddhanti :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Yudhvir Singh :

Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5370 on the 11th May, 1966 and state :

(a) the further progress made in regard to shifting the Central Hindi Directorate to a better place ; and

(b) when they are likely to be shifted to new place ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan) : (a) and (b). The matter is under consideration of the Committee of the Cabinet on location of offices in Delhi and a decision is expected to be taken soon.

दावा निबटान संगठन (सेटेलमेंट आर्गेनाइजेशन)

3901. **श्री रामपुरे :** क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनर्वास विभाग के दावा निबटान संगठन के कर्मचारी अभी भी अस्थायी हैं

हालांकि, उन्हें नौकरी करते 18 वर्ष हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उन्हें स्थायी बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) इसमें कितना समय और लगेगा ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण): (क) जी, हां, किन्तु उन सबको संगठन में नौकरी करते 18 वर्ष नहीं हुये हैं।

(ख) और (ग). कर्मचारियों को केवल उपलब्ध स्थायी रिक्तियों में ही स्थायी किया जा सकता है। चूंकि मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त के संगठन का कार्य स्थायी रूप का नहीं है इसलिये वर्तमान आदेशों के अनुसार उस संगठन के अस्थायी पदों को अब तक स्थायी पदों में परिवर्तित करना संभव नहीं हो सका है। अब एक निर्णय लिया गया है जिसके अनुसार ऐसी संस्थाओं के अस्थायी पदों की कुछ प्रतिशतता को स्थायी किया जा सकता है। इस निर्णय को अमल में लाने के बारे में कार्यवाही की जा रही है।

सहायता-प्राप्त गैर-सरकारी शिक्षा संस्थाएं

3902. **श्री सरजू पाण्डेय :** **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री वारियर : **श्री युद्धवीर सिंह :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली अभिभावक-शिक्षक परिषद् ने अप्रैल, 1966 में उनको एक ज्ञापन दिया था जिसमें सहायता-प्राप्त गैर-सरकारी संस्थाओं तथा दिल्ली शिक्षा विभाग के विरुद्ध भ्रष्टाचार, अपव्यय तथा अकार्यकुशलता के कुछ गम्भीर आरोप लगाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली अभिभावक शिक्षक परिषद् द्वारा क्या आरोप लगाए गये हैं;

(ग) परिषद् की मांगें क्या हैं; और

(घ) सरकार ने इस दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां।

(ख) अन्य आरोपों के साथ-साथ, सहायता-प्राप्त स्कूलों के प्रबन्धकों, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका और शिक्षा निदेशालय, दिल्ली आदि के विरुद्ध भ्रष्टाचार, बरबादी, अकुशलता आदि के आरोप हैं।

(ग) परिषद की मुख्य मांग, बरबादी, भ्रष्टाचार आदि समेत दिल्ली की विद्यमान समस्याओं की जांच करने के लिए एक सांविधिक आयोग स्थापित करने से संबंधित है।

(घ) परिषद् की मांग स्वीकार नहीं की गई है क्योंकि परिषद् रजिस्टर्ड संस्था नहीं है और मंत्रालय इसके प्रत्यय-पत्रों से सन्तुष्ट नहीं है, यह निर्णय किया गया है कि भविष्य में इस संस्था द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच न की जाए।

केरल सेवा-निवृत्त शिक्षक संघ

3904 **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री वारियर :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार को हाल में केरल सेवा निवृत्ति शिक्षक संघ से उनकी कुछ शिकायतों के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदनों की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग). राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभापटल पर रख दी जाएगी ।

Appeals from Government Officials

3905. **Shri Priya Gupta :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is obligatory on the part of a disciplinary and appointing authority to wait for a decision from the President in terms of Rule 35 of the CCS and CCA Rules, 1957 if an appeal is submitted by an aggrieved official to the President in terms of Rule 24 of the Classification, Control and Appeal Rules, 1957 ;

(b) if not, the reasons therefor ;

(c) whether some new charges could be brought in against an employee, whose suspension has been ordered for holding a further enquiry by the Disciplinary/Appointing authority in terms of Rules 12 (4) of the Classification Control and Appeal Rules, 1957 : and

(d) if the reply to part (c) above be in the affirmative, the reasons therefor and under what rules ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) This part of the question is not quite clear. Reference to Rule 35 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1957, which provides for removal of doubts, does not appear to be germane to the question. If the Hon'ble Member desires information whether the operation of an order passed by the disciplinary authority is to be stayed till the disposal of an appeal, the reply is in the negative. It may be added that the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1957, have since been repealed and replaced by the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, with effect from December 1, 1965.

(b) There is no provision in the 1957 or 1965 Rules for the staying of an order passed by a disciplinary authority, during the pendency of an appeal. The 1957 Rules provided, and the 1965 Rules also provide, for the passing of orders by the Appellate Authority confirming, enhancing, reducing or setting aside a penalty which is already in force or for remitting the case to the authority which imposed the penalty or to any other authority with such directions as it may deem fit.

(c) No, Sir. Rule 12(4) of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1957, provided for further enquiry on the allegations on which the penalty of dismissal, removal or compulsory retirement was originally imposed. The position remains the same in the corresponding new rule—rule 10(4) of the 1965 Rules. There is, however, no bar to separate disciplinary proceedings being initiated against the employee in respect of any new charges based on facts which come to light subsequently.

(d) Does not arise.

राष्ट्रपति को अपीलें

3906. **श्री प्रिय गुप्त** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1963-64, 1964-65 और 1965-66 में (सर्किल-वार) वर्गीकरण नियंत्रण और अपील नियम, 1957 के नियम 24 के अनुसरण में भारत के राष्ट्रपति के नाम दी गई कितनी अपीलें डाक तथा तार विभाग द्वारा गैर-कानूनी तौर पर रोक ली गईं ;

(ख) क्या यह सच है कि क्षुब्ध पदाधिकारियों को काफी समय तक उनकी अपीलों के बारे में जानकारी नहीं दी गई और उनकी अपीलों पर राष्ट्रपति के उत्तर की प्रतीक्षा किये बिना एक पक्षीय कार्यवाही कर ली गई ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे और 1963-64, 1964-65 और 1965-66 में (सर्किल-वार)ऐसे कितने मामले हुये थे ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) कोई नहीं ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

बादली, नरेला और नजफगढ़ में टेलीफोन-केन्द्र

3907. **श्री काजरोलकर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बादली, नरेला और नजफगढ़ में टेलीफोन केन्द्र स्थापित कर दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक टेलीफोन-केन्द्र में टेलीफोन लगाने के हेतु अब तक कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुये हैं ;

(ग) वहां कब तक टेलीफोन लगा दिये जाने की सम्भावना है ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो टेलीफोन-केन्द्र स्थापित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और क्या प्रगति हुई है तथा उन पर अब तक कितनी राशि खर्च की गई है ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) नरेला और नजफगढ़ में टेलीफोन केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं तथा बादली में टेलीफोन केन्द्र की

स्थापना का कार्य अभी जारी है ।

(ख) बादली — 23
नरेला — 228
नजफगढ़ — 90

(ग) नरेला और नजफगढ़ में कुछ कनेक्शन दिये जा चुके हैं और सामान की उपलब्धि के आधार पर आगे और कनेक्शन दिये जा रहे हैं । बादली में कनेक्शन तभी दिये जाएंगे जब कि वहां टेलीफोन केन्द्र खुल जाएगा ।

(घ) बादली के लिये 50 लाइनों वाला एक टेलीफोन केन्द्र खोलने की प्रायोजना को मंजूरी दी जा चुकी है और इस सम्बन्ध में अब तक 400 रुपये खर्च हो चुके हैं ।

देश में कुछ दलों की आपत्तिजनक गतिविधियां

3908. **श्री राजदेव सिंह :**
श्री बालकृष्ण सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ऐसे दल तथा गुट मौजूद हैं, जो एक समुदाय को दूसरे समुदाय, एक जाति को दूसरी जाति तथा एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश के विरुद्ध लड़ाने के लिए घृणा फैलाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो धर्मनिरपेक्षता की नीति को दृष्टि में रखते हुये इन गुटों तथा दलों को किन कारणों से बर्दाश्त किया जाता है ; और

(ग) इससे पहले कि वे दल अथवा गुट अधिक शक्तिशाली होकर धर्मनिरपेक्षता के लिये खतरा बन जायें, क्या सरकार का विचार उन्हें गैर-कानूनी करार देने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) सरकार को ऐसे दलों तथा गुटों के अस्तित्व का ज्ञान है।

(ख) यदि वे कानून की सीमाओं से बाहर जाकर काम करेंगे तो उन्हें सहन नहीं किया जायगा ।

(ग) स्थिति की मांग होने पर सरकार उपयुक्त कार्यवाही करेगी ।

आसाम के विद्यार्थियों को अखिल भारतीय विज्ञान प्रतिभा छात्रवृत्तियां देना

3909 **श्री रा० बरुआ** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो बर्षों में आसाम के कितने विद्यार्थियों को अखिल भारतीय विज्ञान प्रतिभा छात्रवृत्तियां दी गईं ; और

(ख) ये छात्रवृत्तियां किस कसौटी के आधार पर दी जाती हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) :

(क)	वर्ष	असम के उम्मीदवारों को दी गई छात्रवृत्तियां	वास्तव में ली गई छात्रवृत्तियों की संख्या
	1965-66	7	6
	1966-67	1	सूचना की प्रतीक्षा है।

(ख) सारे देश में आयोजित एक विशेष प्रतियोगात्मक परीक्षा के आधार पर छात्र-वृत्तियां दी जाती हैं। हायर सेकेण्डरी पाठ्यक्रम की अन्तिम कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी और जिन्होंने अपनी अन्तिम वार्षिक परीक्षा में 55 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त नहीं किये हों, इस परीक्षा में बैठ सकते हैं।

शिक्षक दिवस

3910. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे 5 सितम्बर,1966 को बड़े पैमाने पर शिक्षक दिवस मनाने तथा राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान के लिये धन एकत्रित करने के लिये तथा इस दिवस के बारे में ग्राम्य क्षेत्रों में अग्रिम प्रचार करने के लिये कार्यवाही करें ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां।

(ख) अब तक जिन राज्यों से उत्तर प्राप्त हुये हैं, उनकी प्रतिक्रिया बहुत अनुकूल है।

औषधों के मूल्य

3911. **श्री फिरोडिया :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मद्रास तथा पश्चिम बंगाल सरकारों द्वारा बनाई जाने वाली कुनैन तथा उसके लवणों के मूल्य अप्रैल, 1963 से पहले क्या थे तथा अब क्या हैं ; और

(ख) क्या मूल्यों में कोई वृद्धि हुई है और क्या इस वृद्धि के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुमति ली गई थी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) और (ख). अप्रैल, 1963 से पहले मद्रास सरकार की सिनकोना फैक्टरी द्वारा तैयार किये गये कुनैन सल्फेट और कुनैन हाइड्रो-क्लोराइड के दर्जे मूल्य क्रमशः 100 रुपये और 111 रुपये प्रति किलो ग्राम थे। वर्तमान अस्थाई मूल्य क्रमशः 170 रुपये और 200 रुपये हैं।

पश्चिमी बंगाल सरकार की सिनकोना फैक्टरी की कुनैन और इसके साल्ट्स के मूल्य

संलग्न विवरण पत्र में दिये गये हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-6974/66**] दोनों सरकारों ने पुनरीक्षित मूल्यों की स्वीकृति के लिये आवेदन किया है और मामला विचाराधीन है।

विटामिन बी - 12 का निर्माण

3912. **श्री फिरोडिया :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मेसर्स मेर्क शार्प एंड ढोम तथा साराभाई स्क्वीब्ज को विटामिन बी - 12 बनाने की अनुमति दी गई है ;

(ख) क्या उनसे कहा गया है कि वे इसका निर्माण हिन्दुस्तान एन्टीबाइटिक्स, पिम्परी (पूना) द्वारा बनाई जाने वाली स्ट्रेप्टोमाइसीन के उप-उत्पादों से करें, जो इस समय बेकार जाते हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) से (ग) . मेसर्स मेर्क शार्प एण्ड ढोम आफ इन्डिया लिमिटेड बम्बई तथा मेसर्स साराभाई केमिकल्स लि० (जिस फर्म का नाम अब मेसर्स सायनबायोटिक्स लि०, बड़ोदा है) को प्रतिवर्ष क्रमशः 25 किलोग्राम और 13.2 किलोग्राम की क्षमता के विटामिन बी - 12 के निर्माण के लिये लाइसेन्स दिये गये हैं। मेसर्स मेर्क शार्प एण्ड ढोम आफ इन्डिया लिमिटेड प्रत्यक्ष किण्वन (direct fermentation) द्वारा विटामिन बी - 12 का उत्पादन कर रहे हैं और मेसर्स सायनबायोटिक्स लिमिटेड मेसर्स मेर्क शार्प एण्ड ढोम आफ इण्डिया लि०, से प्राप्त इण्टरमीडिएट्स उत्पाद से विटामिन बी-12 का उत्पादन कर रहे हैं।

यद्यपि पहले यह उत्पाद स्ट्रेप्टोमाइसीन पदार्थ के अवशेष से उत्पादित किया जाता था; किन्तु विटामिन बी - 12 या स्ट्रेप्टोमाइसीन के उत्पादन का नवीन तरीका यह है कि प्रत्यक्ष किण्वन द्वारा केवल एक उत्पाद प्राप्त किया जाए। मेसर्स मेर्क शार्प एण्ड ढोम आफ इण्डिया लि०, बम्बई द्वारा विटामिन बी - 12 के उत्पादन और मेसर्स हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड द्वारा स्ट्रेप्टोमाइसीन के लिये प्रत्यक्ष किण्वन की यह नवीन प्रक्रिया अब अपनाई जा रही है।

औषधों के मूल्य

3913. **श्री फिरोडिया :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औषध मूल्य (प्रदर्शन तथा नियन्त्रण) आदेश, 1966 के अन्तर्गत मूल्य बढ़ाने के बारे में आवेदनपत्रों पर विचार करने के लिये कोई प्राधिकार स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) इस सम्बन्ध में प्राप्त आवेदनपत्रों पर निर्णय किये जाने के लिये कितनी समय-सीमा निर्धारित की गई है ;

(घ) अप्रैल, 1963 से लेकर आज तक कितने आवेदनपत्र प्राप्त हुये हैं ;

(ङ) उनमें से अभी कितने आवेदनपत्रों के बारे में निर्णय नहीं किया गया है तथा कितने आवेदनपत्रों के बारे में निर्णय किया जा चुका है ; और

(च) कितने निर्माताओं को मूल्य बढ़ाने की अनुमति दी गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) और (ख). वर्तमान पद्धति यह है कि औषधों के मूल्यों में वृद्धि के लिये स्वीकृति प्राप्त करने वाली फर्मों को सम्बन्धित राज्य सरकारों के पास अपने प्रार्थना-पत्र भेजने चाहिये और राज्य सरकारों द्वारा अपनी सिफारिशों सहित भेजे गये उन प्रार्थना पत्रों पर एक छोटी कमेटी विचार करेगी, जिसमें विभिन्न सम्बन्धित विभागों के प्रतिनिधि होंगे ।

(ग) प्राप्त हुये प्रार्थना-पत्रों के निपटान के लिये कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है ।

(घ) और (ङ). अब तक राज्य सरकारों से 60 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये हैं; जिसमें औषध के निर्माताओं ने अपने उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि के लिये कहा है और 26 प्रार्थना-पत्र अभी विचाराधीन हैं ।

(च) एक निर्माता को मूल्य बढ़ाने की अनुमति दी गई है ।

औषधों के मूल्य

3914. **श्री फिरोडिया** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अफीम, मारफीन साल्ट्स तथा कोडीन साल्ट्स के दाम अप्रैल, 1963 से पहले क्या थे तथा अब क्या हैं ;

(ख) क्या इनके मूल्यों में वृद्धि करने के लिये सम्बन्धित मंत्रालय से अनुमति ले ली गई थी ; और

(ग) तथा भूतलक्षी प्रभाव से इसकी अनुमति दी गई थी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) गाजीपुर कारखाने से उच्छुल्क अफीम (excise opium), औषध के रूप में अफीम, मारफीन साल्ट्स और कोडीन साल्ट्स के दाम अप्रैल, 1963 से पहले और अब इस समय निम्न-प्रकार हैं :—

I. **अप्रैल, 1963 से पहले**

		(प्रति किलोग्राम)
(1) उच्छुल्क अफीम	...	86 रुपये
(2) औषध के रूप में अफीम केक	...	122 रुपये

(3)	औषध के रूप में अफीम पाउडर		135 रुपये
(4)	मारफीन		1590 रुपये
(5)	मारफीन हाइड्रोक्लोराइड		1320 रुपये
(6)	मारफीन सल्फेट	...	1320 रुपये
(7)	कोडीन		1640 रुपये
(8)	कोडीन फासफेट		1320 रुपये
(9)	कोडीन सल्फेट		1430 रुपये
(10)	डायोनीन	...	1850 रुपये

II. वर्तमान मूल्य (प्रति किलोग्राम)

(1)	उच्छुल्क अफीम		100 रुपये
(2)	औषध के रूप में अफीम केक	...	140.91 रुपये
(3)	औषध के रूप में अफीम पाउडर	...	155.93 रुपये
(4)	मारफीन	...	2000 रुपये
(5)	मारफीन हाइड्रोक्लोराइड	...	1670 रुपये
(6)	मारफीन सल्फेट		1670 रुपये
(7)	कोडीन	...	2060 रुपये
(8)	कोडीन फासफेट	...	1670 रुपये
(9)	कोडीन सल्फेट	...	1800 रुपये
(10)	डायोनीन	...	2330 रुपये

नोटः— मूल्य 500 ग्राम के प्रचुर पैंकिग के हैं ।

(ख) वित्त मंत्रालय द्वारा मूल्यों में वृद्धि स्वीकार की गई है ।

(ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर में लिखित विभिन्न उत्पादों के मूल्यों में औषध अफीम (पाउडर और केक) के पुनरीक्षित मूल्य का एक समय डिप्टी नरकोटिसज कमिश्नर, गाजीपुर द्वारा 1 अप्रैल, 1965 से भूतलक्षी प्रभावं दिया गया था । तत्पश्चात् उन्हें अनुदेश जारी किये गये कि जहां पर खरीदारों को पहले अगाह नहीं किया था कि मूल्य अस्थाई हैं, वहां पर अन्तरकीय धन-राशि की वसूली न की जाये और जहां वसूली की जा चुकी है, वहां मांगने पर अन्तरकीय धन-राशि वापिस की जाये ।

विश्वेश्वरय्या इंजीनियरी कालेज

3915. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर स्थित विश्वेश्वरय्या इंजीनियरी कालेज केन्द्रीय सरकार की संस्था है;

(ख) क्या यह सच है कि इस वर्ष एक आवेदनकर्त्ता को उस कालेज में इस आधार पर दाखिला देने से मना कर दिया गया है कि उसकी आयु 3 अक्तूबर, 1966 को पूरे 17 वर्ष की होगी ना कि 1 अक्तूबर, 1966 को इस प्रकार उसकी आयु 17 वर्ष होने में केवल दो दिन कम हैं;

(ग) क्या ऐसे उचित मामलों में नियम को उदार बनाने का प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, नहीं ।

(ख) दो विद्यार्थियों को, जिनकी आयु पहली अक्तूबर, 1966 को 17 वर्ष होने में एक दिन और तीन दिन कम थी, दाखिला देने से मना कर दिया गया था ।

(ग) और (घ). कालेज में दाखिला देने के लिये आयु (सीमा) निर्धारित करने के लिये निर्णायक तिथि दाखिले के वर्ष की पहली अक्तूबर तारीख रखी गई है। इस तारीख की सिफारिश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा की गई थी और ए० आई० सी० टी० ई० भी इससे सहमत थी । इस बात की ओर पूरा ध्यान दिया गया था कि अधिकांशतः सभी डिग्री संस्थायें अपना सत्र जून अथवा जुलाई से आरम्भ करें और इस प्रकार पहले ही रियायत दे दी गई थी । छूट देने का कोई विचार नहीं है ।

राष्ट्रीय नेताओं के छविचित्र

3916. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय नेताओं की एक सूची राज्य सरकारों को भेजी है, जिनके छविचित्र राज्य सचिवालयों के कमरों में तथा दीवारों पर सुशोभित किये जाने चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस सूची में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का नाम भी शामिल किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

Expenditure on Ministers

3917. **Shri Prakash Vir Shastri** : **Shri Raghunath Singh** :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Shri Yashpal Singh** :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the expenditure incurred by Government on the residences, furniture, cars and other facilities, separately, provided to Ministers, Ministers of State, Deputy Ministers and Parliamentary Secretaries besides their salaries during the last two years ;

(b) whether Government propose to raise their salaries by adding this expenditure to their salaries so that this expenditure could be avoided ;

(c) whether the Comptroller and Auditor General has given any indication in this regard recently ; and

(d) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and the Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

(b) No such proposal is under consideration.

(c) No such indication has been received.

(d) Does not arise.

शेख अब्दुल्ला के साथ पुनः बातचीत

3918. **श्री बूटा सिंह :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या काश्मीर की आन्तरिक स्थिति का हल निकालने के लिये शेख अब्दुल्ला के साथ पुनः बातचीत करने का कोई प्रस्ताव है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : शेख अब्दुल्ला के साथ किसी प्रकार की बातचीत का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

गोआ के स्वतंत्रता संग्राम के देशभक्तों द्वारा सही गई यातनाओं का स्मरणोत्सव

3919. **श्री हरिविष्णु कामत** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार स्वयं गोआ की भूमि पर उन हजारों देशभक्तों के कष्ट और त्याग की याद में उचित ढंग से कोई उत्सव आदि मनाने का विचार रखती है जो पुर्तगाल की दासता से उस क्षेत्र की मुक्ति के लिये लड़े थे ?

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी): (क), (ख) और (ग). एक गैर सरकारी समिति शहीदों की यादगार में एक उपयुक्त स्मारक बनाने की तैयारी कर रही है । अतः सरकार ने इस बारे में अलग से कोई कार्यवाही नहीं की ।

स्टेट्समैन के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रस्ताव

MOTIONS OF PRIVILEGE AGAINST THE STATESMAN

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को याद होगा कि परसों गृह-कार्य मंत्री के विरुद्ध और "स्टेट्समैन" तथा "दिनमान" के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना पर चर्चा की गई थी। मैंने यह निर्णय दिया था कि गृह-कार्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार भंग का कोई मामला नहीं है। उसके बाद अन्य कुछ सम्पादकीय अग्रलेख उद्धृत किये गये थे और यह सुझाव दिया गया था कि मैं प्रतिपक्षी दलों के नेताओं से मिलूं। हमने प्रश्न के सभी पहलुओं पर विचार किया और मेरी राय अब भी वही है। यह सच है कि गृह-कार्य मंत्री के वक्तव्य के बाद भी "स्टेट्समैन" ने इस बात पर जोर दिया कि उसे यह जानकारी गृह-कार्य मंत्रालय अथवा उसके कुछ अधिकारियों से ही प्राप्त हुई थी। "स्टेट्समैन" ने अपने दो सम्पादकीय लेखों में यही बात कही है। यदि यह बात भी सच मान ली जाये कि श्री नन्दा जी को टेलीफोन पर यह बताया गया था कि स्टेट्समैन उसके खण्डन को छापने के लिए तैयार है परन्तु एक पदटिप्पण के साथ, तो भी अधिक से अधिक इतना ही कहा जा सकता है कि स्टेट्समैन अपनी बात पर दृढ़ रहा। परन्तु गृह-कार्य मंत्री ने अपने मंत्रियों और अन्य जरियों से इस बात के लिए अपनी तसल्ली कर ली थी कि वह जानकारी उनके विभाग अथवा मंत्रालय ने नहीं दी। हम यह नहीं कह सकते कि श्री नन्दा ने अपने मंत्रियों अथवा अधिकारियों से स्टेट्समैन पर अधिक विश्वास किया होगा। अतः मैं यह नहीं कह सकता कि उन्होंने विशेषाधिकार भंग किया है।

स्टेट्समैन के सम्बन्ध में मुझे श्री मधु लिमये और श्री कामत से दो सूचनायें प्राप्त हुई हैं कि गृह-कार्य मंत्री के वक्तव्य के बाद भी वह समाचार पत्र अपनी बात पर दृढ़ है, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, कि गृह-कार्य मंत्री का वक्तव्य गलत है। यह सदन के एक सदस्य अर्थात् गृह-कार्य मंत्री के विशेषाधिकार भंग का मामला है और इसकी जांच की जानी चाहिए। यदि कोई आपत्ति न हो तो यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाये।

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह): कोई आपत्ति नहीं है।

श्री खाडिलकर : यह सुविदित है कि किसी भी समाचार पत्र को अपनी जानकारी के सूत्र को बताने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह समाचार पत्रों का विशेषाधिकार है। इस मामले को यहीं समाप्त क्यों न कर दिया जाये ?.....(**अंतर्बाधाएं**)

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : यदि समाचार पत्र अपना सूत्र बताने से मना कर दे तो कोई बात ही नहीं रह जाती, वह मामला फिर हमारे पास वापस आयेगा।

अध्यक्ष महोदय : उस समय देखेंगे कि क्या किया जा सकता है।

श्री मधु लिमये : मैं यह प्रस्ताव करता हूं :

"कि अपने सम्पादकीय लेख में आरोप को दुहराने के लिए ही नहीं अपितु यह कहने के

मे लिए कि श्री नन्दा को सूत्र की पूर्व जानकारी थी और उन्होंने असत्य भाषण किया है तथा यह सुझाव देने के लिए कि "स्टेट्समैन" को नहीं अपितु दूसरे पक्ष अर्थात् गृह-कार्य मंत्री को अपनी स्थिति स्पष्ट करने की आवश्यकता है, स्टेट्समैन के सम्पादक को विशेषाधिकार समिति के समक्ष बुलाया जाये।"

श्री स० मो० बनर्जी : श्रीमन्, मैंने भी "दिनमान" तथा 'स्टेट्समैन' के विरुद्ध सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री बनर्जी को कुछ शब्द कहने की अनुमति दूंगा।

श्री हरि विष्णु कामत : विशेषाधिकार भंग का प्रस्ताव इस प्रकार है:

"स्टेट्समैन" के 10 अगस्त के अंक में वामपंथी साम्यवादियों की योजना के बारे में जो समाचार प्रकाशित हुआ है उसके सूत्र की जानकारी के सम्बन्ध में गृह-कार्य मंत्री द्वारा स्पष्ट रूप से इन्कार किये जाने की बात को दृष्टिगत रखते हुए उक्त समाचार पत्र ने अपने 26 अगस्त के अंक में अपरोक्ष रूप से यह आरोप लगाया है कि इस समाचार पत्र में पहले प्रकाशित समाचार के सूत्र को गृह-कार्य मंत्री ने जानबूझ कर छिपाया है और सभा से झूठ बोला है तथा उसे गुमराह किया है और इस प्रकार स्टेट्समैन ने सभा के एक सदस्य का अवमान किया है जो कि विशेषाधिकार को भंग करने के समान है।"

मैं यह अनुरोध करता हूं कि यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये।

गृह-कार्य मंत्री राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सम्मानित व्यक्ति हैं। तथा "स्टेट्समैन" भी एक जिम्मेवार समाचार पत्र है। मैं समझता हूं कि अभी तक सत्य बात सामने नहीं आई है इसलिए मेरा निवेदन है कि इस मामले की जांच की जानी चाहिये।

श्री त्यागी : श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 227 में कहा गया है :

"इन नियमों में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी अध्यक्ष कोई भी विशेषाधिकार प्रश्न जांच, अनुसंधान या प्रतिवेदन के लिए विशेषाधिकार समिति को सौंप सकेगा।"

आप पहले ही विनिर्णय दे चुके हैं कि गृह-कार्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार भंग प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जा सकता। अतएव स्टेट्समैन के आचरण सम्बन्धी मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपने का ही प्रश्न रह जाता है। समाचार पत्र को जानकारी का सूत्र बताने के लिए विवश नहीं किया जा सकता और इस मामले को जांच के लिए विशेषाधिकार समिति को भेजने के लिए आपने कह दिया है फिर वाद-विवाद की कोई बात नहीं रह जाती।

अध्यक्ष महोदय : मैं भाषणों के लिए अनुमति नहीं दे रहा हूं। एक प्रस्ताव ही पेश करने की अनुमति दी जायेगी।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं श्री त्यागी की बात से सहमत नहीं हूं।

दिनांक 10 अगस्त, 1966 के स्टेट्समैन में वामपंथी साम्यवादी दल की कथित तोड़-फोड़

की कार्यवाहियों के बारे में प्रकाशित एक समाचार के आधार पर मैंने 11 अगस्त, 1966 को एक ध्यानाकर्षण सूचना दी थी । जिसके उत्तर में श्री नन्दा ने कहा था कि उन्होंने वह समाचार पढ़ा है और वह दृढ़तापूर्वक यह कहते हैं कि गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें केवल एक औपचारिक प्रस्ताव पेश करने को कहा है ।

श्री भागवत झा आजाद : वह तो पहले ही पेश किया जा चुका है ।

श्री त्यागी : नियमित प्रस्ताव की अब आवश्यकता नहीं है । आप उसे पहले ही विशेषाधिकार समिति को भेज चुके हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसे नियम 227 के अन्तर्गत नहीं भेजा था । क्योंकि वह सदन के समक्ष था अत: मैंने उसके लिए अनुमति दे दी थी ।

श्री भागवत झा आजाद : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । किस नियम के अन्तर्गत आप यह कर रहे हैं ? जब एक सदस्य एक प्रस्ताव पेश कर चुका हो तो दूसरे और तीसरे सदस्य को उसी प्रस्ताव को पेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती । प्रस्ताव श्री कामत द्वारा पेश किया जा चुका है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री भागवत झा आजाद की बात से सहमत हूं । मैं समझता हूं कि इस बात का विरोध नहीं किया जायेगा ।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा—मैं इसका विरोध करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : एक सदस्य ने आपत्ति उठाई है ।.....(**अंतर्बाधाएं**) । शान्ति, शान्ति । जो सदस्य अनुमति देने के पक्ष में हों वे अपने स्थान पर खड़े हो जायें । 25 से अधिक सदस्य खड़े हुए हैं अत: अनुमति दी जाती है और मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाता है। अब और कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया जाना है ।

ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में (प्रश्न)

Re: CALLING ATTENTION NOTICES (Query)

Shri Bagri : The Police has cordoned the house of Hon-Member Shri Gopalan and it is a serious question that .....

Mr. Speaker : It cannot be raised in this manner.

Shri Maurya : Sir, more than 50,000 posters indulging in the character assassination of the Prime Minister have been published by some party. The party now denies it. Further, it appears that more than 100 persons were engaged on the work. No opposition party is behind it, it is only the ruling party and Government servants who appear.....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । श्री मौर्य कृपया बैठ जाएं । वह इस प्रकार इन मामलों को यहां नहीं उठा सकते, मैं दो तीन बार यह बता चुका हूं ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम): मैं औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 38 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) संशोधन नियम, 1966 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं, जो कि दिनांक 13 अगस्त, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1253 में प्रकाशित हुए थे। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-6954/66]

श्री स० मो० बनर्जी : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश में राज्यपाल द्वारा जारी किये गये जन-विरोधी अध्यादेश के बावजूद भी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, जो कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू है, हड़तालों और औद्योगिक विवादों के मामले में वहां पर लागू होगा अथवा नहीं। वहां पर कुछ स्थानों में केन्द्रीय सरकार के 40,000 या 50,000 कर्मचारी हैं और औद्योगिक विवाद चलते ही रहते हैं।

श्री जगजीवन राम : मुझे स्थिति की स्पष्ट जानकारी नहीं है। मैं इस मामले की जांच करूंगा। मेरा विचार है कि जहां तक केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का सम्बन्ध है औद्योगिक विवाद अधिनियम लागू रहेगा और उसी के अधीन औद्योगिक विवाद हल किये जायेंगे।

विशाखापत्तनम पत्तन न्यास के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): मैं बड़े पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अन्तर्गत विशाखापत्तनम पत्तन न्यास के 1964-65 के वार्षिक लेखे की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-6955/66]

अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचनाएं

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): मैं श्री हाथी की ओर से अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम,1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) जी० एस० आर० 1228 जो दिनांक 13 अगस्त, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में कतिपय संशोधन किये गये।

(2) जी० एस० आर० 1230 जो दिनांक 13 अगस्त, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में कतिपय संशोधन किये गये ।

(3) भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 20 अगस्त, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1271 में प्रकाशित हुए थे ।

[**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी०**–6956/66]

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे): मैं श्री गोविन्द मेनन की ओर से अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) जी० एस० आर० 1288 जो दिनांक 20 अगस्त, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(2) गुजरात बेलन मिलें मिश्रित आटा (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1966 जो दिनांक 22 अगस्त, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1324 में प्रकाशित हुआ था ।

[**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०**-6957/66]

कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन): मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत कम्पनियां (केन्द्रीय सरकार की) सामान्य नियम तथा प्रपत्र (चौथा संशोधन) नियम, 1966 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं जो दिनांक 13 अगस्त, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1262 में प्रकाशित हुए थे । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०**-6958/66]

व्यापारिक नौवहन अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

परिवहन तथा उड्डयन मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह): मैं श्री चे० मु० पुनाचा की ओर से व्यापारिक नौवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत भारतीय व्यापारिक नौवहन (जीवन रक्षक साधन) संशोधन नियम, 1966 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं जो दिनांक 13 अगस्त, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1256 में प्रकाशित हुए थे । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०**-6959/66]

भारतीय श्रम सम्मेलन के 24वें अधिवेशन के मुख्य निष्कर्ष/सिफारिशें

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): मैं 29 और 30 जुलाई, 1966 को नई दिल्ली में हुए भारतीय श्रम सम्मेलन के 24 वें अधिवेशन के मुख्य निष्कर्षों/सिफारिशों की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-6960/66**]

सदस्य की गिरफ्तारी

(श्री दशरथ देब)

ARREST OF MEMBER

(Shri Dasarath Deb)

अध्यक्ष महोदय : मुझे सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट, अगरतला से प्राप्त दिनांक 30 अगस्त, 1966 के एक तार के बारे में सभा को सूचना देनी है जिसमें बताया गया है कि लोक-सभा के एक सदस्य श्री दशरथ देव को भारत प्रतिरक्षा नियम, 1962 के नियम 41 के उप-नियम (5) के अन्तर्गत 29 अगस्त, 1966 को गिरफ्तार कर लिया गया, और उन्हें केन्द्रीय जेल, अगरतला में 9 सितम्बर, 1966 तक 12 दिन के लिये रखा गया है।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्ली) : गृह-कार्य मंत्री यह बतायें कि उन्हें किन कारणों से गिरफ्तार किया गया।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : क्या गृह-कार्य मंत्री बतायेंगे कि इस मामले में भारत प्रतिरक्षा नियमों का उपयोग क्यों किया गया है।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : गृह-कार्य मंत्री यहां उपस्थित हैं। आप उन्हें कह सकते हैं कि वह इस गिरफ्तारी के कारण बतायें।

अध्यक्ष महोदय : गृह-कार्य मंत्री यह कहते हैं कि इस समय वह और कुछ नहीं कह सकते। यदि कहने के लिए कुछ बात हुई तो वह बाद में कहेंगे।

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

LEAVE OF ABSENCE FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

अध्यक्ष महोदय : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति ने यह सिफारिश की है कि उक्त समिति की 18वीं रिपोर्ट में बताई गई अवधि के लिये निम्नलिखित सदस्यों को अनुपस्थिति की अनुमति दी जाये :

(1) श्री अ० जयरामन

(2) श्री विजय भूषण सिंह देव

(3) श्री इन्द्रजीत मलहोत्रा
(4) हिज हाइनेस महाराजा कर्णी सिंह जी—बीकानेर
(5) श्री आर कनकसबै
(6) श्री यज्ञ नारायण सिंह
(7) श्री एम० के० शिवनंजप्पा
(8) श्री मादप्पा बन्दप्पा कडाडी
(9) श्री नाथ पाई

मैं यह समझता हूँ कि सभा इससे सहमत है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : हम श्री याज्ञिक के स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहते हैं।

श्री रंगा (चित्तूर) : हमें चिन्ता है कि वह बीमार हो गये हैं और उन्हें हस्पताल में दाखिल कराया गया है।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : गृह-कार्य मंत्री श्री नन्दा उनके स्वास्थ्य के बारे में बता सकते हैं।

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : मुझे उनके सम्बन्ध में रिपोर्ट मिली है; इसे देखकर मैं दोपहर बाद सभा को सूचित करूँगा।

Shri Yashpal Singh (कैराना) : We may also be informed about the health of Shri Nath Pai.

श्री खाडिलकर (खेड) : वह दिल की बीमारी से पीड़ित हैं और हस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूँ कि सभा इससे सहमत है कि अनुपस्थिति की अनुमति दी जाये।

कुछ माननीय सदस्य : हां, श्रीमान्।

अध्यक्ष महोदय : अनुपस्थिति की अनुमति दी जाती है सदस्यों को तदनुसार सूचित कर दिया जायेगा।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

95 वां प्रतिवेदन

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

95th Report

श्री स० वा० कृष्णमूर्ति राव (शिमोगा) : मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 95वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

याचिका का पेश किया जाना
PRESENTATION OF PETITION

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं कार्यालयों, कारखानों और सेवाई उद्योगों में इलेक्ट्रानिक कम्प्यूटर्स और आटोमेशन इक्विपमेंट्स के प्रयोग के बारे में श्री सरोज चौधरी तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका पेश करता हूँ ।

वे आज साढ़े पांच बजे दस लाख हस्ताक्षर, जो उन्होंने इकट्ठे किये हैं, प्रस्तुत करना चाहते हैं ।

मेरा निवेदन है कि जब तक याचिका समिति इस याचिका पर विचार नहीं करती सरकार द्वारा आटोमेशन आरम्भ न किया जाये ।

पंजाब नगरपालिका [दिल्ली संशोधन] विधेयक
PUNJAB MUNICIPAL (DELHI AMENDMENT) BILL

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि नई दिल्ली में लागू रूप में, पंजाब नगरपालिका अधिनियम, 1911, में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नई दिल्ली में लागू रूप में पंजाब नगरपालिका अधिनियम, 1911, में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

श्री नन्दा : मैं विधेयक पुरस्थापित करता हूं ।

अत्यावश्यक वस्तु [संशोधन] विधेयक—जारी
ESSENTIAL COMMODITIES (AMENDMENT) BILL—Contd.

अध्यक्ष महोदय : मुझे खाद्य मंत्री से एक सूचना मिली है कि वह एक औपचारिक संशोधन रखना चाहते हैं । यदि वह चाहें, तो वह अपना संशोधन पढ़ सकते हैं ।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : जब हम इस विधेयक के खण्ड 3 पर विचार कर रहे थे, उस समय श्री यलमन्दा रेड्डी ने एक संशोधन प्रस्तुत किया था । मैंने उनका संशोधन स्वीकृत कर लिया था । उस संशोधन में शब्दों का ठीक प्रयोग नहीं हुआ था । इसलिये मैं अब उसमें कुछ क्रियासम्बन्धी परिवर्तन करना चाहता हूं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : यह एक बहुत महत्वपूर्ण संशोधन है और इसे बहुत विलम्ब के साथ स्वीकार किया गया है। क्या बड़े जमीनदारों को इस खण्ड के अन्तर्गत नहीं लाया जायेगा ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : कल सभा की यह राय थी कि उत्पादकों को, चाहे वे बड़े हों अथवा छोटे, इस खण्ड के अन्तर्गत नहीं लाया जाना चाहिये।

श्री रंगा (चित्तूर) : अनेक राज्यों के विधान मण्डलों ने उच्चतम सीमा सम्बन्धी अधिनियम बनाये हैं और जब वह उच्चतम सीमा निर्धारित कर दी जायेगी, और जिन पर वह सीमा निर्धारित होगी, उन्हें 500 रुपये से अधिक आय नहीं होगी। इसलिए यह उचित नहीं होगा कि मेरे माननीय मित्र उन्हें बड़े-बड़े जमींदार कहें।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं यह चाहती हूं कि हम छोटे उत्पादकों तथा मध्यम वर्ग के उत्पादकों को संरक्षण दे सकें।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : वास्तविकता यह है कि विधि विभाग ने यह बताया कि जो कोई भी खण्ड 3 का उल्लंघन करेगा, चाहे वह छोटा उत्पादक हो या बड़ा उत्पादक हो, उसमें भेदभाव नहीं किया जा सकता। जहां तक इस जब्त किये जाने से सम्बन्धित खण्ड का सम्बन्ध है, यह दण्ड तो उसी स्थिति में दिया जायेगा यदि आदेशों का उल्लंघन किया जाये। यह बात नहीं है कि हम बड़े-बड़े उत्पादकों को छूट दे रहे हैं। उनके लिए पहले ही उपबन्ध बनाये गये हैं। इसलिए यहां और दूसरे तर्क दिये जाने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ पहले कहा जा चुका है, हम केवल उसे औपचारिक रूप दे रहे हैं।

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : Now it is third reading stage and only the division should be done and no points of order should be raised.

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि इस कठिनाई का कोई हल नहीं निकलेगा जब तक कि नियम संख्या 93 और 94 में छूट न दी जाये। गणपूर्ति न होने के कारण मतविभाजन न हो सका और उसे आज के लिये स्थगित किया गया।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं निवेदन करता हूँ कि आप नियम 93 (3) को देखें। उसमें कहा गया है :

"कि ऐसे प्रस्ताव पर कोई ऐसा संशोधन प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा जो या तो औपचारिक या शाब्दिक न हो या विधेयक पर विचार किये जाने के बाद किये गये संशोधन के कारण आनुषंगिक न हो।"

नियम 94 में कहा गया है कि इस प्रस्ताव पर कि विधेयक, या विधेयक संशोधित रूप में यथास्थिति, पारित किया जाये, चर्चा विधेयक के समर्थन में या उसे अस्वीकार करने के लिये दिये गये प्रतर्कों तक सीमित होगी। अब सभा में मतभेद को देखते हुए मैं निवेदन करना चाहता

हूँ कि या तो नियम 93 का उल्लंघन करने अथवा नियम 388 के अन्तर्गत नियम समाप्त करने के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं रह जाता है ।

अध्क्षय महोदय : इस बारे में मतभेद हो सकता है । परन्तु जब सदन ने एक बार निर्णय कर लिया है तो हमें उसका पालन करना होता है । प्रश्न यह है कि जो संशोधन वह आज प्रस्तुत करना चाहते हैं क्या उसके सार को सदन स्वीकार कर नुका है अथवा नहीं । उस प्रश्न के बारे में श्री बड़े कुछ कहना चाहते हैं ।

श्री बड़े : (खारगोन): कुछ दिन हुए श्री यलमंदा रेड्डी ने संशोधन प्रस्तुत किया था तथा मंत्री महोदय ने भी संशोधन प्रस्तुत किया था । मंत्री महोदय के संशोधन पर श्री यलमंदा रेड्डी ने कहा था कि यदि संशोधन इस रूप में स्वीकार किया गया तो मतलब साफ नहीं हो सकता है । अत: मैं चाहता हूँ कि 'एक उत्पादक' शब्द वहां होना चाहिये । तब श्री सुब्रह्मण्यम ने कहा था कि 'मैं तुम्हारा संशोधन स्वीकार करता हूँ । आप तर्क मत कीजिये ।" तब श्री यलमंदा रेड्डी ने कहा था 'धन्यवाद' जो संशोधन उन्होंने उस दिन प्रस्तुत किया था मंत्री महोदय ने उसे आज उस रूप में प्रस्तुत नहीं किया है ।

श्री त्यागी (देहरादून) : जैसा श्री बड़े ने कहा है उस समय सदन ने यह सर्व सम्मति से स्वीकार किया था कि उत्पादकों के अनाज को जब्त न किया जाये और मंत्री महोदय ने आज कहा है कि आज आनुषंगिक परिवर्तन करने के लिये प्रस्ताव किया जा रहा है ताकि सदन की परिपक्व राय ली जाये ।

अध्यक्ष महोदय : वह कह रहे हैं कि संशोधन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है । केवल शब्दों को एक स्थान से दूसरे स्थान में रखा गया है ताकि उसका अर्थ समझने में कठिनाई न हो । ऐसा नियम 93 (3) के अन्तर्गत किया जा सकता है ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : हो सकता है संशोधन में खास परिवर्तन न किया गया हो परन्तु उन्होंने जो व्याख्या की है वह संतोषजनक नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह भी कहा है कि यह केवल आनुषंगिक संशोधन है ।

श्री यलमंदा रेड्डी (मारकापुर) : जब मंत्री महोदय ने मूल संशोधन प्रस्तुत किया था तो उनका अभिप्राय उत्पादकों को छूट देना था । परन्तु जब उसे तैयार किया गया तो उसमें न केवल उत्पादकों को बल्कि मिल-मालिकों को भी छूट दी गई ।

जब मंत्री महोदय ने पहले संशोधन प्रस्तुत किया था तो उनका अभिप्राय केवल उत्पादकों को छूट देना ही था और मिल-मालिकों को नहीं । परन्तु श्री रंगा तथा कुछ कांग्रेसी सदस्यों द्वारा अधिक दबाव डाले जाने पर वह यह संशोधन लाये ।

अध्यक्ष महोदय : श्री सुब्रह्मण्यम ने संशोधन संख्या 48 प्रस्तुत किया था । तब श्री यलमंदा

रेड्डी ने अपना संशोधन प्रस्तुत किया । तब सदन ने श्री यलमंदा रेड्डी के संशोधन को स्वीकार किया ।

Shri Ram Sewak Yadav (Bara Banki) : I want to raise a point of order under Rule 109.

Mr. Speaker : So, I put it.

प्रश्न यह है :

संशोधन संख्या 48, संशोधन संख्या 52 द्वारा संशोधित रूप में, जिसे सदन ने 29-8-66 को स्वीकृत किया था, के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :

"Provided that without prejudice to any action which may be taken under any other provision of this Act, no foodgrains or edible oil seeds seized in pursuance of an order made under Section 3 in relation thereto from a producer shall, if the seized foodgrains or edible oilseeds have been produced by him, be confiscated under this Section."

["परन्तु, इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन की गई किसी कार्यवाही से पक्षपात रहित, धारा 3 के अन्तर्गत उस सम्बन्ध में बनाये गये किसी आदेश के अनुसरण में, किसी ऐसे उत्पादक से, यदि उसने खाद्यान्न अथवा खाद्य तिलहनों को पैदा किया हो, इस धारा के अन्तर्गत उस व्यक्ति से पकड़े गये खाद्यान्न अथवा खाद्य तिलहनों को जब्त नहीं किया जायगा ।"]

जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि यह एक औपचारिक तथा मौखिक संशोधन है । मैं समझता हूँ कि सभा इस संशोधन को स्वीकार करती है ।

कई माननीय सदस्य : जी, हां ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : Sir, how can you resort to voting without listening to the reasons. It will be put down in the business that without listening to the reasons you have resorted to voting on the proposal.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Since you have not listened to the reasons, hence I want division on the proposal.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस प्रस्ताव पर अग्रेतर वाद-विवाद स्थगित किया जाय ।"

सभा में मत-विभाजन हुआ—पक्ष में 28, विपक्ष में 135 ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

Shri Ram Sewak Yadav (Bara Banki) : Sir, you have put the motion to the vote of the House without listening to the reasons. I leave the House in protest to this decision of yours.

[इसके पश्चात् श्री राम सेवक यादव सभा से उठकर चले गये
Shri Ram Sewak Yadav then left the House]

Shri Bagri (Hissar) : I had said in my speech regarding Amin Chand Pyare Lal's ship company .....

Mr. Speaker : It is not good to hold the House at ransom.

Shri Bagri : Are we not allowed even to speak.

Mr. Speaker : Yes, no permission.

Shri Bagri : I am leaving the House but Amin Chand Pyare Lal will ruin the Cabinet.

Mr. Speaker : You, please go now.

[श्री बागड़ी सदन के बाहर चले गये
Shri Bagri then left the House]

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : एक और आनुषंगिक संशोधन है। पृष्ठ 3, पंक्ति 9 पर "राज्य सरकार" 'State Govt.' के स्थान पर "ऐसे न्यायिक प्राधिकारी" 'Such judicial authority' शब्द रख दिये जाएं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे आशा है कि सभा इससे सहमत है।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : अब मैं विधेयक, संशोधित रूप में, सभा के मतदान के लिए रखता हूँ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : यह बड़ी विचित्र बात है। माननीय मंत्री ने संशोधन प्रस्तुत किया है और उस पर चर्चा करने की हमें अनुमति नहीं दी गई है।

अध्यक्ष महोदय : चर्चा जरूरी नहीं है। यह औपचारिक संशोधन है।

प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाय।"

सभा में मत-विभाजन हुआ। पक्ष में 136, विपक्ष में 13, तदनुसार प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया गया।

———

अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत पंजाब के सम्बन्ध में उद्घोषणा के बारे में सांविधिक संकल्प और पंजाब राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक

STATUTORY RESOLUTION RE : PROCLAMATION UNDER ARTICLE 356 IN RELATION TO PUNJAB AND PUNJAB STATE LEGISLATURE (DELEGATION OF POWERS) BILL.

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत पंजाब राज्य के सम्बन्ध में 5 जुलाई, 1966 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है ।"

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । सभा की पुनरीक्षित कार्य सूची को देखने से पता चलता है कि पंजाब के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा तथा तत्सम्बन्धी विधेयक इन दोनों पर चर्चा होनी है ।

अब मान लीजिए किसी कारण सदन उद्घोषणा के बारे में सांविधिक प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता है तब विधेयक का कोई स्थान ही नहीं रहता है ।

मैं आपका ध्यान नियम 66 की ओर दिलाना चाहता हूँ । इस नियम में यह बताया गया है कि वह विधेयक, जो सभा में लम्बित दूसरे विधेयक पर पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से निर्भर करता है, सभा में पुरःस्थापित किया जा सकता है । परन्तु उस पर विचार तब किया जा सकता है और उसे पास तब किया जा सकता है जब पहले विधेयक को दोनों सदन पास कर दें तथा राष्ट्रपति उसे अपनी अनुमति दे दें ।

यह नियम इस सम्बन्ध में लागू होता है । इसमें दो विधेयक नहीं हैं बल्कि एक सरकारी संकल्प तथा तत्सम्बन्धी एक विधेयक है । सत्तारूढ़ दल का बहुमत होने से चाहे दोनों—संकल्प तथा विधेयक—पास तो अवश्य हो जायेंगे । परन्तु मान लीजिए ऐसी बात न होती तो कैसे होता । इसलिए हमें एक अच्छी परम्परा स्थापित करनी चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ियां लाभ उठा सकें । यदि संकल्प पास नहीं होता है तो विधेयक पर आगे चर्चा नहीं हो सकती है । मेरा निवेदन है कि पहले संकल्प प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा सभा द्वारा संकल्प स्वीकार किये जाने के बाद विधेयक आना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : संकल्प पहले प्रस्तुत किया जायगा तथा विधेयक के बारे में प्रस्ताव बाद में प्रस्तुत किया जायगा ।

नियम 66 केवल विधेयकों के बारे में ही लागू होता है । अतः यह नियम यहां लागू नहीं होता ।

हम पहले भी संकल्प और विधेयक इकट्ठे लेते रहे हैं ।

श्री नन्दा : "पंजाब राज्य के विधान मण्डल की शक्ति राष्ट्रपति को देने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

अध्यक्ष महोदय : संकल्प तथा प्रस्ताव दोनों सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं।

तथापि सभा के समक्ष पहले संकल्प प्रस्तुत किया जायगा और यदि उसे स्वीकार कर लिया जायगा तो विधेयक प्रस्तुत किया जायगा।

श्री नन्दा : मुझे आशा है कि इस सांविधिक प्रस्ताव को सदन के सभी दल स्वीकार करेंगे। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यह निर्णय सभा की इच्छा के अनुसार लिया गया है।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

वर्तमान पंजाब राज्य के पुनर्गठन पर विचार करने के लिये अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में बनाई गई संसद सदस्यों की समिति ने सभा को अपना प्रतिवेदन 18 मार्च, 1966 को दे दिया था।

समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि यह बात पंजाब की जनता तथा सारे देश की जनता के हित में है कि वर्तमान पंजाब राज्य का भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया जाना चाहिये।

समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि पंजाब क्षेत्र को एक भाषी पंजाबी राज्य बनाया जाय तथा पंजाब के वे पहाड़ी क्षेत्र जो अब हिन्दी क्षेत्र में हैं और हिमाचल प्रदेश से लगते हैं हिमाचल प्रदेश में मिला दिये जायें। जो शेष क्षेत्र रह जायें उनकी अलग से यूनिट बनाई जाये जिसका नाम हरियाना रखा जाये।

सरकार ने इन सभी सिफारिशों पर विचार करके यह निर्णय किया है कि यह बात सिद्धान्त रूप से मान ली जाये कि वर्तमान पंजाब राज्य का भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया जाये। उस दिशा में काफी प्रयास किया गया है।

भारत सरकार ने 23 अप्रैल, 1966 के संकल्प के माध्यम से एक आयोग नियुक्त करने की घोषणा की थी जिसके अध्यक्ष न्यायाधीश जे० सी० शाह तथा सदस्य श्रीयुत एस० दत्त तथा एम० एम० फिलिप थे। यह आयोग इसलिये बनाया गया था कि वह प्रस्तावित राज्यों की वास्तविक सीमायें निर्धारित करे। यह कहा गया था कि आयोग अपना प्रतिवेदन 31 मई, 1966 तक अवश्य प्रस्तुत करे तथा उसने उस तारीख को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया।

आयोग की सिफारिशों से वर्तमान पंजाब के उन क्षेत्रों को जिनसे पंजाबी-भाषी राज्य बनेगा, जिनसे हिन्दी-भाषी राज्य बनेगा तथा शेष क्षेत्रों को, जो हिमाचल प्रदेश में मिलाये जायेंगे, निर्धारित किया गया है।

श्री एस० दत्त ने खरड़ चण्डीगढ़ की स्थिति के बारे में अपना विमति टिप्पण दिया था। सरकार ने आयोग की सिफारिशों तथा पुनर्गठन योजना के विभिन्न अन्य पहलुओं की सिफारिशों के बारे में कुछ निर्णय किये हैं। उन्हें शीघ्र ही लोक सभा में प्रस्तुत किये जाने वाले पुनर्गठन विधेयक में जोड़ दिया जायेगा।

अब मैं यह बताऊंगा कि पंजाब राज्य के सम्बन्ध में अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति की उद्घोषणा जारी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। पंजाब राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति की उद्घोषणा पुनर्गठन योजना का आवश्यक अंग नहीं है। विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद् में वैसे ही काम चलता होता परन्तु राज्य का पुनर्गठन करने तथा पंजाब और हरियाना के दो नये राज्य बनाने के निर्णय से स्थिति कुछ और हो गई है। यह स्थिति इसलिये हुई है क्योंकि मुख्य मंत्री ने अपने मंत्रालय का त्यागपत्र देते हुए राज्यपाल को एक पत्र लिखा था। राज्यपाल ने राष्ट्रपति को सूचना भेजी कि वैकल्पिक मंत्रालय बनाना संभव नहीं है। उन्होंने यह भी सिफारिश की कि अनुच्छेद 356 के उपबन्धों के अधीन कार्यवाही की जानी चाहिये। तदनुसार 5 जुलाई को राष्ट्रपति ने उद्घोषणा जारी की।

Shri Buta Singh (Moga) : The Hon. Home Minister had explained the background of this problem. But he forgot that there are great sacrifices behind it. Dozens of people were killed and many people liad down their lives. This goes to the credit of the people of Punjab that during eighteen years of struggle they did not indulge in subversive activities and no loss was incurred to the public property. I am paying my homage to the people who laid down their lives for this purpose.

Punjab was behaving like an appendix to Delhi. The Ministers of Punjab used to bring down their differences in Delhi. This had an adverse effect on the national element of Punjab. There was no democracy left in Punjab. There was Congress administration. The people of Punjab did not like the frequent changes in the administration resulting from political pressures.

Shri Nanda had said that the conditions in Punjab had become such that it had become essential to introduce President's proclamation. But the Chief Minister of that State at the time of tendering his resignation had said "My resignation would create a cordial and congeneal atmosphere in the State." This shows that cordial and congeneal atmosphere was not there in the cabinet. The second proof of this thing is the actions of Shri Dharamvir whom some Hon. friends have given the name "Karamvir".

The political condition of Punjab was known to everybody before Shri Dharamvir took over charge.

Earlier Shri Ujjal Singh was appointed the Governor of Punjab but was later transferred because a strong communal group was opposed to it. This is a very bad thing. Such a thing cannot be tolerated in a secular State.

Now I want to repeat the words of Shri Ujjal Singh which he had uttered at the time of his farewell party :—

"I am leaving Punjab with a heavy heart after serving the State to the best of my ability."

I would like the Home Minister to see that such circumstances are not created that people feel in this way.

Why do we like presidential rule ? What did Shri Dharamvir see in Punjab. He said :

"In India, on the slightest pretext, people burn the national properties. But I have not seen anyone destroying the property of black-marketeers."

This is the statement made by a capable and wise Administrator who saw that there is adulteration in almost every thing there. I would like that let there be a presidential rule till the next elections.

The present Governor of Punjab has done a very good thing by making improvements in the administration and taking action against hoarders, profiteers and adulterators.

The administration under Congress Cabinet had deteriorated to a great extent and people are suffering from the above evils. It would be better, therefore, if presidential rule continues there till the next elections.

It is very strange that legislature is there in Punjab but is ineffective. The Members are getting their pay and allowances without doing any work. The legislature should be done away with.

The Government is very slow in taking action in regard to the bills relating to Punjab. I fear if they will be able to finish their work within the next general election.

श्री दे० द० पुरी (कैथल) : मेरा निवेदन है कि हमें इस समय पंजाब के पुनर्गठन के मूल प्रश्न पर विचार करने से कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि हमें गृह-कार्य मंत्री ने इस सदन में आश्वासन दिया था कि इस विषय पर विस्तार से चर्चा की जायेगी ।

यह कहना भी ठीक नहीं है कि सरकार आन्दोलन के सामने झुक गई है । उसने यह निर्णय गुणों के आधार पर लिया है क्योंकि वह समझती थी कि अब पंजाब का पुनर्गठन किया जाना चाहिये और उसने वही कार्य किया जो करना चाहिये था अर्थात् सदन के सारे दलों की एक समिति नियुक्त की जाय । यह मेरी पहली बात है जिसे मैं संक्षेप से कहना चाहता हूं ।

मेरे माननीय मित्र ने राज्यपाल के स्थानान्तरण के विरुद्ध कुछ कहा है । यह प्रशासनिक मामला है । इस मामले को साम्प्रदायिक रूप देकर उसका उल्लेख करना अत्यधिक अनुचित है । यह कहना भी अनुचित है कि भूतपूर्व राज्यपाल को साम्प्रदायिक कारणों से स्थानान्तरित किया गया । यह स्थानान्तरण निश्चित रूप से बदलती हुई परिस्थितियों तथा बदलते हुए हालातों के कारण किया गया । अथवा ऐसे मामले का निर्णय तो गृह-कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रपति को करना होता है । अतः प्रशासनिक कार्यों पर साम्प्रदायिकता का लांछन लगाना पूर्णतः अनुचित है ।

ऐसा सुझाव दिया गया है कि विधान सभा को खत्म कर दिया जाये। किन्तु यह विधेयक एक अस्थायी कानून है, केवल उस अस्थायी काल के लिए जब तक कि पंजाब का पुनर्गठन नहीं होता, कुछ विशेष व्यवस्था करना आवश्यक है और इसीलिए यह निश्चय किया गया है कि इस अवधि में विधान सभा निलम्बित रहेगी। उसके बाद पंजाब तथा हरियाना राज्यों की अलग-अलग विधान सभाओं के रूप में कार्य करने के लिए उन्हें आमंत्रित किया जायेगा, आखिर उनके अनुभव तथा बुद्धि का उपयोग किया जाना आवश्यक है। इसलिए इस तर्क में कोई बल नहीं है कि वर्तमान विधान सभा को समाप्त कर दिया जाये।

जहां तक पंजाब में राज्यपाल के शासन की अवधि को बढ़ाने का सम्बन्ध है, उसमें कुछ संवैधानिक कठिनाइयां हैं, राज्यपाल का शासन केवल एक उद्देश्य को ध्यान में रखकर लागू किया गया है कि यह राज्य के पुनर्गठन की दिशा में एक प्रारम्भिक कदम है और ज्यों ही पूरा हो जाये उसे जारी रखने का कोई भी प्रयोजन नहीं है। जहां तक वर्तमान राज्यपाल द्वारा किये गये अति सराहनीय कार्य का सम्बन्ध है, केवल मुझे ही नहीं अपितु इस सभा को भी उस पर गर्व है। फिर भी परिस्थितियों की सीमाएं होती हैं; और इस पुनर्गठन कार्य के पूरा होते ही लोकतंत्र की फिर से स्थापना आवश्यक है ताकि सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा विचार किया जा सके।

कई बार सदन में पंजाब के बारे में कुछ वक्तव्य तथा उत्तर दिये गये हैं जिनसे गलत धारणायें उत्पन्न होती हैं, जैसे कि 24 अगस्त को श्री हाथी द्वारा एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया कि पंजाब के मुख्य सचिव को अपने पद से स्थानान्तरित किया गया है तथा इस उक्ति को इस प्रकार व्यक्त किया गया जैसे कि उन पर कोई धब्बा लगा हो और दण्ड के रूप में ऐसा किया गया हो। मुझे नहीं पता है कि दास आयोग ने मुख्य सचिव के विरुद्ध कोई विचार व्यक्त किये थे अथवा उनका स्थानान्तरण किया गया है। गृह-कार्य मंत्रालय को चाहिए कि ऐसे वक्तव्य देने से पहले वह सब महत्वपूर्ण मामलों के तथ्यों की पड़ताल करे।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत विधेयक का स्वागत तथा समर्थन करता हूं।

श्री वासुदेवन नायर (अम्बलपुजा): यह तो सर्व विदित ही है कि हमारी सरकार कोई भी कार्य सीधे ढंग से नहीं कर सकती। वह सम्बन्धित लोगों के आग्रह के अनुकूल काम नहीं कर सकती, सरकार ने जिस ढंग में पंजाब की स्थिति का सामना किया वह इसी प्रकार की गंभीर गलती का उदाहरण है। सभा में सभी सम्बद्ध सदस्यों द्वारा यह बात कई बार अच्छी तरह स्पष्ट की गई है कि हम भाषा के आधार पर पंजाब राज्य के पुनर्गठन के पक्ष में हैं किन्तु वह पंजाबी सूबा तथा विशाल हरियाना की मांग को बराबर अस्वीकृत करती रही है। अब भी जब कि परिस्थिति से मजबूर होकर उसे ऐसा करना ही पड़ा है, तब उसने स्थिति को और भी उलझा दिया है, समस्याओं को सुलझाने के प्रयत्न में उसने और भी अधिक समस्याएं उत्पन्न कर दी हैं। सरकार पर हमारा आरोप यही है कि वह किसी भी सिद्धान्त को मूलरूप से नहीं मानती है और न ही

किसी सिद्धान्त पर समुचित रूप से चलती है । सीमा आयोग के विचारार्थ विषयों में 1961 की जनगणना का उल्लेख करने का निर्णय इसी बात का उदाहरण है । यह बात सर्व विदित है कि 1961 की जनगणना और वास्तव में 1951 की जनगणना से भी राज्य में भाषा सम्बन्धी वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं होती ।

जहां तक चंडीगढ़ का प्रश्न है, 1951 तथा 1961 के जनगणना के आकड़ों से पहले के आंकड़ों तथा सच्चर सूत्र के आधार पर इस क्षेत्र में निश्चित रूप से पंजाबी बोलने वाले लोगों की संख्या अधिक है । इसलिए पंजाबी सूबे की राजधानी चंड़ीगढ़ होनी चाहिए और हरियाना राज्य का पुनर्गठन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि उसकी राजधानी पुरानी दिल्ली हो, इस तरह समस्या सुलझ जाती है। वर्तमान परिस्थितियों के अधीन यदि पुरानी दिल्ली को हरियाना के साथ मिलाने के निर्णय में देर होने की संभावना हो, तो उसकी राजधानी कुछ समय के लिए चंडीगढ़ में ही रहनी चाहिए अथवा हरियाना के लिए एक नयी राजधानी बनाई जानी चाहिए । अतः इस प्रकार इस समस्या को सुलझाया जाना चाहिए ।

जहां तक पंजाब में राष्ट्रपति के शासन को लागू करने का सम्बन्ध है, सरकार को इस बात पर शर्म आनी चाहिए कि उसने उक्त राज्य में अपने दल का बहुमत होने के बावजूद वहां राष्ट्रपति का शासन लागू किया है राज्य के विधान सभा को सजीव हालत में भी निलम्बित किया है न कि पूर्णतः समाप्त किया है—वह इसलिए कि वह उक्त सभा को उस समय समवेत करना चाहती है जब कि ऐसा करना उसके अनुकूल हो । यह सरकार हर कार्य अपने संकुचित हितों के अनुरूप करती है, किन्तु इस संदर्भ में मैं केरल के मामले पर प्रकाश डालना चाहता हूं । केरल के सम्बन्ध में तो सरकार ने राज्य-सभा में वहां से भरे जाने वाले रिक्त स्थानों को भरने तक की अनुमति नहीं दी । पंजाब विधान सभा को यदि सरकार इस प्रकार निलम्बित रख सकती है, तो केरल विधान सभा को भी इसी तरह रख सकती थी और निर्वाचित सदस्यों की उस विधान सभा को कम से कम एक बार तो समवेत करवाती, किन्तु सरकार उसे समाप्त करने तथा वहां तुरन्त ही राष्ट्रपति का शासन लागू करने के लिए कटिबद्ध थी । सरकार दोहरी नीति अपना रही है । सरकार दलगत हितों के कारण इस विधान सभा को पुनरुज्जीवित करना चाहती है । सरकार यह चाहती है कि आम चुनावों के समय प्रस्तावित दोनों ही राज्यों में कांग्रेस सरकार रहे ।

राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर गांव को एकक (इकाई) मानते हुए किया जाना चाहिए। यदि सरकार ने यह सिद्धान्त मान लिया होता, तो अधिकांश कठिनाई दूर हो गई होती। किन्तु सरकार के इस संकोच तथा सावधानी के कारण कि सभी प्रकार के निहित हितों और साम्प्रदायिक निकायों को संतुष्ट किया जाए अनेक समस्याएं ज्यों की त्यों बनी रहीं। पंजाब राज्य में सरकार ने वही किया है । अब भी, इस प्रक्रम पर मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि वह चंडीगढ़ को पंजाब की और पुरानी दिल्ली को हरियाना की राजधानी बनाने के समूचे मामले पर फिर से विचार करे ।

Shri Yudhvir Singh (Mahendragarh) : I entirely agree with this view that the imposition of President's rule in Punjab was the result of the force of circumstances and changing conditions. However, the predominant factor responsible for this situation is that there was division in the Ram Kishan Ministry on the question of reorganisation of Punjab. Things came to such a pass that there was particularly no administration in Punjab. It is good that President's rule has been imposed there.

The Governor had taken certain steps against hoarders, blackmarketeers and profiteers. He had been doing a commendable job which was very much appreciated by the people of Punjab and the whole country. But certain congress leaders of Punjab have criticised the Governor's actions and have approached the Central Leaders with the request to put pressure on the Governor to stop action against the blackmarketeers etc. It is learnt that same directive has heen given by the Centre in the matter.

The other day it was announced by the Congress President, Shri Kamraj that Governor's rule in Punjab would continue till the coming general elections. But the decision has now been revised in the interest of the ruling party and it has been decided that new Ministries would be formed in both the new States by the 1st November, 1966. It is evident that they want to make political capital out of this and everything is motivated by its own cliquish party interest. In fact the Government are handling the situation in a most anti-democratic manner and are not prepared to tackle the problems in a thorough going manner on the basis of well defined principles.

The demand for restoring popular Government in the reorganised states is being made to serve the interest of the Congress Party. If the Central Government is honest they should continue President's rule in both the new States.

श्री अ० ना० विद्यालंकार (होशियारपुर) : पंजाब की स्थिति से निपटने के लिये सरकार ने जिस बुद्धिमत्ता तथा कौशल से काम लिया है, उसके लिये वह बधाई की पात्र है । पंजाबी क्षेत्र के, हरियाना क्षेत्र के तथा हिमाचल प्रदेश के लोगों ने जिस विशेष ढंग में पुनर्गठन किये जाने की इच्छा व्यक्त की, सरकार ने उसी ढंग से अपेक्षित कार्यवाही आरम्भ की । वास्तव में इस स्थिति में सरकार ने दो राज्यपाल नियुक्त किये जिन्होंने बहुत बुद्धिमानी तथा तत्परता से स्थिति का सामना किया है । वर्तमान राज्यपाल भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं ।

यह कहना गलत है कि कांग्रेस वालों ने चोर बाजारी आदि करने वालों के विरुद्ध राज्यपाल द्वारा की गई कार्यवाही की आलोचना की है । किसी भी जिम्मेदार कांग्रेसी ने चोर बाजारी करने वालों का समर्थन नहीं किया है । यह तो केवल जनसंघ का, जिसने पुनर्गठन का पूर्णत: विरोध किया है, प्रचार है । पंजाब के उचित पुनर्गठन के मार्ग में जनसंघ ने रोड़ा अटकाने तथा बाधा डालने का प्रयत्न किया ।

पंजाब के पुनर्गठन के निर्णय का जनसंघ को छोड़कर, जिसने इसका कड़ा विरोध किया है, अन्य सभी विरोधी दलों ने स्वागत किया है । हमें लोकतंत्रीय संस्थाओं को कम महत्व नहीं देना चाहिये । उनके कार्य में त्रुटियां तथा कठिनाइयां हो सकती हैं । अन्तत: हमारे देश में एक

नया लोकतंत्र पनप रहा है। विभिन्न त्रुटियों के बावजूद हमें लोकतंत्र का पक्ष लेना चाहिए और पंजाब में राष्ट्रपति शासन आवश्यकता से एक दिन भी अधिक नहीं रखना चाहिये, वास्तव में सरकार राष्ट्रपति शासन को टाल सकती थी। उसे लागू करना नितान्त आवश्यक नहीं था। मद्रास और गुजरात में सेवाओं आस्तियों और देनदारियों का विभाजन करने के लिये जैसा आयोग नियुक्त किया गया था वैसा ही आयोग पंजाब में भी नियुक्त किया जाना चाहिए था और मंत्रालय दोषों के बावजूद अपना काम जारी रख सकता था। पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू करना वांछनीय नहीं था।

विधान मंडल सजीव रूप में निलम्बित रहे यह बड़ी ही विचित्र संवैधानिक कल्पना है। सामान्य चुनाव के माध्यम से बनाये गये विधान मंडल के प्राधिकार का उस समय तक उल्लंघन नहीं किया जा सकता जब तक उसका कार्यकाल चलता है। उस पर कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा नहीं थोप सकता, कोई भी व्यक्ति उसके कार्य को बन्द करने के लिए नहीं कह सकता और किसी व्यक्ति को उसे निलम्बित करने का अधिकार नहीं है, वास्तव में पंजाब की विशेष परिस्थितियों में हमें इस उपाय का आश्रय लेना पड़ा। किन्तु हमें इस संवैधानिक कल्पना को त्याग देना चाहिये और किसी भी विधान मंडल को इस प्रकार निलम्बित नहीं किया जाना चाहिए। वास्तव में इस प्रकार के विचित्र संवैधानिक कल्पना की भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिये। विधान मंडल का निलम्बन संविधान के अन्तर्गत किया जा सकता है जिसके पश्चात् विधान मंडल का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और उसके बाद नये विधान मंडल का निर्वाचन करना जरूरी होता है जैसा कि कई स्थानों में हुआ है और होता है। लोकतंत्रीय संस्था का संरक्षण किया जाना चाहिए और लोकतंत्रीय विचारधारा तथा परम्पराओं का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिये, इसलिए राष्ट्रपति शासन को यथा शीघ्र समाप्त किया जाना चाहिए।

श्री उमानाथ (पुद्दकोट्टै) : उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब में राष्ट्रपति-शासन लागू करना प्रजातंत्रीय कार्यवाही के विरुद्ध है। सरकार ने यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि पंजाब में घटनाओं का कुछ ऐसा सिलसिला चल गया था जो नियंत्रण के परे हो गया था और जिसके परिणामस्वरूप सरकार को मजबूर होकर वहां राष्ट्रपति-शासन लागू करना पड़ा। किन्तु वास्तविकता यह है कि पंजाब में राष्ट्रपति के शासन की उद्घोषणा राष्ट्रीय हित के कारण आवश्यक नहीं थी बल्कि पंजाब में कांग्रेस हाई कमान के विभिन्न गुटों के राजनैतिक हितों को पूरा करने के लिये इसकी आवश्यकता पड़ी।

गृह-कार्य मंत्री के इस दावे को ठीक नहीं माना जा सकता कि पंजाब को भाषाई आधार पर पुनर्गठित करने के निर्णय की उद्घोषणा करते ही वहां एक असामान्य स्थिति उत्पन्न हो गई थी जिसके परिणाम-स्वरूप वहां के मुख्य मंत्री, श्री राम किशन को त्याग-पत्र देना पड़ा। इस वक्तव्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि यह पहला ही अवसर नहीं है जब कि राज्य का पुनर्गठन किया जा रहा हो। पहले भी कई राज्यों यथा मद्रास, आन्ध्र, महाराष्ट्र तथा गुजरात को पुनर्गठित करते समय ऐसी ही अथवा इनसे भी और अधिक जटिल, विवादास्पद तथा

नाजुक स्थितियां उत्पन्न हुई थीं जिनमें कई जानें भी चली गई थीं, किन्तु कहीं पर भी मुख्य-मंत्री को पद-त्याग नहीं करना पड़ा और किसी भी राज्य में राष्ट्रपति-शासन लागू नहीं किया गया। इसलिये यह स्पष्टीकरण कि पंजाब में असामान्य स्थिति उत्पन्न हो जाने के कारण मुख्य मंत्री को पद-त्याग करना पड़ा और यह उद्घोषणा करना आवश्यक हो गया, एक मन गढ़न्त कहानी के अलावा और कुछ भी नहीं है जो कि पंजाब की राजनीति में कांग्रेस हाई कमान के हितों के अनुरूप गढ़ी गयी है।

पंजाब में शान्ति तथा व्यवस्था भंग होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि वहां समूची सरकारी मशीनरी सुव्यवस्थित तथा सुचारु रूप से कार्य कर रही थी। वहां सरकार थी, विधान सभा थी और वहां पर जनता की ओर से कोई आन्दोलन भी नहीं था। कांग्रेस दल को विधान सभा में बहुमत भी प्राप्त था किन्तु हाई कमान द्वारा मनोनीत व्यक्ति श्री राम किशन को अपने ही दल का बहुमत प्राप्त नहीं था। वास्तव में बात यह नहीं थी कि सरकार वहां संविधान के उपबन्धों के अनुसार कार्य करने में समर्थ नहीं थी बल्कि बात यह थी कि वहां कांग्रेस दल हाई कमान के आदेशों के अनुसार कार्य नहीं कर पा रहा था जिनमें किसी विशेष गुट के हितों का समर्थन होना था। संसदीय कांग्रेस समिति में काफी समय तक उधेड़-बुन चलती रही जिसका परिणाम कोई लाभदायक नहीं निकला। अन्त में इस भय से प्रेरित होकर कि राम किशन-विरोधी शक्तियां कहीं संसदीय कांग्रेस दल का नेतृत्व अपने हाथ में न ले लें, वहां राष्ट्रपति-शासन की उद्घोषणा की गई जिसके लिये श्री राम किशन से त्याग-पत्र, देने के लिये कहा गया जो उन्होंने अपनी इच्छा से नहीं अपितु कांग्रेस हाई कमान के आग्रह पर दिया। कांग्रेस हाई कमान का यह एक राजनैतिक कार्य है। कांग्रेस दल के राजनैतिक निर्णय को क्रियान्वित करने के लिये श्री धर्मवीर को वहां जान-बूझकर भेजा गया। श्री धर्मवीर ने काफी समय पहले, जब कि वहां की स्थिति के बारे में प्रतिवेदन तैयार नहीं हुआ था, स्थिति पर विचार किये बिना ही वहां के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक बुलाकर स्पष्ट रूप से इस बात का संकेत दिया कि वहां पर राष्ट्रपति-शासन लागू होगा।

जब अन्य राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया तो उन राज्यों के विधान सभाओं को सारे मामले पर विचार-विमर्श करने का अधिकार दिया गया था। किन्तु दुर्भाग्यवश, पंजाब के मामले पर वहां की विधान सभा अथवा जनता के प्रतिनिधि पुनर्गठन के सुझावों पर चर्चा नहीं कर सकते।

दूसरी बात यह है कि पंजाब विधान सभा के लिये कानून बनाने की जो शक्ति संसद को प्राप्त है उसे इस विधेयक के माध्यम से राष्ट्रपति को प्रत्यायोजित किया जा रहा है। इसलिये स्थिति यह है कि प्रस्तुत विधेयक के पारित हो जाने पर उद्घोषणा के पश्चात् पंजाब का शासन कांग्रेस हाई कमान के हाथ में होगा। क्योंकि राष्ट्रपति तो वास्तव में एक संवैधानिक प्रधान हैं जिनको मंत्रियों की राय पर चलना पड़ता है।

जहां तक पंजाब विधान सभा का सम्बन्ध है, उसे भंग नहीं किया गया है और उसका कारण यह बताया गया है कि पुनर्गठन के पश्चात् वहां जनता का शासन दोबारा स्थापित करना होगा, अतः पंजाब विधान सभा को कायम रखने में उपयोगिता की संभावना है। पदाधिकारियों के पास प्रतिनिधान के लिये विधान सभा के सदस्य लोक प्रिय एजेंसी है, विशेषकर उस समय जब राष्ट्रपति का शासन लागू हो। इसलिये, इस तर्क के आधार पर केरल विधान सभा को कायम रखने में भी उपयोगिता की संभावना हो सकती थी। यदि विधान सभा जीवित होती, तो कुछ समय पश्चात् कुछ दल मिलकर सरकार बनाने को तैयार हो गये होते। किन्तु वहां विधान सभा को कायम नहीं रखा गया जो निश्चित रूप से भेद-भाव पूर्ण व्यवहार है, दोहरी नीति है और प्रजातंत्र की हत्या है। यदि सरकार ने अपनी इन बातों को समाप्त नहीं किया, तो आगामी चुनावों में करोड़ों लोग इसे समाप्त कर देंगे।

श्री श्यामलाल सर्राफ (जम्मू तथा काश्मीर) : कई वर्ष पहले कांग्रेस के नेतृत्व में एक निर्णय किया गया जो बहुत न्यायसंगत तथा बुद्धिमानीपूर्ण था—वह यह कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात् भाषाई आधार पर राज्यों को पुनर्गठित किया जायेगा।

हम देश की प्रत्येक समस्या पर चाहे वह आर्थिक हो, राजनैतिक हो अथवा कोई अन्य हो, धर्मनिर्पेक्षता, प्रजातंत्रीयता तथा समाजवाद के दृष्टिकोण से विचार करते हैं। स्वभावतः मास्टर तारासिंह के नेतृत्व में शिरोमणि अकाली दल ने जो एक अलग सिख राज्य की मांग रखी उसे देश में समर्थन नहीं मिला। किन्तु जब सन्त जी ने पंजाबी राज्य की मांग विवेकपूर्ण ढंग से उठाई, तो उनकी इस मांग को सिखों के अलावा अन्य लोगों से भी समर्थन मिला, और इसलिये इस मांग का स्वभावतः विरोध नहीं किया जा सका।

पंजाब के पुनर्गठन का निर्णय एकाएक अचानक किया गया है। इसके कारण जम्मू तथा काश्मीर राज्य में भी कुछ अवांछनीय घोषणाएं की गईं जिनका परिणाम दुर्भाग्यवश भारतीय हितों के विरुद्ध निकल रहा है। सिवाय इसके कि पंजाब के पुनर्गठन का निर्णय जल्दी में किया गया, वैसे यह ठीक निर्णय है और उचित समय पर लिया गया।

हरियाना बहुत पिछड़ा हुआ रहा है। पंजाब के पुनर्गठन से हरियाना के लोगों को प्रगति करने का काफी अवसर मिलेगा। तीनों राज्यों को पुनर्गठन के पश्चात क्षेत्रों के बारे में कोई शिकायत नहीं होनी चाहिये। पंजाबी क्षेत्र के लोगों को यह धारणा नहीं रखनी चाहिये कि उनके कुछ क्षेत्र उनसे ले लिये गये हैं।

हिमाचल प्रदेश के लोगों के दिमाग में यह बड़ा डर था कि एक दिन उन्हें पंजाब से मिला दिया जायेगा। अब यह डर सदा के लिये समाप्त हो गया है, सरकार को इसका श्रेय मिलना चाहिये।

हरियाना एक नया राज्य होने के कारण तथा वहां के लोग राजनीति में नये होने के

कारण यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की है कि वहां ईमानदार तथा सद्भावपूर्ण राजनैतिक वातावरण पैदा हो जिससे कि इस समूचे क्षेत्र को किसी प्रकार की कठिनाई न हो और अवसरवादियों को अपने हाथ में सत्ता ले लेने का अवसर नहीं मिलना चाहिये ।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं ।

Shri Jagdev Singh Siddhanti (Jhajjar) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I always examine a thing on the basis of its merits and demerits and I am not motivated by provincialism and party-feeling. Injustice has always been done to the people of Hariyana. The Home Minister, Shri Nanda deserves congratulations for putting an end to this injustice.

So far as Chandigarh is concerned, some people hold that it should go to Punjab but it is a part of Hariyana. Even the Punjab Boundary Commission has given this verdict. So it should come to Hariyana.

I would like to invite the attention of the Hon. Minister to this most important point that most of the institutions now in existence in Punjab have the prefix 'Punjab', in their names such as Punjab University, Punjab Agricultural University, Punjab Medical College, Punjab Engineering College, Punjab High Court etc.; and what we want is such institutions as will belong both to Punjab and Hariyana should not have this prefix in their names. Hariyana which has inadequate representation in various fields should get due representation in different forums of the Punjab University as well as in other institutions. Even in the matter of distribution of water and electricity, which is not equitable, justice should be done to the people of Hariyana.

Punjab and Hariyana are now two different States and as such these should have separate Governors and High Courts.

Efforts should be made to develop Hariyana in such a manner that it becomes a self-supporting State.

श्री त्यागी (देहरादून) : भारत को विभिन्न राज्यों में विभाजित करने की प्रवृत्ति का मैं सिद्धान्ततः स्वागत नहीं करता । यह प्रवृत्ति खराब है । संविधान के तैयार होते ही तुरन्त मद्रास को विभाजित करके हमने भारी भूल की है, संविधान का पूर्णतः सम्मान करना जरूरी है । सरकार यदि भाषाई आधार पर राज्य बनाते गई तो, इस प्रक्रिया का कोई अन्त नहीं हो सकता । पंजाब को तीन क्षेत्रों में विभाजित करने से कुछ और भाषाई अल्पसंख्यकों को भी अपने लिये पृथक राज्यों की मांग करने का प्रोत्साहन मिलेगा । बहु-भाषी राज्यों का निर्माण करना जरूरी है, मैं समझता हूं संविधान का भाव भी यही है । भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण की मांग के सामने हमें झुकना नहीं चाहिये । मेरा सुझाव यह है कि भाषा के आधार पर भारत का आगे विभाजन न करने के लिये हमें दृढ़ संकल्प होना जरूरी है और भारत की सुरक्षा के हित में हमें यह घोषणा कर देनी चाहिये कि भारत का और अधिक विभाजन नहीं किया जायेगा ।

जहां तक इन राज्यों के राज्यपाल का सम्बन्ध है, इन तीनों राज्यों के लिये एक ही राज्यपाल नियुक्त करने का विचार वास्तव में सराहनीय है । शेष भारत में भी राज्यपालों की संख्या

कम करना आवश्यक है। दो अथवा तीन राज्यों के लिये एक राज्यपाल रखना वांछनीय है, इस सिद्धान्त को अन्य राज्यों पर भी लागू किया जाना चाहिये। इससे हमारे व्यय में भी कमी हो जायेगा।

Shri Ram Sewak Yadav (Bara Banki) : It is because of Government's confused policies on matters like language and reorganisation of states fissiparous tendencies and disintegrating forces are gaining strength in the country. It is time for the Government to consider the matter in all seriousness and think of ways and means so that the kind of situation which we have seen in some parts of the country, where people had to put up a fight against the fight for their demands, is averted. In fact if the Congress Government had followed its declared policy on the linguistic reorganisation of states, there would not have been any trouble anywhere. The confused policies of the Government itself are responsible for all such disturbing situations as arose out of the demands for creating states on linguistic basis. The Government did not pursue a firm policy in this regard.

As regards President's rule in Punjab, there is no justification for the imposition of the President's rule there. The rule is against democratic ideas and principles. It only means an extension of the rule of the Congress Government at the Centre, and the ruling party wants to make a political capital out of the situation as the next general elections are nearing. Hence it is not a step in the right direction and as such it cannot be supported.

Now I would like to conclude by inviting the attention of the House to clause 2 of the Bill whereby powers are being taken for constituting a consultative committee are wide and likely to be misused. It is not desirable to give such powers unless certain guiding principles are prescribed. As I am against the President's rule in Punjab, I oppose this Bill.

Shri Hem Raj (Kangra) : Mr. Deputy Speaker, Sir, the Home Minister, Shri Nanda deserves congratulations for the very amicable and feasible manner in which he has been able to solve this ticklish problem of the reorganisation of Punjab to the satisfaction of the people of all the three units, i. e. Punjab, Hariyana and Himachal Pradesh.

As regards President's rule in Punjab, I think it was a step in the right direction and it has, in fact, benefited the people of Punjab.

In the demarcation of the boundaries of the three new States, injustice has been done to Himachal Pradesh in respect of the hilly areas of Dhar Kalan, Una and Kalka which rightfully belong to Himachal Pradesh and should have been included in it. Certain Villages of Una Block and an area covering Kosari village should also have formed part of Himachal Pradesh, but they have been given over to Punjab. I feel that justice has not been done to the people of Himachal Pradesh and these things should be set right.

So far as Governor's administration under President's rule in Punjab is concerned, the Governor has said that on account of lack of people's enthusiasm he is finding it difficult to take stringent action against the hoarders, blackmarketeers, profiteers and deal with the anti-social elements firmly. With a view to restoring people's enthusiasm it is, necessary to put an end to President's rule and set up popular Government there as early as possible.

As regards reorganisation of services, it should be ensured that certain high officers who take interest in the uplift and welfare of the people of the hilly areas and who have been doing very good work in the hilly areas of Punjab which will now form part of Himachal Pradesh are retained in Himachal Pradesh.

As regards the proposed High Court at Delhi, its jurisdiction will be extended to Himachal Pradesh also. I would therefore, like to suggest in this connection that so long as the new legislative assemblies in the new States do not come into existence and meet after the general elections and consider the matter, further consideration of the Delhi High Court Bill should be adjourned.

With these words I support the Bill.

श्री अल्वारेस (पंजिम) : मैं संत फतेह सिंह जी को इस बात के लिये बधाई देता हूं कि उन्होंने पंजाबी सूबे की मांग को विवेकपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया है। ऐसी सभी भाषाई व्यवस्था अत्यावश्यक है और वह सर्वव्यापी है किन्तु इसमें ऐसे तत्व भी मौजूद हैं जो एकता की ओर नहीं अपितु पृथकता की ओर ले जाते हैं।

[**श्री श्याम लाल सर्राफ पीठासीन हुए**
Shri Sham Lal Saraf in the Chair]

जब हम भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करें, तो प्रतिसन्तुलनकारी ऐसी व्यवस्था का किया जाना भी आवश्यक है जिससे कि भारत की एकता बनी रहे, गृह-कार्य मंत्री को चाहिये कि राष्ट्र-भाषा लागू करके देश की वर्तमान एकता को और भी अधिक सुदृढ़ बनायें और भाषावादी विभाजनात्मक तत्वों को समाप्त करें, जब कि पंजाबी सूबा बनाया जा रहा है, गृह-कार्य मंत्री के लिये जरूरी है कि वह इस कार्य को वैज्ञानिक ढंग से करें ताकि वैसी कठिनाइयां उत्पन्न न हों जैसी कि मैसूर-महाराष्ट्र के मामले में सामने आई थीं, पाटस्कर सूत्र एक वैज्ञानिक सूत्र है और यदि उसे पंजाबी सूबे के मामले में लागू किया जाये, तो हमेशा के लिये एक स्थायी व्यवस्था कायम करना संभव हो जायेगा।

महाराष्ट्र-मैसूर सीमा का मामला भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से सम्बन्धित है, इस विवाद को अन्तिम रूप से निपटाना जरूरी है ताकि भविष्य में इन दोनों राज्यों के लोगों के बीच निरन्तर झगड़ा न बना रहे। जैसा कि वचन दिया गया था सीमा-आयोग बनाने के लिये सरकार को पर्याप्त उपाय करने चाहिये ताकि इस विवाद को अन्तिम रूप से निपटाया जा सके।

जहां तक गोवा का सम्बन्ध है, महाराष्ट्र के साथ उसका विलय करने की मांग है, इसी सिद्धान्त के आधार पर यह विवाद फिर से खड़ा होता है। ऐसी आशा की जाती है कि सरकार यह घोषणा करेगी कि गोवा-विधान सभा के लिये मध्यावधि चुनाव आम चुनावों के साथ-साथ ही होंगे ताकि गोवा को महाराष्ट्र के साथ मिलाने की लोगों की मांग पूरी की जा सके।

पाटस्कर सूत्र का उल्लेख मैंने एक उद्देश्य को दृष्टि में रखकर किया है। चंडीगढ़ का

मामला विवादग्रस्त है, भाषाई परिभाषा के आधार पर चंडीगढ़ जिस राज्य में भी जाता है उसे वहीं रहने दिया जाये, इस मामले में सरकार को संकोच नहीं करना चाहिये, इसे केन्द्र प्रशासित क्षेत्र घोषित करना वांछनीय नहीं है, सरकार ने आन्ध्र प्रदेश तथा मैसूर के बीच झगड़े को सुलझाने के लिये जिस पाटस्कर सूत्र को स्वीकार किया था, उसे इस क्षेत्र पर भी लागू करना चाहिये जिससे कि यह विवाद हमेशा के लिये निपट जाये ।

जहां तक पंजाब के पुनर्गठन का सम्बन्ध है, इस कार्य का स्वागत है किन्तु जिस प्रकार पंजाब में राष्ट्रपति का शासन लागू किया गया है और जिस प्रकार राज्य की विधान सभा को उसका अस्तित्व रखते हुये निलम्बित रखा गया है, वह आपत्तिजनक है । हम यह कह सकते हैं कि जब विरोधी दल के दृष्टिकोण से राष्ट्रपति का शासन लागू करना आवश्यक था और जब सरकार के दृष्टिकोण से ऐसा करना अपेक्षित था तब सरकार ने भिन्न-भिन्न रवैया अपनाया । केरल में सरकार नहीं चाहती थी कि विरोधी दल की सरकार बने इसलिये वहां की विधान सभा को भंग कर दिया गया । पंजाब में कांग्रेस दल के हितों की रक्षा के लिये राष्ट्रपति शासन लागू किया गया । इस पर हमें घोर आपत्ति है ।

Shri R. S. Pandey (Guna) : Mr. Chairman, Sir, in a democracy, it becomes necessary to honour the public opinion even if it goes against the national interest. Strong and convincing arguments have been advanced against the creation of States on the linguistic basis. But a demand which is universal in character and is put forth in a logical manner based on the principles of democracy has got to be conceded.

We had already adopted a resolution at Karachi that we would reorganise the whole country on the linguistic basis with a view to facilitating administrative matters and propagating and expanding education.

I congratulate all concerned on the formation of these three States within the Indian Union. I wish them a success and hope the basic emotional integrity will be maintained, and the language will not be made a political issue. It will be better to have one Common Governor for all the three States.

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : यह विधेयक बड़ा विसंगत है । सरकार ने एक संकल्प प्रस्तुत किया है और उसके आधार पर सरकार सारी शक्तियां अपने हाथ में ले रही है, जबकि विधान मंडल का अस्तित्व अभी विद्यमान है । जब विधान मंडल विद्यमान है ऐसा न हो कि कोई उच्च न्यायालय में चला जाय और यह बनाया जा रहा सारा विधान ही अवैध हो जाय । मैं श्री त्यागी से इस बात में सहमत हूँ कि देश में इस तरह की स्थिति निर्माण हो रही है कि भाषा के आधार पर छोटे-छोटे राज्य बनाये जा रहे हैं जबकि हम एक मजबूत केन्द्रीय सरकार के लिए संघर्ष करते चले आ रहे हैं । मेरा अनुरोध यह है कि अब इस दिशा में हमें अन्त कर देना चाहिये और भविष्य में और विभाजन नहीं होना चाहिए । यदि यह लोगों की सत्ता हथियाने की ललक पर नियन्त्रण न रखा गया तो स्थिति असहनीय हो जायेगी । इस पर नियन्त्रण होना चाहिए ।

आज प्रत्येक क्षेत्र के लोग अपनी प्रत्येक प्रकार की मांगों को क्षेत्रीय रूप देकर ही प्रस्तुत कर रहे हैं । रेलों, कारखानों और अन्य चीजों की मांग क्षेत्रीय आधार पर की जा रही है । समय आयेगा जब कि जो कुछ भी अधिकार केन्द्रीय सरकार के पास हैं वे भी राज्यों को मिल जायेंगे और उसके पास यह क्षेत्रीय व्यवस्था करने की शक्ति भी नहीं रहेगी । संविधान सभा में तो इस बारे में कहा गया था कि केन्द्र को सारे अधिकार दिये जाने चाहिए और राज्यों को कोई अधिकार नहीं होना चाहिए । यदि ऐसा हुआ तो देश में बल्कान राज्यों जैसी स्थिति का निर्माण हो जायेगा । पंजाब और हरियाणा के लिए मेरे हृदय में सद्भावना है, परन्तु सिद्धान्त रूप में छोटे-छोटे राज्यों के निर्माण के मैं पक्ष में नहीं हूँ । यह कहना गलत है कि किसी राज्य में से दूसरे राज्य में रहने वाले लोगों को निकाल दिया जायेगा । संविधान के अनुच्छेद 19 को शून्य में नहीं बदला जा सकता, जिसके अन्तर्गत इस देश का कोई घटक जहां चाहे बस सकता है । हमें एक राष्ट्र के रूप में सोचने की आदत डालनी चाहिए । हम सब भारतीय हैं, और इस रूप में ही हम लड़े, मरे, उठे और आगे बढ़ेंगे ।

Shri Gulshan (Bhatinda) : It is beyond my comprehension that the Bill has been brought before the House in such a form. On the one hand there is existence of legislature but on the other hand proceeds are being taken. I support the Presidents Rule in Punjab till the general election. It has become necessary in view of the situation that has been created there. The Administration there had become completely corrupt. The former Chief Minister said in one Congress Meeting on the 25th and 26th of this month that he had given the list of corrupt officers to the Governor.

The Punjabi Suba has been created by the Government at last. And it is due to the sacrifices which have been made by the fighters for this cause. It should be understood that it is because of the refusal of the Government to apply the principle of reorganization of States on a linguistic basis that the trouble started in the Punjab. Such linguistic troubles in other states were also due to the fact that the Government were not willing to honour its past commitments. It is gratifying that ultimately the Government had to yield. In Punjab the Shiromani Akali Dal sponsored this movement. And it is to the credit of this Dal, that movement remained peaceful throughout. There has been never any incident of violence. I am of the opinion that Government are not willing to give us a full Punjabi Suba. Chandigarh is not kept in the Suba. The Punjab University and the Medical College has also been taken in the Central Control.

Let it be understood that the proposal of common links will not be acceptable to us. It is also not correct to cut away certain villages which should be the part of the Suba. In this way injustice has been done to the Punjabi Suba. I want to make very clear that there would be no peace in the region until each and every Punjabi speaking village is included in the Punjabi Suba. It is wrong to state that Sikhs ever sided with the forces of disruption in the country. Sikhs never betrayed the cause of independence. It is really strange that without any sacrifice a beautiful portion of Punjab has been added to the Himachal Pradesh.

श्री नन्दा : यह हर्ष की बात है कि सभा में चर्चा के समय एक दूसरे को समझने की

भावना विद्यमान रही है। पिछले कुछ महीनों में, जिस अशोभनीय स्थिति का निर्माण हो गया था उसकी कोई झलक इस चर्चा में नहीं आई। सारा काम सद्भावना से हुआ है। इस प्रश्न को दोबारा उठाया गया तो जरूरी था कि नये सिरे से इस पर विचार किया जाये। हमारी इच्छा यह थी कोई ऐसा हल तलाश कर लिया जाये जो सबको स्वीकार हो। इसी भावना से प्रेरित होकर ही हमने इस दिशा में प्रयास किया था। यह प्रसन्नता की बात है कि सन्त फतह सिंह ने भी अपना योगदान दिया। उन्होंने भी इस प्रश्न को साम्प्रदायिक विचारों से दूर रखने का प्रयास किया। इस दिशा में देरी करने का आरोप गलत है। हमने समय के अनुसार जो उचित था वह किया है। यह बात काफी स्पष्ट हो गई थी कि सभी वर्गों को सन्तुष्ट करने के लिए पंजाब राज्य का विभाजन करना ही होगा। यह कोई दल का प्रश्न नहीं था यह तो स्थिति के अनुरूप कार्यवाही करने का प्रश्न था।

यह ठीक है कि हमें प्रयास करना चाहिए कि देश में भावात्मक एकता का निर्माण हो, परन्तु फिर भी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जिनको यथार्थ रूप में देखना ही होता है। हम कोई बात किसी पर थोप नहीं सकते। यद्यपि हमने क्षेत्रीय परिषद् का निर्माण कर रखा है। जिसका उद्देश्य ही राज्यों को एक दूसरे के निकट लाना है। हमें सारी बात को सहयोग की भावना से देखना चाहिए। हम एक विधेयक लाने वाले हैं जिसके अनुसार कुछ व्यवस्थायें की जायेंगी। परन्तु अन्तिम रूप में प्रत्येक राज्य को भी यह निर्णय करना होगा कि इसकी क्या नीति होगी। हम यह आशा कर सकते हैं कि वे इस दिशा में बुद्धिमत्ता से कार्य करेंगे।

मुख्य प्रश्न राष्ट्रपति शासन का है। मेरा निवेदन यह है कि जहां तक राष्ट्रपति के शासन का संबंध है यह बात मानी जायेगी कि सदन में प्रमुख रूप से भावनाएं उस कार्यवाही के हक में थीं। जब यह निर्णय व्यक्त किया गया कि राज्य का बंटवारा होगा तो राज्य के मंत्रिमंडल में तनाव उत्पन्न हो गया। हितों में स्पष्ट रूप से भिन्नता थी और वह अपनी बात दिन प्रतिदिन कहने लगे। इस प्रकार काम चलाना कठिन हो गया। बस, और कोई बात नहीं। जैसी कि कुछ सदस्यों ने कही है, यही एक विचार था जिसके कारण राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। राज्यपाल के तबादले में कोई ऐसी भावना नहीं थी जैसा कि कुछ सदस्यों ने कहा है।

इसके अतिरिक्त अन्य प्रश्न विधान सभा को सजीव रखने का था। उसका उद्देश्य यह था कि यह पुर्नगठन का कार्य जितनी शीघ्रता से हो सके कर लिया जाये। राष्ट्रपति शासन राज्य के विभाजन के बाद जितनी शीघ्रता से सम्भव हो सके समाप्त कर दिया जाये। यह भी विचार है कि इस तरह कार्य करने से हम सामान्य प्रशासन शीघ्रता से स्थापित करने में समर्थ हो पायेंगे। अब तो तारीख भी निश्चित कर दी गयी है वह बहुत दूर की बात नहीं। विधान सभा अब वह कार्य करेगी जिसके लिए उसे सजीव रखा गया है। कांग्रेस के हितों का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। न कोई दल का प्रश्न है, सारी स्थिति बड़ी स्पष्ट है। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य इस दिशा में मेरे साथ सहमत होंगे।

अब चंडीगढ़ का प्रश्न आता है सीमा आयोग की नियुक्ति के बाद यह मामला हमारे हाथ

में नहीं रहा । यह कहना उचित नहीं है कि इस दिशा में गृह कार्य मंत्री ने कोई निर्देश दिया है । मेरा निवेदन है कि इस दिशा में मेरे व्यक्तिगत मत का कोई महत्व नहीं । इसके अतिरिक्त प्रश्न यह है कि जो प्रतिवेदन बहुमत द्वारा दिया गया था उसे क्यों बदला गया । उसे हरियाना के पक्ष में क्यों बदला गया । यह भी दृष्टिकोण है कि आयोग का निर्णय बहुत अधिक हरियाना के पक्ष में नहीं था । अतः इस दिशा में किसी प्रकार की दलगत भावना का आरोप उचित नहीं कहा जा सकता ।

सरकार ने सबके हित को दृष्टि में रख कर ही निर्णय किया है । सेवाओं, आस्तियों और देनदारियों के सम्बन्ध में एक समिति कार्य कर रही है और जैसे ही नयी सरकारें अपना कार्य भार संभालेंगी वैसे ही जनता के प्रतिनिधि उस सब काम की देखभाल करने लगेंगे जिसकी देखभाल की जानी चाहिए । अतः किसी भी प्रकार शिकायत के लिये कोई गुंजाइश नहीं है । वर्तमान राज्यपाल पर ऐसा कोई दबाव नहीं डाला गया है कि वह चरित्रहीन तत्वों के प्रति जो कड़ी कार्यवाही कर रहे हैं, उसे आगे न करें । परन्तु इस प्रक्रिया में भी हमें यह आश्वासन देना होगा कि निम्न स्तर के सरकारी कर्मचारी इससे अनुचित लाभ न उठायें और इस प्रकार के कार्य से कुछ दूसरे प्रकार के भ्रष्टाचार न पनप जायें । इस दिशा में काफी जागरूक रहने की आवश्यकता है ।

जिस प्रकार का कार्य हुआ है वह बाकी देश में भी हुआ है । यह कार्य अच्छा कार्य है इसमें कोई अपवाद वाली बात नहीं है । मेरे पास आंकड़े हैं जिनका सम्बन्ध विभिन्न राज्यों से है । गत वर्ष के अन्त तक जिन लोगों पर मुकदमा चलाया गया उनकी संख्या 50885 है । जिन लोगों को सजा हुई उनकी संख्या 24260, मुनाफाखोरी में गिरफ्तार हुए लोगों की संख्या 28158 है । अतः मेरा कहना यह है कि इस प्रकार के अभियान चल रहे हैं । अतः कोई इस दिशा में बहुत बड़ी बात कह देना ठीक नहीं है केवल पंजाब में ही यह हुआ है । और कहीं नहीं हो सकता, यह कहना ठीक नहीं ।

इस विधान को जो समर्थन माननीय सदस्यों से प्राप्त हुआ है उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत पंजाब राज्य के सम्बन्ध में 5 जुलाई, 1966 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सभापति महोदय : अब मैं विधेयक प्रस्तुत करता हूं, जिस पर चर्चा हो चुकी है । प्रश्न यह है :

"कि पंजाब राज्य के विधान मंडल की कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सभापति महोदय : कल विधेयक पर खंडवार चर्चा होगी।

सीमेंट से नियंत्रण हटाने के बारे में आधे घण्टे की चर्चा

HALF-AN-HOUR DISCUSSION Re. DECONTROL OF CEMENT

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : I want to refer to the Starred Question No. 125 dated 29th July, and begin this discussion regarding the decontrol of cement. The situation regarding cement is becoming acute day by day. The cement industry occupied a prominent place in the reconstruction of modern India. This is very unfortunate that the price of cement is very high and it is not possible for the common man to procure cement very easily. It is also very strange to note that the price of cement has gone up even after decontrol. Half of the production of cement is taken over by the Government.

The policy which our Government are pursuing, gives encouragement to the urbanization. Towns are expanding and villages are coming to the level of towns. 82 per cent. of the population of the country is living in the villages. But they are not getting the required quota of cement for themselves. In view of this our Government cannot claim that they are attending to the needs of the rural people. Only 20 per cent. of the country's cement production is given to the farmers. And it is very clear in the modern days that electricity and cement are the two primary needs of the farmers, which should be fulfilled. If we want that the country's agricultural production to go up, it is essential these needs of the farmers are attended to. Even the industrial development is not possible without the development of the agricultural side.

The prices of cement have gone up from Rs. 10 a bag to Rs. 20 a bag. And at the same time it is difficult to get it. I want to know the arrangement Government have made to see that the farmers get their due quota ? Indirectly Government have admitted 50 per cent. of complaints regarding distribution of cement by the retail dealers had some substance. I want to know what punishment has been given to such retail dealers who were not rightfully distributing the cement to those about whom it was meant. Together with this difficulty, the difficulty of transport is also there. The complaints of the industrialists have been that the cement produced by them is not reaching the market, for there is a shortage of railway wagons. I want to know whether this matter has been taken up with the Railway Ministry.

It is sad that Government have not been able to come up to targets of production, already fixed. In the third plan period the target was of 1 crore 8 lakh tonnes. I want to know from the Honourable Minister the steps the Government are taking to produce 2 crores tonnes of cement in the fourth plan period. These are the few things which I am placing before the House through this Half-An-Hour discussion. I hope the Minister will give satisfying replies to all the queries which I have raised.

श्री हु० चा० लिंग रेड्डी : मुख्य बात तो श्री प्रकाश वीर शास्त्री ने कह दी है। मैसूर और दक्षिण भारत में सीमेन्ट की बहुत कमी अनुभव हो रही है। नियंत्रण हटा लेने पर भी इस दिशा में स्थिति सुधरी नहीं है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या विद्यमान संयंत्रों का विस्तार किया जा रहा है और क्या नये संयंत्र लगाये जा रहे हैं ? और कृषकों को वितरण किये जाने वाली सीमेन्ट की स्थिति क्या है।

Shri Bade (Khargone) : There is a shortage of cement in M. P. I want to know whether Government are prepared to see that Cooperative Societies are made the agents for the distribution of cement ?

श्री कृ० चं० शर्मा (सरधना) : उत्पादन कार्यों के लिये सीमेन्ट की अपेक्षा है, अतः सरकार द्वारा ऐसे पग तत्काल उठाये जायें जिससे किसान कुएं बनाने के लिये सीमेन्ट प्राप्त कर सकें ?

Shri Sinhasan Singh (Gorakhpur) : Whether it is a fact that most of the cement that is allotted for the Government departments, is destroyed in the godowns and the unused cement goes to the black market ? I want to know the steps taken by the Government in this direction. I also want to know the names of cement factories from where U.P. will get cement.

श्री बासप्पा (तिपतुर) : सीमेन्ट उत्पादन के निर्धारित लक्ष्य को देखते हुये सरकार सीमेन्ट के और अधिक कारखाने स्थापित करने की दिशा में क्या कर रही है ? क्या मैसूर राज्य द्वारा वर्तमान कारखानों के विस्तार और कुछ नये कारखाने स्थापित करने का कोई प्रस्ताव रखा है ?

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा प्रस्ताव है कि राज्य और जिला स्तर पर सीमेन्ट के उचित वितरण की व्यवस्था करने के हेतु कोई एक समिति बनाई जाये ?

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : प्रस्तावक महोदय ने इस बारे में जो तथ्य प्रस्तुत किये हैं, उसको देखते हुये मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने यह मालूम करने का प्रयास किया है कि बिजली की कटौती श्रमिकों के उपद्रव तथा रेलवे का गतिरोध सीमेन्ट पर से नियंत्रण हटा लेने के राह में बाधक है ?

Shri D. S. Patil (Yeotmal) : I want to know the name of the agency through which the cement quota of Maharastra is being distributed ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने इस चर्चा में भाग लिया है। सीमेन्ट की कमी की बात उठाकर श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने उचित ही किया है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि देश की सीमेन्ट सम्बन्धी कुल मांग 1 करोड़ 30 लाख मीट्रिक टन है। हमारा वास्तविक उत्पादन 1 करोड़ टन से कुछ ऊपर है। वैसे हमारी उत्पादन क्षमता 1 करोड़ 20 लाख मीट्रिक टन है और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उत्पादन बढ़ जाये। आशा की जाती है कि चौथी योजना काल के अन्त तक हम 2 करोड़ मीट्रिक टन के लक्ष्य के निकट पहुंच ही जायेंगे। इस समय स्थिति यह है कि 50 प्रतिशत माल सरकार अपने कामों के लिये अपनी निर्धारित रियायती दरों पर दे रही है। 50 प्रतिशत उत्पादन जनता में वितरण के लिए रखा जाता है। यह भी सुझाव दिया गया है कि सरकार को अपना अंश 50 प्रतिशत से कम कर देना चाहिये। वास्तव में वर्ष की प्रथम छमाही में सरकार को केवल 45 प्रतिशत माल ही दिया गया था और जनता को देने के लिये 55 प्रतिशत माल दे दिया गया था।

वर्ष के पूर्वार्ध में किसानों को 8.25 लाख मीट्रिक टन सीमेन्ट दिया गया था और यह उसके अतिरिक्त था जो कि भवन इत्यादि बनाने के लिये देहाती क्षेत्र में दिया गया था। हमने मूल्य निर्धारित किया हुआ है और उसका फुटकर मूल्य 8 रुपये 68 पैसे प्रति कट्टा है। इसमें कुछ स्थानीय कर भी जोड़ दिये जाते हैं। अब प्रयत्न यह रहता है कि सीमेन्ट इस भाव में बिक रहा है कि नहीं ? वैसे इस दिशा की बहुत सी शिकायतें दूर हो गयी हैं। और भी जो शिकायतें हैं उनकी जांच की जा रही है। कुछ व्यापारियों के विरुद्ध भी कार्यवाहियां की गई हैं जो कि इस दिशा में दोषी पाये गये हैं। हम इस बारे में और भी कड़ी कार्यवाही करने का निश्चय किये हुये हैं।

इस बात का भी प्रयास किया जा रहा है कि सरकारी विभागों की आवश्यकताओं का अनुमान लगा लिया जाय। हमारी इच्छा है कि आवश्यकता से अधिक सीमेन्ट इस दिशा में न दिया जाय। साथ ही सीमेंट उद्योग के विकेन्द्रीकरण का भी विचार है। यदि उद्योगपति नये संयंत्र लगाने के लिये आगे आयें तो सरकार द्वारा उनकी पूरी सहायता की जायेगी। आरम्भ में, कठिनाई वाले क्षेत्रों में सीमेन्ट के उचित वितरण का भी प्रयास किया जा रहा है। इसके लिये जिला समितियां नियुक्त किये जाने का विचार है। जिला स्तर पर इन समितियों की नियुक्ति को हमने सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया है। इन समितियों में विधान सभा, संसद तथा स्थानीय निकायों के सदस्यों को लिया जा रहा है। किसानों को पर्याप्त मात्रा में सीमेन्ट मिले, हम इसकी पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। यह आदेश जारी किये गये हैं कि प्रत्येक व्यापारी नोटिस बोर्ड पर अपने स्टाक और दरों का ब्योरा लिख कर रखे।

इस बात को मैं मानता हूं कि संस्थापित क्षमता के उपयोग में कमी रह गई है। इसका कारण बिजली में कटौती, श्रम सम्बन्धी गड़बड़ियां, मशीनों की खराबी, मरम्मत, कच्चे माल की कमी इत्यादि है। इस बात के सम्भव प्रयास हो रहे हैं कि इस बारे में प्रशासन को और कड़ा कर दिया जाय। जिसके परिणामस्वरूप सीमेन्ट उपलब्ध होने और उसके वितरण की कठिनाइयां दूर हो सकें। मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि हम वर्तमान संयंत्रों का विस्तार कर रहे हैं और नये संयंत्र लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इससे हम सीमेन्ट का उत्पादन अपनी आवश्यकता के अनुरूप कर सकेंगे।

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 1 सितम्बर, 1966/10 भाद्रपद, 1888 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हो गई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Friday, September 1, 1966/Bhadra 10, 1888 (Saka).

Tej Kumar Press, Lucknow—20-2-68—565.